SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली तथा कामकाजी महिला वसतिगृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या- 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली तथा कामकाजी महिला वसतिगृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या- 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I – आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिचय	1.1	3
संगठनात्मक ढांचा	1.2	5
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	6
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति	1.5	6
अभिस्वीकृति	1.6	7
आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं में लाभार्थी कवरेज एवं डेटा अद्यतन तंत्र का आकलन	1.7	8
आंगनवाड़ी केंद्र की अधोसंरचना एवं सुविधाओं की पर्याप्तता	1.8	11
मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण	1.9	23
वित्तीय निगरानी एवं नियंत्रण	1.10	24
निगरानी एवं पर्यवेक्षण	1.11	33
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.12	45
अध्याय-II – कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिचय	2.1	49
संगठनात्मक ढांचा	2.2	49
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	51

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
लेखापरीक्षा मानदंड	2.4	51
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति	2.5	51
अभिस्वीकृति	2.6	52
योजना	2.7	52
वित्तीय प्रबंधन	2.8	53
कामकाजी महिला वसतिगृहों का संचालन	2.9	55
प्रशासन एवं निगरानी व्यवस्था	2.10	76
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.11	79
अध्याय-III बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिचय	3.1	83
संगठनात्मक ढाँचा	3.2	84
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.3	85
लेखापरीक्षा मानदंड	3.4	85
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति	3.5	86
अभिस्वीकृति	3.6	86
आई.सी.पी.एस. के क्रियान्वयन के लिए योजना एवं प्रारंभिक गतिविधियां	3.7	87
वित्तीय प्रबंधन	3.8	90
सी.सी.आई. की कार्यप्रणाली	3.9	93
प्रबंधन एवं निगरानी की प्रणाली	3.10	112
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.11	116

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	चयनित जिलों, परियोजना कार्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्व-सहायता समूहों की सूची	119
1.2	चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार नामांकित एवं लाभान्वित लाभार्थियों की जिला-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	123
1.3	आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण में विचलन	124
1.4	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए गर्म पके हुए भोजन की अधिक/कम आपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण	125
1.5	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जिसमें स्व-सहायता समूह ने एक ही समय में नाश्ता एवं दोपहर का भोजन प्रदान किया	132
1.6	आई.सी.डी.एस. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	132
1.7	अवधि 1995-96 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत/अपूर्ण/अप्रारंभिक आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण	133
1.8	अपूर्ण एवं अप्रारंभित आंगनवाड़ी केन्द्रों का जिला-वार विवरण	134
1.9	मंडला जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	135
1.10	आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण जिनके विरुद्ध एक से अधिक स्वीकृतियाँ जारी की गईं एवं तदनुसार निधि जारी की गई	136
1.11	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूर्ण होने के बाद निर्माण एजेंसी के पास शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	139
1.12	भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन एवं इसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	144
1.13	चयनित छ: जिलों में खाद्यान्नों के उपयोग के आंकड़ों में विसंगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	145
1.14	चयनित जिलों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	146
1.15	स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु देयकों की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	147
2.1	भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का विवरण	148

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.2	मध्य प्रदेश में कामकाजी महिला वसतिगृहों का विवरण	151
2.3	निर्धारित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किए गए वसतिगृहों का विवरण	160
2.4	क्रियाशील वसतिगृहों में अधोसंरचना की उपलब्धता का विवरण	163
3.1	मार्च 2024 तक बाल देखरेख संस्थानों की सूची	164
3.2	सी.सी.आई. की श्रेणी एवं उद्देश्य	169
3.3	बालकों के भरण-पोषण पर होने वाले अधिक व्यय का ब्यौरा	171
3.4	आई.सी.पी.एस. के तहत सेवा वितरण संरचनाओं में जनशक्ति की स्थिति	173
3.5	शासन द्वारा संचालित सी.सी.आई. एवं पश्चातवर्ती देखरेख गृह में कर्मचारियों की कमी का विवरण	175
3.6	निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध शयनगृह क्षेत्र का विवरण	176
3.7	निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध कक्षा के आकार का विवरण	178
3.8	निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध रोगी कक्ष के आकार का विवरण	179
3.9	निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध शौचालयों का विवरण	180
3.10	निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध स्नानगृहों का विवरण	181
3.11	सी.सी.आई. में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का विवरण	182
3.12	सी.सी.आई. का नाम जहां निर्धारित आहार तालिका के अनुसार आहार प्रदान नहीं किया जाता है	183
3.13	बाल देखरेख संस्थानों की सुरक्षा में चूक	184
3.14	सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति एवं बाल समितियों के कार्यप्रणाली में अनियमितताएं	185
3.15	सी.सी.आई. में बाल समिति की बैठकों में कमी	186
संक्षिप्त शब्दावली		187

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं, जो वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए हैं। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024–25 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित प्रकरण भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाये जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होगें।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए यह प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन में किए गए तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। इनमें 'आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली', 'कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता' एवं 'बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता' की लेखापरीक्षा शामिल है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की ?

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना (अक्टूबर 1975 में शुरू की गई) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसे छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में, एकीकृत बाल विकास सेवा के क्रियान्वयन की निगरानी, महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा की जाती है, जो राज्य में 97,303 आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) का प्रदर्शन,सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) जैसे पोषण (एस.डी.जी.-2), स्वास्थ्य (एस.डी.जी.-3), शिक्षा (एस.डी.जी.-4) एवं लैंगिक समानता (एस.डी.जी.-5) की उपलब्धि को सीधे प्रभावित करता है। अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत कुल 1,51,77,688 लाभार्थी लाभान्वित हुए, जिस पर ₹20,565.32 करोड़ का व्यय हुआ।

हमने यह लेखापरीक्षा राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख के मानकों में विद्यमान महत्वपूर्ण चुनौतियों की पृष्ठभूमि में कुपोषण से निपटने, बाल विकास के परिणामों में सुधार लाने एवं शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य से किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों के अनुसार, राज्य ने शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति के साथ सुधार को दर्शाया है; हालांकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान दोनों सूचकांक देश में सबसे अधिक होने के साथ राष्ट्रीय औसत से पीछे बने हुए है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41 थी , जो देश में सबसे अधिक है। इसी तरह, मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 173 थी, जो मातृ स्वास्थ्य के प्रति निरंतर जोखिम को दर्शाती है।

इस लेखापरीक्षा में संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिलेख एवं 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 13 चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा आंगनवाड़ी अधोसंरचना की पर्याप्तता, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज, वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की क्रियाशीलता एवं प्रभावशीलता को शामिल किया गया था।

हमने क्या पाया?

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान एवं नामांकन से लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, स्टाफ की व्यवस्था करना, प्रभावी सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में अधोसंरचना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को शामिल करते हुए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

हमने देखा कि लाभार्थियों की पहचान एवं नामांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में प्रविष्ट लाभार्थी आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में संधारित हस्तलिखित अभिलेखों के बीच विसंगतियां देखी गईं, जिससे प्रतिवेदित कवरेज एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित वास्तविक आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अंतर आया।

इसके अतिरिक्त, जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना पर्याप्त नही थी, क्योंकि राज्य में कुल 54,903 में से 8,842 ग्रामों/वार्डों (16 प्रतिशत) में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे। निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थल चयन मानदंडों का अनुपालन न करने के प्रकरण भी देखे गए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियां पाई गईं। इनमें आंतरिक एवं बाह्य स्थान, बच्चों के अनुकूल संरचनाएं, पेयजल, शौचालय, खेल के मैदान, रसोई, स्टोर रूम आदि की कमी अथवा अपर्याप्तता शामिल थी।

विभाग में विशेष रूप से जिला परियोजना अधिकारियों (55 प्रतिशत), बाल विकास परियोजना अधिकारियों (40 प्रतिशत) एवं पर्यवेक्षकों (17 प्रतिशत) के संवर्गों में जनशक्ति की अत्यधिक कमी थी। इसके कारण योजना के क्रियान्वयन की पर्याप्त निगरानी नहीं हुई। यद्यपि आंगनवाड़ी केन्द्रों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण का कवरेज उत्साहजनक पाया गया, जिसमें 86,946 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (90.75 प्रतिशत) एवं 69,743 आंगनवाड़ी सहायिकाओं (85.20 प्रतिशत) को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, तथापि नई एवं महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु कौशल के अद्यतन एवं उन्नयन के लिए अपेक्षित पुनश्चर्या (*रिफ्रेशर*) प्रशिक्षण किसी भी कार्मिक को प्रदान नहीं किया गया।

हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के विलंबित अथवा परित्यक्त निर्माणों के कारण निरर्थक एवं परिहार्य व्यय, क्रियान्वयन एजेंसियों से ब्याज सहित अप्रयुक्त निधि की वसूली न होने, पूर्व में जारी की गई निधि के उपयोग का आकलन किए बिना अतिरिक्त निधि जारी करने, कार्यक्रमों के आयोजन की पुष्टि किए बिना किए गए भुगतान आदि प्रकरण देखे, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के क्रियाकलाप एवं उन्नयन के प्रयोजन हेतु निधि के अविवेकपूर्ण प्रबंधन को दर्शाते हैं। चयनित 13 जिलों में से आठ में 202 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में विलंब हुआ जिससे निर्माण की लागत में ₹6.18 करोड़ की वृद्धि हुई।

चयनित 13 जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.) में से 10 को क्रियान्वयन एजेंसियों के पास जमा निधि एवं उन पर अर्जित ब्याज की जानकारी नहीं थी, जो वित्तीय संसाधनों की कमजोर निगरानी को दर्शाता है। शेष तीन जिलों (मंडला, रतलाम एवं शाजापुर) के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने सूचित किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जमा की गई निधि पर ₹2.32 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था; हालांकि, विभाग ने अर्जित ब्याज के उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार, अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा गर्म पके हुए भोजन (एच.सी.एम.) की आपूर्ति में अनियमितताएं पाई गईं। गर्म पके हुए भोजन के कम, अधिक अथवा आपूर्ति न होने के प्रकरण पाए गए, तथा लक्षित हितग्राहियों का कवरेज भी सीमित पाया गया। जिला नागरिक आपूर्ति निगम (डी.सी.एस.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर खाद्यान्नों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जिलों से खाद्यान्नों के वास्तविक उठाव के साथ उचित मूल्यांकन अथवा समाशोधन किए बिना, भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे।

जिला एवं उप-जिला स्तर पर योजना की निगरानी में कमी पाई गई। गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति, अपंजीकृत स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा अथवा अपात्र लोगों के माध्यम से की गई थी। चयनित 13 जिलों में से पांच (मंडला, टीकमगढ़, सीहोर, अलीराजपुर एवं श्योपुर) में, अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक से छः माह की अवधि के लिए 1-332 आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत देयक नहीं पाए गए एवं परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या स्व-सहायता समूहों ने वास्तव में प्रभावित आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, गर्म पके हुए भोजन तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री का गुणवत्ता आश्वासन के लिए नमूना नहीं लिया गया था, एवं आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर अभिलेखों का संधारण अपूर्ण अथवा अपर्याप्त था। आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा आवश्यक अभिलेखों का संधारण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था। चयनित 13 जिलों में से 11 के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुनिश्चित नहीं किया एवं उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या में कमी पाई गई।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

हम शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करते हैं कि

- *आंगनवाड़ी केंद्रों में वास्तविक कवरेज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के हस्तलिखित अभिलेखों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए ।*
- *आंगनवाड़ी केंद्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, स्थल चयन एवं विलंब सहित, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।*
- *गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति को बिना रोंके, अपात्र स्व-सहायता समूहों की पहचान करना एवं उन्हें पात्र समूहों से प्रतिस्थापित किया जाए।*
- *मुख्य संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध भर्ती अभियान चलाया जाए।*
- *भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उठाये गए खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों में मिलान एवं सत्यता सुनिश्चित की जाए ।*

कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर आवास, उनके बालकों के लिए डे-केयर सुविधा के साथ, की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1972-73 में कामकाजी महिला वसतिगृह (वसतिगृह) योजना का प्रारंभ किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, इस योजना के अंतर्गत स्थापित वसतिगृहों की गतिविधियों तथा क्रियाशीलता की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि हेतु किया गया एवं मध्य प्रदेश में स्थित सभी 59 वसतिगृहों, जो 52 में से 34 जिलों में स्थित हैं, का मूल्यांकन शामिल है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, 13 क्रियाशील वसतिगृहों में से 10 में 274 लाभार्थी निवास कर रहे थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी कि क्या वसतिगृहों की स्थापना के लिए योजना कुशल एवं प्रभावी थी, वसतिगृहों में आवास की गुणवत्ता पर्याप्त एवं निवासियों की संतुष्टि के अनुरूप थी; एवं क्या प्रबंधन एवं निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली मौजूद थी तथा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी ।

हमने क्या पाया?

कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृहों की पर्याप्तता पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य में वसतिगृहों की योजना, संचालन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण कमियां देखी गई । उल्लेखनीय रूप से, विभाग ने 2019-2024 की अवधि के दौरान कामकाजी महिलाओं के बीच वसतिगृहों की मांग का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। मध्य प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) में वृद्धि (अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 43.2 प्रतिशत से 61.1 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 23.3 प्रतिशत से 28.5 प्रतिशत तक बढ़ी) के बावजूद, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा नए संस्थागत क्षेत्रों में वसतिगृहों के लिए सार्वजनिक भूमि चिन्हित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

राज्य में 59 वसतिगृहों (शैय्या क्षमता 3,519) में से, 31 मार्च 2024 की स्थिति में केवल 13 (शैय्या क्षमता 990) क्रियाशील अथवा आंशिक रूप से क्रियाशील थे, जबकि 22 वसतिगृह (शैय्या क्षमता 1,310) का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था, जिससे कामकाजी महिलाओं को इच्छित लाभों से वंचित होना पड़ा । चार वसतिगृह (शैय्या क्षमता 173) अक्रियाशील थे। इस योजना के अंतर्गत कथित तौर पर स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए तीन वसतिगृहों का पता नहीं चल सका। वर्ष 1989-91 के दौरान

स्वीकृत तीन वसतिगृहों का निर्माण अपूर्ण रहा, जबकि वर्ष 1988-89 में स्वीकृत एक वसतिगृह का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वसतिगृह जीर्ण-शीर्ण, ध्वस्त अथवा खंडहर स्थिति में पाए गए।

तेरह क्रियाशील वसतिगृहों में से नौ में लेखापरीक्षा अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान अधिभोग दर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच रही, जबकि शेष वसतिगृहों ने या तो कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की अथवा अपूर्ण आंकड़े प्रदान किये। लेखापरीक्षा में आकलन किया गया कि वसतिगृह का कम अधिभोग पुरानी अवसंरचना, आधुनिक सुविधाओं का अभाव, सीमित जन जागरूकता तथा अक्रियाशील डे-केयर सेंटर थे। यद्यपि मध्य प्रदेश में वसतिगृहों के लिए 11 डे-केयर सेंटर स्वीकृत किए गए थे, पांच क्रियाशील वसतिगृह के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह पाया गया कि स्वीकृत डे-केयर सेंटरों में से कोई भी संचालित नहीं था।

हमने कामकाजी महिलाओं के लिए निर्धारित वसतिगृह में अपात्र निवासियों के रहने के उदाहरण भी पाये। क्रियाशील वसतिगृहों में मूलभूत सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं, तथा उनकी देखभाल एवं रखरखाव में कई कमियां देखी गईं, जिसके परिणामस्वरूप अस्वच्छ एवं असुविधाजनक निवास स्थितियां उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त, वसतिगृहों में उचित सुरक्षा उपायों का अभाव था एवं योजना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निरीक्षणों का अपर्याप्त संचालन एवं शासन द्वारा संचालित केवल तीन वसतिगृहों में ही वसतिगृह प्रबंधकीय समितियों (एच.एम.सी.) का गठन, तथा कुछ वसतिगृहों में वित्तीय एवं परिचालन अभिलेखों की अनुपलब्धता, जिला प्रशासन द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाती है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

हम शासन को अनुशंसा करते हैं कि

- *वसतिगृहों में प्रवेश के लिए मांग के पंजीकरण हेतु एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए तथा आवंटन के लिए अधिभोग/रिक्ति की स्थिति के वास्तविक समय अद्यतन प्रदर्शित किये जायें, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए तथा इसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए;*
- *सुधारात्मक कार्रवाई हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि के उपयोग की स्थिति की जांच के लिए एक एम.आई.एस. स्थापित किया जाए;*
- *अनुदान की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों पर निगरानी रखी जाए एवं अप्राप्य वसतिगृहों, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अन्य प्रयोजनों के लिए वसतिगृह के भवनों का उपयोग एवं लाभ अर्जित करने के प्रकरणों में कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाए,*
- *भारत सरकार की योजना (2017) के अंतर्गत पुराने हो चुके वसतिगृहों के अवसंरचना का नवीनीकरण किया जाए, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए, एवं रहने योग्य स्थिति में सुधार हेतु सुविधाओं का उन्नयन किया जाए, साथ ही शासन के सहयोग से उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाए।,*
- *जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी के साथ, वित्तीय, परिचालन एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाए।*

बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शुरू की गई एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) का उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (सी.एन.सी.पी.) के साथ-साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण बनाना है। इस पहल के अंतर्गत इन संवेदनशील बालकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, सेवाएं एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में बाल देखरेख संस्थान (सी.सी.आई.) स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग, आई.सी.पी.एस. ढांचे के तहत इन सी.सी.आई. के कामकाज एवं गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मार्च 2024 तक, राज्य के 41 जिलों में 126 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह स्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह संचालित किए जा रहे थे एवं 100 सी.सी.आई. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसमें मार्च 2024 तक, 2,819 बालकों को आश्रय प्रदान किया गया है।

राज्य में बालकों के अधिकारों एवं कल्याण की सुरक्षा में परिकल्पित सी.सी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या सी.सी.आई. की स्थापना की योजना कुशल एवं प्रभावी थी; क्या सरकार ने पर्याप्त निधि प्रदान किया एवं निधि का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया; क्या देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्रभावी सांविधिक सहायता सेवाएं उपलब्ध थीं, एवं क्या संस्थान के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली मौजूद थी।

हमने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित किया एवं राज्य में इन संस्थानों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए नौ चयनित जिलों में 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों का मूल्यांकन किया।

राज्य में कार्यरत सी.सी.आई. केवल एक सीमित सीमा तक ही अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इन संस्थानों के कामकाज में कार्यान्वयन से संबंधित कई कमियां एवं गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बालकों को प्रदान की जाने वाली देखरेख एवं सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए इन मुद्दों के तत्काल निवारण की आवश्यकता है।

हमने क्या पाया?

हमने पाया कि राज्य ने आई.सी.पी.एस. गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किसी भी जिले में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2021-22 में नौ जिलों में सड़क पर रहने वाले बालकों का सर्वेक्षण किया गया था, किन्तु इसमें संवेदनशील बालकों की व्यापक आबादी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि झुग्गी बस्तियों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों तथा बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था।

आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव तथा सी.एन.सी.पी. के राज्य-व्यापी आंकड़ों को संकलित करने हेतु प्रणालियों में कमी के कारण राज्य के साथ-साथ जिलों में सी.सी.आई. की मांग का निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। छब्बीस जिलों में विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) का अभाव है, जो दत्तक ग्रहण सेवाओं एवं किशोर न्याय कवरेज में कमियों को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान दत्तक ग्रहण की संख्या 180 से घटकर 144 हो गई, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 207 हो गयी।

नौ जिलों की नमूना जांच में यह पाया गया कि केवल चार जिलों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं सागर) में खुला आश्रय गृह थे। इसके अतिरिक्त खुला आश्रय गृह अपर्याप्त संख्या में संपर्क स्थलों के साथ संचालित हो रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने में विलंब हो रहा है। 17 से 61 प्रतिशत तक धनराशि अव्ययित रही, जबकि सी.सी.आई. में अवसंरचना एवं सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियाँ बनी रहीं। निगरानी अथवा आवधिक प्रतिवेदन की व्यवस्था, जिसमे निधियों की

उपयोगिता भी सम्मिलित है, में भी कमी पाई गई, जैसा कि वर्ष 2019-22 के दौरान भोपाल में एक खुला आश्रय गृह को अनुदान (₹ 1.11 करोड़) की अधिक राशि जारी किए जाने तथा बालकों की वास्तविक ठहरने की अवधि पर विचार किए बिना रखरखाव व्यय के रूप में (₹ 1.29 करोड़) अधिक भुगतान किया गया।

सी.सी.आई. में मांग की पूर्ति का स्तर अपर्याप्त है, जिसका प्रमाण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, भीड़भाड़, तथा बालकों को बिस्तर एवं कपड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता से मिलता है। नमूना जांच किये गए संस्थानों में सामूहिक शयनकक्षों, कक्षाओं, शौचालयों तथा आयु अथवा लिंग आधारित पृथक्करण के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। कपड़ों/बिस्तरों एवं चिकित्सा देखभाल की सुविधाएँ भी अपर्याप्त थीं, तथा भीड़भाड़ के मामले भी पाए गए। । आयु एवं लिंग के आधार पर बालक/बालिकाओं को अलग न करना, तथा जघन्य अपराधों के आरोपी बालकों के साथ चारपाई साझा करने की प्रथा भी देखी गई। सम्प्रेषण गृह, एस.ए.ए. तथा पश्चातवर्ती देखरेख का लाभ बालकों को उनकी आयु पात्रता पर विचार किए बिना प्रदान किया गया था।

चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में वर्ष 2019 से 2024 की अवधि के दौरान 14 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में 47 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक कर्मचारियों की उल्लेखनीय कमी का संकेत मिला। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में जनशक्ति की कमी राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एस.सी.पी.एस.) स्तर पर 53 प्रतिशत से 69 प्रतिशत, जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) स्तर पर 29 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एस.ए.आर.ए.) स्तर पर 75 प्रतिशत थी। 17 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में मेस समितियों के अभाव के कारण बालकों को परोसे जाने वाले आहार की निगरानी नहीं हो सकी। व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं का अनुवर्ती कार्रवाई पूरी तरह से अपर्याप्त था। सी.सी.आई. में महत्वपूर्ण सुरक्षा खामियां देखी गईं, जिनमें सी.सी.टी.वी. कैमरों का कार्यरत न होना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में अनियमितताएं तथा कम ऊँचाई वाली चारदीवारी शामिल हैं, जिससे पर्यवेक्षण एवं बाल सुरक्षा प्रभावित हुई, एवं बालकों के भाग जाने की घटनाएं सामने आईं।

राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन न होने तथा जिला बाल संरक्षण समिति एवं सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति की बैठक की अपर्याप्त संख्या के कारण संस्थानों की समग्र निगरानी प्रभावित हई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की जांच के निष्कर्षों का अनुपालन न करने के भी प्रकरण देखे गए, जिसमें चार अपंजीकृत सी.सी.आई. का संचालन शामिल था, जो एक गंभीर नियामक चूक को दर्शाता है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन

- *संवेदनशील बालकों को पर्याप्त रूप से कवरेज प्रदान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.आई. संस्थानों की संख्या की योजना बनाए,*
- *अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा बालकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी एवं उपयोग की गयी निधियों की निगरानी तथा अभिलेखीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर, उन्हें लागू करे,*
- *बालक/बालिकाओं के आयु, लिंग एवं श्रेणी के अनुसार कड़ाई से पृथक्करण लागू करे, ताकि दुर्व्यवहार अथवा शोषण के जोखिम से बचा जा सके,*
- *राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन करे, जिला एवं सी.सी.आई. दोनों स्तरों पर नियमित आवधिक बैठकें आयोजित करे, तथा सी.सी.आई. का निरीक्षण सुनिश्चित करे।*

अध्याय-I

आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा

अध्याय-I

महिला एवं बाल विकास विभाग

आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की ?

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना (अक्टूबर 1975 में शुरू की गई) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसे छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में, एकीकृत बाल विकास सेवा के क्रियान्वयन की निगरानी महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा की जाती है, जो राज्य में 97,303 आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी) का प्रदर्शन सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) जैसे पोषण (एस.डी.जी.-2), स्वास्थ्य (एस.डी.जी.-3), शिक्षा (एस.डी.जी.-4) एवं लैंगिक समानता (एस.डी.जी.-5) की उपलब्धि को सीधे प्रभावित करता है। अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत कुल 1,51,77,688 लाभार्थी लाभान्वित हुए, जिस पर ₹20,565.32 करोड़ का व्यय हुआ।

हमने यह लेखापरीक्षा राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख के मानकों में विद्यमान महत्वपूर्ण चुनौतियों की पृष्ठभूमि में कुपोषण से निपटने, बाल विकास के परिणामों में सुधार लाने एवं शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य से किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों के अनुसार, राज्य ने शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति के साथ सुधार को दर्शाया है; हालांकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान दोनों सूचकांक देश में सबसे अधिक होने के साथ राष्ट्रीय औसत से पीछे बना हुआ है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41 थी, जो देश में सबसे अधिक है। इसी तरह, मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 173 थी, जो मातृ स्वास्थ्य के प्रति निरंतर जोखिम को दर्शाती है।

इस लेखापरीक्षा में संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिलेख एवं 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 13 चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा आंगनवाड़ी अधोसंरचना की पर्याप्तता, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज, वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की क्रियाशीलता एवं प्रभावशीलता को शामिल किया गया था।

हमने क्या पाया?

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान एवं नामांकन से लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, स्टाफ की व्यवस्था करना, प्रभावी सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में अधोसंरचना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को शामिल करते हुए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

हमने देखा कि लाभार्थियों की पहचान एवं नामांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में प्रविष्ट लाभार्थी आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में संधारित हस्तलिखित अभिलेखों के बीच विसंगतियां देखी गईं, जिससे प्रतिवेदित कवरेज एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित वास्तविक आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अंतर आया।

इसके अतिरिक्त, जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना पर्याप्त नही थी, क्योंकि राज्य में कुल 54,903 में से 8,842 ग्रामों/वार्डों (16 प्रतिशत) में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे। निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थल चयन मानदंडों का अनुपालन न करने के प्रकरण भी देखे गए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियां पाई गईं। इनमें आंतरिक एवं बाह्य स्थान, बच्चों के अनुकूल संरचनाएं, पेयजल, शौचालय, खेल के मैदान, रसोई, स्टोर रूम आदि की कमी अथवा अपर्याप्तता शामिल थी।

विभाग में विशेष रूप से जिला परियोजना अधिकारियों (55 प्रतिशत), बाल विकास परियोजना अधिकारियों (40 प्रतिशत) एवं पर्यवेक्षकों (17 प्रतिशत) के संवर्गों में जनशक्ति की अत्यधिक कमी थी। इसके कारण योजना के क्रियान्वयन की पर्याप्त निगरानी नहीं हुई। यद्यपि आंगनवाड़ी केन्द्रों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण का कवरेज उत्साहजनक पाया गया, जिसमें 86,946 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (90.75 प्रतिशत) एवं 69,743 आंगनवाड़ी सहायिकाओं (85.20 प्रतिशत) को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, तथापि नई एवं महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु कौशल के अद्यतन एवं उन्नयन के लिए अपेक्षित पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण किसी भी कार्मिक को प्रदान नहीं किया गया।

हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के विलंबित अथवा परित्यक्त निर्माणों के कारण निरर्थक एवं परिहार्य व्यय, क्रियान्वयन एजेंसियों से ब्याज सहित अप्रयुक्त निधि की वसूली न होने, पूर्व में जारी की गई निधि के उपयोग का आकलन किए बिना अतिरिक्त निधि जारी करने, कार्यक्रमों के आयोजन की पुष्टि किए बिना किए गए भुगतान आदि प्रकरण देखे, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के क्रियाकलाप एवं उन्नयन के प्रयोजन हेतु निधि के अविवेकपूर्ण प्रबंधन को दर्शाते हैं। चयनित 13 जिलों में से आठ में 202 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में विलंब हुआ जिससे निर्माण की लागत में ₹6.18 करोड़ की वृद्धि हुई।

चयनित 13 जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.) में से 10 को क्रियान्वयन एजेंसियों के पास जमा निधि एवं उन पर अर्जित ब्याज की जानकारी नहीं थी, जो वित्तीय संसाधनों की कमजोर निगरानी को दर्शाता है। शेष तीन जिलों (मंडला, रतलाम एवं शाजापुर) के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने सूचित किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जमा की गई निधि पर ₹2.32 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था; हालांकि, विभाग ने अर्जित ब्याज के उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार, अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा गर्म पके हुए भोजन (एच.सी.एम.) की आपूर्ति में अनियमितताएं पाई गईं। गर्म पके हुए भोजन के कम, अधिक अथवा आपूर्ति न होने के प्रकरण पाए गए, तथा लक्षित हितग्राहियों का कवरेज भी सीमित पाया गया। जिला नागरिक आपूर्ति निगम (डी.सी.एस.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर खाद्यान्नों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जिलों से खाद्यान्नों के वास्तविक उठाव के साथ उचित मूल्यांकन अथवा समाशोधन किए बिना, भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे।

जिला एवं उप-जिला स्तर पर योजना की निगरानी में कमी पाई गई। गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति, अपंजीकृत स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा अथवा अपात्र लोगों के माध्यम से की गई थी। चयनित 13 जिलों में से पांच (मंडला, टीकमगढ़, सीहोर, अलीराजपुर एवं श्योपुर) में, अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक से छ: माह की अवधि के लिए 1-332 आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत देयक नहीं पाए गए एवं परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या स्व-सहायता समूहों ने वास्तव में प्रभावित आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री का गुणवत्ता आश्वासन के लिए नमूना नहीं लिया गया था, एवं आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर अभिलेखों का संधारण अपूर्ण अथवा अपर्याप्त था। आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा आवश्यक अभिलेखों का संधारण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था। चयनित 13 जिलों में से 11 के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुनिश्चित नहीं किया एवं उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या में कमी पाई गई।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

हम शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करते हैं कि

- *आंगनवाड़ी केंद्रों में वास्तविक कवरेज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के हस्तलिखित अभिलेखों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए।*
- *आंगनवाड़ी केंद्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, स्थल चयन एवं विलंब सहित, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।*
- *गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति को बिना रोंके अपात्र स्व-सहायता समूहों की पहचान करना एवं उन्हें पात्र समूहों से प्रतिस्थापित किया जाए।*
- *मुख्य संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध भर्ती अभियान चलाया जाए।*
- *भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उठाये गए खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों में मिलान एवं सत्यता सुनिश्चित की जाए।*

1.1 परिचय

आंगनवाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं तथा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई (अक्टूबर 1975) एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के लिए प्रमुख वितरण बिंदु के रूप में कार्य करते हैं एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति करते हैं। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए समग्र सहायता सुनिश्चित करता है। आंगनवाड़ी सेवा योजना संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 47, 15(3), एवं 39 (ई)-(एफ)) द्वारा संचालित है एवं इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) से विधिक समर्थन प्राप्त है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं एवं बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) के लिए पूरक पोषण सुनिश्चित करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(एम.ओ.डब्ल्यू.सी.डी.), भारत सरकार परिचालन दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति (2013) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को नियंत्रित करती है। सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए, पोषण अभियान (2018) एवं सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (2021) जैसी पहल अभिसरण, डिजिटल निगरानी एवं अधोसंरचना के उन्नयन पर विशेष बल दिया गया है। यह योजना सामान्य वित्तीय नियम (2017) का पालन करते हुए, 60:40 के केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10) के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित होती है, एवं निधि की निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) का उपयोग करती है। एकीकृत बाल विकास सेवा- प्रबंधन सूचना प्रणाली, पोषण ट्रैकर ऐप, सामाजिक लेखापरीक्षा, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन तथा आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी समितियों (ए.एल.एम.सी.) द्वारा सामुदायिक निगरानी जैसे उपकरणों के माध्यम से निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

मध्य प्रदेश में, महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रबंधन करता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रबंधन ग्राम/सामुदायिक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.) एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं (ए.डब्ल्यू.एच.) द्वारा किया जाता है जो लाभार्थियों की पहचान करने एवं उनकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से छः प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनका विवरण ***तालिका-1.1*** में दिया गया है।

तालिका-1.1: एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

सेवाएं	गतिविधि एवं लाभार्थी	सेवा प्रदाता
पूरक पोषण	टेक होम राशन (*पैक्ड फूड मटेरियल*) छः माह से तीन वर्ष की आयु के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी प्रदान किया जाता है। आगे, तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों को सप्ताह में छः दिन गर्म पका हुआ भोजन (एच.सी.एम.) प्रदान किया जाता है। छः माह से तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मंगलवार को ही गर्म पका हुआ भोजन मिलता है।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका
प्री-स्कूल शिक्षा	आंगनवाड़ी केंद्रों में तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों को तीन से चार घंटे की प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	मंगल दिवस (प्रत्येक माह के पहले से चौथे मंगलवार को) एवं सुपोषण दिवस (प्रत्येक माह के पांचवें मंगलवार को) का आयोजन समुदाय को पोषण एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता औक्सिलिअरी नर्स मिडवाइव्स (ए.एन.एम.)/ चिकित्सा अधिकारी (एम.ओ.)
टीकाकरण	छः वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण प्रदान किया जाता है।	ए.एन.एम./चिकित्सा अधिकारी
स्वास्थ्य जांच 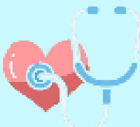	आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की नियमित अंतरालों पर महिला स्वास्थ्य आगंतुक एवं औक्सिलिअरी नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.) द्वारा जांच की जाती है।	ए.एन.एम./चिकित्सा अधिकारी/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
रेफरल सेवाएं 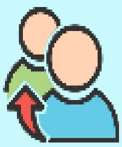	कुपोषित एवं बीमार बच्चे, जिनका प्रबंधन ए.एन.एम./आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा सकता है, उन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है एवं चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाता है।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /ए.एन.एम./चिकित्सा अधिकारी

स्रोत: भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत बाल विकास सेवा दिशा-निर्देश

मार्च 2024 की स्थिति में, राज्य में 97,303 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित थे जहां 85.96 लाख[1] लाभार्थी पंजीकृत थे। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की जिला-वार उपलब्धता को नीचे ***मानचित्र-1.1*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र 1.1 राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का वितरण

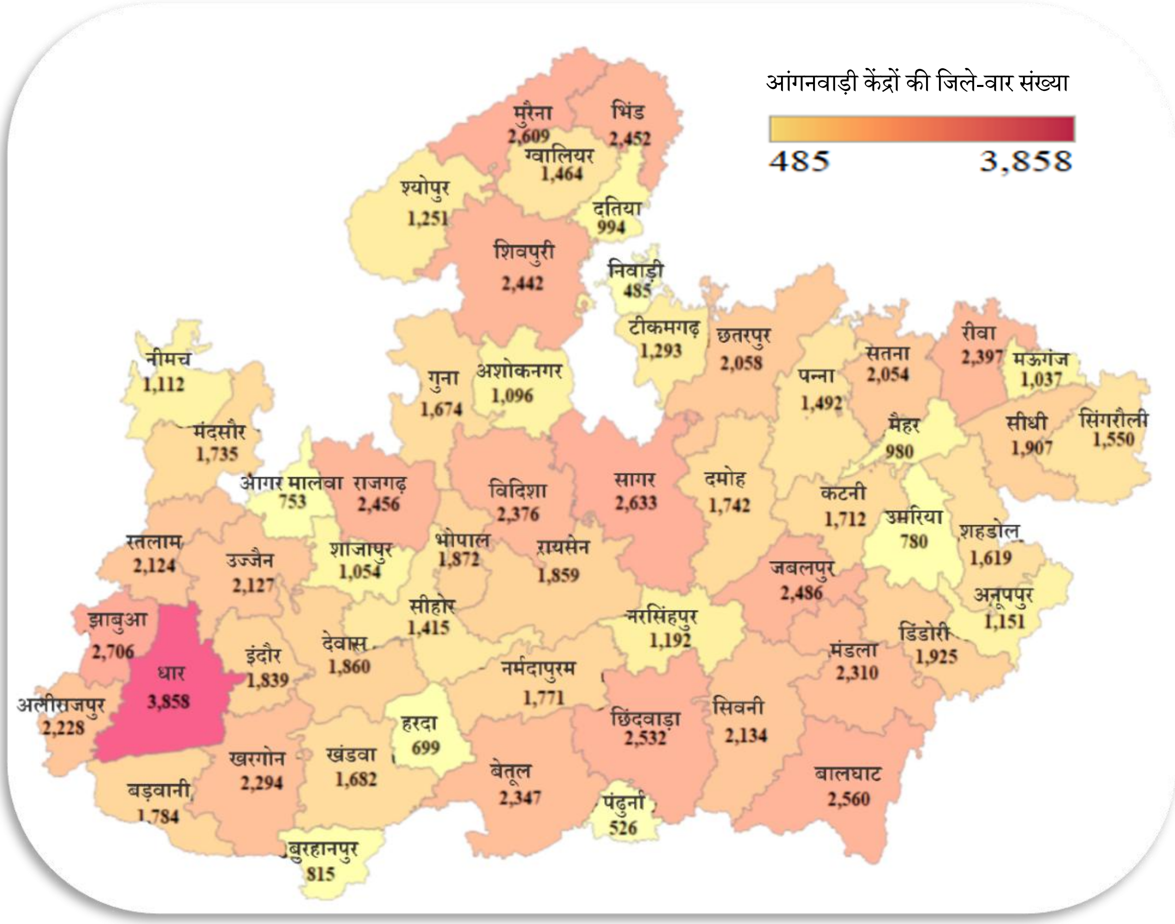

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

1.2 संगठनात्मक ढांचा

आंगनवाड़ी सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर निम्नलिखित चार्ट में चर्चा की गई है:

---

[1] शून्य से 6 माह आयु वर्ग के बच्चे (6,51,239), 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे (32,60,113), 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे (34,45,735), गर्भवती महिलाएँ (6,04,499) तथा धात्री महिलाएँ (6,34,536)।

चार्ट-1.1: विभाग का संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव (महिला एवं बाल विकास विभाग)
(प्रशासनिक प्रमुख, नीति एवं समन्वय)

आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग
(विभागाध्यक्ष, निर्देश जारी करना, संस्वीकृतियाँ प्रदान करना एवं निधि जारी करना)

संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग
(संभाग स्तर पर पर्यवेक्षण एवं निगरानी)

जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.)
(योजनाओं का क्रियान्वयन, सी.डी.पी.ओ./सेक्टर का समन्वय एवं पर्यवेक्षण)

बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.)
(योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना)

सेक्टर पर्यवेक्षक
(आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिका
(सर्वेक्षण, लाभार्थियों की पहचान, अभिलेखों का संधारण एवं एकीकृत बाल विकास सेवा प्रदान करना)

स्रोत: महिला एवं बाल विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा आंगनवाड़ी अधोसंरचना की पर्याप्तता, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कवरेज की सीमा, वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों की दक्षता एवं आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की क्रियाशीलता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, मानवशक्ति की उपलब्धता एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के प्रदान किए जाने के संबंध में भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/आदेशों/निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था।

1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल करते हुए नवंबर 2024 एवं मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा पद्धति में राज्य स्तर पर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के अभिलेखों की

नमूना जांच शामिल थी। जिला स्तर पर, 13 जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.) एवं 26 परियोजना कार्यालयों (प्रत्येक चयनित जिले में दो) का चयन सांख्यिकीय नमूना पद्धति[2] के माध्यम से किया गया था। अभिलेखों के संधारण के अलावा मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए, 130[3] आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रत्येक परियोजना कार्यालय में पांच) एवं इन आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन (एच.सी.एम.) प्रदान करने वाले स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) भी किया गया था। चयनित जिलों, परियोजना कार्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्व-सहायता समूहों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है एवं चयनित जिलों को ***मानचित्र-1.2*** में दर्शाया गया है।

मानचित्र-1.2: लेखापरीक्षा कवरेज के लिए चयनित जिलों को दर्शाता हुआ

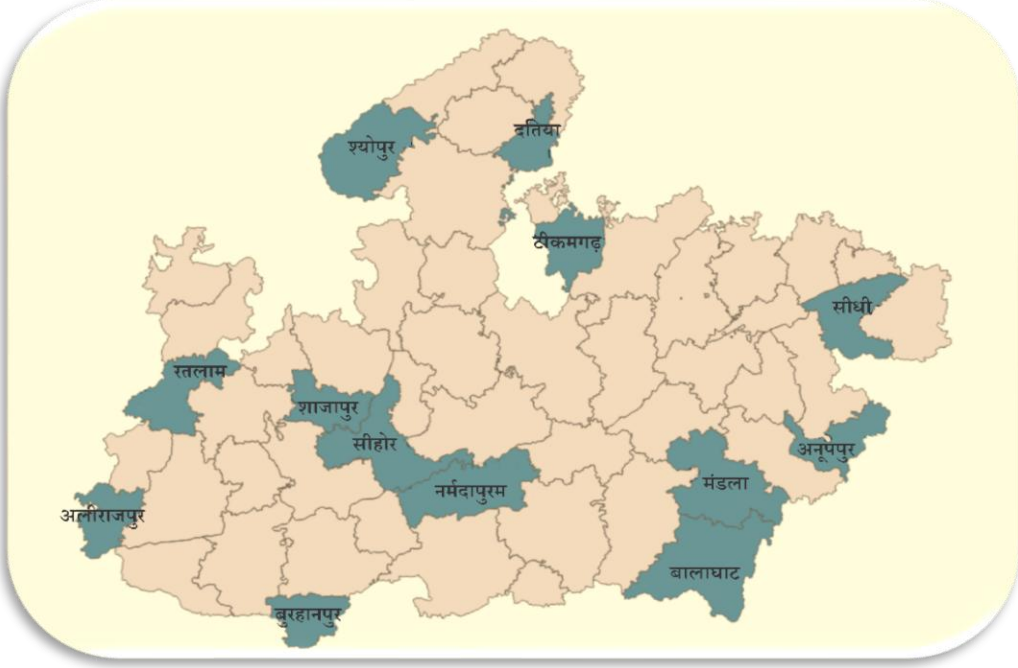

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत, हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छः सेवाओं (***तालिका-1.1*** के अंतर्गत सूचीबद्ध) में से तीन (पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा) को शामिल किया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा करने के लिए 6 फरवरी 2025 को प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रारूप प्रतिवेदन 25 जून 2025 को शासन को जारी किया गया था। 01 अगस्त 2025 को आयोजित निर्गम सम्मेलन, जिसमें अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने भाग लिया, के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं तथा शासन के अतिरिक्त उत्तरों (01 अगस्त 2025) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है एवं जहां भी आवश्यक है, खंडन किया गया है।

1.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

[2] आकार के अनुपात में संभावना के आधार पर बिना प्रतिस्थापन चयन (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.)

[3] प्रत्येक चयनित परियोजना कार्यालयों में पांच आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन आंगनवाड़ी भवन की निर्माण स्थिति, पंजीकृत एवं लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्णयात्मक रूप से किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.7 आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं में लाभार्थी कवरेज एवं डेटा अद्यतन तंत्र का आकलन

शासन के निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष अप्रैल के माह में आंगनवाड़ी केंद्र/क्षेत्र में सभी परिवारों का घर-घर सर्वेक्षण करना आवश्यक है ताकि लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान एवं नामांकन किया जा सके। पहचान किए गए नए (अतिरिक्त) लाभार्थियों के आंकडे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संधारित परिवार विवरण रजिस्टर[4] एवं आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ए.ए.एस.आर.) में दर्ज किए जाते हैं। संबंधित परियोजना कार्यालय, लाभार्थियों की स्थिति, खाद्यान्न आवंटन, मानव संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे रिपोर्टिंग एवं/अथवा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा संचालित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) में आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जानकारी भरता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साप्ताहिक गृह भेंट (घर का दौरा) आयोजित करना एवं परिवार विवरण रजिस्टर में जानकारी, यदि कोई हो, को अद्यतन करना भी आवश्यक है।

आगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यकलापों एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी से संबंधित आंगनवाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन, परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करती हैं। चिन्हित लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सोमवार से शनिवार तक गर्म पका हुआ भोजन एवं नाश्ता प्रदान किया जाता है, जिसके संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रविष्ट आंकड़ों पर आधारित होती है।

1.7.1 लाभार्थी आंकड़ों में विसंगति

लेखापरीक्षा ने चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ो का सत्यापन किया एवं नामांकित एवं लाभान्वित[5] लाभार्थियों की संख्या (31 मार्च 2024 की स्थिति में) में अंतर पाया, जैसा कि नीचे ***चार्ट-1.2*** एवं ***1.3*** में संक्षेप में बताया गया है:

चार्ट 1.2: चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों के विरूद्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली में नामांकित लाभार्थियों की संख्या में अधिकता/कमी की जिला-वार तुलना

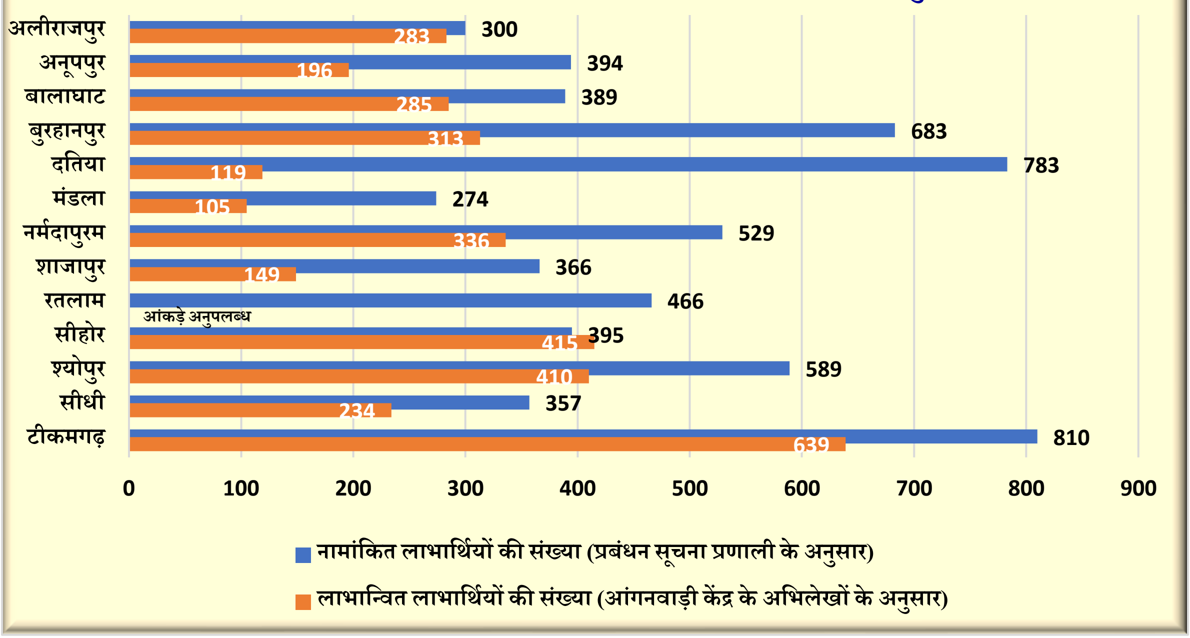

[4] परिवार विवरण रजिस्टर में परिवारों का विवरण, सभी जन्म एवं मृत्यु, परिवार का प्रवासन तथा आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा आदि का विवरण संधारित किया जाता है।

[5] नामांकित लाभार्थी वार्षिक आंगनवाड़ी सर्वेक्षण के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नामांकित लाभार्थियों को संदर्भित करते हैं, जबकि लाभान्वित लाभार्थी उन लाभार्थियों को संदर्भित करते हैं जिन्होंने आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ उठाया था।

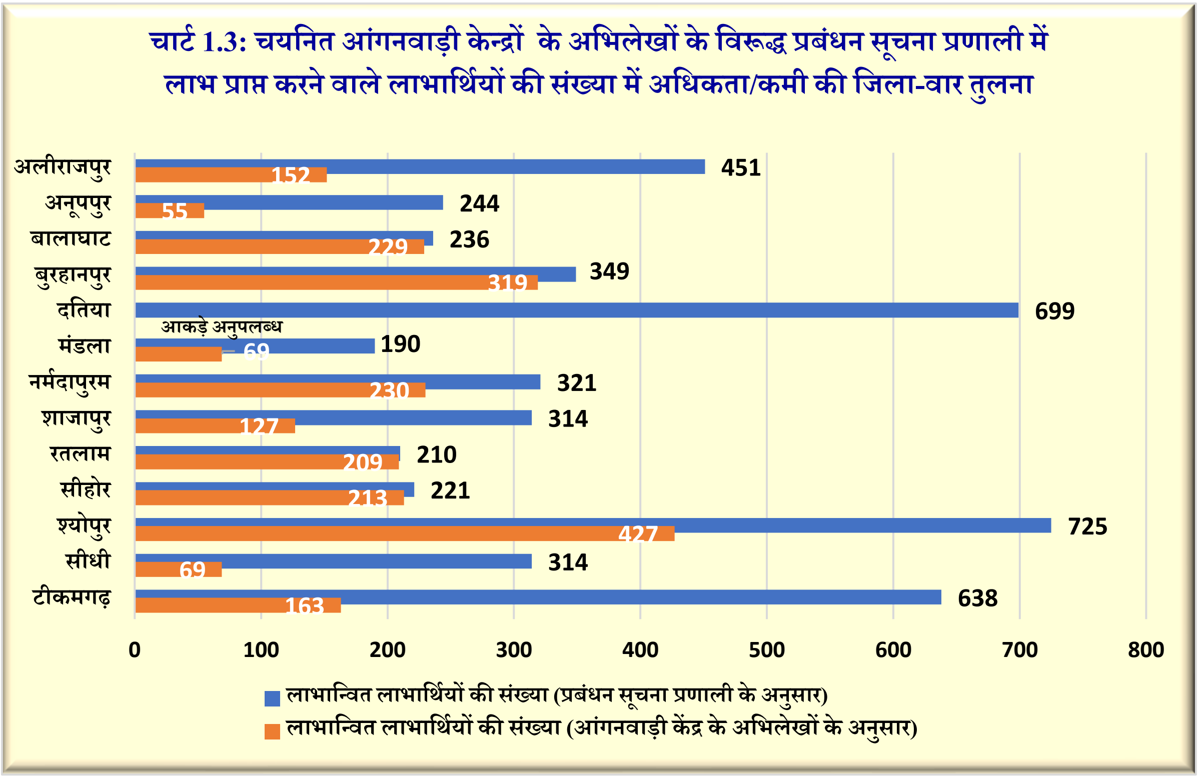

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़े एवं अभिलेख

यह देखा गया कि 13 चयनित जिलों में से 11 जिलों में, प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार नामांकित लाभार्थियों की संख्या, चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों की तुलना में, लगभग 1.06 गुना (अलीराजपुर ज़िला) से लेकर 6.58 गुना (दतिया ज़िला) के बीच अधिक थी। इसके अलावा, सीहोर जिले में चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों (415 लाभार्थियों) के अभिलेखों की तुलना में प्रबंधन सूचना प्रणाली में नामांकित लाभार्थियों (395 लाभार्थियों) की संख्या कम थी।

इसी प्रकार, चयनित 13 में से 12 ज़िलों में, प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों में प्रतिवेदित लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या, चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज की गई संख्या की तुलना में लगभग 1.01 से 4.55 गुना के बीच अधिक थी।

प्रबंधन सूचना प्रणाली में लाभार्थियों के प्रतिवेदन में विसंगतियों के परिणामस्वरूप आवंटित मात्रा के विरुद्ध खाद्यान्न की मात्रा का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि ***कंडिका 1.11.1*** में उल्लिखित है।

आगे, चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 6,179 नामांकित लाभार्थियों में से 4,084 (66 प्रतिशत), आंगनवाड़ी केंद्रों में भाग लेने की अनिच्छा, परिवारों के अन्य स्थानों पर प्रवास एवं अपने घरों से दूर रहने के कारण लाभान्वित नहीं हुए थे। हालाँकि, संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वेक्षण रजिस्टर में टिप्पणियां दर्ज नहीं कीं। यह इंगित करता है कि पोर्टल पर परिलक्षित लाभार्थी आंकड़ा वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षणों पर आधारित नहीं था अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़े अपलोड न करने के साथ-साथ नामांकित/लाभान्वित लाभार्थियों के आंकड़ों में विसंगति ने गतिविधियों की निगरानी में कमजोरी, प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ा प्रविष्टि एवं एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों की प्रामाणिकता की अनुपस्थिति को इंगित किया। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर अभिलेखों के अपर्याप्त संधारण (जैसा कि ***कंडिका 1.11.5.1*** में बताया गया है) ने उपरोक्त विसंगतियों में योगदान दिया। आगे, आंकड़ों में विसंगति भ्रामक जानकारी, संसाधनों का गलत आवंटन को परिणामित कर सकती है एवं योजना कार्यान्वयन में विश्वसनीयता कम कर सकती है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में इस विसंगति का कारण असंगठित श्रमिकों का प्रवास बताया एवं आश्वासन दिया कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी कहा गया कि पोषण ट्रैकर (वर्ष 2022-23) के प्रारंभ होने के बाद से, आधार-प्रमाणित नामांकन शुरू हो गया है, एवं विभाग पूरी तरह आधार-आधारित नामांकन की ओर बढ़ रहा है।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था। हालाकि, पोषण ट्रैकर के माध्यम से आधार-आधारित नामांकन एक सकारात्मक कदम है, आंकड़ों की सटीकता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व विभाग का ही है।

1.7.2 पूरक पोषण आहार की आपूर्ति के लिए लाभार्थी कवरेज में विसंगतियां

पूरक पोषण के अंतर्गत, लाभार्थियों अर्थात छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को गर्म पका हुआ भोजन (नाश्ता एवं दोपहर का भोजन) एवं टेक होम राशन (पैक्ड खाद्य सामग्री) प्रदान किया जाता है।

अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य स्तर पर नामांकित एवं लाभान्वित लाभार्थियों की स्थिति नीचे ***चार्ट-1.4*** में दी गई है:

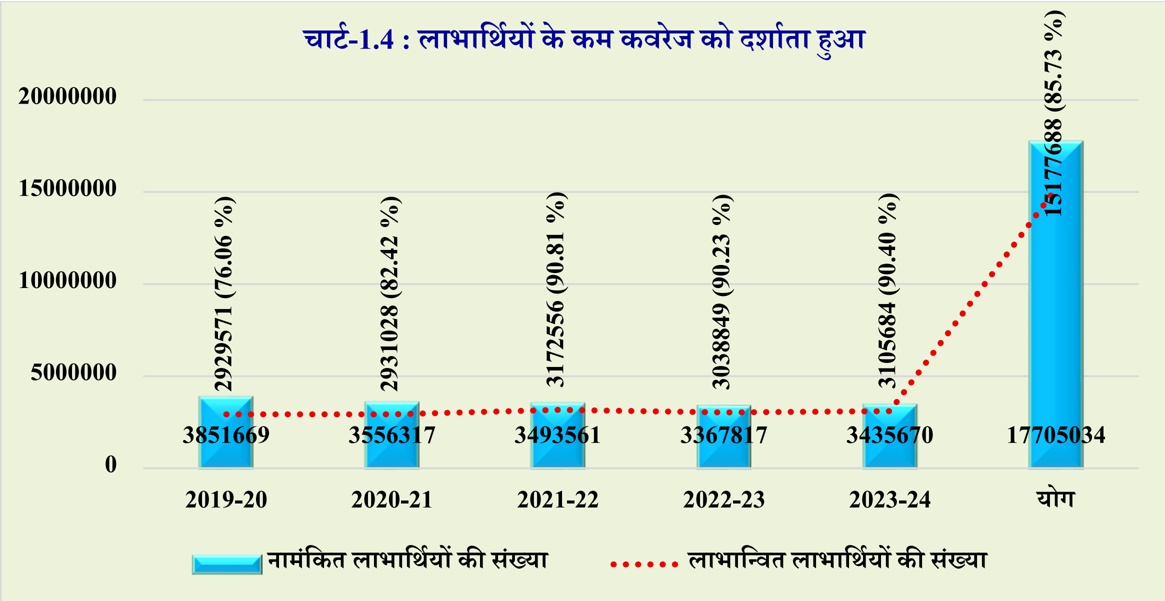

स्रोत: संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

यह देखा गया है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में नामांकित लाभार्थियों की तुलना में लाभान्वित लाभार्थियों का प्रतिशत 76 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था। परिणामस्वरूप, कुल 25.27 लाख लाभार्थी[6], जो नामांकित लाभार्थियों का 14 प्रतिशत थे, को 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान गर्म पके हुए भोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया था, जिसका कारण विभागीय अभिलेखों में नहीं पाया गया। आगे, चयनित जिलों में नामांकित लाभार्थियों की तुलना में लाभान्वित लाभार्थियों का प्रतिशत 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक था। हालाँकि, चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि 6,179 नामांकित लाभार्थियों में से केवल 2,095 (34 प्रतिशत) को ही लाभ प्रदान किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-1.2*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों की कमी का एक कारण भोजन का अपर्याप्त वितरण था, जो निर्धारित भोजन सूची एवं समय सारणी के अनुरूप नहीं था, जैसा कि इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 1.8.7*** एवं ***1.8.8*** में वर्णित है।

[6] 1,77,05,034 – 1,51,77,688

आगे, राज्य एवं चयनित जिला स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में प्रतिवेदित किए गए 65 से 95 प्रतिशत के मध्य लाभार्थी कवरेज एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए केवल 34 प्रतिशत वास्तविक कवरेज में अत्यधिक अंतर प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों एवं वास्तविकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति को दर्शाता है। यह अंतर पोर्टल पर संभावित अधिक प्रतिवेदन अथवा बढ़े हुए आंकड़ों की ओर संकेत करता है, जो संभवतः कमजोर निगरानी तंत्र, अपर्याप्त फील्ड सत्यापन एवं वास्तविक समय में डेटा सत्यापन की कमी के कारण हो सकता है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों के कम कवरेज पर विशिष्ट उत्तर देने का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

अनुशंसा:

शासन वास्तविक कवरेज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में हस्तलिखित अभिलेखों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकता है।

1.8 आंगनवाड़ी केंद्र की अधोसंरचना एवं सुविधाओं की पर्याप्तता

1.8.1 आंगनवाड़ी केंद्रों की उपलब्धता

मध्य प्रदेश शासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए (जनसंख्या के आधार पर) मानदंड जारी (अप्रैल 2022) किए। इसमें ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 के बीच के प्रत्येक जनसंख्या समूह के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र एवं उसके बाद प्रत्येक 800 व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना निर्धारित की गई है।

उपरोक्त मानदंडों के अनुसार, राज्य की 8.87[7] करोड़ जनसंख्या के लिए 1,10,875 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 97,329[8] आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई थी, परंतु मार्च 2024 तक केवल 97,303 ही क्रियाशील थे। यह आवश्यकता के विरुद्ध 13,572 आंगनवाड़ी केंद्रों (12 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है। राज्य में जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की वर्ष-वार उपलब्धता **चार्ट-1.5** में नीचे प्रदर्शित की गई है:

चार्ट-1.5 : जनसंख्या मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की वर्ष-वार उपलब्धता

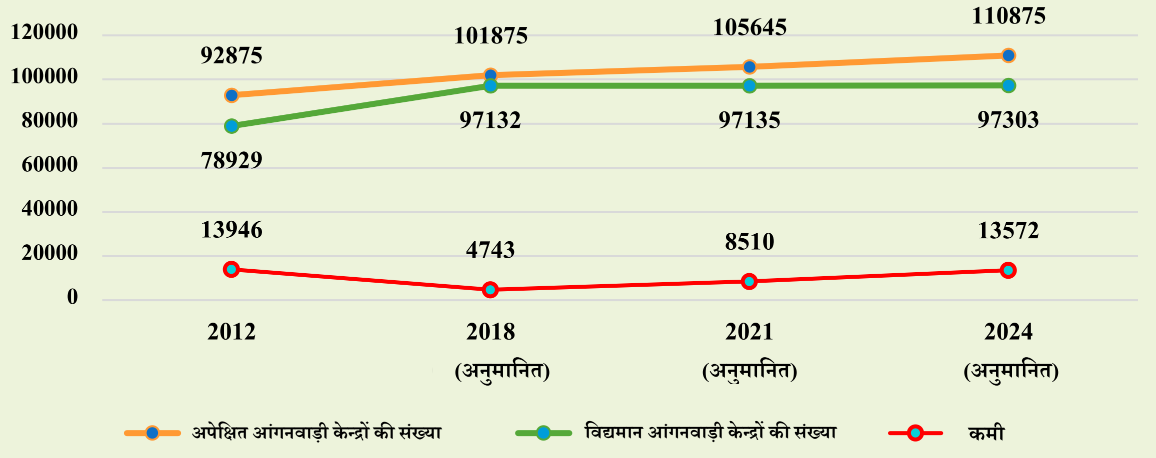

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

---

[7] वर्ष 2024 के लिए राज्य की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार।

[8] मार्च 2024 की स्थिति में, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम.-जनमन) के अंतर्गत स्वीकृत (जनवरी 2024) 26 असंचालित आंगनवाड़ी केंद्रों सहित।

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है, वर्ष 2018 के बाद से राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की उपलब्धता में कमी लगातार बढ़ी है। आगे, यह देखा गया कि राज्य में कुल 54,903[9] में से 8,842 ग्रामों/वार्डों में, जिनकी संयुक्त जनसंख्या 20.62 लाख (अप्रैल 2025 की स्थिति में) थी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लागू होने के 50 वर्षों के बाद भी एक भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था। यह पात्र लाभार्थियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के शासन के प्रयासों में महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है।

हमने आगे देखा कि संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने जिलों से 10,204 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए प्रस्ताव एकत्र (मई एवं जून 2022) किए एवं भारत सरकार को अग्रेषित (जुलाई 2022) किए। भारत सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित (जून 2024 की स्थिति में) था; यद्यपि, इसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अगस्त 2025) कि वर्ष 2014 में, भारत सरकार ने पूरे देश में आंगनवाड़ी नेटवर्क के विस्तार को रोक दिया था। इसलिए, जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के लिए अपनाये गए मानदंड भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। यह भी सूचित किया गया था कि पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) का लाभ प्राप्त करने के लिए वंचित लाभार्थियों को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ सम्बद्ध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त 10,204 आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता पहले से ही शासन एवं भारत सरकार के बीच विचाराधीन (जुलाई 2022) थी, तथा प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

1.8.2 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं की अनुपलब्धता

भारत सरकार के मानदंडों (अगस्त 2015) के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्र में मूलभूत सुविधाएं जैसे बैठक कक्ष, रसोईघर के लिए एक अलग कक्ष, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए एक भंडार कक्ष, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के लिए आंतरिक एवं बाह्य खेल खेलने के लिए अलग जगह एवं स्वच्छ पेयजल प्रदान करनी थीं। आंगनवाड़ी केंद्र के कवर्ड परिसर के लिए न्यूनतम आवश्यकता 600 वर्ग फीट थी।

आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए किराए के भवनों में भंडार कक्ष, पेयजल, शौचालय एवं बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनः निर्देश जारी (25 फरवरी 2019) किए गए थे।

यह देखा गया कि 97,303 में से 46,240 (47 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों, पंचायत भवनों जैसे अन्य विभागों के स्वामित्व वाले भवनों अथवा किराए के परिसर से संचालित हो रहे थे, जैसा कि ***चार्ट-1.6*** में दर्शाया गया है। चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदानों सहित आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई। ये कमियां विशेष रूप से गैर-स्वामित्व वाले अथवा किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पाई गई थीं, जैसा कि ***चार्ट-1.7*** से देखा जा सकता है।

[9] वर्ष 2020 की स्थिति में तक राज्य में ग्रामों की संख्या।

चार्ट-1.6 : विभागीय, अन्य विभागीय एवं किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र

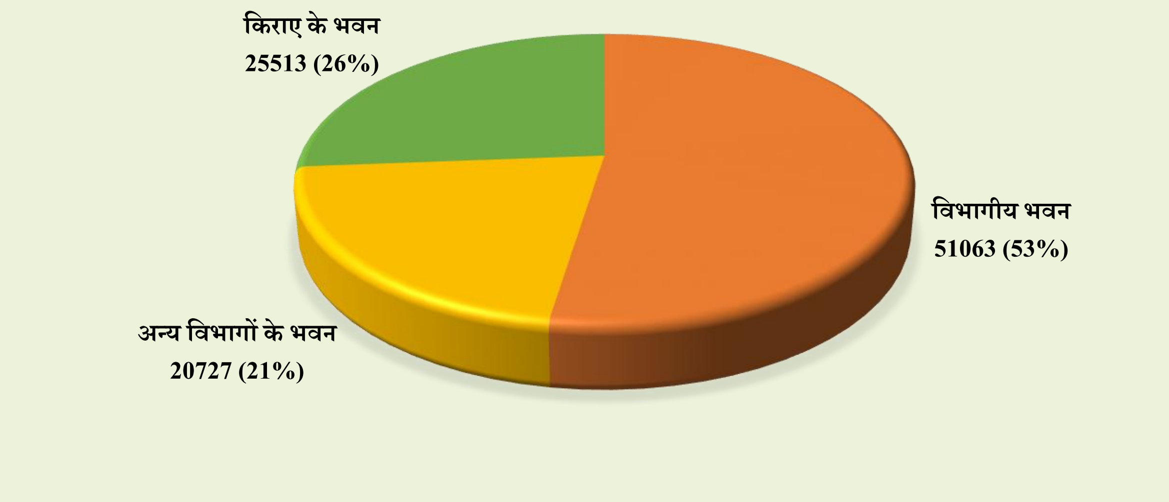

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

चार्ट-1.7 : विभिन्न प्रकार के भवनों में चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं की अनुपलब्धता

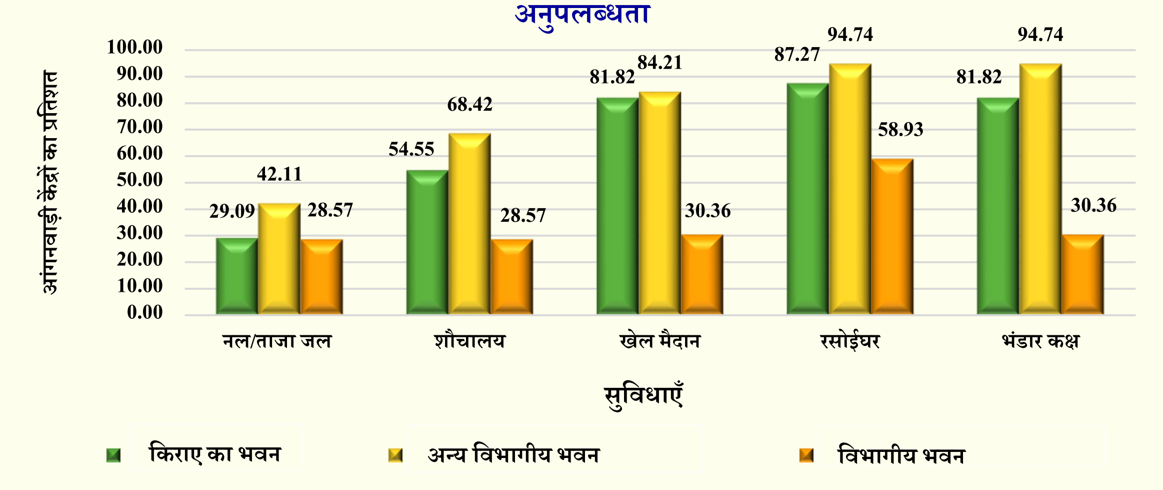

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

उपरोक्त चार्ट यह दर्शाते हैं कि राज्य में लगभग 26 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। विभागीय, अन्य विभागीय एवं किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर किए गए आगे के विश्लेषण ने दर्शाया कि विभागीय भवनों में मूलभूत सुविधायें सबसे अधिक है, जिसके बाद किराए के भवन एवं फिर अन्य विभागीय भवनों में हैं। यह इंगित करता है कि विभाग के स्वामित्व वाले भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में सामान्यतः अन्य प्रकार के भवनों की तुलना में बेहतर सुविधाएं होती हैं।

इस प्रकार, उल्लेखनीय संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्रों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का अभाव लाभार्थियों को सेवाओं का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी वितरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, किराए के भवनों में अचल सुविधाओं के लिए व्यय नहीं किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भवन को किराए पर लेने से पूर्व आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं।

1.8.3 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थल चयन के लिए मानदंडों का पालन

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण हेतु स्थल चयन के लिए निर्देश जारी (सितंबर 2018) किए, जिसमें यह प्रावधान है कि आंगनवाड़ी केंद्र के लिए प्रस्तावित स्थल (क) बसाहट के भीतर होना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में बच्चों को सड़क पार नहीं करनी पड़े, (ख) मुख्य सड़क/राजमार्ग के पास नहीं होना चाहिए; एवं (ग) प्रस्तावित स्थल के निकट अथवा उसके आसपास कोई खुला कुआँ, गड्ढा, तालाब नहीं होना चाहिए। भवन का निर्माण जहां तक संभव हो ग्राम में स्थित स्कूलों/शासकीय भवनों के परिसर में किया जाना था। यह निर्धारित किया गया था कि आंगनवाड़ी भवन का स्थान ग्राम से बहुत दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए।

चयनित जिलों में निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि चार आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम बसाहट से दूरस्थ स्थान पर (खेत के बीच में) निर्मित किए गए थे एवं 10 आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं था जैसा कि ***चित्र-1.1*** से ***1.4*** में दर्शाया गया है।

खेत के बीच निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता को दर्शाने वाले चित्र

चित्र-1.1: आंगनवाड़ी केंद्र अनसिंह, फलिया, अजंदा, अलीराजपुर- आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं था

चित्र-1.2: आंगनवाड़ी केंद्र अंबी पुजारा, फलिया, कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर- खेत के बीच में बनाया गया एवं सड़क तक पहुंच नहीं थी

चित्र-1.3: आंगनवाड़ी केंद्र पाटिया कुनवा, अलीराजपुर- बसाहट के बाहर खेत के बीच में स्थित

चित्र-1.4: आंगनवाड़ी केंद्र रामसिंह की चौकी, अलीराजपुर- आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं था

संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ऐसे स्थल का चयन किया गया जो बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए आसानी से सुलभ नहीं हैं। इसके अलावा, पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता भी लाभार्थियों के लिए कष्टप्रद है एवं इसे आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों की कम उपस्थिति के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है।

प्रकरण अध्ययन-1: आंगनवाड़ी केंद्र के स्थान का प्रभाव

मंडला जिले के पोनिया रैयत (पावले टोला) ग्राम में जिले के बीजादांडी परियोजना के अंतर्गत दो ग्रामों पोनिया रैयत (पावले टोला) (78 की आबादी एवं पांच चिन्हित लाभार्थी) एवं पोनिया मल (बड़ा टोला) (378 की आबादी एवं 43 लाभार्थी) के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था। निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र भवन पोनिया मल (बड़ा टोला) से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पोनिया मल (बड़ा टोला) में स्थित किसी अन्य शासकीय भवन में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का उपयोग नहीं किया जा सका, जो आंगनवाड़ी केंद्र भवन की स्थापना के लिए स्थल चयन में खराब योजना दर्शाती है।

इसी प्रकार, टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ परियोजना में देखा गया कि ढिमरोला नारायणपुर में 15 वर्ष पूर्व स्थापित आंगनवाड़ी भवन का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि यह मुख्य बसाहट के बाहर स्थित था एवं पहुंच मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्गम था। हमने यह भी देखा कि इस ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र 120 वर्ग फीट के आकार के एक कमरे वाले किराए के भवन में संचालित हो रहा था, जिसमें बिजली, पंखे, प्रकाश व्यवस्था एवं बाहरी खेल का स्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसने इसे बच्चों के लिए अनाकर्षक बना दिया। इसके अलावा, निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पाया गया एवं अपने उद्देश्य के लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया, जैसा कि नीचे ***चित्र-1.5*** में दिखाया गया है:

चित्र-1.5: ढिमरोला नारायणपुर ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र की जीर्ण-शीर्ण स्थिति दर्शाने वाला चित्र

इस प्रकार, स्थल के अनुचित चयन एवं आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के परिणामस्वरूप निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने जिलों से परामर्श करने के बाद विवरण साझा करने पर सहमति व्यक्त की एवं यह कहा कि शासकीय भूमि बसाहटों के भीतर उपलब्ध होना दुर्लभ है, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी भूमि ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है।

उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थलों के चयन के संबंध में विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था। आगे, बसाहटों के बाहर भूमि पर आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थल निर्धारित करने से वहां तक पहुंच का उद्देश्य विफल हो जाता है।

1.8.4 मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ड्राइंग एवं डिजाइन पर दिशा-निर्देश जारी (मार्च 2017) किए, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली अनिवार्य मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल था।

विभाग के अनुमोदित विन्यास (लेआउट) के उल्लंघन में, 130 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों में से सात भवनों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में क्रॉल टनल, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की आसान पहुंच के लिए रैंप, सुरक्षित पेयजल के लिए हैंडपंप/नल,

बच्चों के अनुकूल शौचालय/सैनिटरी फिटिंग, स्प्रिंग बैलेंस लटकाने के लिए हुक आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई। विवरण ***परिशिष्ट-1.3*** में दिया गया है एवं नीचे ***चित्र-1.6*** से ***1.9*** में दिखाया गया है:

चित्र-1.6: शेल्टर स्केल के लिए हुक का प्रावधान न किया जाना।

चित्र-1.7: आंगनवाड़ी केंद्र, पिंडरायमाल, बीजादंडी, मंडला में रैंप का निर्माण न होना

चित्र-1.8: आंगनवाड़ी केंद्र, चुहारिटोला, मंडला में किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण न होना।

चित्र-1.9: बच्चों के अनुकूल शौचालयों का निर्माण न करना एवं अक्रियाशील अथवा अनुपयोगी शौचालयों की उपस्थिति।

विभागीय प्राधिकारियों ने निर्माण एजेंसियों से आंगनवाड़ी केंद्रों को हैंडिंग/टेकिंग ओवर करते समय मानकों के अनुसार इन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया था।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.5 गर्म पके हुए भोजन के वितरण में गुणवत्ता आश्वासन

विभागीय निर्देश (सितंबर 2018) में प्रावधान है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा खाद्य विभाग के अधिकारी (कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार) गुणवत्ता जांचने के उद्देश्य से नाश्ते एवं दोपहर के भोजन के व्यंजन तैयार करने में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर सकते हैं। नमूनों का परीक्षण भारत सरकार की नई दिल्ली स्थित खाद्य एवं पोषण बोर्ड की प्रयोगशाला में किया जाना था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए नाश्ते एवं दोपहर के भोजन के व्यंजन तैयार करने में प्रयुक्त खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए जाने का कोई अभिलेख नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, इन जिलों में अवधि के दौरान वितरित गर्म पके हुए भोजन में उपयोग की गई कच्ची सामग्री की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

खाद्य सामग्री के नमूनों की गुणवत्ता की जांच न किए जाने से संभावित रूप से असुरक्षित अथवा निम्नस्तरीय भोजन की आपूर्ति की संभावना बनी रहती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर जोखिम उत्पन्न होता है, इसने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यक्रम के पोषण संबंधी उद्देश्यों को प्रभावित किया एवं गंभीर कुपोषण (एस.यू.), मध्यम तीव्र कुपोषण (एम.ए.एम.) तथा गंभीर तीव्र कुपोषण (एस.ए.एम.) से निपटने के प्रयासों की प्रगति भी बाधित होती है, जैसा कि इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 1.11.3*** में बताया गया है।

निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव ने बताया गर्म पके हुए भोजन के परीक्षण हेतु कम से कम कुछ प्रतिशत प्रकरणों में नमूने लिए जाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर भविष्य में कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है एवं इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि विभाग द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई थी।

1.8.6 गर्म पके हुए भोजन की कम/अधिक आपूर्ति

महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, परियोजना के शहरी क्षेत्र में परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना के ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चयनित स्व-सहायता समूह को पिछले माह के लाभार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति के बारे में लिखित रूप में प्रत्येक माह सूचित करेंगे। जिसके आधार पर, चयनित स्व-सहायता समूह आंगनवाड़ी केंद्रों में आपूर्ति किए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन की अपेक्षित मात्रा का आकलन करेंगे।

यह पाया गया कि चयनित जिला कार्यक्रम अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा स्व-सहायता समूहों को गर्म पके हुए भोजन की मांग प्रस्तुत करने से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। पूछताछ करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने अपने अनुमान के अनुसार नाश्ते एवं दोपहर के भोजन की मात्रा उपलब्ध कराई। चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि स्व-सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराये गये नाश्ते/दोपहर के भोजन की मात्रा उपलब्ध लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता की तुलना में या तो कम थी अथवा अधिक (जैसा कि ***परिशिष्ट-1.4*** में वर्णित है) थी। इसके अलावा, 17 आंगनवाड़ी केंद्रों में, भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान आयोजित) के समय या तो नाश्ता अथवा दोपहर का भोजन प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार, जिला कार्यक्रम अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए स्व-सहायता समूहों को पिछले माह के लाभार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति के लिए सूचित नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल गर्म पके हुए भोजन की कम/अधिक आपूर्ति हुई, बल्कि शासकीय संसाधनों के संभावित रिसाव, अपव्यय अथवा दुरुपयोग की स्थिति भी उत्पन्न हुई।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने उत्तर दिया कि स्व-सहायता समूहों को निर्धारित मात्रा में गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के बारे में सूचित किया जाएगा एवं इनका समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.7 गर्म पके हुए भोजन की कम मात्रा में आपूर्ति एवं निर्धारित भोजन सूची के विपरीत गर्म पके हुए भोजन का वितरण

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा तीन से छ: वर्ष के आयु के बच्चों को पूरक पोषण के रूप में प्रतिदिन 15-20 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी वाला दिन-वार नाश्ता एवं दोपहर का भोजन प्रदान किया जाना निर्धारित (सितंबर 2018) किया। जिला कलेक्टर स्थानीय स्तर पर भोजन सूची को ध्यान में रखते हुए विविधता बनाए रखने हेतु व्यंजन (*रेसिपी*) का निर्धारण

कर सकते हैं एवं सुनिश्चित करते है कि भोजन स्वादिष्ट हो एवं आसानी से वितरित किया जा सके। साथ ही, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा जिले से संबंधित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भोजन सूची में संशोधन करने का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया था।

चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 81 केंद्रों में प्रतिदिन एक ही प्रकार के गर्म पके हुए भोजन की बार-बार आपूर्ति, भोजन सूची में परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता का अनुपालन न करना, निर्धारित भोजन मात्रा की कम आपूर्ति एवं निर्धारित सामग्री के कम उपयोग जैसे प्रकरण पाए गए।

इसके अलावा, परियोजना अधिकारी, टीकमगढ़ शहरी (जिला टीकमगढ़) के अभिलेखों[10] की जांच से पता चला कि आठ स्व-सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराए गए नाश्ते एवं दोपहर के भोजन की मात्रा सांकेतिक भोजन सूची में निर्धारित मात्रा से कम थी, जैसा कि ***तालिका-1.2*** में वर्णित है।

तालिका-1.2: सांकेतिक भोजन सूची एवं नाश्ते तथा दोपहर के भोजन में प्रदान की गई मात्रा

दिन	नाश्ता @ ₹3 प्रति लाभार्थी		प्रतिदिन मात्रा ग्राम में		दोपहर का भोजन @ ₹ 5 प्रति लाभार्थी		प्रतिदिन मात्रा ग्राम में	
	निर्धारित व्यंजन	प्रदत्त व्यंजन	आवश्यक मात्रा	प्रदत्त मात्रा	निर्धारित व्यंजन	प्रदत्त व्यंजन	आवश्यक मात्रा	प्रदत्त मात्रा
सोमवार	मीठी लप्सी[11]	पौष्टिक खिचड़ी	100	80	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	140	120
मंगलवार	खिचड़ी	थुली (मीठा नमकीन)	100	80	खीर-पूड़ी- आलू चने की सब्जी	खीर-पूड़ी-आलू मटर टमाटर की सब्जी	130	120
बुधवार	मीठी लप्सी	मीठी लप्सी	100	80	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	रोटी, दाल, हरी सब्जी	140	120
गुरुवार	दलिया	मीठी लप्सी	100	80	चावल पुलाव-पकोड़ा कढ़ी	चावल पुलाव-पकोड़ा कढ़ी	170	120
शुक्रवार	उपमा	थुली (मीठा नमकीन)	80	80	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	140	120
शनिवार	मीठी लप्सी	पौष्टिक खिचड़ी	100	80	रोटी, मिक्स दाल, हरी सब्जी	चावल सांभर	140	120

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के विपरीत नाश्ते एवं दोपहर के भोजन की कम मात्रा आपूर्ति की गई। इस प्रकार, प्रदायित पूरक पोषण न केवल मात्रा की दृष्टि से कम था, बल्कि पोषण संबंधी मानकों (प्रतिदिन 15–20 ग्राम प्रोटीन तथा 500 कैलोरी) की दृष्टि से भी अपर्याप्त था, जिससे पूरक पोषण कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.8 नाश्ते एवं दोपहर के भोजन की एक ही समय पर आपूर्ति

महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा निर्देशित (जनवरी 2018) किया गया था कि नाश्ते एवं दोपहर के भोजन की आपूर्ति अलग-अलग एवं निर्धारित समय पर की जानी चाहिए। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा

[10] परियोजना अधिकारी, टीकमगढ़ शहरी एवं स्व-सहायता समूहों के बीच समझौता ज्ञापन

[11] टूटे हुए गेहूँ, घी एवं गुड़ अथवा चीनी से बना एक मीठा व्यंजन, ऊर्जा एवं पोषक तत्वों में समृद्ध

जारी निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, लाभार्थियों को नाश्ता सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एवं दोपहर का भोजन 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रदान किया जाना था।

चयनित आंगनवाड़ी केंद्रो के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि स्व-सहायता समूहों द्वारा भोजन वितरण की निर्धारित समय-सारिणी का पालन नहीं किया गया। निर्देशों के विपरीत, 36 आंगनवाड़ी केंद्रों में (जैसा कि ***परिशिष्ट-1.5*** में वर्णित है), नाश्ता एवं दोपहर का भोजन दोनों एक ही साथ प्रातः 09:30 बजे से 10:00 बजे के बीच एक साथ उपलब्ध कराया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि स्व-सहायता समूह अपनी सुविधा अनुसार भोजन उपलब्ध कराते थे, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में दोपहर का भोजन करने की रुचि कम हो गई, जिससे दिनभर संतुलित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, 12 आंगनवाड़ी केंद्रों में केवल दोपहर का भोजन ही उपलब्ध कराया गया एवं पांच आंगनवाड़ी केंद्रों में केवल नाश्ता ही प्रदान किया गया (जैसा कि ***परिशिष्ट-1.4*** में वर्णित है)। भोजन वितरण में ऐसी अनियमितताओं के कारण लाभार्थियों को पोषणयुक्त भोजन के समुचित लाभ से वंचित होना पड़ा एवं यह गर्म पके हुए भोजन की समय पर आपूर्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा निगरानी के अभाव को भी दर्शाता है।

इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.9 अपंजीकृत स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने निर्देश दिया (सितंबर 2018) कि शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी/उप-आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन, दक्षता एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर चयनित महिला स्व-सहायता समूहों, मंडलों अथवा संघों के माध्यम से प्रदान किया जाए, जिसमें आय एवं बचत केवल सक्रिय सदस्यों के बीच वितरित की जाए। परियोजना अधिकारी की आवधिक निगरानी में बैंक चेकों के माध्यम से मजदूरी/लाभांश का नियमित रूप से भुगतान किया जाना था। आगे के निर्देशों (जनवरी 2021 एवं मई 2021) में अनिवार्य किया गया कि स्व-सहायता समूह, स्व-सहायता समूहों के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें एवं ठेकेदारों, व्यापारियों, जन-प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं, अथवा इस तरह के व्यक्तियों के साथ कोई संबद्धता न हो। शहरी क्षेत्रों में, गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति निविदा प्रक्रिया के बिना, विशेष रूप से तेजस्विनी, मध्य प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत स्व-सहायता समूहों द्वारा की जानी थी, जिसमें प्रत्येक स्व-सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे की 10-20 महिलाएं) 10 आंगनवाड़ी केंद्रों तक को सेवा प्रदान करेगा।

नमूना जाँच किए गए जिलों में संधारित एवं प्रस्तुत अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि 13 जिलों में से सात जिलों में गरम पके हुए भोजन के वितरण के लिए 54 अपंजीकृत समूहों को संलग्न किया गया था। विवरण नीचे दी गई ***तालिका-1.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: अपंजीकृत समूहों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति

जिले का नाम	गर्म पका हुआ भोजन आपूर्ति वाले अपंजीकृत समूहों की संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जहाँ इन समूहों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की गई	इन समूहों को भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
बालाघाट	14	27	66.06
बुरहानपुर	7	10	23.2
दतिया	12	16	3.47
मंडला	15	32	17.2
सीहोर	1	106	362.14
शाजापुर	1	54	322.67
श्योपुर	4	7	5.84
योग	**54**	**252**	**800.58**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

यह देखा गया कि इन जिलों के परियोजना अधिकारियों द्वारा समूह के सक्रिय सदस्यों के बीच लाभांश/बचत का वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि आय/अधिशेष के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले चेक/बैंक खाते के विवरण परियोजना अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, इन जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने स्व-सहायता समूहों के चयन में विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया एवं चयनित अपंजीकृत स्व-सहायता समूहों ने ₹8.01 करोड़ के गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की।

इसके साथ, एक अपंजीकृत समूह (माँ संतोषी महिला स्व-सहायता समूह, नापलाखेड़ी, सीहोर) टेक होम राशन (टी.एच.आर.) के परिवहन कार्य में भी संलग्न पाया गया, जो दर्शाता है कि उक्त समूह, स्व-सहायता समूह के बजाय एक व्यावसायिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था।

अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.10 स्व-सहायता समूह की ओर से ठेकेदारों के माध्यम से गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्धारित (मई 2021) किया कि एक स्व-सहायता समूह अधिकतम 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, किसी भी ठेकेदार, व्यापारी, शासकीय कर्मचारी आदि को प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से स्व-सहायता समूह में शामिल नहीं होना चाहिए।

स्व-सहायता समूहों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि चार जिलों[12] के 13 स्व-सहायता समूहों द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए देयकों में सूचीबद्ध पतों पर रसोई अथवा कार्यालय स्थापित नहीं किए गए थे। पूछताछ करने पर, सेक्टर पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वैकल्पिक पते का खुलासा किया, जहां भोजन कथित रूप से तैयार किया जा रहा था। इन स्थानों के दौरे से पता चला कि पुरुष श्रमिक, जो स्व-सहायता समूहों के सदस्य भी नहीं थे, गर्म पका हुआ भोजन तैयार कर रहे थे। इन व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि वे स्व-सहायता समूहों की ओर से काम कर रहे थे एवं इस सेवा के लिए उन्हें ₹10,000 से ₹13,000 प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था। इन चार स्थानों पर एक ही रसोई में एक से छः स्व-सहायता समूहों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। ये तथ्य दर्शाते हैं कि स्व-सहायता समूहों की ओर से इन रसोईघरों

[12] अलीराजपुर (एक स्व-सहायता समूह), सीहोर (चार स्व-सहायता समूह), श्योपुर (दो स्व-सहायता समूह) एवं टीकमगढ़ (छः स्व-सहायता समूह)।

का केंद्रीकृत रूप से संचालन किया जा रहा था, जो कि निर्धारित नियमों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, इन स्थलों पर खाद्यान्न (गेहूँ, चावल, तेल, मसाले आदि) का स्टॉक रजिस्टर, बर्तनों की सूची अथवा रसोई संचालन से संबंधित अभिलेख, एवं दैनिक उपभोग अथवा आपूर्ति से संबंधित अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इन केंद्रीकृत रसोईघरों के माध्यम से 132 आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की जा रही थी एवं इस आपूर्ति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ₹4.11 करोड़ का भुगतान किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए ***चित्र-1.10 से 1.13*** इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

चित्र 1.10 से 1.13: गर्म पके हुए भोजन की तैयारी में पुरुष सदस्यों की भागीदारी को दर्शाता हुआ

चित्र-1.10 एवं 1.11: सीहोर (नज़राना स्व-सहायता समूह) में गर्म पके हुए भोजन की तैयारी में महिला सदस्यों वाले स्व-सहायता समूह के स्थान पर पुरुषों की भागीदारी

चित्र-1.12: स्व-सहायता समूह, टीकमगढ़ शहरी में पुरुषों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की तैयारी

चित्र-1.13: टीकमगढ़ में गर्म पके हुए भोजन की तैयारी के लिए केंद्रीकृत रसोई का उपयोग।

यह स्पष्ट था कि एक तृतीय पक्ष (पुरुष ठेकेदार) स्व-सहायता समूहों के नाम पर अनुबंध लेकर केंद्रीकृत रसोई के माध्यम से गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति कर रहा था। यह आकलित किया गया कि निविदा प्रक्रिया से छूट का लाभ उठाने के लिए स्व-सहायता समूहों के पंजीकरण का दुरुपयोग किया गया। यह स्थिति एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है, जिसमें अनुदानित अनाज का उपयोग स्व-सहायता समूहों के नाम की आड़ में व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.8.11 गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु तदर्थ समितियों की अनियमित संलग्नता

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, पूरक पोषण वितरण प्रणाली से जुड़े स्व-सहायता समूहों में शासकीय/अर्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

गर्म पके हुए भोजन के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि परीक्षण किए गए 13 जिलों में से छः जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए तदर्थ समितियों[13] को ₹2.04 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. पदेन सदस्य थे, जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट-1.8** में दर्शाया गया:

चार्ट-1.8 : तदर्थ समितियों की संख्या एवं उन्हें भुगतान की गई राशि
(₹ लाख में)

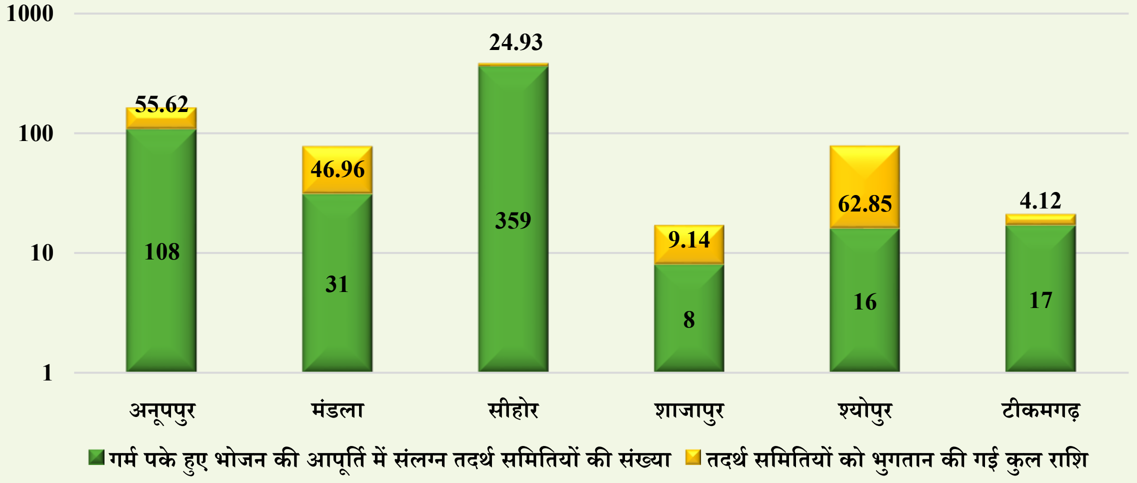

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

आगे यह भी पाया गया कि बुरहानपुर जिले में स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.), हैदरपुर द्वारा नेपानगर परियोजना के चार आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। इस स्कूल प्रबंधन समिति में विद्यालय के प्राचार्य पदेन अध्यक्ष थे एवं शिक्षक सदस्य थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति एवं रसोइए के मानदेय के भुगतान के लिए स्कूल प्रबंधन समिति को ₹8.17 लाख की राशि का भुगतान किया गया, जो महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण अनियमित था।

इस प्रकार, आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए तदर्थ समितियों एवं स्कूल प्रबंधन समिति को अनुमति देना, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शासकीय विद्यालय के प्राचार्य/शिक्षक अध्यक्ष अथवा सदस्य थे, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, जब एक ही व्यक्ति गर्म पके हुए भोजन आपूर्तिकर्ता एवं संबंधित समिति के सदस्य दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आपूर्ति में अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है एवं निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता कमजोर पड़ सकती है।

---

[13] तदर्थ समिति, सांझा चूल्हा के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों द्वारा वितरित किए जा रहे पूरक पोषण की मात्रा, नियमितता एवं गुणवत्ता की दैनिक निगरानी तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को समय पर खोलने एवं उनके कामकाज की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. तदर्थ समिति के पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, समिति की महिला अध्यक्ष एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक पोषाहार खाता खोला जाता है, जिसमें ग्राम अथवा आंगनवाड़ी केंद्र में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए राशि जमा की जाती है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए उपयुक्त स्व-सहायता समूह उपलब्ध नहीं हो, तो जिला कलेक्टर आकस्मिक व्यवस्था के रूप में पूरक पोषण योजना की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तदर्थ समितियों को गर्म पके हुए भोजन आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

हालाँकि, गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी आकस्मिक व्यवस्था के रूप में तदर्थ समितियों को सौंपे जाने संबंधी सहायक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुशंसा:

शासन, गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति को बिना रोके अपात्र स्व-सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें पात्र समूहों से प्रतिस्थापित किया जाना सुनिश्चित कर सकता है।

1.9 मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण

1.9.1 आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रबंधन हेतु मानव संसाधन की कमी

योजना में पर्याप्त मानव संसाधन, बच्चों एवं माताओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा सेवाएँ सही ढंग से प्रदान किया जाना सुनिश्चित करता है। यह सतत निगरानी, समुदाय तक पहुँच एवं जमीनी स्तर पर शासकीय लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को संभव बनाता है।

आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कार्मिकों की स्थिति नीचे ***चार्ट-1.9*** में दी गई है :

चार्ट–1.9: राज्य स्तर पर विभिन्न संवर्गों में मानवशक्ति की कमी (मार्च 2024 की स्थिति में)

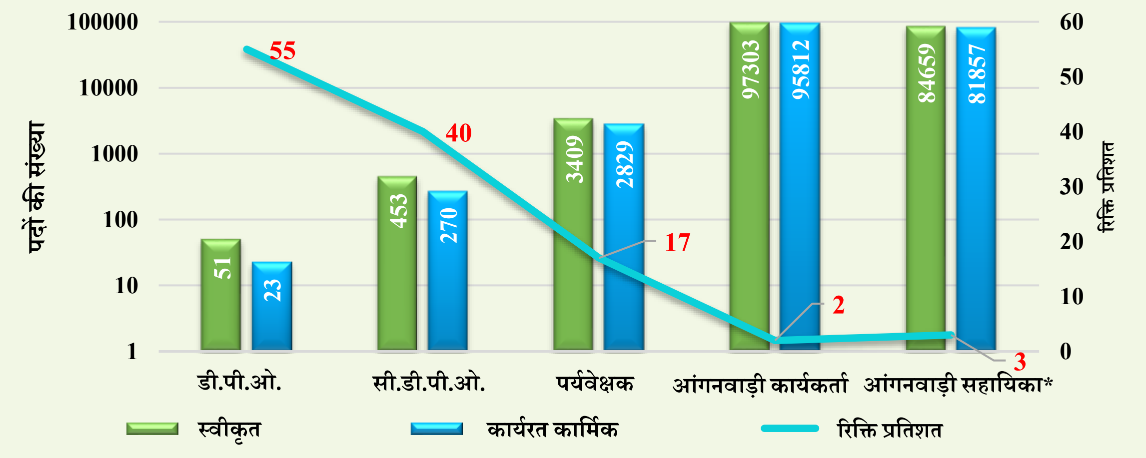

*** जून 2024 की स्थिति में स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कार्मिक**

स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े (जुलाई 2024 की स्थिति में)

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों, एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों में 40 से 55 प्रतिशत तक की कमी थी, जो अपने-अपने जिलों एवं परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन/निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षकों के पदों में 17 प्रतिशत की कमी थी, जो न केवल अपने क्षेत्राधिकार के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की निकट से निगरानी करते हैं, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभिलेख रखरखाव एवं सेवाओं के वितरण जैसे विभिन्न पहलुओं में सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, 1,491 आंगनवाड़ी केंद्र नियमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बिना संचालित हो रहे थे, जिससे सेवाओं के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 1.11.5.3*** के ***प्रकरण अध्ययन-2*** में वर्णित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति न होने के कारण, इन संवर्गों में पद रिक्त थे। हालांकि, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों में रिक्तियाँ खुली भर्ती के माध्यम से भर दी गई थीं।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही लेखापरीक्षा में (अक्टूबर 2025) प्रतीक्षित थी।

अनुशंसा:

शासन आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रबंधन हेतु मुख्य संवर्गों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए समयबद्ध भर्ती अभियान संचालित किया जाना सुनिश्चित कर सकता है।

1.9.2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रशिक्षण

एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एकीकृत बाल विकास सेवा कर्मियों के प्रशिक्षण एवं सतत क्षमता निर्माण के महत्व को हमेशा कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों को सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक के रूप में विकसित करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों (नवंबर 2013) के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रारंभिक एवं पुनश्चर्या (*रिफ्रेशर*) प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गए प्रारंभिक प्रशिक्षण का स्तर उत्साहजनक था, जिसमें 86,946 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (90.75 प्रतिशत) एवं 69,743 आंगनवाड़ी सहायिकाओं (85.20 प्रतिशत) को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। हालाँकि, नई एवं महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल के अद्यतन एवं उन्नयन हेतु किसी भी कार्यकर्ता को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। यह अंतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पुरानी प्रथाओं का उपयोग करने का जोखिम पैदा करता है, जिससे उनके द्वारा देखरेख किए जा रहे बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया कि यद्यपि विभिन्न प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं, तथापि वर्ष 2020 से प्रशिक्षण हेतु निधि की कमी के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना संभव नहीं हो पाया।

1.10 वित्तीय निगरानी एवं नियंत्रण

1.10.1 निधि का उपयोग

एकीकृत बाल विकास सेवा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर वित्तपोषित[14] किया जाता है। कार्यक्रम की योजना एवं अधोसंरचना के लिए वित्तपोषण की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, जबकि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है। अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान आवंटन एवं व्यय का विवरण ***परिशिष्ट-1.6*** में दिया गया है तथा नीचे ***चार्ट-1.10*** में सारांशित है।

---

[14] भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच क्रमशः (i) पूरक पोषण के लिए 50:50, (ii) आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु 60:40 एवं (iii) राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 80:20 (वर्ष 2019-20 से जुलाई 2022 तक) एवं 60:40 (अगस्त 2022 से) का अनुपात

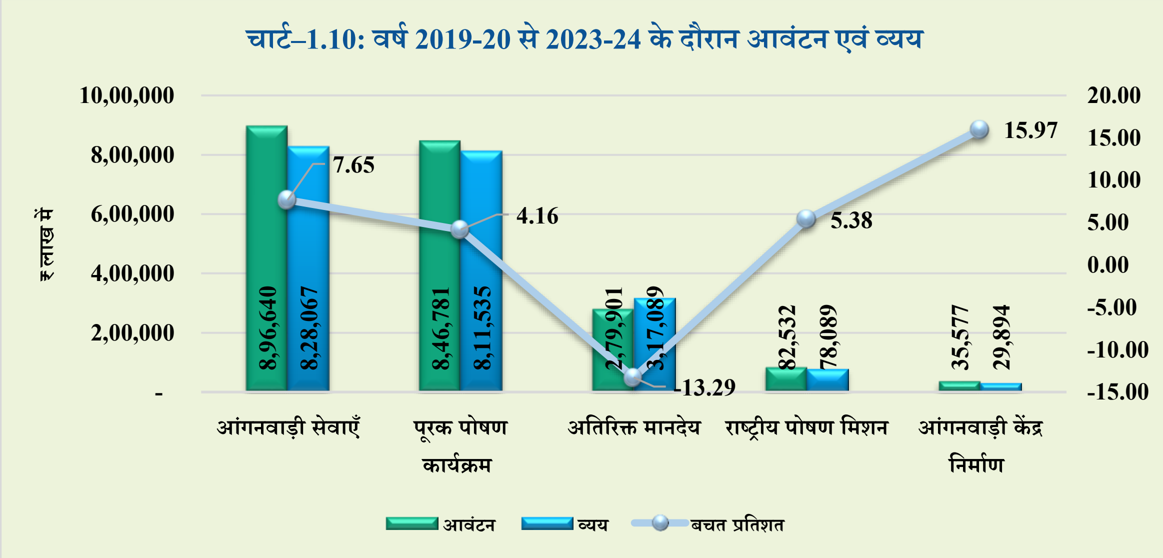

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन एवं व्यय के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़े

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अतिरिक्त मानदेय घटक को छोड़कर, विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवंटनों की तुलना में चार से 16 प्रतिशत के बीच की बचत हुई थी। अतिरिक्त मानदेय घटक के अंतर्गत व्यय, आवंटन से अधिक रहा।

शासन ने उत्तर दिया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल व्यय, आवंटित बजट के भीतर किया गया था। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि प्रकरण की जांच करने के बाद लेखापरीक्षा को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.10.2 राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के अपूर्ण निर्माण के कारण निधियों का अवरूद्ध होना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 9 (i) में प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी से सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी तरह की सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि एक सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है।

यह देखा गया कि प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलों को पत्र जारी (क्रमशः अक्टूबर 2019 एवं अगस्त 2019 में) कर बताया गया था कि वर्ष 1994-95 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु ₹288.51 करोड़ जारी किए जाने के बावजूद 6,811 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण अपूर्ण था तथा 2,777 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए (विवरण ***परिशिष्ट-1.7*** में दिया गया है)थे। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में, इस संबंध में आगे का कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा, अवधि 2019-20 से 2022-23[15] के दौरान स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला है कि विभाग ने ₹298.81 करोड़[16] की लागत से 3,212[17] आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹178.58 करोड़[18] जारी किए। विभाग द्वारा जून 2021 में आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण की पूर्णता हेतु समय-सीमा (तीन/छः माह) निर्धारित की गई थी।

[15] वर्ष 2023-24 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी नहीं दी गई

[16] वर्ष 2019-20 (₹ 36.27 करोड़), 2020-21 (₹36.14 करोड़), 2021-22 (₹190.38 करोड़) और 2022-23 (₹ 36.02 करोड़)

[17] वर्ष 2019-20 (465 आंगनवाड़ी केंद्र), 2020-21 (422 आंगनवाड़ी केंद्र), 2021-22 (2004 आंगनवाड़ी केंद्र) एवं 2022-23 (321 आंगनवाड़ी केंद्र)

[18] वर्ष 2019-20 (₹ 36.27 करोड़), 2020-21 (₹ 35.29 करोड़), 2021-22 (₹ 87.05 करोड़) और 2022-23 (₹ 19.97 करोड़)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अपूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को पूर्ण कराने के लिए समय-समय पर निधि एवं निर्देश जारी किए जाने के बावजूद विभाग के पास इन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति से संबंधित अद्यतन जानकारी संधारित अथवा उपलब्ध नहीं थी। इस चूक के कारण 1 से 29 वर्ष तक की अवधि के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्य निरंतर अपूर्ण रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन में कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को पूर्ण करने की समय-सीमा भी जून 2021 से पूर्व में भी निर्धारित की गई थी। भूमि विवाद, शासकीय भूमि की अनुपलब्धता, सरपंच परिवर्तन एवं अभिसरण के मुद्दों के कारण निर्माण में देरी हुई।

तथ्य यह है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के समयबद्ध निर्माण में अभी भी उल्लेखनीय विलंब बना हुआ है।

1.10.2.1 चयनित जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों भवनों के अपूर्ण निर्माण के कारण निधि का अवरुद्ध होना

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा उन आंगनवाड़ी केन्द्रों, जिनका निर्माण अपूर्ण है अथवा जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया (जुलाई 2020) गया।

चयनित जिलों में यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 773 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से विभाग द्वारा ₹44.25 करोड़ (जून 2024 की स्थिति में) जारी किए जाने के बावजूद 582 आंगनवाड़ी केन्द्रों (75 प्रतिशत) का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। यह राशि संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अथवा निर्माण एजेंसियों अर्थात ग्राम पंचायतों के पास अवरुद्ध पड़ी रही। अपूर्ण निर्माण के प्रमुख कारण निर्माण एजेंसियों की ओर से प्रयासों की कमी, भूमि विवाद अथवा शासकीय भूमि की अनुपलब्धता थी। अपूर्ण एवं अप्रारम्भित आंगनवाड़ी केन्द्रों का जिला-वार विवरण ***परिशिष्ट-1.8*** में दिया गया है। इन जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जो स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तरदायी थे, द्वारा इन बाधाओं को दूर करने अथवा इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन में सूचित किया कि विवरण बाद में उपलब्ध कराया जाएगा एवं भूमि विवाद, शासकीय भूमि की अनुपलब्धता, सरपंच परिवर्तन एवं अभिसरण मुद्दों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य पूर्ण न होने के संबंध में लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विवादों के त्वरित निपटान तथा बस्तियों के भीतर वैकल्पिक भूमि के विकल्पों की खोज जैसे सक्रिय उपाय आवश्यक हैं।

1.10.2.2 परित्यक्त आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों पर व्यर्थ व्यय के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त निधि जारी करना

चयनित 13 जिलों में से चार जिलों में वर्ष 2007-08 से 2016-17 के बीच स्वीकृत 46 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन अपूर्ण रहे एवं उनकी जर्जर अवस्था के कारण अंततः उन्हें परित्यक्त कर दिया गया। इसका जिला-वार विवरण ***तालिका-1.4*** में दिया गया है:

तालिका-1.4: आंगनवाड़ी केंद्रों के परित्यक्त निर्माण के कारण व्यर्थ व्यय का जिला-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जिला	वर्ष के दौरान स्वीकृत	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	जारी की गई कुल राशि
1.	सीहोर	2008-09 से 2011-12	7	25.91
2.	मंडला	2007-08 से 2016-17	16	47.23
3.	टीकमगढ़	2007-08 से 2011-12	22	प्रदान नहीं किया गया
4.	सीधी	2011	1	4.00
	कुल		**46**	**77.14**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

हमने देखा कि विभाग ने इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹77.14 लाख जारी किए, जो संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अप्रभावी परियोजना निष्पादन एवं निगरानी के कारण व्यर्थ हो गई।

आगे यह भी देखा गया कि मंडला जिले में इन परित्यक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 14 के पुनर्निर्माण हेतु ₹88.27 लाख की राशि पुनः स्वीकृत (मई 2024) की गई, किंतु यह राशि वास्तविक निधि आवश्यकता का आकलन किए बिना एवं संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पूर्व में स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति की बकाया राशि को ध्यान में रखे बिना जारी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र ₹11.22 लाख की मानक निर्माण लागत के विरुद्ध निधि की अधिकता एवं कमी, दोनों की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसा कि ***चार्ट-1.11*** में दर्शाया गया है। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गये ***चित्र-1.14 से 1.19*** में अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति दर्शाई गई है।

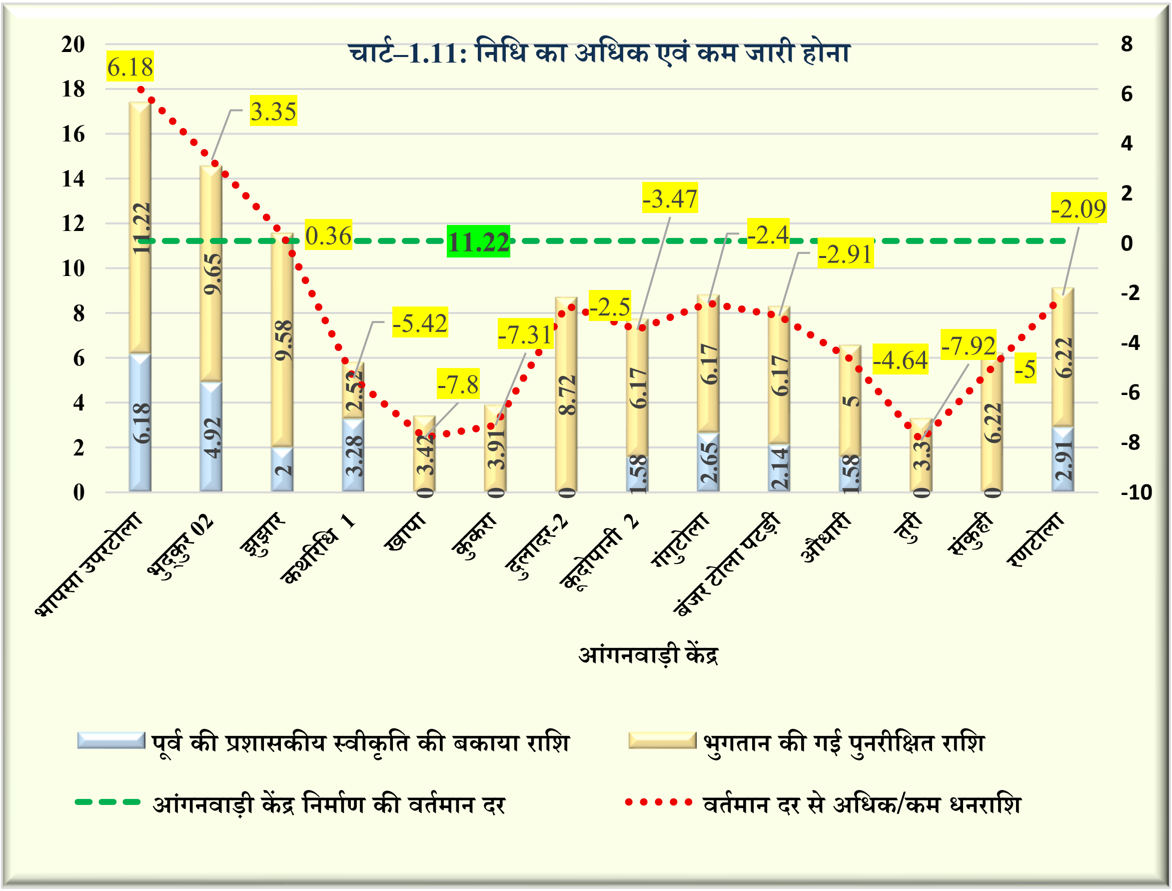

चार्ट–1.11: निधि का अधिक एवं कम जारी होना

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

चित्र-1.14 से 1.19 : अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों की जर्जर स्थिति

चित्र-1.14: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र– भापसा उपरटोला, बिछिया, मंडला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

चित्र-1.15: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र –डुंडादेही, घुदरी मंडला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

चित्र-1.16: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र– झंझार, घुघरी, मंडला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

चित्र-1.17: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र –संकुही, मंडला, मंडला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

चित्र-1.18: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र – ऊँचाखेड़ा, बुधनी, सीहोर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

चित्र-1.19: अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र – बिजरौठा, जतारा टीकमगढ़ की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी एवं कार्यों को परित्यक्त करने के लिए भूमि विवाद, शासकीय भूमि की अनुपलब्धता, सरपंच परिवर्तन एवं अभिसरण मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया।

उक्त विषय के संबंध में पूर्ण एवं विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा में (अक्टूबर 2025) प्रतीक्षित था।

1.10.2.3 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

चयनित जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के संबंध में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 13 चयनित जिलों में से आठ[19] जिलों में 202 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में विलंब हुआ था जिससे निर्माण की लागत में ₹6.18 करोड़ की वृद्धि हुई।

[19] बालाघाट, बुरहानपुर, दतिया, मंडला, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर एवं टीकमगढ़।

मार्च 2024 की स्थिति में, विभाग द्वारा लागत वृद्धि के लिए ₹6.18 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। जिला-वार विवरण ***तालिका-1.5*** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: चयनित जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्यों की लागत वृद्धि का विवरण

(₹ लाख में)

जिले का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र भवन की संख्या	मूल स्वीकृत राशि	संशोधित स्वीकृत राशि	मूल एवं संशोधित स्वीकृत राशि में अंतर	लागत वृद्धि के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी अतिरिक्त राशि
बालाघाट	8	62.40	76.08	13.68	13.68
बुरहानपुर	3	23.40	33.66	10.26	10.26
दतिया	7	54.60	76.30	21.70	21.70
मंडला	87	644.55	1051.62	407.07	407.07
नर्मदापुरम	5	38.30	51.48	13.18	12.98
सीहोर	8	19.20	33.96	14.76	14.76
शाजापुर	10	102.55	112.20	9.65	9.65
टीकमगढ़	74	699.60	827.44	127.84	127.84
कुल	**202**	**1644.6**	**2262.74**	**618.14**	**617.94**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

यह भी देखा गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य (मार्च 2024 की स्थिति में) अपूर्ण ही रहे, जबकि उनकी मूल स्वीकृति को एक से 17 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस प्रकार की लंबी अवधि का विलब न केवल परियोजना क्रियान्वयन में अक्षमता को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में लागत वृद्धि की संभावना की भी ओर संकेत करता है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.10.2.4 आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए पर परिहार्य व्यय

स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के पूर्ण होने में विलंब के कारण 13 में से 11[20] जिलों में 171 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों से संचालित हो रहे थे। ये निर्माण, जिनकी स्वीकृत लागत ₹11.41 करोड़ थी, निर्धारित समय-सीमा के बाद भी अपूर्ण रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, विभाग ने किराये के रूप में ₹30.08 लाख व्यय किए, जिसे इन भवनों के समय पर पूर्ण होने पर टाला जा सकता था। स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उनके लिए किए गए किराये के भुगतान का जिला-वार विवरण ***तालिका-1.6*** में दिया गया है।

तालिका-1.6: स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भुगतान किए गए किराए का जिला-वार विवरण

जिले का नाम	निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	किराए के रूप में भुगतान की गई राशि (निर्माण पूर्ण होने की अनुमानित तिथि के बाद) (₹ लाख में)
अलीराजपुर	44	2.59	5.13
मंडला	15	0.84	2.75
सीहोर	13	0.58	2.13
टीकमगढ़	26	1.35	2.34
शाजापुर	8	0.83	0.68
रतलाम	17	1.25	6.20
श्योपुर	19	1.77	3.72
बालाघाट	09	0.75	1.45
बुरहानपुर	6	0.49	4.48

[20] अनूपपुर एवं नर्मदापुरम जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने किराये के आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी प्रदान नहीं की।

जिले का नाम	निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	किराए के रूप में भुगतान की गई राशि (निर्माण पूर्ण होने की अनुमानित तिथि के बाद) (₹ लाख में)
दतिया	05	0.39	0.08
सीधी	09	0.57	1.12
कुल	**171**	**11.41**	**30.08**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

चयनित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने सूचित (अगस्त 2024 से फरवरी 2025) किया कि संबंधित जिला पंचायत (जेड.पी.) एवं ग्राम पंचायत से निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया जाएगा तथा आवश्यक जानकारी निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग से प्राप्त की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.10.3 अतिरिक्त निधि जारी होना

1.10.3.1 आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए अधिक भुगतान

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने (अवधि 2015-18 के दौरान) ₹ 7.80 लाख[21] प्रति आंगनवाड़ी भवन की दर से मनरेगा अभिसरण के माध्यम से मंडला जिले में 16 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए मंजूरी दी एवं संचालनालय, पंचायती राज, भोपाल के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को ₹ 32 लाख जारी (अवधि 2016-18 के दौरान) किए। यह अवलोकित किया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, मंडला ने इनमें से 10 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए (अवधि 2024-25 के दौरान) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), जिला पंचायत, मंडला को अतिरिक्त रूप से ₹1.09 करोड़ जारी किए। यह राशि पूर्व में जारी की गई राशि को ध्यान में रखे बिना जारी की गई थी, जिससे ₹ 16.56 लाख का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ। विवरण ***परिशिष्ट-1.9*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि संबंधित जिले से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वसूली की जाएगी। तथापि, उत्तर (अगस्त 2025) में अवगत कराया गया था कि संशोधित दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार निधि जिला पंचायत को हस्तांतरित की गई, जिसमें जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्व में ₹2.00 लाख प्राप्त हो चुके थे, उन्हें अतिरिक्त ₹9.22 लाख उपलब्ध कराए गए, जबकि जिन केन्द्रों को पूर्व में कोई राशि जारी नहीं की गई थी, उन्हें सम्पूर्ण ₹11.22 लाख प्रदान किए गए।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरणों में पूर्व जारी किसी भी राशि को ध्यान में नहीं रखा गया।

1.10.3.2 एक ही आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए कई बार स्वीकृति एवं निधि जारी करना

प्रत्येक प्राधिकारी, जो भत्ते अथवा अन्य दावों की स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए उत्तरदायी है, किसी भी अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा एवं उसे बिना विलंब किए अधिक भुगतान की गई राशि वसूलने हेतु कदम उठाने चाहिए।

यह देखा गया कि संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने वर्ष 2016 एवं 2021 के बीच दो से तीन बार 29 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए एवं निधि जारी की। इसके परिणामस्वरूप जिला पंचायतों को ₹74 लाख की अतिरिक्त राशि जारी की गई, जैसा कि ***परिशिष्ट-1.10*** में वर्णित है। इसके बाद, उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण

[21] महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र ₹2 लाख वहन करना था जबकि ₹5.80 लाख प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की शेष राशि का वित्त-पोषण मनरेगा अभिसरण के माध्यम से किया जाना था (₹5.80 लाख प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत राज और मनरेगा के हिस्से द्वारा)।

हेतु अधिक राशि जारी होने का पता चलने पर, विभाग ने 2022 में संबंधित जिला पंचायतों से धन वापसी कराने का प्रयास किया। परंतु, अभी तक जिला पंचायतों से कोई धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई।

यह विभाग में विशेष रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु चयन एवं समुचित सत्यापन के बिना स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के संबंध में खराब योजना एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, इस चूक के परिणामस्वरूप विभाग जिला पंचायतों से राशि की वसूली करने में भी असमर्थ रहा।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.10.4 क्रियान्वयन एजेंसियों के पास रखी गई निधि पर अर्जित ब्याज

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों के लंबित निर्माण के कारण जिला प्राधिकरणों/निर्माण एजेंसियों के पास निष्क्रिय पड़ी राशि पर अर्जित ब्याज के बारे में जानकारी मांगी (जनवरी 2016) थी।

यह देखा गया कि 13 चयनित जिला कार्यक्रम अधिकारियों में से 10 को क्रियान्वयन एजेंसियों के पास जमा निधि एवं उस पर अर्जित ब्याज की जानकारी नहीं थी। शेष तीन जिलों[22] के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात जिला पंचायत से जानकारी एकत्र की एवं सूचित किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जमा की गई निधि पर ₹2.32 करोड़[23] का ब्याज अर्जित किया गया था। हालांकि, इन जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास निर्माण एजेंसी के पास उपलब्ध निधि की राशि की जानकारी नहीं थी। विभाग के पास इस ब्याज से अर्जित निधि के उपयोग के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी।

इस प्रकार, जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास न तो क्रियान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध निधि का अभिलेख था एवं न ही उस पर अर्जित ब्याज की जानकारी, जो विभाग के वित्तीय संसाधनों की कमजोर निगरानी को दर्शाता है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों के लिए एक ही खाता संधारित किया जाता है, जिससे आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु निर्धारित राशि का पता लगाना कठिन है। बहीखाता संधारण के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी मांगी जाएगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

यह उत्तर विरोधाभासी है, क्योंकि तीन जिलों ने लेखापरीक्षा के दौरान अर्जित ब्याज की जानकारी उपलब्ध कराई थी।

1.10.4.1 निर्माण एजेंसियों से शेष राशि की वसूली

शाजापुर एवं टीकमगढ़ जिलों में यह देखा गया कि निर्माण एजेंसी[24] ने ₹8.97 करोड़ की जारी राशि की तुलना में ₹7.49 करोड़ की लागत से 120 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूर्ण (जुलाई 2013 एवं जनवरी 2021 के बीच) किया। निर्माण एजेंसी ने शेष राशि वापस नहीं की। विभाग ने व्यय की गई राशि एवं शेष राशि की वापसी का विवरण भी नहीं मांगा जिसके परिणामस्वरूप निर्माण पूर्ण होने के चार से 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी ₹1.48 करोड़ (जनवरी 2025 की स्थिति में) की वसूली नहीं हुई (विवरण ***परिशिष्ट-1.11*** में दर्शाया गया है)।

---

22 मंडला, रतलाम एवं शाजापुर

23 मंडला- ₹ 18,46,139, रतलाम – ₹ 1,37,19,380 एवं शाजापुर - ₹ 76,51,735

24 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि दोनों जिलों में वसूली की जा चुकी है। परंतु, लेखा परीक्षण द्वारा सत्यापन के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए।

1.10.5 मंगल दिवस के आयोजन के लिए निधियों का उपयोग

विभागीय निर्देश (अप्रैल 2019) समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंगल दिवस मनाने का प्रावधान करते हैं, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पाँचवें मंगलवार को गोदभराई, अन्नप्राशन, बाल-चौपाल, लालिमा दिवस एवं सुपोषण दिवस जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

1.10.5.1 मंगल दिवस के आयोजन के लिए प्रदान की गई निधि की वसूली/समायोजन

यह देखा गया कि 13 चयनित जिलों में से पांच[25] के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान मंगल दिवस के आयोजन के लिए 10,986 आंगनवाड़ी केंद्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में ₹99.57 लाख प्रदान किए। हालांकि, हमने देखा कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते ये आंगनवाड़ी केंद्र एक से 14 माह की अवधि के लिए बंद रहे, जैसा कि ***तालिका-1.7*** में वर्णित है।

तालिका-1.7: आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने के दौरान मंगल दिवस के लिए भुगतान

(राशि ₹ में)

जिले का नाम	परियोजनाओं की कुल संख्या	लॉकडाउन के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने की अवधि	उन महीनों की संख्या जब आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहा	बंद आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	कुल अनियमित भुगतान
टीकमगढ़	08	01/2021 से 03/2021	3	1,778	26,65,500
मंडला	09	10/2020 से 12/2020	3	2,310	34,00,500
	09	10/2021 से 12/2021	3	2,310	15,97,400
बालाघाट	11	जनवरी 2021 से मार्च 2021	1	2,555	12,77,500
बुरहानपुर	06	जनवरी 2021 से मार्च 2021	1	815	4,07,500
श्योपुर	06	जनवरी 2021 से मार्च 2021	1	1,218	6,09,000
कुल			**12**	**10,986**	**99,57,400**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

हमें आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने के बाद आने वाले माह में इन राशियों के समायोजन को दर्शाने वाले अभिलेख नहीं मिले। इस प्रकार, आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने के दौरान मंगल दिवस के आयोजन के लिए ₹99.57 लाख का भुगतान अनियमित था एवं इसे समायोजित/वसूल करने की आवश्यकता थी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.10.5.2 मंगल दिवस के आयोजन के लिए निधि जारी करने में विलंब

यह देखा गया कि चयनित 13 जिलों में से पांच[26] के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने मंगल दिवस के आयोजन (जनवरी 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान) के लिए ₹6.81 करोड़ का भुगतान एक से 12 माह तक के विलंब से किया। हमने आगे देखा कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने कार्यक्रम के आयोजन को सत्यापित किए बिना ये भुगतान किए। इस प्रकार, जिला

---

[25] बालाघाट, बुरहानपुर, मंडला, श्योपुर एवं टीकमगढ़

[26] अलीराजपुर, दतिया, मंडला, सीहोर एवं टीकमगढ़

कार्यक्रम अधिकारियों ने मंगल दिवस पर वास्तविक व्यय की जांच किए बिना (उपयोगिता प्रमाण पत्र के माध्यम से) विलंब के साथ ₹6.81 करोड़ जारी किए, जो अनियमित था।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

अनुशंसा:

शासन, आंगनवाड़ी केंद्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, स्थल चयन एवं विलंब को शामिल करते हुए, उत्तरदायित्व तय करना सुनिश्चित कर सकता है।

1.11 निगरानी एवं पर्यवेक्षण

1.11.1 आवंटित खाद्यान्नों के उपयोग की निगरानी

भारत सरकार द्वारा गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्लू.बी.एन.पी.) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए राज्यों को त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्न आवंटित करती है। भारत सरकार के आवंटन के आधार पर, विभाग गर्म पके हुए भोजन एवं टी.एच.आर. के लिए क्रमशः जिलों एवं टी.एच.आर. विनिर्माण संयंत्रों/फर्मों के लिए खाद्यान्न का मासिक आवंटन आदेश जारी करता है। भारत सरकार से स्व-सहायता समूह को खाद्यान्नों के आवंटन एवं उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नीचे ***फ्लोचार्ट-1.1*** में दी गई है:

फ्लोचार्ट-1.1: भारत सरकार से स्व-सहायता समूहों को खाद्यान्न के आवंटन एवं उसके उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

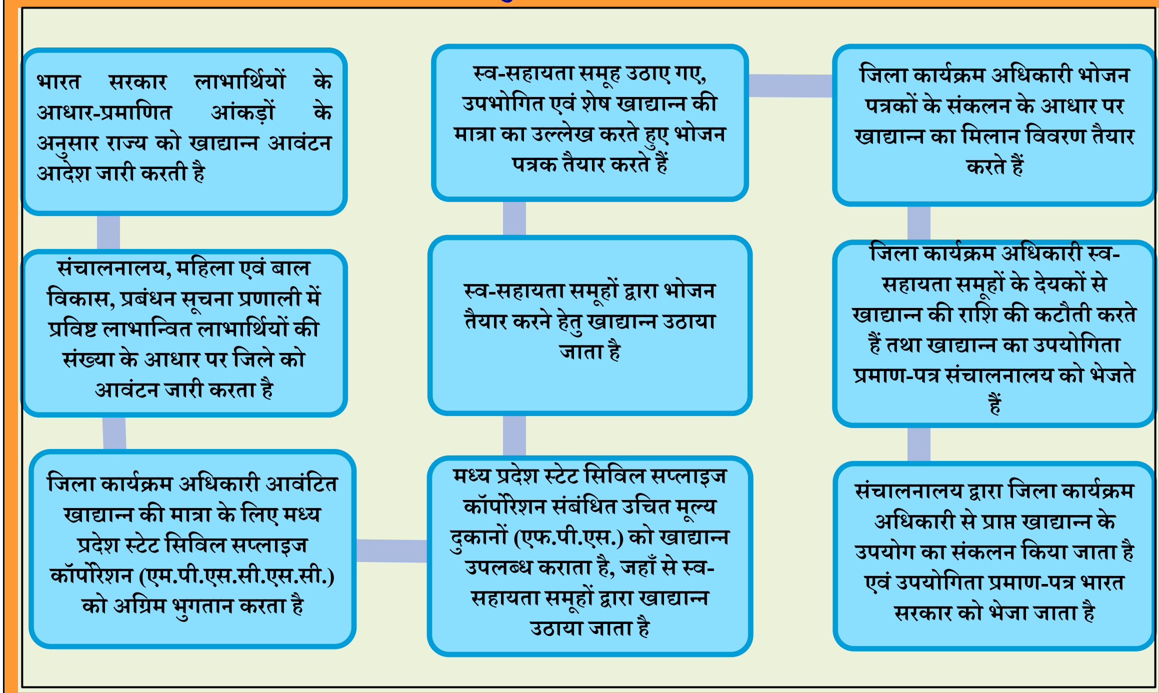

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आवंटन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलों एवं टी.एच.आर. विनिर्माण संयंत्रों को उसका पुनर्आवंटन, उसके लिए उपयोग की गई मात्रा एवं खाद्यान्न की अप्रयुक्त मात्रा नीचे ***चार्ट-1.12*** में दर्शाई गई है:

चार्ट-1.12: खाद्यान्नों का आवंटन, पुनर्आवंटन, उपयोग, अप्रयुक्त मात्रा

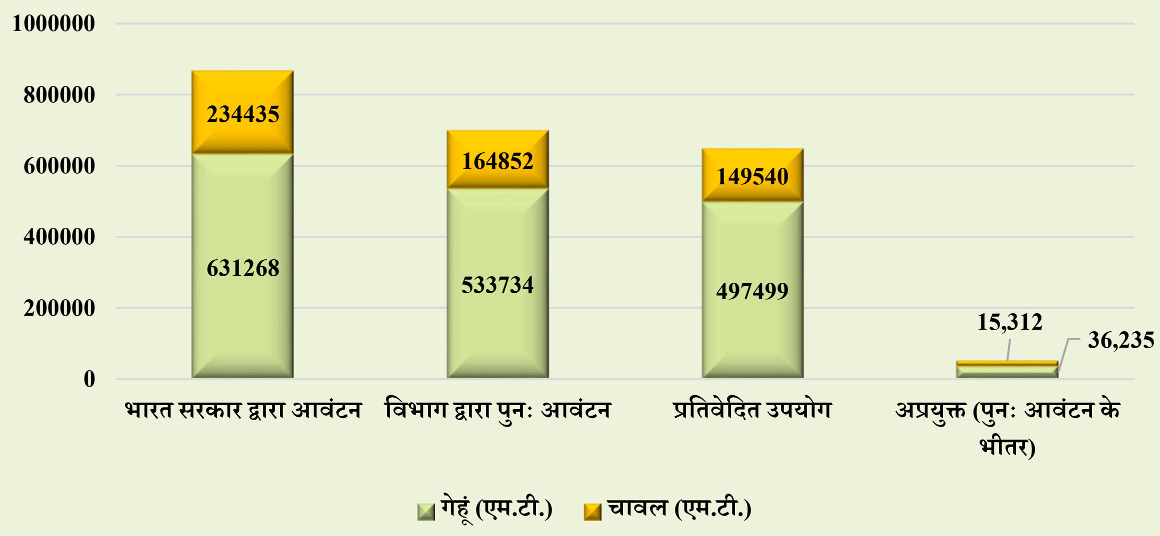

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

ऊपर दिए गए चार्ट से यह देखा जा सकता है कि जिलों को आवंटन के बावजूद 36,235 मीट्रिक टन (5,33,734 मीट्रिक टन-4,97,499 मीट्रिक टन) गेहूं एवं 15,312 मीट्रिक टन (1,64,852 मीट्रिक टन-1,49,540 मीट्रिक टन) चावल अप्रयुक्त रहा।

यह भी देखा गया कि विभाग ने जिलों से खाद्यान्नों के वास्तविक उठान की जानकारी प्राप्त करने एवं जिला नागरिक आपूर्ति निगम (डी.सी.एस.सी.) द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसका मिलान करने के बजाय जिला नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त जानकारी (जिला नागरिक आपूर्ति निगम से उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) को स्टॉक के हस्तांतरण) के आधार पर भारत सरकार को खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, विभाग के पास गेहूं एवं चावल की शेष मात्रा के अभिलेख नहीं थे, इसलिए इसके उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। विवरण ***परिशिष्ट-1.12*** में दिया गया है। जिला नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण एवं उपयोग की जानकारी का मिलान न किये जाने का प्रभाव अगली कंडिका में दिखाया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.11.1.1 खाद्यान्नों के उपयोग में विसंगति

विभाग द्वारा आवंटित गेहूं एवं चावल की मात्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अवधि 2019-24 के दौरान चयनित 13 जिलों में से छः जिलों[27] के जिला नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रतिवेदित उठाई गई मात्रा ***चार्ट-1.13*** में दर्शाई गई है। जिला-वार विवरण ***परिशिष्ट-1.13*** में दिया गया है।

[27] अलीराजपुर, बुरहानपुर, दतिया, श्योपुर, सीधी एवं टीकमगढ़ (जिसमें निवाड़ी शामिल है)

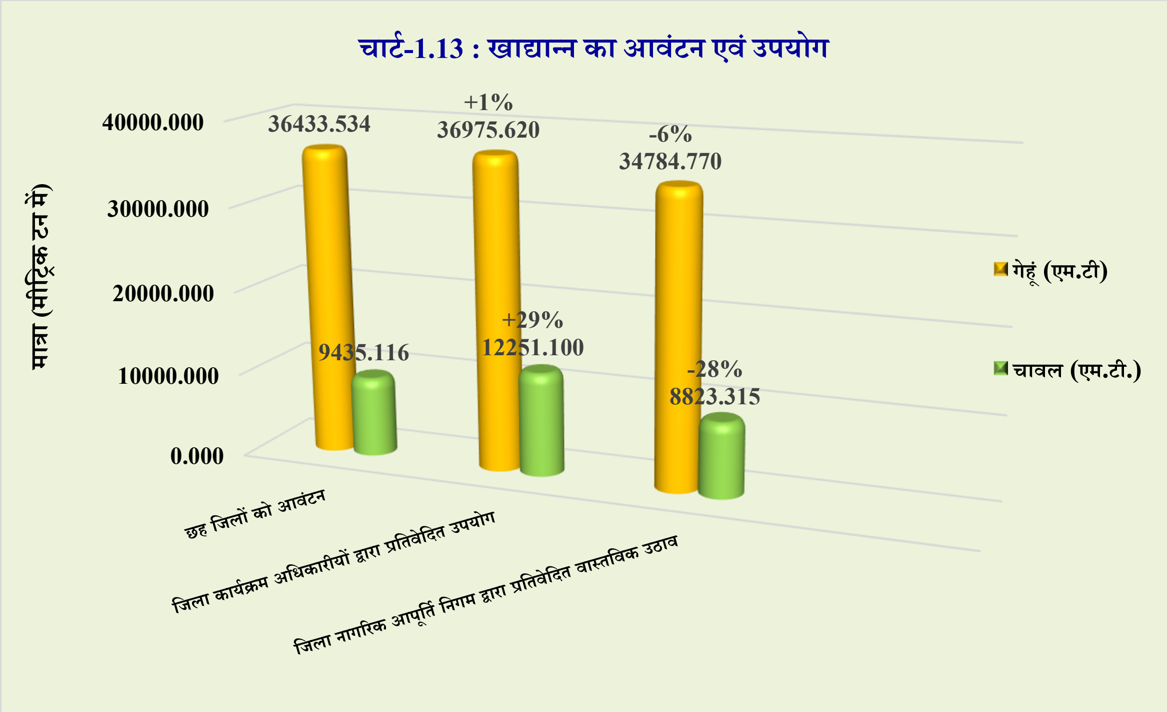

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

उपरोक्त चार्ट आवंटित मात्रा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र में परिलक्षित मात्रा एवं चावल के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा उठाई गई मात्रा के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियों को दर्शाता है। हमने आगे देखा कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकानों एवं भोजन पत्रक से स्व-सहायता समूहों द्वारा खाद्यान्नों के वास्तविक उठान का मिलान नहीं किया। इसलिए, जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास खाद्यान्नों के उपयोग का कोई विवरण नहीं है जिसके कारण सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के दुरुपयोग का जोखिम अधिक होने का आकलन किया जा सकता है।

इस प्रकार, दो कार्यालयों द्वारा खाद्यान्नों के उपयोग के विभिन्न आंकड़ों की सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के उपयोग की निगरानी एवं समन्वय की कमी को दर्शाती है, जो जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे।

विभाग ने उत्तर (अगस्त 2025) दिया कि भारत सरकार द्वारा आवंटित गेहूं एवं चावल, लाभार्थियों की संख्या के आधार पर जिला नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से वितरित किए गए थे, एवं यदि कोई स्टॉक बच जाता तो उसे अगले माह के आवंटन के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाता था। निगम को भुगतान, पिछले शेष के मिलान के बाद ही किया जाता है। हालाँकि, अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

तथ्य यह है कि जिला नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्नों की सम्पूर्ण आवंटित मात्रा के लिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे, एवं भुगतान उचित मूल्य दुकानों में बची हुई मात्रा का आकलन करने के बजाय आवंटन के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, किसी भी चयनित जिले में इस प्रकार का समायोजन नहीं पाया गया।

1.11.2 पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवा का कार्यान्वयन

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के निर्देशों (अप्रैल 2019) के अनुसार प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में गोदभराई[28], अन्नप्रासन[29], बाल-चौपाल[30], लालिमा दिवस[31] तथा सुपोषण दिवस[32] जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी थीं। इन पहलों का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, महिलाओं में आयरन की कमी को दूर करना एवं विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, इन प्रयासों का उद्देश्य गर्भावस्था की पुष्टि होते ही आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं के तत्काल पंजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बारे में समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना, उन्हें तीन प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त आहार एवं दवाओं के बारे में जागरूक करना, प्रसवोत्तर पोषण देखभाल, टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाना है।

पोषण एवं स्वास्थ्य सूचकांकों जैसे कि कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल (ए.एन.सी.) वाली माताएं, 6-8 माह की आयु के बच्चे जिन्हें ठोस अथवा अर्ध-ठोस भोजन एवं आहार प्राप्त होता है, 6-23 माह की आयु के कुल बच्चे जिन्हें पर्याप्त आहार प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर की राष्ट्रीय प्रतिशत के साथ तुलना ***तालिका-1.8*** में दी गई है:

तालिका-1.8: प्रसव पूर्व देखभाल दौरे, बच्चों के लिए पर्याप्त आहार, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आंकड़ों की तुलना

क्रम संख्या	सूचकांक	राष्ट्रीय	मध्य प्रदेश
1	कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल दौरे प्राप्त करने वाली माताएं *(प्रतिशत में)*	58.1	57.5
2	6-8 माह की आयु के बच्चे जिन्हें ठोस अथवा अर्ध-ठोस भोजन प्राप्त हो रहा है *(प्रतिशत में)*	45.9	39.5
3	6-23 माह की आयु के कुल बच्चे जिन्हें पर्याप्त आहार प्राप्त हो रहा है (प्रतिशत में)	11.3	9.2
4	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	35.2	41.3
5	मातृ मृत्यु दर (प्रति लाख जीवित जन्म)	97	173

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-5) प्रतिवेदन (सितंबर 2021) एवं नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य, पोषण एवं स्वास्थ्य सूचकांकों के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जो इंगित करता है कि राज्य में सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है एवं सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा, अंतर-राज्य अथवा राष्ट्रीय तुलना के बजाय सुधार की सीमा पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ एक विशिष्ट उत्तर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है, लेकिन ये पिछले पांच वर्षों में सभी राज्यों में सबसे अधिक बने हुए हैं।

---

28 गर्भावस्था का उत्सव मनाने एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक पारंपरिक गोद भराई समारोह।

29 बच्चे को पहली बार ठोस भोजन खिलाने का एक समारोह, जो शिशु पोषण को बढ़ावा देता है।

30 अधिकारों, स्वच्छता, शिक्षा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ एक सामुदायिक चर्चा।

31 किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता (विशेष रूप से मासिक धर्म स्वच्छता) एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित।

32 अच्छी पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देने एवं कुपोषण से लड़ने के लिए समर्पित दिवस।

1.11.3 बच्चों के विकास की निगरानी एवं पोषण की स्थिति

एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य मृत्यु दर की घटनाओं को कम करना एवं तीन से छः वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है।

अवधि 2020-21 से 2023-24 के लिए विभाग की मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर.)[33] के अनुसार गंभीर रूप से कम वजन (एस.यू.), मध्यम तीव्र कुपोषण (एम.ए.एम.) एवं गंभीर तीव्र कुपोषण (एस.ए.एम.) से ग्रस्त बच्चों की राज्य स्तरीय स्थिति नीचे ***चार्ट-1.14*** में दी गई है:

चार्ट-1.14 : राज्य में एस.यू., एम.ए.एम. एवं एस.ए.एम. की स्थिति

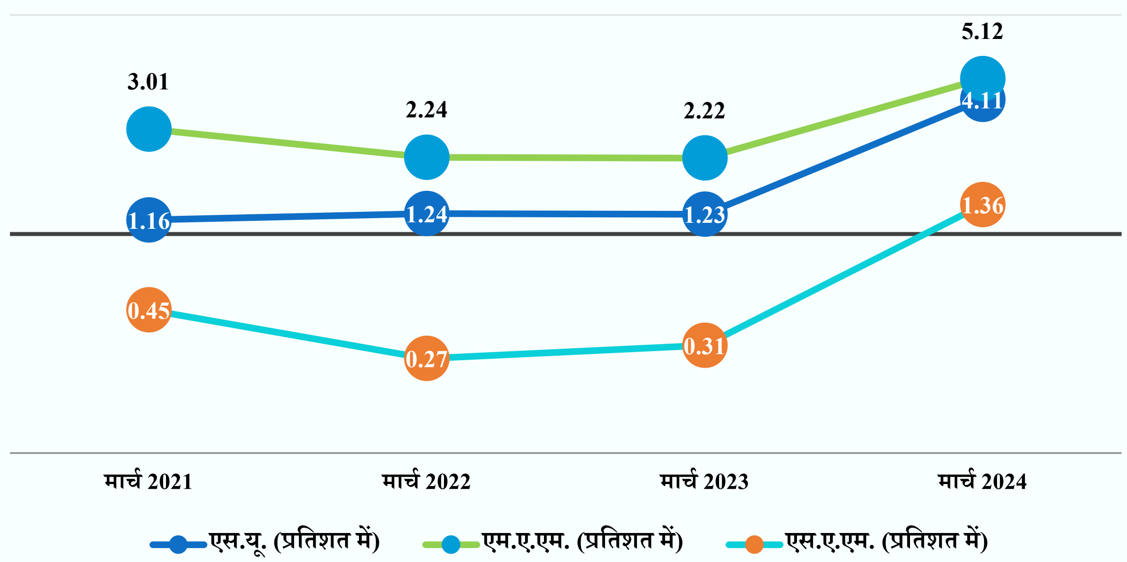

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के आँकड़े/मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2021-24

ऊपर से देखा जा सकता है कि मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 में गंभीर रूप से कम वजन, मध्यम तीव्र कुपोषण एवं गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है।

मार्च 2024 तक कम वजन वाले एवं गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में कमी लाने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की राज्य के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों से तुलना करने पर यह पाया गया कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 33 प्रतिशत एवं गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की व्यापकता 6.5 प्रतिशत थी, जबकि इनके लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 25.7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत थे।

आगे राज्य, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू.-5) में भी पीछे रहा है, जैसा कि ***चार्ट-1.15*** में वर्णित है।

---

[33] महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए मासिक प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

चार्ट-1.15 : नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिशत

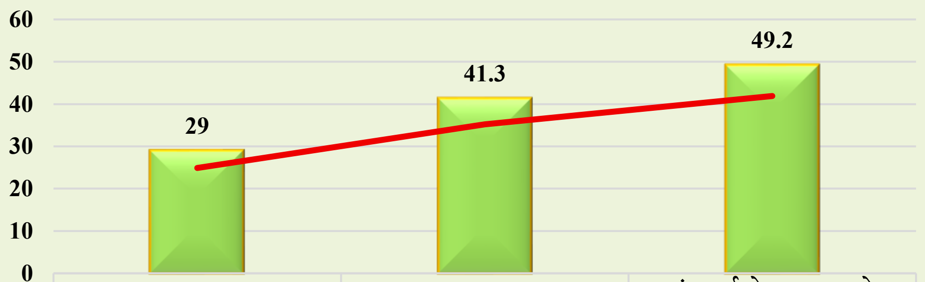

	नवजात मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
राज्य (मध्य प्रदेश)	29	41.3	49.2
राष्ट्रीय	24.9	35.2	41.9

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन

आगे यह भी देखा गया कि पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, केवल 25 प्रतिशत लाभार्थियों को एक से 21 दिनों के लिए गर्म पके हुए भोजन से लाभान्वित किया गया एवं शेष 75 प्रतिशत लाभार्थियों को केवल एक दिन के लिए गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया गया। उपर्युक्त कुपोषण संकेतक एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत सभी संभावित लाभार्थियों को शामिल न किए जाने एवं राज्य में बाल पोषण में गिरावट को दर्शाते हैं।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ एक विशिष्ट उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ था, फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे एवं राज्य, राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक पीछे है।

1.11.4 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के समग्र विकास के लिए प्री-स्कूल शिक्षा, पर्याप्त संसाधन, जीवन मूल्यों के विकास, पोषण स्तर में सुधार आदि जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति जारी (सितंबर 2013) की। भारत सरकार ने भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद 45 के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, जो निर्देश देता है कि "राज्य छः वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" गुणवत्ता मानक अन्य बातों के साथ-साथ पोषण तथा संरक्षण संबंधी उपायों, कर्मचारियों की योग्यता एवं उनके व्यावसायिक विकास आदि से संबंधित होंगे।

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल एवं नमूना जांच किए गए जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए:

- ***प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति की अधिसूचना में विलम्ब***

  मध्य प्रदेश शासन ने सितंबर 2013 में भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति की अधिसूचना से आठ वर्ष के विलंब के साथ प्री-स्कूल शिक्षा नीति 2020 को अधिसूचित (अप्रैल 2022) किया। प्री-स्कूल शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को तीन-चार घंटे की प्री-स्कूल शिक्षा एवं पूरक पोषण आहार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जहां इस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे नामांकित थे। हालांकि, प्री-स्कूल शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विलंब ने बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा से वंचित कर दिया।

- ***आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता***

  इन जिलों में पदस्थ किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (जिला-वार विवरण ***परिशिष्ट-1.14*** में दिया गया है) के पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना (नवम्बर, 2014) में यथा प्रावधान किए गए पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नहीं थी, जो कि बारहवीं कक्षा के साथ ही शिक्षा स्नातक (नर्सरी)/प्रारंभिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) निर्धारित थी ।

- ***उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण का आयोजन***

  मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित प्री-स्कूल शिक्षा नीति (अप्रैल 2022) के अनुसार, शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए प्रशिक्षित/मार्गदर्शित किया जाना था एवं नियमित निगरानी के लिए प्रति माह कम से कम एक कक्षा आयोजित की जानी थी। हालांकि, विभाग ने अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षण के लिए न तो कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया एवं न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया। हमने देखा कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अवधि 2023-24 के दौरान कुल 95,812 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से केवल 18,606 (19 प्रतिशत) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। चयनित जिलों में अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि चयनित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया था एवं इन जिलों में पदस्थ 20,433 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से केवल 3,140 (15 प्रतिशत) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

- ***प्री-स्कूल गतिविधियों के लिए स्थान की अनुपलब्धता एवं शिशु विकास पत्र का संधारण न करना***

  यह देखा गया कि 130 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में से 85 में प्री-स्कूल गतिविधि के लिए अलग स्थान नहीं था। शिशु विकास पत्र अथवा पिछले पांच वर्षों में छः वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों एवं बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख इन आंगनवाड़ी केंद्रों में संधारित नहीं पाए गए थे।

- ***आंगनवाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त गतिविधि पुस्तिकाएं***

  यह भी देखा गया कि 18,126 बच्चों में से 11,436 (63 प्रतिशत) उपस्थित पाए गए एवं केवल 6,376 गतिविधि पुस्तिकाएं (पंजीकृत बच्चों में से केवल 35 प्रतिशत के लिए पर्याप्त) उपलब्ध थीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कम उपस्थिति का कारण, बच्चों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अधोसंरचना की कमी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अन्य विभागीय कार्यों में भागीदारी को बताया।

इस प्रकार, प्रशिक्षण के अभाव के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच आवश्यक योग्यता की कमी ने राज्य में प्री-स्कूल शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में गंभीर बाधा उत्पन्न की। विभाग ने 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत सरकार की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया (दिसंबर 2024 से मार्च 2025) एवं कहा कि पुराने नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता कम थी एवं नव नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्री-स्कूल शिक्षा सफलतापूर्वक प्रदान की गई थी। विभाग ने यह भी कहा (जून 2024) था कि वर्ष 2019-20 के बाद, भारत सरकार से निधि आवंटन की कमी के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों को गतिविधि पुस्तिकाओं/खेल सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि हालांकि राज्य के लिए नीति को विलंब से अधिसूचित किया गया था, फिर भी राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ से ही लागू थी। आगे, शासन ने उत्तर दिया कि वर्ष 2025 में 93,211 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल नीति प्रक्रिया शुरू करने की तुलना अधिसूचित नीति के साथ नहीं की जा सकती है।

1.11.5 अभिलेख प्रबंधन

1.11.5.1 आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर अभिलेखों के संधारण में कमी

विभागीय आदेश (अप्रैल 2016) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित अभिलेख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संधारित किए जाएंगे एवं उन्हें प्रत्येक माह अद्यतन किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी (अप्रैल 2019) निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन लाभार्थियों, जो आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाएं लेना चाहते हैं, की वास्तविक संख्या की पहचान करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण करना है, तथा उन्हें संबंधित सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को तीसरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए बच्चों के वजन एवं ऊंचाई को मापने के लिए तौल मशीन एवं ऊंचाई मापने का यंत्र (स्टेडियोमीटर) भी होना अपेक्षित था।

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी (सितंबर 2018 एवं मई 2021) दिशा-निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भोजन पत्रक की सामग्री को दर्ज करने के लिए पंजी संधारित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन के दैनिक वितरण के संबंध में पंचनामा तैयार करने की आवश्यकता थी, जिस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, बच्चों के एक अभिभावक, रसोइया एवं स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधि, सरपंच/वार्ड पार्षद अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे। यदि आंगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर में स्थापित किया जाता है तो प्रधानाध्यापक द्वारा नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर पंचनामा पर लिए जाने चाहिए। आगे, आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की उपस्थिति को दर्ज करने एवं पूरक पोषण आहार प्रदान करने के लिए रजिस्टर-3 का उपयोग किया जाता है।

चयनित 130 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों का अपूर्ण एवं अपर्याप्त संधारण किया गया है जैसा कि ***तालिका-1.9*** में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका-1.9: चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में अभिलेखों का अपूर्ण एवं अपर्याप्त संधारण

क्रम संख्या	विवरण	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या जहां कमी देखी गई है
1.	भोजन पत्रक न बनाना	130
2.	लाभार्थियों की उपस्थिति संबंधित रजिस्टर में अंकित न पाया जाना	116
3.	प्राप्त गर्म पके हुए भोजन की दैनिक मात्रा दर्ज करने के लिए रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना	104
4.	सर्वेक्षण रजिस्टर के संबंधित कॉलम में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा एवं पूरक पोषण आहार की सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक लाभार्थियों का विवरण	102
5.	वजन करने वाली मशीनें नहीं पाई गयी	4

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

अभिलेखों के संधारण में उपर्युक्त कमियां, आंगनवाड़ी केंद्रों में अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाती है।

अपर मुख्य सचिव (निर्गम सम्मेलन में) एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने प्रकरणों की जांच करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रासंगिक अभिलेखों के संधारण हेतु निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

1.11.5.2 स्व-सहायता समूहों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के दिशा-निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) प्रत्येक स्व-सहायता समूह को मासिक रूप से भोजन पत्रक प्रदान करेंगे, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक भोजन प्राप्त करते समय भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता का उल्लेख करेगी तथा दिनांक के साथ अपने हस्ताक्षर करेगी। आगे, दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्व-सहायता समूहों द्वारा, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) वाले गेहूं/चावल/कच्ची सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक/देयक वाउचर संधारित किया जाना अपेक्षित था। माह के अंत में, स्व-सहायता समूह इस भोजन-पत्रक को उनके देयकों के साथ परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

109 स्व-सहायता समूहों[34] के संयुक्त भौतिक सत्यापन में कमियां पाई गई जैसा कि ***तालिका-1.10*** में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका-1.10: स्व-सहायता समूहों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ

सरल क्रमांक	कमियों का विवरण	स्व-सहायता समूहों की संख्या जहाँ कमियां पाई गई
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन की प्राप्त मात्रा के साथ भोजन पत्रक का संधारण नहीं किया जाना	109
2	पी.डी.एस. से उठाये गए खाद्यान्नों एवं उसके उपयोग के विवरण के साथ स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना	109
3	देयक/वाउचर का संधारण नहीं किया जाना	109
4	कैश बुक का संधारण नहीं किया जाना	105
5	भोजन सूची के अनुसार गर्म पका हुआ भोजन तैयार नहीं किया जाना	48
6	गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने हेतु रसोई घर की अनुपलब्धता	67
7	गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने हेतु एल.पी.जी. के स्थान पर लकड़ियों का उपयोग	33

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

[34] चयनित 130 आंगनवाड़ी केन्द्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति करना

अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति करने वाले स्व-सहायता समूहों ने देयकों के साथ भोजन-पत्रकों को संलग्न नहीं किया था। देयकों के साथ भोजन पत्रकों की अनुपलब्धता के बावजूद, परियोजना कार्यालयों ने विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इन देयकों पर कार्रवाई की। आगे, भोजन पत्रक के अभाव में, स्व-सहायता समूहों द्वारा वास्तव में आपूर्ति किये गए एवं दावा किए गए गर्म पके हुए भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा को सत्यापित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित है।

इस प्रकार, स्व-सहायता समूहों के पास मूलभूत अभिलेख नहीं थे जिन्हें विभागीय निर्देशों के अनुसार संधारित किया जाना था। आगे, अलग रसोईघर की अनुपलब्धता, एल.पी.जी. के स्थान पर लकड़ी के उपयोग के कारण वायु प्रदूषण के अलावा गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने में स्वच्छता को सुनिश्चित करने में कमी को दर्शाता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने उत्तर दिया कि स्व-सहायता समूहों को भोजन पत्रक तैयार करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.11.5.3 लाभार्थी को पूरक पोषण की आपूर्ति से संबंधित देयक नहीं पाए गए

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (फरवरी 2017) पूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत) नियम, 2007 के अनुसार, छः माह से छः वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पोषण मानकों के अनुसार एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। आगे, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (सितंबर 2018) के अनुसार, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी पूरक पोषण आहार की निर्बाध आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं।

गर्म पके हुए भोजन के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत देयकों की जांच से पता चला है कि13 चयनित जिलों में से पांच[35] में, अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक से छः माह के लिए, एक से 332 आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के लिए स्व-सहायता समूहों के देयक नहीं पाए गए जैसा कि ***परिशिष्ट-1.15*** में वर्णित है। गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति के विरुद्ध देयकों की अनुपलब्धता इस संभावना को इंगित करती है कि स्व-सहायता समूहों ने इन आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति नहीं की थी। इस जोखिम की पुष्टि ऐसे ही एक आंगनवाड़ी केंद्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन से होती है, जैसा कि ***प्रकरण अध्ययन -2*** में वर्णित है। इसके अलावा, प्रस्तुत देयकों की कमी एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में अनिवार्य भोजन पत्रक के संधारण न करने के कारण (जैसा कि ***कंडिका 1.11.5.1*** में दर्शाया गया है) लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या स्व-सहायता समूहों ने वास्तव में प्रभावित आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति की है।

[35] मंडला, टीकमगढ़, सीहोर, अलीराजपुर एवं श्योपुर

प्रकरण अध्ययन -2: पिछले एक वर्ष से एक आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषण आहार का वितरण न किया जाना।

आंगनवाड़ी केंद्र, रामसिंह की चौकी, पटेल फलिया, अलीराजपुर परियोजना (जिला अलीराजपुर) के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह पाया (फरवरी 2025) गया कि उक्त आंगनवाड़ी केंद्र में 24 लाभार्थी पंजीकृत थे। तथापि, लाभार्थियों को वितरण हेतु इस आंगनवाड़ी केंद्र को एक वर्ष से कोई पूरक पोषण आहार उपलब्ध नहीं कराया गया।

आगे, फरवरी 2024 से इस आंगनवाड़ी केंद्र में कोई नियमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदस्थ नहीं की गई थी। रामसिंह की चौकी, ओंकार फलिया (एक किमी दूर स्थित) की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस आंगनवाड़ी केन्द्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यह आकलन किया गया है कि दोनों आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार के वितरण की जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए व्यवहार्य नहीं था।

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी (सितंबर 2018) निर्देशों के अनुसार, पूरक पोषण योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता की समीक्षा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समय-समय पर की जानी थी। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला-स्तरीय एवं ब्लॉक-स्तरीय निगरानी समितियां कार्यरत नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो रहे थे एवं परिणामस्वरूप 24 लाभार्थियों को पूरक पोषण से वंचित कर दिया गया था।

इस प्रकार, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने पूरक पोषण आहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जिससे लाभार्थी वंचित रह गए।

यह इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने उत्तर दिया कि वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। आगे, निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.11.6 आंतरिक नियंत्रण

1.11.6.1 निरीक्षणों में कमी

विभागीय निर्देशों (मई 2017, जुलाई 2019 एवं फरवरी 2021) में एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत सेवाओं की समय पर एवं प्रभावी प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी[36], परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।

चयनित जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच से उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी देखी गई। वर्ष 2022-23 के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किए गए अतिरेक निरीक्षण को छोड़कर, यह कमी सात प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच है। विवरण ***चार्ट-1.16*** में संक्षेप में दिए गए हैं।

---

36 मासिक आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों, परियोजना कार्यालयों, गोदामों एवं गैर-शासकीय संगठनों की निर्दिष्ट संख्या को शामिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित

चार्ट-1.16: अवधि 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की उपलब्धि का प्रतिशत

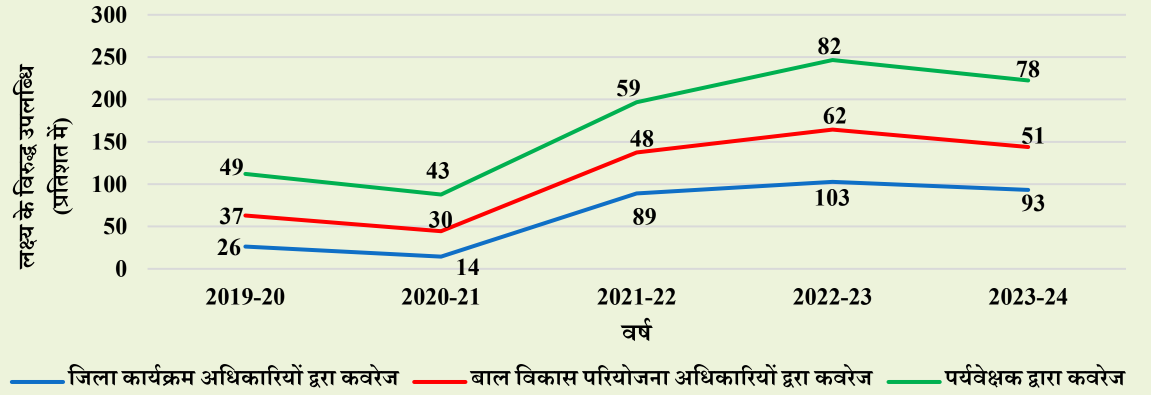

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण में काफी कमी रही। आवधिक निरीक्षण के अभाव में, आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त अधोसंरचना की उपलब्धता एवं सेवा प्रदायगी की निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। आवधिक निरीक्षणों की कमी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी में योगदान दिया (जैसा कि ***कंडिका 1.8.4*** में बताया गया है)।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि प्रेक्षण की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके अलावा, पर्यवेक्षण के लिए निरीक्षण का एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.11.6.2 आंगनवाड़ी केंद्र भवन में अनधिकृत अधिभोग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एक आंगनवाड़ी केंद्र भवन (पाटेर, ग्राम पंचायत-बसिया, सीहोर में) के निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात ग्राम पंचायत के सरपंच को ₹3.75 लाख स्वीकृत (वर्ष 2008-09) तथा संवितरित किए गए थे। 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण अपूर्ण रहा। सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, सीहोर ने बताया (सितंबर 2022) कि वर्तमान सरपंच इस निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र भवन में रह रहे थे।

इसी प्रकार, सीधी जिले में, आंगनवाड़ी केंद्र कुंवारी-6, सेक्टर बम्हानी के लिए निर्मित एक आंगनवाड़ी केंद्र भवन पर स्थानीय ग्रामीणों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।

उपरोक्त घटनाएं विभाग में एक कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाती है, जो यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग निर्धारित प्रयोजन हेतु किया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि संबंधित जिलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को संबोधित करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

1.11.7 सामाजिक लेखापरीक्षा

विभागीय निर्देश (सितंबर 2018) में प्रावधान है कि पूरक पोषण कार्यक्रम की सामाजिक लेखापरीक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना था।

चयनित 13 जिलों में से 11[37] के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। सामाजिक लेखापरीक्षा के अभाव में, सामुदायिक भागीदारी, जवाबदेही, लाभार्थियों पर प्रभाव, पोषण संबंधी लाभ आदि का आकलन नहीं किया जा सका। आगे विभाग, समुदाय के मूल्यवान सुझावों एवं सेवा प्रदाय में किसी भी कमी अथवा चुनौतियों की पहचान करने से वंचित रहा।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि इस कार्य के लिए निर्धारित बजट की अनुपलब्धता के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

अनुशंसा:

शासन भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उठाए गए खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों में मिलान एवं सटीकता सुनिश्चित कर सकता है।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष:

लेखापरीक्षा में आंगनवाड़ी अधोसंरचना की पर्याप्तता, एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत लाभार्थी कवरेज की सीमा, वित्तीय प्रबंधन की दक्षता एवं आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता की जांच की गई।

हमने देखा कि इस योजना को महत्वपूर्ण कमियों के साथ लागू किया गया था, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सीमा जनसंख्या मानदंड के विरुद्ध 87.78 प्रतिशत थी। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निर्माण परियोजनाओं की पूर्णता के स्तर का आकलन करने के लिए राज्य में अद्यतन सूचना प्रणाली नहीं थी।

कई विद्यमान केंद्रों में पर्याप्त जगह, बच्चों के अनुकूल अधोसंरचना, पेयजल, शौचालय, खेल के मैदान, रसोई एवं भंडार कक्ष सहित मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आगे, आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पके हुए भोजन (एच.सी.एम.) की आपूर्ति, प्रायः अपंजीकृत अथवा अपात्र आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपर्याप्त अथवा अधिक मात्रा में की जाती थी। यह न केवल लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले पोषण की गुणवत्ता, मात्रा एवं विश्वसनीयता से समझौता करता है बल्कि शासकीय संसाधनों के रिसाव, बर्बादी एवं दुरुपयोग के जोखिम को भी बढ़ाता है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पोर्टल में दर्ज लाभार्थी आंकड़े एवं आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) में संधारित हस्तलिखित अभिलेखों के बीच विसंगतियां देखी गईं। इससे प्रतिवेदित किए गए कवरेज एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान सत्यापित वास्तविक आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अंतर आया, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में आशंका उत्पन्न हुई।

लेखापरीक्षा में मानवशक्ति में कमी पाई गई, विशेष रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.), बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) एवं पर्यवेक्षकों जैसे प्रमुख संवर्गों में, जिसने कमजोर वित्तीय, प्रशासनिक एवं संचालन निगरानी में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अपर्याप्त प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर प्रक्रियात्मक कमियां सामने आई।

कमजोर वित्तीय एवं प्रशासनिक निगरानी, अपव्यय एवं परिहार्य व्यय, क्रियान्वयन एजेंसियों से ब्याज के साथ अप्रयुक्त निधि की वसूली न करने एवं पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग का आकलन किए बिना अतिरिक्त निधि को जारी करने के प्रकरणों से स्पष्ट होती है। हालाँकि, जिलों से उठाई गई वास्तविक मात्रा के साथ मिलान किए बिना विभाग द्वारा खाद्यान्नों के लिए

[37] बुरहानपुर एवं श्योपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गर्म पके हुए भोजन की मात्रा अथवा गुणवत्ता का सत्यापन किए बिना भुगतान करने, आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्व-सहायता समूह स्तर पर अपर्याप्त अभिलेख संधारित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा न करने तथा निरीक्षण करने में कमी से संबंधित परिचालन एवं सेवा प्रदाय में कमियां परिलक्षित हुईं।

अंत में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति (ई.सी.सी.ई.) के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की। यद्यपि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) के प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) एवं मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से पीछे बना रहा, एवं दोनों संकेतक पिछले पांच वर्षों में देश में सबसे अधिक बने रहे। यह दर्शाता है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में इच्छित परिणाम पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए गए थे।

संक्षेप में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में अपर्याप्त अधोसंरचना एवं सुविधाएं, नए केंद्रों की स्थापना में अत्यधिक विलंब, कर्मचारियों की कमी, लाभार्थियों को अनियमित भोजन आपूर्ति, कमजोर वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अप्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी को दर्शाते हैं।

कई प्रेक्षणों के विस्तृत उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके लिए लेखापरीक्षा शासन से शीघ्र एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है।

अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि शासन यह सुनिश्चित करे

- *आंगनवाड़ी केंद्रों में वास्तविक कवरेज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के हस्तलिखित अभिलेखों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित करना* ***(कंडिका 1.7.1 एवं 1.7.2 के संदर्भ में)।***
- *आंगनवाड़ी केंद्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्थल चयन एवं विलंब सहित उत्तरदायित्व तय करना* ***(कंडिका 1.8.1 से 1.8.4 एवं 1.10.2.1 से 1.10.2.4 के संदर्भ में)।***
- *गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति बिना रोंके अपात्र स्व-सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें पात्र समूहों से प्रतिस्थापित करना* ***(कंडिका 1.8.5 से 1.8.11 के संदर्भ में)।***
- *मुख्य संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध भर्ती अभियान* ***(कंडिका 1.9.1 के संदर्भ में)।***
- *भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उठाए गए खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों में मिलान एवं सटीकता* ***(कंडिका 1.11.1, 1.11.1.1, 1.11.5.1 एवं 1.11.5.2 के संदर्भ में)।***

अध्याय-II

कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा

अध्याय- II
महिला एवं बाल विकास विभाग
कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर आवास, उनके बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा के साथ, की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1972-73 में कामकाजी महिला वसतिगृह (वसतिगृह) योजना का प्रारंभ किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, इस योजना के अंतर्गत स्थापित वसतिगृहों की गतिविधियों तथा क्रियाशीलता की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि हेतु किया गया एवं मध्य प्रदेश में स्थित सभी 59 वसतिगृहों, जो 52 में से 34 जिलों में स्थित हैं, का मूल्यांकन शामिल है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, 13 क्रियाशील वसतिगृहों में से 10 में 274 लाभार्थी निवास कर रहे थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी कि क्या वसतिगृहों की स्थापना के लिए योजना कुशल एवं प्रभावी थी, वसतिगृहों में आवास की गुणवत्ता पर्याप्त एवं निवासियों की संतुष्टि के अनुरूप थी; एवं क्या प्रबंधन एवं निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली मौजूद थी तथा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी।

हमने क्या पाया?

कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृहों की पर्याप्तता पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य में वसतिगृहों की योजना, संचालन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण कमियां देखी गई। उल्लेखनीय रूप से, विभाग ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान कामकाजी महिलाओं के बीच वसतिगृहों की मांग का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। मध्य प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) में वृद्धि (2019-20 से 2023-24 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 43.2 प्रतिशत से 61.1 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 23.3 प्रतिशत से 28.5 प्रतिशत तक बढ़ी) के बावजूद, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा नए संस्थागत क्षेत्रों में वसतिगृहों के लिए सार्वजनिक भूमि चिन्हित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राज्य में 59 वसतिगृहों (शैय्या क्षमता 3,519) में से, 31 मार्च 2024 की स्थिति में केवल 13 (शैय्या क्षमता 990) क्रियाशील अथवा आंशिक रूप से क्रियाशील थे, जबकि 22 वसतिगृह (शैय्या क्षमता 1,310) का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था, जिससे कामकाजी महिलाओं को इच्छित लाभों से वंचित होना पड़ा। चार वसतिगृह (शैय्या क्षमता 173) अक्रियाशील थे। इस योजना के अंतर्गत कथित तौर पर स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए तीन वसतिगृहों का पता नहीं चल सका। वर्ष 1989-91 के दौरान स्वीकृत तीन वसतिगृहों का निर्माण अपूर्ण रहा, जबकि वर्ष 1988-89 में स्वीकृत एक वसतिगृह का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वसतिगृह जीर्ण-शीर्ण, ध्वस्त अथवा खंडहर स्थिति में पाए गए।

तेरह क्रियाशील वसतिगृहों में से नौ में लेखापरीक्षा अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान अधिभोग दर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच रही, जबकि शेष वसतिगृहों ने या तो कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की अथवा अपूर्ण आंकड़े प्रदान किये। लेखापरीक्षा में आकलन किया गया कि वसतिगृह का कम अधिभोग पुरानी अवसंरचना, आधुनिक सुविधाओं का अभाव, सीमित जन जागरूकता तथा अक्रियाशील डे-केयर सेंटर थे। यद्यपि मध्य प्रदेश में वसतिगृहों के लिए 11 डे-केयर सेंटर स्वीकृत किए गए थे, पांच क्रियाशील वसतिगृह के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह पाया गया कि स्वीकृत डे-केयर सेंटरों में से कोई भी संचालित नहीं था।

हमने कामकाजी महिलाओं के लिए निर्धारित वसतिगृह में अपात्र निवासियों के रहने के उदाहरण भी पाये। क्रियाशील वसतिगृहों में मूलभूत सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं, तथा उनकी देखभाल एवं रखरखाव में कई कमियां देखी गईं, जिसके परिणामस्वरूप अस्वच्छ एवं असुविधाजनक निवास स्थितियां उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, वसतिगृहों में उचित सुरक्षा उपायों का अभाव था एवं योजना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निरीक्षणों का अपर्याप्त संचालन एवं शासन द्वारा संचालित केवल तीन वसतिगृहों में ही वसतिगृह प्रबंधकीय समितियों (एच.एम.सी.) का गठन, तथा कुछ वसतिगृहों में वित्तीय एवं परिचालन अभिलेखों की अनुपलब्धता, जिला प्रशासन द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाती है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

हम शासन को अनुशंसा करते हैं कि

- *वसतिगृहों में प्रवेश के लिए मांग के पंजीकरण हेतु एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए तथा आवंटन के लिए अधिभोग/रिक्ति की स्थिति के वास्तविक समय अद्यतन प्रदर्शित किये जायें, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए तथा इसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए;*
- *सुधारात्मक कार्रवाई हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि के उपयोग की स्थिति की जांच के लिए एक एम.आई.एस. स्थापित किया जाए;*
- *अनुदान की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों पर निगरानी रखी जाए एवं अप्राप्य वसतिगृहों, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अन्य प्रयोजनों के लिए वसतिगृह के भवनों का उपयोग एवं लाभ अर्जित करने के प्रकरणों में कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाए,*
- *भारत सरकार की योजना (2017) के अंतर्गत पुराने हो चुके वसतिगृहों के अवसंरचना का नवीनीकरण किया जाए, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए, एवं रहने योग्य स्थिति में सुधार हेतु सुविधाओं का उन्नयन किया जाए, साथ ही शासन के सहयोग से उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाए।,*
- *जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी के साथ, वित्तीय, परिचालन एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएँ।*

2.1 परिचय

कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर आवास की आवश्यकता होती है। तदनुसार, भारत सरकार ने शहरों, छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को डे-केयर सुविधा के साथ वसतिगृह प्रदान करने के लिए नए भवनों के निर्माण/मौजूदा भवनों के विस्तार तथा किराए के परिसरों में वसतिगृहों के संचालन हेतु सहायक अनुदान की योजना शुरू (1972-73) की।

इस योजना के अंतर्गत नीचे दी गई श्रेणियों की कामकाजी महिलाओं एवं उनके बच्चे लक्षित लाभार्थी हैं:

1. कामकाजी महिलाएं, जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विवाहित हो परन्तु जिनके पति अथवा निकटतम परिवार एक ही शहर/क्षेत्र में नहीं रहते हों।
2. महिलाएं जो नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हों, बशर्ते कुल प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक न हो।
3. 18 वर्ष तक की बालिकाएँ एवं पांच वर्ष की आयु तक के बालक, जो अपनी कामकाजी माताओं के साथ रह रहे हों।

राज्य में 59[38] कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित है, जिनमें से 58 वसतिगृह भारत सरकार द्वारा (1974 एवं 2018 के मध्य) एवं एक वसतिगृह मध्य प्रदेश शासन द्वारा (2018-19) राज्य के 52 में से 34 जिलों में स्थापित किये गए | वर्ष 1979 से 1997 के दौरान तीन वसतिगृहों[39] की क्षमता में चार अतिरिक्त स्वीकृतियों के माध्यम से वृद्धि की गई। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, 13 क्रियाशील वसतिगृह में से 10[40] में 274 लाभार्थी निवासरत थे |

2.2 संगठनात्मक ढांचा

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, इस योजना के अंतर्गत स्थापित वसतिगृहों की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। विभाग के संगठनात्मक ढांचा एवं वसतिगृहों के संचालन की प्रणाली ***चार्ट 2.1*** एवं ***चार्ट 2.2*** में दर्शाई गई है:

[38] 63 वसतिगृहों में से, दो वसतिगृहों को एक-एक अवसर पर विस्तार प्रदान किया, जबकि एक अन्य वसतिगृह को दो अवसरों पर विस्तार प्रदान किया। क्रियान्वयन एजेंसियों (IAs) ने वसतिगृह के चार विस्तारों को एक नए वसतिगृह के रूप में गिना। इसलिए, 59 अद्वितीय वसतिगृह हैं।

[39] कल्याणी वसतिगृह, भोपाल -36 (1979-80), गीतांजलि वसतिगृह, भोपाल -34 (1983-84) एवं 32 (1993-94), एवं इंदिरा गांधी वसतिगृह, ग्वालियर -54 (1996-97)।

[40] 31 मार्च 2024 को वसतिगृह में निवास कर रहे लाभार्थियों का आंकड़ा तीन क्रियाशील वसतिगृह ने प्रदान नहीं किया।

चार्ट-2.1: संगठनात्मक ढांचा

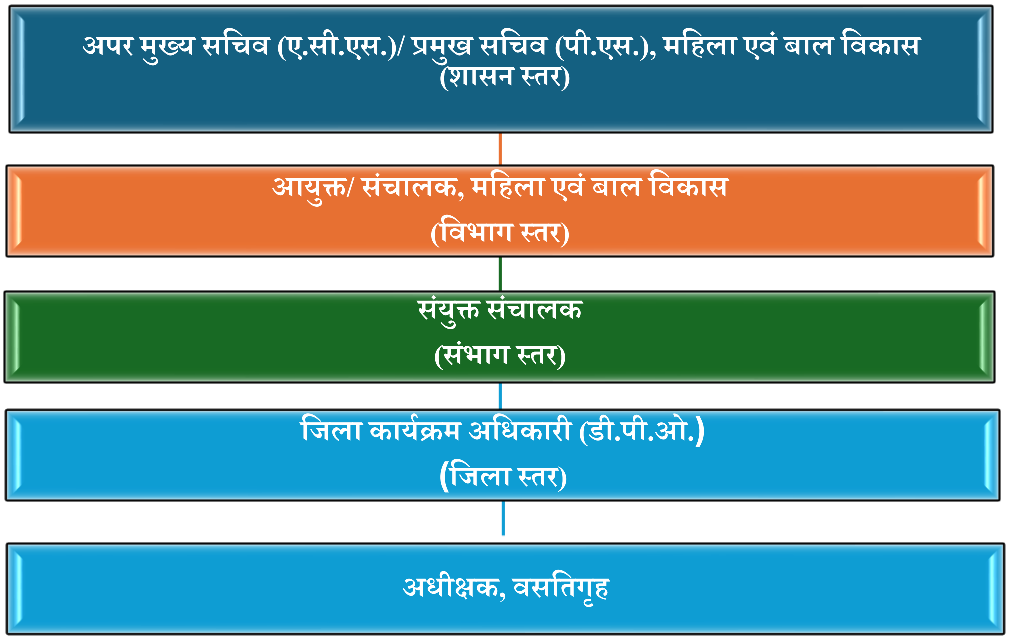

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

चार्ट-2.2: वसतिगृहों के संचालन की प्रणाली

उपरोक्त के अलावा, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर वसतिगृहों के क्रियान्वयन एवं संचालन को सुगम बनाने, समन्वय स्थापित करने तथा उनकी निगरानी करने का कार्य करते हैं। राज्य में वसतिगृहों के प्रभावी संचालन के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में संक्षेपित है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या;

1. वसतिगृहों की स्थापना के लिए योजना कुशल एवं प्रभावी थी;
2. वसतिगृहों में आवास की गुणवत्ता पर्याप्त एवं रहवासियों की संतुष्टि के अनुरूप थी;
3. प्रबंधन एवं निगरानी की प्रभावी प्रणाली मौजूद थी तथा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त मानदंड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए;

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश
2. महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसतिगृहों के संबंध में जारी दिशा-निर्देश, अधिसूचनाएं एवं आदेश
3. योजना के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश।

2.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में ***चार्ट 2.3*** में दिए गए कार्यालयों/इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई:

चार्ट 2.3: अभिलेखों की नमूना-जांच के लिए इकाइयों का चयन

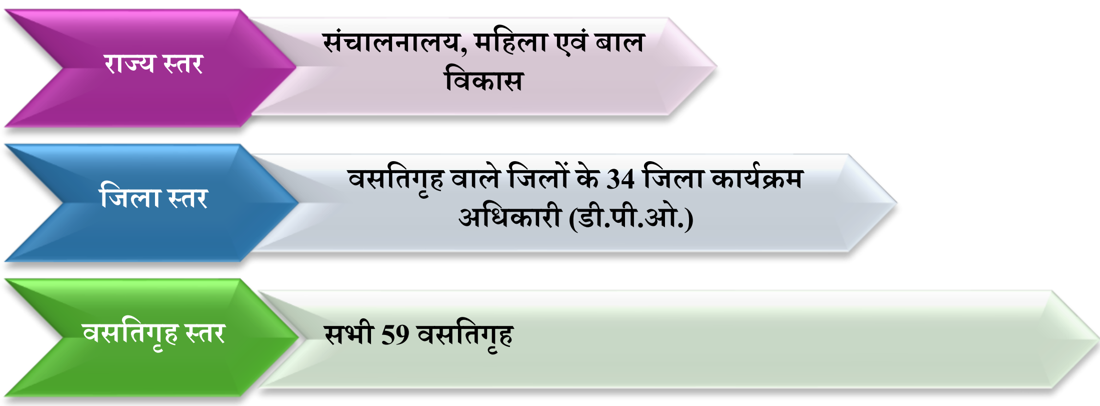

अभिलेखों की जांच के अलावा, 34 जिलों में स्थित सभी 59 वसतिगृहों की जियो-टैगिंग के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) किया गया। 13 क्रियाशील वसतिगृहों[41] में 181 रहवासियों का संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया। संतुष्टि सर्वेक्षण के अंतर्गत,

[41] भोपाल-5, ग्वालियर-2, इंदौर-3, रीवा-1, सागर-1 एवं सिवनी-1

हमने 10 वसतिगृहों के 54 प्रतिशत[42] रहवासियों को शामिल किया। तीन वसतिगृहों में रहने वाले शेष 33 रहवासियों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि इन वसतिगृहों ने अधिभोग संबंधी आंकड़े प्रदान नहीं किये।

आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के साथ 6 सितंबर 2024 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। 23 सितंबर 2025 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में शासन की प्रतिक्रिया एवं उत्तर (31 जुलाई 2025) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.6 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर, लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

2.7 योजना

2.7.1 मांग का आकलन तथा योजना संबंधी कमियाँ

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 12 के अनुसार, राज्य शासन को महिलाओं के लिए रोजगार संभावनाओं के आकलन के आधार पर वसतिगृहों के लिए भूमि चिन्हित करना अपेक्षित था, तथा पैरा 10(ब) के अनुसार, राज्य शासन वसतिगृह की स्थापना के लिए पात्र संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था।

मध्य प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)[43] में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 2019-20 में 43.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 61.1 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी एल.एफ.पी.आर. 23.3 प्रतिशत (2019-20) से बढ़कर 28.5 प्रतिशत (2023-24) हो गई। वर्षवार विवरण ***चार्ट 2.4*** में दिया गया है**:**

चार्ट 2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान मध्य प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी दर

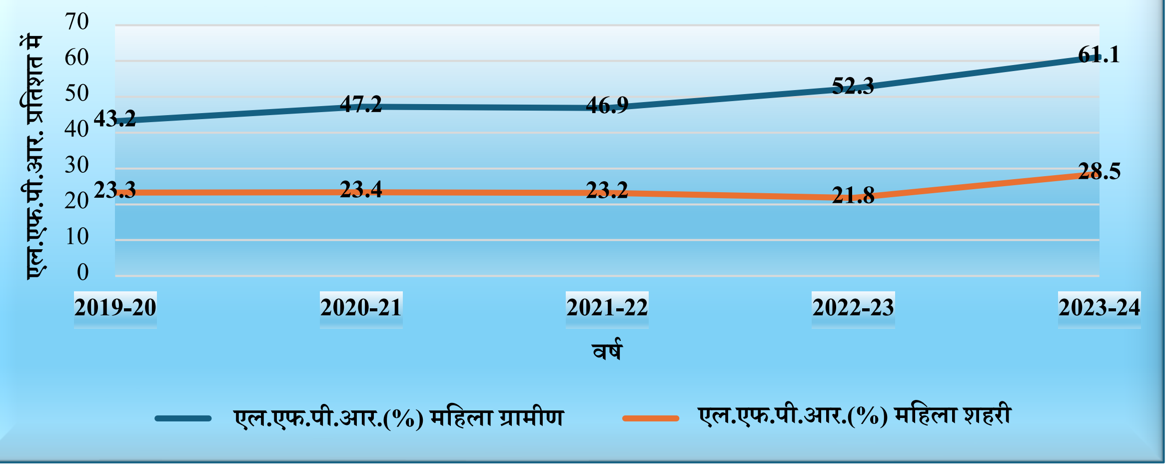

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार 2019-20 से 2023-24

---

[42] 274 निवासियों में से 148

[43] महिला एल.एफ.पी.आर. = {(कामकाजी महिलाएं + सक्रिय रूप से काम चाहने वाली महिलाएं)/कुल महिला कार्यशील आयु की जनसंख्या)} x100

महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, वसतिगृहों का अधिभोग धीरे-धीरे कम होना, जैसा कि आगामी ***कंडिका 2.9.1.3*** में चर्चा की गई है, वसतिगृह के अनुचित उपयोग, कमजोर योजना तथा वसतिगृह की सुविधाओं में कमियों को दर्शाता है।

यह देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के बीच वसतिगृह की मांग का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया। आगे, शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित महिला लाभार्थियों के संबंध में कोई आंकडे उपलब्ध नहीं थे, एवं महिलाओं के लिए बढ़ते रोजगार अवसरों के बावजूद नए संस्थागत क्षेत्रों अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) में वसतिगृहों के लिए सार्वजनिक भूमि निर्धारित करने के लिए इन क्षेत्रों में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा इसकी पुष्टि (मई 2024) की गई कि वर्तमान में किसी भी औद्योगिक क्षेत्र अथवा एस.ई.जेड. में कोई क्रियाशील वसतिगृह मौजूद नहीं है; तथापि, एम.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा पांच औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वसतिगृहों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

आगे, यह देखा गया कि मौजूदा वसतिगृहों के अल्प उपयोग के बावजूद, भोपाल एवं इंदौर के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने आवश्यकता-आधारित आंकलन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता पर विचार किए बिना तीन नए वसतिगृह (इंदौर में दो 100-शैय्या क्षमता वाले वसतिगृह एवं भोपाल में एक 100- शैय्या क्षमता वाले वसतिगृह) हेतु प्रस्ताव (सितंबर एवं दिसंबर 2024) आगे बढ़ाये।

इन मुद्दों का समाधान न होने पर संसाधनों का अकुशल उपयोग की स्थिति बनी रहेगी, जिससे कामकाजी महिलाओं को आवश्यक आवास सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा|

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि आगामी एस.ई.जेड. एवं औद्योगिक क्षेत्र में वसतिगृहों को स्थापित करने की योजनाएं प्रगति पर हैं। नए वसतिगृहों की स्थापना के प्रस्ताव में इन मानदंडों को विधिवत सम्मिलित किया गया है।

2.8 वित्तीय प्रबंधन

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, साझेदारी के आधार पर प्रदान की जानी थी। वसतिगृह भवन के निर्माण के लिए आदेश (दिसंबर 2017) के अनुसार भारत सरकार, राज्यों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच लागत साझेदारी अनुपात 60:15:25 निर्धारित किया गया था, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा तीन किस्तों अर्थात 50:40:10 के अनुपात में जारी किया जाना था। रहवासियों से प्राप्त किराया राशि का उपयोग संधारण, हाउसकीपिंग, सुरक्षा सेवाएँ, कार्यालयीन स्थापना, जल एवं विद्युत शुल्क तथा मेस व्यय को छोड़कर अन्य सहायक सेवाओं पर किया जाना था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ओल्ड पलासिया, इंदौर में वसतिगृह के निर्माण हेतु ₹7.18 करोड़ (भारत सरकार का अंश ₹4.34 करोड़ तथा राज्य शासन का अंश ₹2.84 करोड़) आवंटित किये गए।

2.8.1 एस.एन.ए. खाते में ₹47.94 लाख की अव्ययित राशि जमा न किया जाना

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निर्देश (मार्च 2021) के पैरा 13 के अनुसार, सभी स्तरों पर क्रियान्वयन एजेंसी अपने खातों में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को संबंधित स्टेट नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के खाते में वापस कर देंगे।

भारत सरकार ने इंदौर में 100 शैय्या क्षमता वाले वसतिगृह के निर्माण के लिए ₹813.47 लाख की राशि स्वीकृत की एवं इस उद्देश्य के लिए ₹718.65 लाख की राशि किश्तों में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (एम.पी.एच.आई.डी.बी.) के बैंक खाते में हस्तांतरित (जून 2019 एवं दिसंबर 2022 के बीच) की गई। अप्रैल 2024 में कार्य

पूर्ण किया गया एवं विभाग को हैण्ड ओवर कर दिया गया। निर्माण कार्य पर ₹670.71 लाख व्यय किए गए, जिसके पश्चात् ₹47.94 लाख की राशि एम.पी.एच.आई.डी.बी.के पास शेष रही।

यह देखा गया कि इस अव्ययित राशि के विरुद्ध ई.ई., एम.पी.एच.आई.डी.बी. ने ₹47.50 लाख[44] वापस कर दिए (अप्रैल 2024), जिसे विभाग द्वारा एस.एन.ए. खाते में जमा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभाग ने एस.एन.ए. खाते में ₹47.50 लाख की अव्ययित राशि जमा न करके भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया एवं एम.पी.एच.आई.डी.बी. से ₹0.44 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि ₹47.94 लाख का उपयोग जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वसतिगृह के फर्नीचर, आंतरिक साज-सज्जा एवं रसोई उपकरणों के लिए किया गया था, एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को प्रस्तुत (अप्रैल 2025) किया गया।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि ₹47.50 लाख की शेष राशि (अप्रैल 2024) जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, इंदौर (डी.पी.ओ.) के बैंक खाते में अंतरण से पूर्व ही, वसतिगृह हेतु ₹27.29 लाख मूल्य का फर्नीचर एम.पी.एच.आई.डी.बी. द्वारा क्रय (मार्च 2023) किया जा चुका था एवं उक्त शेष राशि के उपयोग के संबंध में कोई सहायक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आगे, अव्ययित राशि को एस.एन.ए. खाते में जमा न करना निर्धारित निधि प्रवाह तंत्र का उल्लंघन है।

2.8.2 जिला पंचायत, हरदा के पास ₹4.28 लाख की अव्ययित राशि लंबित रहना

योजना के दिशा-निर्देशों (1980) के पैरा 17 के अनुसार, अनुदान के किसी भी अव्ययित हिस्से को बिना किसी विलंब के भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए। आगे, भारत सरकार ने प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश शासन को निर्देश (अगस्त 2021) दिया कि वह क्रियान्वयन एजेंसी के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि पर ब्याज अथवा अन्य आय की गणना करें तथा पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी) को अग्रेषित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं जानकारियों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि हरदा में एक वसतिगृह के निर्माण के लिए नगर परिषद, हरदा को भारत सरकार से तीन किस्तों में ₹ 4,28,494 प्राप्त (दिसंबर 1988 एवं जून 1994 के बीच) हुए थे। निर्माण स्थल के लिए पहुंच मार्ग एवं सामग्री में मूल्य वृद्धि के संबंध में ठेकेदार की अनुचित मांग को स्वीकार न किए जाने के कारण वसतिगृह का निर्माण शुरू नहीं किया गया एवं यह राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (जेड.पी.), हरदा के बैंक खाते में (अक्तूबर, 2002 से) अप्रयुक्त पड़ी रही।

आगे, यह देखा गया कि न तो परियोजना को प्रारंभ करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी एवं न ही जिला पंचायत से अव्ययित राशि को एकत्र कर उसे भारत सरकार को वापस करने के लिए कोई कदम उठाया गया। यह वित्तीय प्रबंधन एवं निगरानी में गंभीर कमियों को इंगित करता है क्योंकि अनुदान बिना किसी उत्पादक उपयोग के दो दशकों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा, जो अनुदान के उद्देश्यों के अनुपलान न होने एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पालन में कमी को परिलक्षित करता है।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि राशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों[45] को जारी की गई थी, जिससे विभाग की प्रभावी निगरानी करने की क्षमता सीमित हो गई। एक अन्य उत्तर (जुलाई 2025) में, शासन ने अवगत कराया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदा से प्रत्युत्तर चाहा गया है एवं इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है।

---

44 वसतिगृह के निर्माण के लिए डी.पी.ओ. द्वारा संचालित एक खाते में।

45 एन.जी.ओ., सिविल सोसाईटी संगठन, मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग एवं उसके जिला कार्यक्रम अधिकारी सभी वसतिगृहों के संबंध में निगरानी, निर्माण की स्थिति की रिपोर्टिंग, अव्ययित राशि की वसूली एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.1*** में वर्णित है, के लिए उत्तरदायी थे।

अनुशंसा:

शासन सुधारात्मक कार्रवाई हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि के उपयोग की स्थिति की जांच के लिए एक एम.आई.एस. स्थापित कर सकता है ।

2.9 कामकाजी महिला वसतिगृहों का संचालन

भारत सरकार के अंतर्गत कामकाजी महिला वसतिगृह (वसतिगृह) योजना का उद्देश्य शहरी, अर्द्ध-शहरी अथवा यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवास प्रदान करना है। राज्य शासन भी इस पहल को राज्य वित्त पोषित वसतिगृह के माध्यम से सुदृढ़ करती है।

2.9.1 राज्य में वसतिगृह की स्थिति

वसतिगृहों की समुचित क्रियाशीलता, अधिभोग एवं रखरखाव उनके निर्धारित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुल 59 वसतिगृहों में से 57 को वर्ष 1974-75 से 2004-05 के बीच स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार की सहायता से 2017 के बाद केवल एक वसतिगृह[46] का निर्माण किया गया, जबकि एक अन्य[47] पूर्णतः राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित था। वसतिगृहों के संचालन के प्रबंधन में कमियों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

2.9.1.1 क्रियाशीलता का अवलोकन

वर्ष 1974-75 से 2023-24 के दौरान 59 वसतिगृह स्वीकृत किए गए थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.2*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा सभी 59 वसतिगृहों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसकी स्थिति (मार्च 2024 तक) नीचे ***तालिका-2.1*** में दिखाई गई है:

तालिका-2.1: राज्य में वसतिगृहों की स्थिति

वसतिगृह की स्थिति	वसतिगृह की संख्या	कुल शैय्या क्षमता
क्रियाशील	12	932
आंशिक रूप से क्रियाशील एवं आंशिक रूप से अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	1[48]	58
निर्माणाधीन	1[49]	100
अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	22	1310
अक्रियाशील	4	173
भवन निर्माण अपूर्ण	3	170
निर्माण कार्य अप्रारम्भ	1	48
अप्राप्य (अनट्रेस्ड)	3	52
जीर्ण-शीर्ण	5	290
ध्वस्त/ स्थल पर अन्य भवन निर्मित	6	286
खंडहर	1	100
महायोग	**59**	**3519**

स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन

46 ओल्ड पलासिया, इंदौर में 100 शैय्या क्षमता वाला वसतिगृह

47 स्वयंसिद्धा भोपाल

48 वसतिगृह, सिवनी के शेष भाग का उपयोग नगर परिषद, सिवनी के भंडार; जिला शहरी विकास अभिकरण (डी.यू.डी.ए.) कार्यालय; एवं आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है।

49 सखी निवास, ओल्ड पलासिया, इंदौर, अक्टूबर 2024 से अर्थात लेखापरीक्षा अवधि के बाद संचालित

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2024 तक 59 वसतिगृहों में से केवल 13 ही क्रियाशील/आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आगे, इन वसतिगृहों में कुल 990 शैय्या क्षमता उपलब्ध है, जो राज्य में स्वीकृत कुल शैय्या क्षमता (3,519) का 28.13 प्रतिशत है। इन 13 क्रियाशील वसतिगृहों के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (दिसंबर 2018) एक वसतिगृह अक्टूबर 2024[50] में क्रियाशील हुआ। तीन वसतिगृहों का निर्माण[51] 34 से 36 वर्षों से अपूर्ण बना हुआ है। वही, वर्ष 1988-89 में स्वीकृत एक अन्य वसतिगृह[52] का निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया जबकि इसके लिए आवंटित निधियों को एक अनधिकृत खाते में रखा गया जैसा कि ***कंडिका 2.8.2*** में उल्लिखित है।

वसतिगृहों की जिलेवार उपलब्धता की स्थिति ***मानचित्र-2.1*** में दर्शाई गई है

मानचित्र-2.1: राज्य में वसतिगृहों की जिलेवार

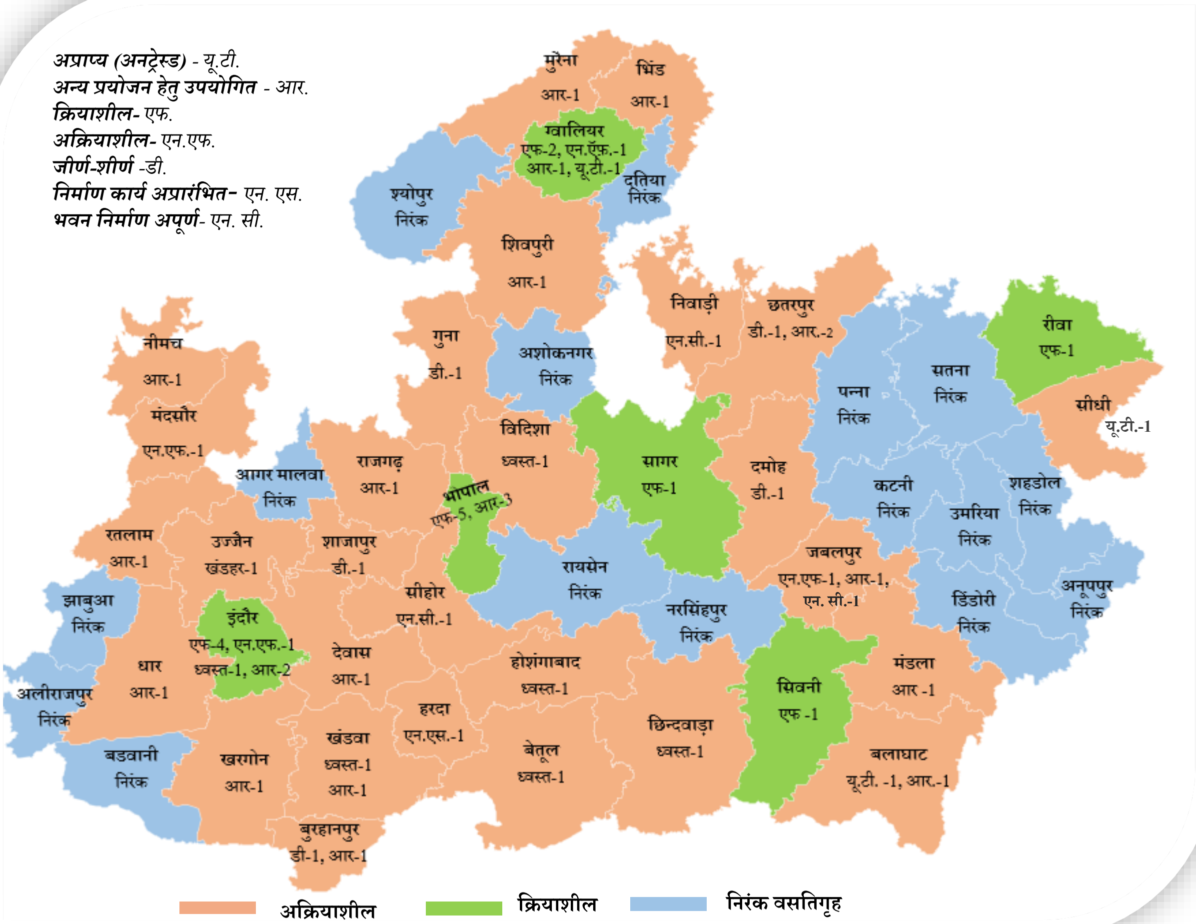

स्रोत: जे.पी.वी. एवं विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

मानचित्र से यह देखा जा सकता है कि वसतिगृह 34 जिलों में विद्यमान है, परन्तु केवल छ: जिलों में ही क्रियाशील है। राज्य में आवश्यक वसतिगृहों के निर्माण/किराये के लिए व्यवहार्य विकल्पों की संख्या का आकलन करने के भारत सरकार के निर्देशों (दिसंबर 2017) के बावजूद, शेष जिलों में वसतिगृह स्थापित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास कोई

[50] सखी निवास, ओल्ड पलासिया, इंदौर

[51] एस.ए.डी.ए. भेड़ाघाट, वसतिगृह निवाड़ी एवं सीहोर में

[52] हरदा में वसतिगृह

प्रस्ताव नहीं था, जो राज्य की कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति अप्रभावी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

यह आगे देखा गया कि उपरोक्त वसतिगृह में से चार, जिन्हें वर्ष 1989-1991 के दौरान स्वीकृत किया गया था, संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अपूर्ण छोड़ दिए गए थे। इन प्रकरणों में, या तो भवन ध्वस्त कर दिए गए थे, जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा पूर्ण किये गए एवं मूल रूप से इच्छित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में थे, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका-2.2*** में सारांशित किया गया है:

तालिका-2.2: वर्ष 1989-1991 के दौरान स्वीकृत अपूर्ण वसतिगृह

वसतिगृह सीहोर / नगर सुधार न्यास, सीहोर

- वर्ष 1988-89 में स्वीकृत
- स्वीकृत राशि ₹ 33.68 लाख
- ₹ 29.11 लाख व्यय किया गया
- अपूर्ण भवन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को आवंटित (अप्रैल 2021) किया गया था एवं इसका उपयोग सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया

वसतिगृह बैतूल/नगर परिषद बैतूल

- वर्ष 1988-89 में स्वीकृत
- स्वीकृत राशि ₹ 9.43 लाख
- ₹ 6.36 लाख व्यय किया गया
- कलेक्टर बैतूल के आदेश के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ध्वस्त किया गया

वसतिगृह, निवाड़ी/नगर परिषद निवाड़ी

- मार्च 1989 में स्वीकृत
- स्वीकृत राशि ₹ 5.59 लाख
- ₹ 4.09 लाख व्यय किया गया
- अपूर्ण वसतिगृह भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था

वसतिगृह भेड़ाघाट/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भेड़ाघाट

- वर्ष 1990-91 में स्वीकृत
- स्वीकृत राशि ₹ 7.69 लाख
- ₹ 2.31 लाख व्यय किया गया
- भारत सरकार ने आगे की किश्तें जारी नहीं की। नगर परिषद ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना एक सभागार का निर्माण किया

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितंबर 2025) एवं कहा कि इन वसतिगृहों के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां महिला एवं बाल विकास विभाग के नियंत्रण में नहीं थी। आगे, निर्माण पूरा न होने से जुड़े प्रकरण कई दशक पुराने हैं, जिससे जवाबदेही तय करना अथवा अभिलेखों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार, शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के वसतिगृहों की निगरानी, उचित उपयोग एवं विनियमन के संबंध में विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, जैसा की ***परिशिष्ट-2.1*** में वर्णित है।

2.9.1.2 वसतिगृहों के प्रबंधन में क्रियान्वयन एजेंसियों की स्थिति एवं प्रभावशीलता

निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, वसतिगृहों का प्रबंधन, क्रियान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी है। प्रबंधन के अंतर्गत आवास, रखरखाव, मरम्मत एवं वसतिगृह के भवनों/परिसरों का अनुरक्षण शामिल है।

वसतिगृहों के प्रबंधन में क्रियान्वयन एजेंसियों का विवरण नीचे ***चार्ट 2.5*** में दिया गया है:

चार्ट 2.5: फरवरी 2025 तक वसतिगृहों के प्रबंधन में क्रियान्वयन एजेंसियों की स्थिति

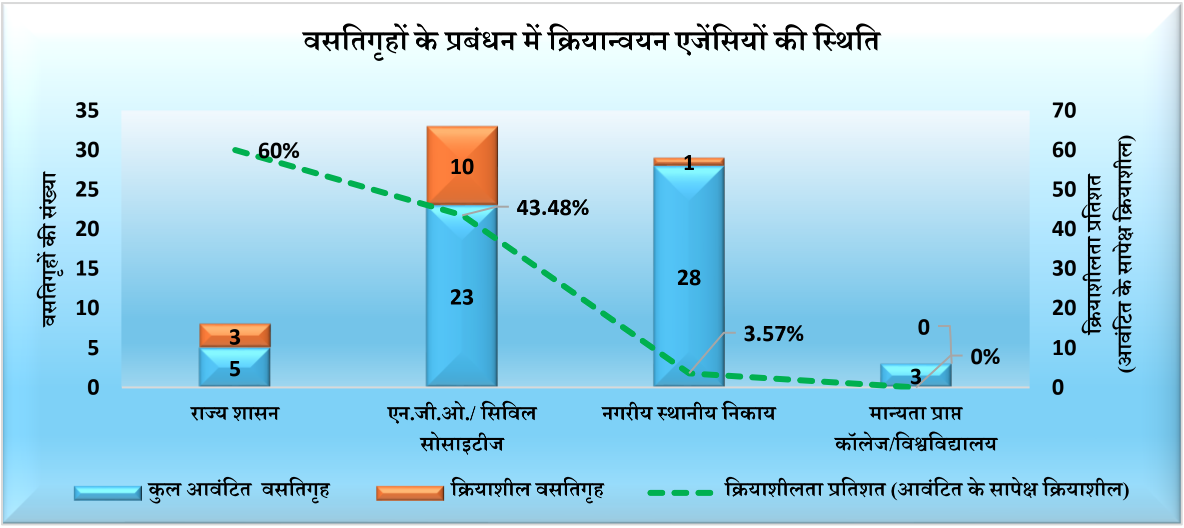

स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन

उपरोक्त से पता चलता है कि क्रियान्वयन एजेंसियों में, राज्य शासन की एजेंसियों की सफलता दर सबसे अधिक थी, जिनके आवंटित वसतिगृहों में से 60 प्रतिशत क्रियाशील थे, इसके बाद एन.जी.ओ./सिविल सोसायटियों की सफलता दर 43.48 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, नगरीय स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) की सफलता दर 3.57 प्रतिशत थी, जिसमें 28 में से केवल एक वसतिगृह आंशिक रूप से क्रियाशील था। मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को सौंपे गए सभी वसतिगृहों का उपयोग अन्य प्रयोजनों जैसे कि छात्रावासों के लिए किया गया, जिससे वे कामकाजी महिलाओं के लिए अनुपलब्ध रहे। आगे, यू.एल.बी. के अंतर्गत 96.43 प्रतिशत वसतिगृह (28 में से 27) अक्रियाशील थे अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए।

आगे, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर केवल शासन द्वारा संचालित तीन क्रियाशील वसतिगृहों की अधिभोग स्थिति उपलब्ध है, जबकि शेष वसतिगृह की स्थिति ऑनलाइन प्रकाशित नहीं की गई। ये निष्कर्ष, प्रबंधन में गंभीर कमियों को उजागर करते हैं, विशेष रूप से यू.एल.बी. स्तर पर, जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को कमजोर करते हैं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025 एवं जुलाई 2025) कि केवल तीन वसतिगृह (दो इंदौर में एवं एक भोपाल में) प्रत्यक्ष रूप से विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। जबकि शेष वसतिगृहों का प्रबंधन अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो विभाग के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिससे प्रभावी निरीक्षण अधिक चुनौतीपूर्ण है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ***परिशिष्ट-2.1*** में सूचीबद्ध निर्देशों के अनुसार, विभाग अपने जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ, वसतिगृहों की निगरानी, उनके कामकाज एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार था।

2.9.1.3 क्रियाशील वसतिगृहों में अधिभोग प्रवृत्ति

तेरह क्रियाशील वसतिगृहों[53] में से एक क्रियान्वयन एजेंसी[54] ने वसतिगृह का अधिभोग आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया, जबकि तीन[55] ने अधूरे आंकड़े प्रस्तुत किये। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शेष नौ वसतिगृहों की औसत अधिभोग दर 46 प्रतिशत थी। ***चार्ट 2.6*** वर्ष-वार अधिभोग प्रतिशत (प्रत्येक वर्ष मार्च में दर्ज) को दर्शाता है।

चार्ट 2.6: क्रियाशील वसतिगृहों में अधिभोग प्रवृत्ति

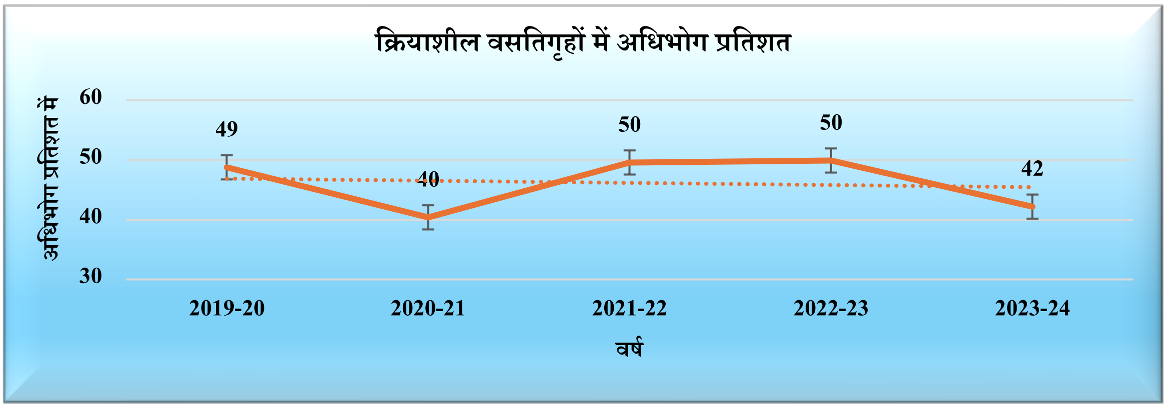

स्रोत: उपस्थिति रजिस्टर एवं वसतिगृहों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि अधिभोग दर 2019-20 में 49 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42 प्रतिशत हो गई। यह भी देखा गया कि 13 क्रियाशील वसतिगृहों में से केवल चार ने 2019-24 के दौरान अपने रहवासियों के व्यवसाय से संबंधित उचित प्रवेश अभिलेख संधारित किये। इन वसतिगृहों के आंकड़े रहवासियों के बीच छात्रों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को इंगित करते हैं। इन चार वसतिगृहों में छात्रों एवं कामकाजी महिलाओं के वर्ष-वार अधिभोग का विवरण ***चार्ट 2.7*** में दिया गया है:

[53] फरवरी 2025 तक, 14 वसतिगृह क्रियाशील थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केवल 13 ही क्रियाशील थे, क्योंकि एक वसतिगृह अक्टूबर 2024 से क्रियाशील हुआ।

[54] ग्वालियर स्थित वसतिगृह सं 2

[55] ग्वालियर स्थित इंदिरा गांधी वसतिगृह; भोपाल में गीतांजलि वसतिगृह एवं भोपाल में त्रिवेणी वसतिगृह ने क्रमशः 2019-24, 2021-24 एवं 2021-23 की अवधि के लिए जानकारी प्रदान नहीं की।

चार्ट 2.7: चार वसतिगृहों में छात्रों एवं कामकाजी महिलाओं का वर्षवार अधिभोग

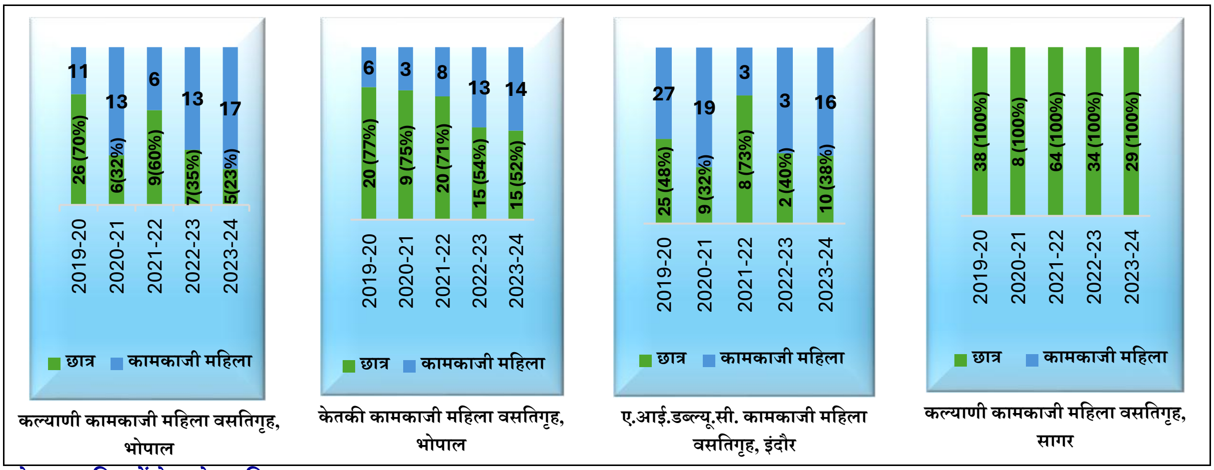

स्रोत: वसतिगृहों के प्रवेश रजिस्टर

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्रों की उल्लेखनीय संख्या यह दर्शाती है कि वसतिगृह मुख्य रूप से कामकाजी महिलाओं के बजाय छात्रों को आकर्षित कर रहे थे, एवं वसतिगृहों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कामकाजी महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं। यह भी आंकलित किया गया कि वसतिगृहों में कम अधिभोग के लिए निम्नलिखित बहुआयामी कारक जिम्मेदार हैं:

- **अत्यंत पुरानी अधोसंरचना:** हमने देखा कि 57 वसतिगृह वर्ष 2010 से पहले स्वीकृत/निर्मित किये गए थे तथा नियमित मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव के कारण वसतिगृहों की बिगड़ती स्थिति ने संभावित रहवासियों को हतोत्साहित किया, जैसा कि ***कंडिका 2.9.3.2*** में चर्चा की गई है।

- **आधुनिक सुविधाओं का अभाव:** बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति ने इन वसतिगृहों के आकर्षण को और कम कर दिया, जैसा कि ***कंडिका 2.9.3.1*** में चर्चा की गई है।

- **सीमित जन जागरूकता:** आयुक्त, महिला एवं बाल विकास ने राज्य के सभी कलेक्टरों को वसतिगृहों में कामकाजी महिलाओं को प्रवेश देने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश (अक्टूबर 1990) दिया। विज्ञापनों या जागरूकता अभियानों के लिए प्रेस नोट दो जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों[56] में पाए गए एवं समाचार पत्र में विज्ञापन केवल वसतिगृह, खरगोन द्वारा किया गया था। लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण में, 166[57] लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें वसतिगृह के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। इनमें से 133 (80.12 प्रतिशत) को मित्रों, रिश्तेदारों अथवा उनके संस्थानों (कॉलेज, विश्वविद्यालय, अकादमी आदि) से जानकारी प्राप्त हुई, जो कम जन जागरूकता को इंगित करते है। लाभार्थी सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं का सारांश नीचे ***चार्ट 2.8*** में दिखाया गया है:

[56] शाजापुर एवं देवास

[57] सर्वेक्षण किए गए 181 लाभार्थियों में से

चार्ट 2.8: वसतिगृह के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता का माध्यम

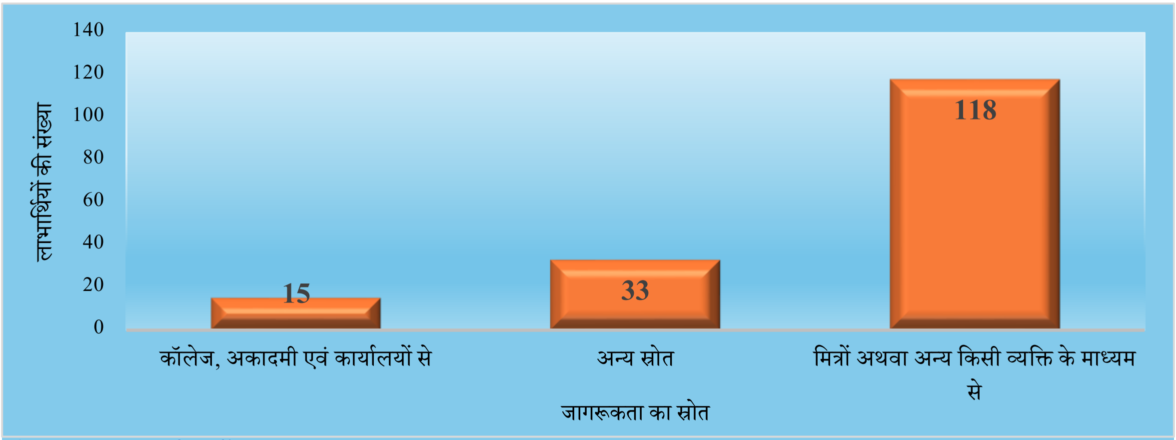

स्रोत: लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण

- **अक्रियाशील डे-केयर सेंटर:** संलग्न डे केयर सेंटेरों के बंद होने एवं उनके अभाव ने संभवतः कामकाजी महिलाओं की अधिभोग दर को प्रभावित किया जैसा कि ***कंडिका 2.9.2.3 (क)*** में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि लेखापरीक्षा को अधिभोग स्तरों का आकलन करते समय कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए।

हालाँकि कोविड-19 (2020-21) के प्रभाव को स्वीकार किया गया है, परंतु लेखापरीक्षा (2019-24) दर्शाता है कि महामारी से पहले एवं बाद में भी अधिभोग 50 प्रतिशत से नीचे बना रहा। आगे, 2022-23 तक, स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई थी; फिर भी, निष्क्रिय वसतिगृहों को पुनर्जीवित करने अथवा अधिभोग दर में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। साथ ही, विभाग अपने जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ निगरानी एवं अधिभोग बढ़ाने के लिए प्रवेश संबंधी सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में विवरणित किया गया है।

2.9.2 वसतिगृहों का संचालन

कामकाजी महिलाओं, विशेष रूप से उनको जो रोजगार के लिए शहरों में आती हैं, को सहयोग देने के लिए सुरक्षित एवं किफायती वसतिगृह आवश्यक हैं, एवं इन सुविधाओं का सही संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये सुविधाएं रहवासियों के हित से समझौता किए बिना प्रभावी रूप से सुरक्षा एवं किफायतीपन प्रदान करें।

योजना के दिशा-निर्देश के पैरा 8 (xiii) के अनुसार, यदि कोई क्रियान्वयन एजेंसी योजना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, किसी भी समय अस्तित्व में नहीं रहता है, अथवा वसतिगृह भवन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है, तो भवन सहित सरकारी अनुदान से सृजित सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार को वापस कर दी जाएंगी।

2.9.2.1 उपयोग का उल्लंघन

(क) वसतिगृह भवनों का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना

उक्त दिशा-निर्देश का पैरा 8(xxv) यह अनिवार्य करता है कि क्रियान्वयन एजेंसी को शासकीय अनुदान से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्राप्त सभी संपत्तियों के उचित अभिलेख संधारित करने होंगे, जिनका भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना निपटान, भारग्रस्त, अथवा निर्धारित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। पूर्वोक्त के पैरा 8(vi) के अनुसार, संगठनों को प्रत्येक किश्त जारी होने के समय शासकीय अनुदान की राशि के लिए अनुमोदित प्रारूप में एक बांड निष्पादित करना होगा, जो शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में 10 प्रतिशत वार्षिक दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान राशि की

वसूली सुनिश्चित करता हो। बांड के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से ब्याज के साथ संपूर्ण अथवा आंशिक अनुदान राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त के पैरा 8(xiv) में कहा गया है कि यदि क्रियान्वयन एजेंसी योजना के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है, तो राज्य शासन अथवा जिला महिला कल्याण समिति चूककर्ता क्रियान्वयन एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकती है। वे बांड में बनी सहमति के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान की वसूली के लिए सख्त विधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। किसी भी लंबित वसूली को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में माना जा सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, केवल छ: क्रियान्वयन एजेंसियों[58] ने एग्रीमेंट बॉन्ड प्रस्तुत किए। बॉन्ड में यह उल्लेख किया गया है कि अनधिकृत उपयोग (जैसे किराए पर देना अथवा इच्छित प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करना) से अर्जित किसी भी मौद्रिक लाभ को भारत सरकार को सौंपना होगा। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन अथवा अवहेलना के मामले में, क्रियान्वयन एजेंसी को प्राप्ति की तिथि से धन वापसी की तिथि तक न्यूनतम छ: प्रतिशत[59] प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ संपूर्ण अनुदान राशि वापस करनी होगी। स्वीकृति पत्रों में भी उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रावधान शामिल थे।

आगे, अभिलेखों की संवीक्षा एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 59 में से 22 कामकाजी महिला वसतिगृहों (37 प्रतिशत) का उपयोग भारत सरकार से पूर्व अथवा पश्चातवर्ती स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्धारित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट-2.3*** में दिया गया है तथा ***चार्ट 2.9*** में सारांशित किया गया है:

चार्ट 2.9: निर्धारित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किए गए वसतिगृह

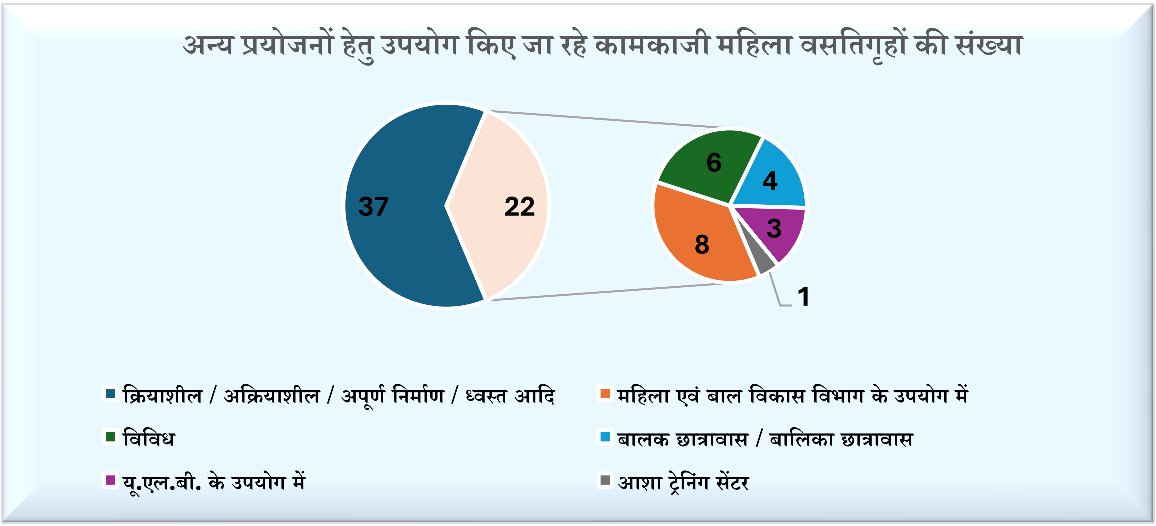

स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी/ क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेख

परिशिष्ट-2.3 से, यह स्पष्ट है कि कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए भारत सरकार ने वसतिगृहों के निर्माण हेतु ₹3.04 करोड़[60] की वित्तीय सहायता प्रदान की। हालाँकि, इन वसतिगृहों का उपयोग इसके बजाय अन्य कार्यालयों, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के संचालन के लिए किया गया।

[58] खरगोन, भारतीय ग्रामीण महिला संघ इंदौर, नगर परिषद निवाड़ी, एम.पी. महिला कर्मचारी कल्याण केंद्र भोपाल, जी.एम.सी. भोपाल एवं सागर के वसतिगृह

[59] पाँच बॉन्ड में छ: प्रतिशत (2004-05 से पहले) एवं एक में 10 प्रतिशत (2004-05 से) का प्रावधान है।

[60] 22 में से छ: वसतिगृहों के पास भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान से संबंधित अभिलेख नहीं थे।

यह इंगित किये जाने पर, संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों ने कामकाजी महिलाओं को वसतिगृहों में आवास प्राप्त करने में सहायता हेतु शासकीय सहयोग की आवश्यकता व्यक्त की, जो इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। उन्होंने उपरोक्त उल्लंघनों के कारणों के रूप में जागरूकता की कमी एवं स्पष्ट नियमों के अभाव का भी उल्लेख किया।

उपरोक्त तथ्य कामकाजी महिलाओं को वसतिगृह सुविधा प्रदान करने के प्रति महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाते है। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि क्रियान्वयन एजेंसियों/जिला अधिकारियों ने मौद्रिक लाभ अर्जित करने के लिए वसतिगृहों को अनधिकृत प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया था। विशिष्ट प्रकरणों में शामिल हैं:

- खरगोन में, वसतिगृह का भूतल जनवरी 2019 से ₹23,575 प्रति माह के किराए पर लोक निर्माण विभाग (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को दिया गया।
- धार में, वसतिगृह को नवंबर 1991 से वर्ष 2011-12 तक खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) को ₹5,300 प्रति माह की दर से किराए पर दिया गया।
- सिवनी में, भूतल पर 14 कमरे तथा सम्पूर्ण प्रथम तल डी.यू.डी.ए. एवं एक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को जुलाई 2019 से ₹9,000 प्रति माह किराए पर दिया गया।
- बिजावर में, भूतल को जुलाई 2017 से ₹3,025 प्रति माह की दर से एक स्कूल को किराए पर दिया गया, जबकि प्रथम तल को अक्टूबर 2004 से ₹2,000 प्रति माह की दर पर एक अन्य स्कूल को किराये पर दिया गया।

ये उल्लंघन राज्य शासन, जिला अधिकारियों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन को दर्शाते हैं। परिसंपत्तियों का दुरुपयोग, अनुदान की शर्तों का अनुपालन न करना एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की स्वीकृति का अभाव, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित परिसर प्रदान करने हेतु, योजना के उद्देश्यों से एक महत्वपूर्ण विचलन को इंगित करते है।

(ख) कामकाजी महिला वसतिगृह भवनों का अनधिकृत ध्वस्तीकरण एवं उन्हें नए कार्यालय अथवा अस्पताल संरचनाओं से प्रतिस्थापित करना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त 22 वसतिगृहों के अतिरिक्त, राज्य भर में पांच अन्य वसतिगृहों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया एवं भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उन्हें अस्पताल एवं कार्यालय के उपयोग हेतु नई संरचनाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- **इंदौर:** भारत सरकार ने 51-शैय्या क्षमता वाले वसतिगृह के निर्माण को स्वीकृति (1988-89) प्रदान की, जिसके लिए ₹9,88,489 स्वीकृत किए गए, जिनमें से ₹ 7,11,469 जारी किए गए। हालाँकि, रेड क्रॉस सोसाइटी (क्रियान्वयन एजेंसी) ने शेष धनराशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण निर्माण अपूर्ण रह गया। अधूरा फर्श एवं विद्युतीकरण न होने के कारण वसतिगृह (अगस्त 2000 तक) उपयोग के लिए अनुपयुक्त रहा। अनधिकृत रहवासियों[61] ने भवन के कुछ हिस्सों का उपयोग किया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वसतिगृह का संचालन (अगस्त 2000) मातृशक्ति संवर्धन शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र (एम.एस.एस.पी.के.) को, अपना स्वामित्व बनाए रखते हुये एवं ₹ 33.35 लाख का निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हुये, हस्तांतरित कर दिया। एम.एस.एस.पी.के. ने जुलाई 2002 में वसतिगृह शुरू किया लेकिन योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कामकाजी महिलाओं के स्थान पर छात्रों को आवास प्रदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव के रूप में कार्यरत अपर कलेक्टर ने भारत सरकार की अनिवार्य स्वीकृति के बिना इस कामकाजी महिला वसतिगृह के ध्वस्तीकरण की स्वीकृति (सितंबर 2021) दी। संयुक्त भौतिक सत्यापन

[61] रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारी, तथा भूतल के कुछ कमरों का उपयोग राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए किया गया था।

(नवंबर 2024) में पुष्टि की गई कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने इंदौर स्थित वसतिगृह भवन का ध्वस्तीकरण (सितंबर 2021) किया एवं जिला प्रशासन के सहयोग से एक फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के तहत इसे 'सुश्रुत रेड क्रॉस डायलिसिस एवं थैलेसीमिया सेंटर' से प्रतिस्थापित कर दिया। एक ठेकेदार ने ₹ 2,01,000 में संरचना का ध्वस्तीकरण किया, एवं रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस प्राप्त राशि को अपने पास रख लिया।

- **विदिशा:** वर्ष 1979-80 में, भारत सरकार ने नगर पालिका परिषद, विदिशा को एक वसतिगृह स्वीकृत किया, एवं इसके निर्माण हेतु ₹3,73,176 की स्वीकृति प्रदान की। इस भवन में 32 कमरे (भूतल पर 16 एवं प्रथम तल पर 16) थे एवं यह 1991 में क्रियाशील हो गया। नवंबर 2015 में, नीमताल चौराहे के चौड़ीकरण तथा भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति का हवाला देते हुए, नगर पालिका परिषद ने इस संरचना को ध्वस्त किया। हालाँकि, यह कार्य भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2025) में, हमने देखा कि वसतिगृह के स्थान पर संत रविदास समाज धर्मशाला एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कर दिया गया था
- **छिंदवाड़ा:** 1978-79 में, भारत सरकार ने नगर पालिका परिषद, छिंदवाड़ा (अब नगर निगम) को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में 30-शैय्या क्षमता वाला वसतिगृह स्वीकृत किया। हालाँकि, क्रियान्वयन एजेंसी ने स्थापित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एवं भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वसतिगृह भवन को सुश्री संध्या काले के नेतृत्व वाली एक समिति को 35 महीनों के लिए ₹500 प्रति माह पर पट्टे पर (जनवरी 1999) दे दिया। जनवरी 2014 में, जिला प्रशासन की सहायता से अधिकारियों द्वारा भवन खाली कराया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2025) में हमने देखा कि भवन का ध्वस्तीकरण कर दिया गया था तथा नगर निगम के एक नए कार्यालय का निर्माण (जून 2024) कर दिया गया था। संपत्ति के निपटान हेतु भारत सरकार की स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- **खंडवा एवं इटारसी (होशंगाबाद):** लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि खंडवा में वसतिगृह भवन को नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा के निर्माण के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, इटारसी (होशंगाबाद) में वसतिगृह भवन को एम.जी.एम. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इटारसी के लिए बालिकाओं के छात्रावास में परिवर्तित कर दिया गया था। दोनों ही प्रकरणों में, वसतिगृह भवनों को भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ध्वस्त किया गया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंडवा ने उत्तर (जनवरी 2025) दिया कि वसतिगृह को इसकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति एवं जिला अस्पताल, खंडवा के विस्तार के कारण ध्वस्त किया गया। हालांकि,जिला कार्यक्रम अधिकारी, होशंगाबाद ने उत्तर (दिसंबर 2024) दिया कि कलेक्टर, होशंगाबाद के आदेश से, बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए एम.जी.एम. पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज को भूमि का स्वामित्व दिया गया था।

अपूर्ण निर्माण, भवन का अनधिकृत उपयोग, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना संचालन का हस्तांतरण एवं भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अस्पताल/ कार्यालय/ बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए वसतिगृह भवन को ध्वस्त करने सहित कार्यों की श्रृंखला भारत सरकार की धनराशि के गंभीर कुप्रबंधन एवं दुरुपयोग को दर्शाती हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार को योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(ग) वसतिगृह भवन के भवन अनुज्ञा का उपयोग अस्पताल के पंजीकरण हेतु किया जाना

भारत सरकार द्वारा कामकाजी महिला वसतिगृह योजना के अंतर्गत स्वीकृत (1988-89) वसतिगृह के निर्माण हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी, भोपाल को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया। सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वसतिगृह का निर्माण 1998 में पूर्ण हुआ था एवं वसतिगृह दिसंबर 2012 तक क्रियाशील था।

हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, यह पाया गया कि वसतिगृह के लिए निर्धारित भूमि पर सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल संचालित था। इसके अलावा, वसतिगृह भवन के लिए नगर निगम, भोपाल द्वारा जारी (मार्च 1994) भवन अनुज्ञा का उपयोग सोसायटी द्वारा अस्पताल के पंजीकरण के लिए किया गया।

आवश्यक स्वीकृतियों के बिना वसतिगृह का अस्पताल में अनुचित परिवर्तन, योजना के दिशा-निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है, एवं प्रशासन में भारी कमियों, वित्तीय अव्यवस्था, एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संभावित कदाचार की ओर इशारा करता है। सार्वजनिक संपत्तियों के अनुचित उपयोग के साथ-साथ अनुदानों के प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है, एवं जवाबदेही तय करने हेतु उचित उपायों की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है।

(घ) वसतिगृह के संचालन को अनधिकृत रूप से बंद किया जाना

संक्युक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि पगनिस पागा, इंदौर में स्थित तथा 2006 में क्रियान्वयन एजेंसी बाल निकेतन संघ (बी.एन.एस.) द्वारा ₹11,70,202 की लागत से निर्मित एक वसतिगृह 2020 से असंचालित था। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से, स्कूल, जो कि वसति गृह के परिसर में ही स्थापित था, को सी.बी.एस.ई.द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जो यह अनिवार्य करता है कि स्कूल परिसर में कोई अन्य गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती । परिणामस्वरूप, यह संस्था कामकाजी महिला वसतिगृह का संचालन करने में असमर्थ रही।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इस भवन का उपयोग अब कामकाजी महिला वसतिगृह के रूप में नहीं किया जाएगा। लागू दिशा-निर्देशों तथा अनुदान की शर्तों के अनुसार, क्रियान्वयन एजेंसी को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से निर्मित सभी संपत्तियों को वापस करना आवश्यक है।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि प्रयोजन बदलने, ध्वस्तीकरण, एवं अनधिकृत रूप से बंद करने से जुड़े प्रकरण कई दशक पुराने हैं, जिससे जवाबदेही तय करना अथवा मूल दस्तावेजों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ***परिशिष्ट-2.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार, विभाग एवं उनके जिला कार्यक्रम अधिकारी निगरानी करने, त्रैमासिक/अर्धवार्षिक रिपोर्ट[62] प्रस्तुत करने, निर्धारित उपयोग सुनिश्चित करने, तथा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे।

2.9.2.2 संरचनात्मक/विधिक उल्लंघन

(क) वसतिगृहों में अनधिकृत परिवर्तन

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 8(xi) के अनुसार, एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, वसतिगृह भवन का निर्माण परियोजना स्वीकृति समिति (पी.एस.सी.) द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार किया जाएगा तथा प्लान में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हालांकि, अपरिहार्य परिस्थितियों में, यदि भवन प्लान में परिवर्तन आवश्यक हो, तो इसे पी.एस.सी. के विचारार्थ राज्य शासन को भेजा जाएगा। यह योजना वसतिगृह के कमरों को भी विशिष्ट श्रेणियों अर्थात एकल कमरे (बाथरूम सहित तथा रहित), डबल कमरे (बाथरूम सहित तथा रहित), तीन सीटर वाले कमरे, तथा डोर्मिटरीज में वर्गीकृत करती है।

[62] अर्धवार्षिक रिपोर्ट में मुख्य जानकारी शामिल होती है, जैसे कि वसतिगृह का विवरण, शैय्या क्षमता एवं वास्तविक रहवासियों की संख्या, प्रतीक्षारत सूची, एच.एम.सी. का विवरण, किराया संबंधी विवरण, कर्मचारी उपलब्धता एवं शिकायतें।

जन विकास न्यास, कैंसर अस्पताल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर द्वारा संचालित वसतिगृह क्रमांक 2, ग्वालियर, जिसे वर्ष 1978-79 में 48 कमरों के लिए स्वीकृत किया गया था, के संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- क्रियान्वयन एजेंसी (जन विकास न्यास) ने वसतिगृह के दो कमरों को मिलाकर एक दो-कमरे का ब्लॉक बना दिया।
- पाँच कमरे उन कामकाजी महिलाओं को आवंटित किए गए जिनके परिवार उसी शहर में रहते थे अथवा उनके साथ निवास करते थे, जो कि दिशा-निर्देशों के उस प्रावधान का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि लाभार्थी महिलाओं के पति अथवा निकटतम परिवार उसी शहर/क्षेत्र में निवासरत न हों।
- दो कमरे कामकाजी पुरुषों को भी आवंटित किए गए।
- इसके अतिरिक्त, दो कामकाजी महिलाएँ 12 से 18 वर्ष के बालकों के साथ एवं एक कामकाजी महिला 24 वर्ष की बालिका के साथ निवास करती पाई गईं, जो साथ में रहने वाले बच्चों की निर्धारित आयु सीमा[63] के दिशा-निर्देश का उल्लंघन है।
- हमने यह भी पाया कि जन विकास न्यास, ग्वालियर ने वसतिगृह में कमरों को विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अन्य कामकाजी महिलाओं को छोड़कर केवल अपने से संबद्ध कर्मचारियों को ही आवंटित किया था। यह प्रथा स्थापित नियमों का उल्लंघन करती है एवं पात्र लाभार्थियों की पहुंच को प्रतिबंधित करती है।

इन अनधिकृत संशोधनों के कारण, जैसे कि, दो कमरों को मिलाकर एक दो कमरों वाला ब्लॉक बनाना, लक्षित लाभार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को ठहराने से कामकाजी महिलाओं के लिए किफायती आवास एवं संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हुई। ये परिवर्तन बिना अनुमति के किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप योजना के दिशा-निर्देशों का गैर-अनुपालन एवं संभावित विनियामक चुनौतियां उत्पन्न हुईं। अनुमोदित लेआउट से विचलन, वसतिगृह संचालन के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। ये निष्कर्ष योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित प्लान के सख्त पालन तथा किसी भी संशोधन हेतु आवश्यक अनुमति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। यह प्रथा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं निजता से समझौता करने का जोखिम उत्पन्न करती है।

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2025) कि अन्य विभागों के अंतर्गत आने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों पर विभाग का नियंत्रण सीमित है तथा ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता बताई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं भारत सरकार द्वारा (वर्ष 2021 में) महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

(ख) अप्राप्य (अनट्रेस्ड) कामकाजी महिला वसतिगृह

दिशा-निर्देशों का पैरा 13.1 बताता है कि इस योजना के अंतर्गत वसतिगृहों के कामकाज की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रेषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को इन वसतिगृहों की स्थिति तथा संचालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश (1989) दिया।

63 18 वर्ष तक की बालिका एवं पांच वर्ष की आयु तक के बालक कामकाजी माताओं के साथ रह सकते हैं।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई एवं नवम्बर 2024) के दौरान, तीन वसतिगृह[64], जिन्हें इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण बताया गया था, अप्राप्य पाये गए। बालाघाट एवं ग्वालियर के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इनके अस्तित्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीधी ने बताया कि वसतिगृह, जिसे शिव शिक्षा समिति को चुरहट, सीधी में ₹ 7.50 लाख की स्वीकृत लागत राशि के साथ स्वीकृत (1991) किया गया था, चंदैनी में एक भिन्न स्थान पर स्थापित किया जा रहा था, जो चुरहट से 21 कि.मी. दूर है। वसतिगृह के स्थानांतरण के समर्थन में कोई औपचारिक स्पष्टीकरण अथवा समर्थित अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे।

बिना किसी समर्थित अभिलेखों के यह परिवर्तन मूल वसतिगृह भवन की वास्तविक स्थिति को भ्रमित करने एवं छिपाने के जानबूझकर किये गए प्रयास को इंगित करता है।

इन वसतिगृहों का पता न चल पाना निधि के गलत आवंटन अथवा संभावित दुरुपयोग के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इन वसतिगृहों का निर्माण कभी किया ही नहीं गया, जो या तो धन के गबन अथवा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी में प्रशासनिक लापरवाही की ओर संकेत करता है।

शासन ने उत्तर (सितम्बर 2025) दिया कि विभाग इन वसतिगृहों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग तथा उसके जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय पर निरीक्षण नहीं किए गए अथवा न ही अनिवार्य त्रैमासिक/अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये गए, जैसा कि दिशा-निर्देशों एवं ***कंडिका 2.10.1.2*** में रेखांकित है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कुछ वसतिगृह अप्राप्य हो गये।

2.9.2.3 परिचालन संबंधी मुद्दे

(क) डे केयर सेंटर का क्रियाशील न होना

दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक 5 (iv) के अनुसार, वसतिगृहों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान अनिवार्य होगा। सामान्यतः 100 शैय्या क्षमता वाले वसतिगृह हेतु 30 बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान किया जाना चाहिए। डे-केयर सेंटर में एक छोटे बाथरूम सहित प्रत्येक बच्चे के लिए 15 से 20 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए |

इसके अतिरिक्त, विनियमन 2016 का नियम 12.32 अनिवार्य करता है कि वसतिगृहों में डे केयर सेंटर स्वच्छ, अच्छी तरह से हवादार, तथा बाहरी खेल क्षेत्र एवं उपयुक्त शैक्षिक तथा मनोरंजक सामग्रियों से सुसज्जित होने चाहिए।

मध्य प्रदेश में वसतिगृह के साथ 11 डे-केयर सेंटर स्वीकृत किए गए थे। हालाँकि, क्रियाशील पांच वसतिगृहों[65] के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, जहां भारत सरकार द्वारा डे- केयर सेंटर स्वीकृत किया गया था, कोई भी डे-केयर सेंटर क्रियाशील नहीं पाया गया।

डे केयर सेंटरों का क्रियाशील न होना निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के विषय में चिंताएं उत्पन्न करता है, जिन्हें बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता वाली कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है। इन सुविधाओं के अभाव से संभावित रहवासियों के बीच वसतिगृहों में रहने के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो सकती है, जो संभावित रूप से उपलब्ध वसतिगृह अधोसंरचना के अल्प-उपयोग में योगदान देता है। ये मुद्दे सीधे तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृह के एक व्यवहार्य

---

[64] 1. ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, एम.पी. शाखा, ग्वालियर (1994-95 में स्वीकृत), 2. शिव शिक्षा समिति चुरहट, सीधी (1983-84 में स्वीकृत), एवं 3. साडा बालाघाट (1990-91 में स्वीकृत).

[65] बी.एच.ई.एल. ग्राम विकास सेवा समिति (भोपाल), ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, एम.पी. शाखा (ग्वालियर), ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस (इंदौर), एम.पी. शासकीय कर्मचारी कल्याण केंद्र (भोपाल), महिला चेतना मंच कल्याणी होस्टल (भोपाल)।

गंतव्य होने की क्षमता को प्रभावित करते हैं एवं वसतिगृहों के अधिभोग स्तर को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके लक्षित उद्देश्य कमतर होते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा अक्रियाशील डे-केयर सेंटर से संबंधित अभिलेख एवं जानकारी चाही (अक्टूबर 2024) गयी। हालाँकि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की, जिससे आगे का विश्लेषण सीमित हो गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2025) दिया कि वसतिगृह अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं; विभाग द्वारा संचालित वसतिगृहों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर का प्रावधान है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भले ही वसतिगृह का प्रबंधन किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जा रहा हो, फिर भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी विनियम 2016 तथा पूर्व में जारी निर्देशों, के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास वसतिगृह के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में उल्लिखित है।

(ख) वसतिगृह में निर्धारित अवधि से अधिक निवास

योजना के दिशा-निर्देशों की कंडिका 4 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत किसी भी कामकाजी महिला को तीन वर्ष से अधिक समय तक वसतिगृह में रहने की अनुमति नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में जिला प्रशासन लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए एक बार में अधिकतम छ: माह तक की अवधि के लिए विस्तार की अनुमति दे सकता है। तथापि, सभी विस्तारों सहित कुल निवास अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

तेरह क्रियाशील वसतिगृहों के रहवासियों के बीच किये गए लाभार्थी सर्वेक्षण से यह पाया गया कि 18 रहवासी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तीन/पाँच वर्ष की अधिकतम सीमा से अधिक समय तक वसतिगृहों में निवास कर रही थी। विवरण ***तालिका-2.3*** में दिया गया है।

तालिका-2.3: निर्धारित अवधि से अधिक समय तक निवास करने वाले लाभार्थियों का विवरण

जिला	वसतिगृह का नाम	तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निवासरत लाभार्थियों की कुल संख्या	निवास अवधि (वर्ष)
इंदौर	अखिल भारतीय महिला सभा	2	06-07
भोपाल	गीतांजली वसतिगृह	2	05-07
भोपाल	कल्याणी वसतिगृह	2	05-15
भोपाल	केतकी वसतिगृह	3	05-08
भोपाल	त्रिवेणी वसतिगृह	4	06-08
सिवनी	वसतिगृह सिवनी	5	04-29
कुल		**18**	

स्रोत: वसतिगृह का लाभार्थी सर्वेक्षण

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदाय किए गए अभिलेखों में इन विस्तारित प्रवासों अथवा छात्रों को ठहराने का औचित्य सिद्ध करने वाला कोई अभिलिखित प्रमाण अथवा जिला प्रशासन से अनुमोदन नहीं मिला। यह योजना के दिशा-निर्देशों के पालन में एक गंभीर चूक को दर्शाता है।

शासन ने आश्वासन (सितम्बर 2025) दिया कि इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा।

2.9.2.4 सुरक्षा/संरक्षा

(क) वसतिगृहों में सुरक्षा संबंधी खामियां

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 8(xxxii) के अनुसार, कम से कम 15 दिवसों के वीडियो बैकअप के साथ मुख्य पहुंच द्वार, प्रवेश बिंदुओं, एवं परिसर के चारों ओर सी.सी.टी.वी. स्थापित किए जाने चाहिए। आवासियों के उपस्थिति रजिस्टर तथा बच्चों की माताओं के संपर्क विवरण वसतिगृह में रखे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पैरा 8(xxxi) एवं महिला वसतिगृह (प्रवेश) नियम, 2015 का नियम 12.30, निर्दिष्ट करता हैं कि गार्ड के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों पर विचार किया जा सकता है, एवं बाहरी कर्तव्यों के लिए पुरुष चौकीदार नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि महिलाओं को वार्डन एवं आंतरिक चौकीदार के रूप में सेवा देनी चाहिए। इसके अलावा, महिला वसतिगृह (प्रवेश) नियम, 2015 का नियम 10.3, सुरक्षा कारणों से आगंतुक रजिस्टर में विशिष्ट विवरण जैसे नाम, संबंध, मूल स्थान, समय, फोन नंबर, तथा हस्ताक्षर दर्ज करना अनिवार्य करता है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं जानकारियों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

- आल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस वसतिगृह, इंदौर (ए.आई.डब्ल्यू.सी.) एवं सुरभि वसतिगृह रीवा में केवल एक पुरुष चौकीदार की नियुक्ति की गई थी, जिससे दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
- इसके अलावा, दो वसतिगृहों[66] में केवल एक महिला चौकीदार को आंतरिक एवं बाहरी ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था, जो 24 घंटे की निगरानी एवं सुरक्षा ड्यूटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में चिंता उत्पन्न करता है।
- वसतिगृह सागर में 24 घंटे की सुरक्षा के लिए एक ही महिला को वार्डन तथा चौकीदार दोनों के रूप में नियुक्त किया गया था एवं वसतिगृह सिवनी में कोई चौकीदार नियुक्त नहीं था। परीक्षण हेतु जांचे गए महीनों मार्च 2021, मार्च 2022 एवं मार्च 2024 में प्रगति महिला केंद्र, इंदौर के वसतिगृह में वार्डन उपलब्ध नहीं थी।
- वसतिगृह सागर एवं प्रगति महिला केंद्र इंदौर ने आगंतुक रजिस्टर का संधारण नहीं किया, जो संभावित सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करता है। क्रियाशील 13 वसतिगृहों में से, त्रिवेणी वसतिगृह, भोपाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, चार वसतिगृहों[67] के कार्यालय प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित नहीं था।
- केतकी वसतिगृह भोपाल में, चारदीवारी या तो क्षतिग्रस्त हो गई थी अथवा लोहे की चादरों से ढकी हुई थी। इसके अतिरिक्त, छः वसतिगृहों[68] ने रहवासियों के लिए उपस्थिति पंजी संधारित नहीं की।

---

66 सखी निवास, के.ई.एच. इंदौर तथा प्रगति महिला केंद्र इंदौर

67 हॉस्टल नंबर 2, जन विकास न्यास, ग्वालियर, कल्याणी वसतिगृह सागर, सुरभि वसतिगृह रीवा एवं वसतिगृह सिवनी.

68 रीवा एवं सिवनी में वसतिगृह, वसतिगृह नं. 2 जन विकास न्यास ग्वालियर, गीतांजलि वसतिगृह भोपाल, त्रिवेणी वसतिगृह भेल, भोपाल एवं स्वयंसिद्धा, वसतिगृह भोपाल

चित्र-2.1: केतकी वसतिगृह, भोपाल में लोहे एवं प्लास्टिक की चादर से ढकी टूटी चारदीवारी

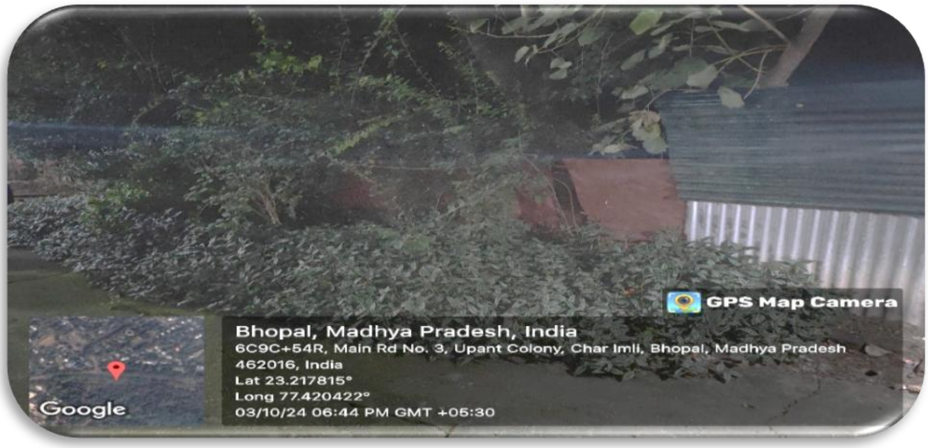

इस संबंध में इंगित (दिसंबर 2024) किए जाने पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों ने वसतिगृह की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला दिया एवं आश्वासन दिया कि वे भविष्य में नियमों का पालन करेंगे।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि ये कमियाँ, विशेष रूप से वार्डनों की अनुपस्थिति, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई थीं।

यद्यपि कोविड-19 (2020–21) के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है, तथापि लेखापरीक्षा (2019–24) में यह पाया गया कि मार्च 2024 में सामान्य स्थिति बहाल होने के पश्चात भी उपर्युक्त समस्याएँ निरंतर बनी रहीं।

इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वसतिगृह में केवल एक चौकीदार पर निर्भर रहना, निरंतर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य नहीं है। पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की कमी, सी.सी.टी.वी. का अभाव, क्षतिग्रस्त चारदीवारी एवं पंजियों के असंधारण से सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे भविष्य में संभावित सुरक्षा चूक की स्थिति बन सकती है।

2.9.3 वसतिगृह में आवास की गुणवत्ता

योजना दिशा-निर्देशों का पैरा 8 एवं अनुलग्नक 5 (iv) वसतिगृहों में आवास के प्रावधानों को रेखांकित करते हैं, जिसका सारांश नीचे ***तालिका-2.4*** में दिया गया है:

तालिका-2.4: योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सारांश

योजना दिशा-निर्देशों का पैरा क्र.	प्रावधान
पैरा 8(viii)	वर्षा जल संचयन की उपलब्धता एवं दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं अनिवार्य हैं।
पैरा 8 (x)	उचित क्षमता वाली वॉशिंग मशीनों एवं गीजर/सौर जल तापन प्रणाली की उपलब्धता।
पैरा 8 (xxxii)	सी.सी.टी.वी., प्राथमिक उपचार चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
अनुलग्नक 5 (iv)	भोजन कक्ष, भंडार, वार्डन क्वार्टर, चारदीवारी, रोगी कक्ष एवं मनोरंजन कक्ष की उपलब्धता।
पैरा 8(xx)	क्रियान्वयन एजेंसी, भवन पर वसतिगृह का नाम एवं पृष्ठांकन "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त" को अंग्रेजी एवं हिंदी/राज्य अथवा क्षेत्र की अधिकारिक भाषा में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगी।

मई 2024 एवं जनवरी 2025 के बीच किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध 13 क्रियाशील वसतिगृहों में आवास की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने प्रदान की गई सुविधाओं के साथ संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए इन वसतिगृहों में रहने वाले 181 लाभार्थियों का साक्षात्कार भी लिया। क्रियाशील वसतिगृहों की अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं में कई कमियां देखी गईं, जिनका विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

2.9.3.1 वसतिगृह के अधोसंरचना में कमियां

कई अधोसंरचना कमियाँ पहचानी गई, जिनका सारांश नीचे ***तालिका-2.5*** में दिया है एवं विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-2.4*** में दिया गया है:

तालिका-2.5: क्रियाशील वसतिगृहों में अधोसंरचना की कमियों का सारांश

सुविधा की अनुपलब्धता	वसतिगृह की संख्या	सुविधा की अनुपलब्धता	वसतिगृहों की संख्या
वसतिगृह में "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त" दर्शाने वाला प्रदर्शक पट्ट	11	चिकित्सा/ रोगी कक्ष	7
दिव्यांगों के अनुकूल अधोसंरचना	10	मनोरंजन कक्ष	6
वर्षा जल संचयन	10	भोजन कक्ष	5
वाशिंग मशीन	9	वार्डन क्वार्टर	5
आगंतुक कक्ष	8	भंडार	4
गीजर/सौर जल तापन	7	चारदीवारी	1
प्राथमिक उपचार चिकित्सा	7		

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं वसतिगृहों द्वारा दी गई जानकारी)

दिशा-निर्देशों के बावजूद, यह पाया गया कि निरीक्षण किए गए वसतिगृहों में से केवल तीन[69] में दिव्यांग अनुकूल अधोसंरचना थी एवं सभी वसतिगृहों में विद्युत बैकअप सुविधाओं का पूरी तरह अभाव था।

शासन ने इस पर कोई टिप्पणी (जुलाई 2025) नहीं दी।

2.9.3.2 वसतिगृहों का अनुचित रख-रखाव

दिशा-निर्देशों के पैरा 8(xxix) के अनुसार, वसतिगृहों का नियमित रखरखाव, मरम्मत एवं देखभाल करना क्रियान्वयन एजेंसी (शासन/गैर-सरकारी संगठन/संस्था) की जिम्मेदारी है, ताकि भवन एवं उसकी सुविधाएँ अच्छी स्थिति में बनी रहें। दिशा-निर्देश में यह भी उल्लेख है कि इसके लिए एक उपयुक्त राशि की गणना कर उसे वसतिगृह प्रबंधकीय समिति द्वारा प्राप्तियों या राजस्व में से अलग रखी जानी चाहिए। आगे, पैरा 8(v) में निर्दिष्ट है कि रहवासियों से प्राप्त किराया आवश्यक रख-रखाव गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें सफाई व्यवस्था, सुरक्षा सेवाएँ, कार्यालय स्थापना, यूटिलिटी बिल (पानी एवं बिजली) के देयक एवं अन्य सहायक सेवाएँ शामिल हैं, मेस सुविधाओं को छोड़कर।

क्रियाशील वसतिगृहों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2024 एवं जनवरी 2025 के बीच) के दौरान वसतिगृहों के रख-रखाव एवं मरम्मत में महत्वपूर्ण कमियाँ देखी गयी। इन दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन के उदाहरण देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप रहवासियों के लिए अस्वच्छ एवं असुरक्षित रहन-सहन की स्थिति उत्पन्न हुई:

- **नमी एवं रिसाव:** पाँच वसतिगृहों में नमी एवं जल रिसाव के कारण गंभीर संरचनात्मक क्षति पाई गई। अखिल भारतीय महिला सभा, इंदौर (ए.आई.एम.एस.) में प्लास्टर एवं पेंट उखड़ने के साथ दीवारों को गंभीर नुकसान हुआ, जबकि कल्याणी वसतिगृह, भोपाल में जल रिसाव के कारण संरचनात्मक क्षति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसी तरह, सखी निवास, के.ई.एच. परिसर, इंदौर में लगातार रिसाव की समस्या रही, जिससे दीवारों को और नुकसान पहुँचा। वसतिगृह, सिवनी में दीवारों, फर्श एवं छत में दरारों के साथ प्लास्टर जर्जर स्थिति में था। इंदिरा गांधी वसतिगृह, ग्वालियर में भी व्यापक नमी-संबंधी क्षति देखी गई, जिसके कारण दीवारें कमजोर हुई एवं पेंट एवं प्लास्टर उखड़ने लगे।

[69] स्वयंसिद्धा वसतिगृह, भोपाल, कल्याणी भोपाल एवं केतकी भोपाल

चित्र-2.2: ए.आई.एम.एस. वसतिगृह (इंदौर) का क्षतिग्रस्त प्लास्टर एवं पेंट

चित्र-2.3: सखी निवास, के.ई.एच., इंदौर के एक कमरे की छत में रिसाव

- **दरारें एवं टूट-फूट:** भोपाल में केतकी वसतिगृह एवं त्रिवेणी वसतिगृह में ख़राब रखरखाव के कारण महत्वपूर्ण संरचनात्मक कमियाँ देखी गई। केतकी वसतिगृह, भोपाल में जल रिसाव एवं समय पर मरम्मत की कमी के कारण दीवारों में बड़ी दरारें एवं टूट-फूट थे। इसी तरह, त्रिवेणी वसतिगृह में दीवारों पर दृश्यमान दरारें दिखाई दी, जो लंबे समय तक उपेक्षा एवं अपर्याप्त रखरखाव को उजागर करती हैं। इसी तरह के मुद्दे वसतिगृह, सिवनी एवं प्रगति महिला केंद्र, इंदौर में देखे गए। वसतिगृह रीवा में पेड़ की जड़ों के फैलाव से क्षतिग्रस्त दीवारें एवं दूर से दिखाई देने वाले बिजली के नंगे तार देखे गए।

चित्र-2.4: वसतिगृह भवन, सिवनी की दीवार एवं छत पर दरारें

चित्र-2.5: प्रगति महिला केंद्र, इंदौर में क्षतिग्रस्त प्लास्टर एवं पेंट

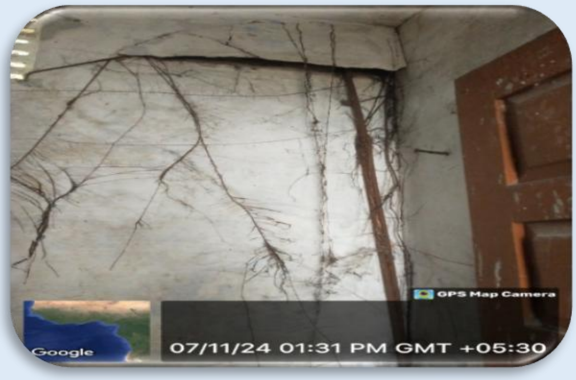

चित्र-2.6: वसतिगृह रीवा में दीवार पर पेड़ की जड़ें

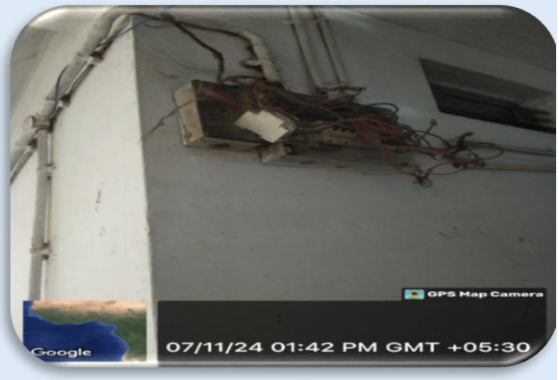

चित्र-2.7: वसतिगृह रीवा में बिजली के नंगे तार

- **अस्वच्छ बाथरूम एवं शौचालय:** ए.आई.एम.एस., इंदौर में नियमित रख-रखाव के अभाव में बाथरूम एवं शौचालय अस्वच्छ स्थिति में पाए गए। केतकी वसतिगृह, भोपाल में शौचालय एवं बाथरूम को सप्ताह में केवल एक बार साफ किया जाता था, जिससे अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो रही थी। प्रगति महिला केन्द्र, इंदौर में भी शौचालय अत्यंत गंदे पाए गए, जो स्वच्छता के प्रति स्पष्ट उदासीनता को दर्शाता है। इसी प्रकार, इंदिरा गांधी वसतिगृह, ग्वालियर में भी बाथरूम एवं शौचालयों में उचित सफाई एवं स्वच्छता मानकों का पालन नहीं पाया गया

चित्र-2.8: ए.आई.एम.एस. वसतिगृह (इंदौर) का गंदा बाथरूम

चित्र-2.9: प्रगति महिला केन्द्र, इंदौर का अस्वच्छ बाथरूम

- **सामान्य स्वच्छता संबंधी समस्याएं:** कल्याणी वसतिगृह, भोपाल में अपर्याप्त सफाई के कारण व्यापक धूल थी, जबकि इंदिरा गांधी वसतिगृह, ग्वालियर के कई स्थानों में भी उचित स्वच्छता का अभाव था। केतकी वसतिगृह, भोपाल में भी लापरवाही के संकेत दिखे, जिसमें दीवारों तथा छतों पर मकड़ी के जाले थे।

- **क्षतिग्रस्त उपकरण एवं आवश्यक यंत्र:** स्वयंसिद्धा वसतिगृह, भोपाल में कई बाथरूम उपयोग के योग्य नहीं थे एवं पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद गीजर, वॉशिंग मशीन एवं पानी के नल खराब अवस्था में पाए गए। त्रिवेणी वसतिगृह, में भी टी.वी., सौर हीटर एवं गीजर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण अक्रियाशील थे।

- **रसोईघर एवं भोजन कक्ष में समस्याएँ:** प्रगति महिला केन्द्र, इंदौर का रसोईघर लंबे समय से असंचालित था एवं उसकी स्थिति खराब पाई गई, जबकि वहीं सखी निवास, के.ई.एच. परिसर, इंदौर में भोजन कक्ष पानी के रिसाव से क्षतिग्रस्त था, जिससे संरचनात्मक क्षति पहुची। ये स्थितियाँ रहवासियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की बहाली हेतु तत्काल मरम्मत एवं रख-रखाव की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

चित्र-2.10: प्रगति महिला केन्द्र, इंदौर में अप्रयुक्त रसोईघर

चित्र-2.11: के.ई.एच., इंदौर परिसर के भोजन कक्ष में पानी का रिसाव

- **समग्र रूप से भवन की खराब स्थिति:** वसतिगृह, सिवनी की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई, जहाँ दीवारों, फर्श एवं छतों में स्पष्ट दरारें दिखाई दीं, जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति का संकेत देती हैं।

चित्र-2.12: सिवनी में वसतिगृह के भवन की खराब स्थिति

इसके अलावा, संयुक्त भौतक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि चार वसतिगृह[70] अपनी जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण अक्रियाशील थे।

चित्र-2.13: साडा छतरपुर में वसतिगृह का जीर्ण-शीर्ण भवन

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वसतिगृहों के रख-रखाव हेतु योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मौजूद गंभीर कमियों पर बल देते हैं। क्रियान्यवन एजेंसियों की लापरवाही से उत्पन्न इन कमियों के कारण असुरक्षित एक अस्वच्छ रहन-सहन की स्थिति निर्मित हुई, जो कामकाजी महिलाओं को इन सुविधाओं का लाभ उठाने से हतोत्साहित करती है। इन वसतिगृहों की जर्जर होती हालत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, एवं अनुकूल परिवेश प्रदान करने हेतु सुधारात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि इंदौर स्थित पुराने सखी निवास कामकाजी महिला वसतिगृह की मरम्मत मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत शासकीय निधि एवं पी.डब्ल्यू.डी. के दिशा-निर्देशों से की जा रही है, जबकि शेष वसतिगृह अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित हैं। आगे, शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2025) कि इन चूकों का कारण कोविड-19 महामारी भी थी।

यह स्वीकार किया जाता है कि वसतिगृह भवन का रखरखाव क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी है, जो रहवासियों से प्राप्त किराए के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें निर्माण, विस्तार, रखरखाव, तथा सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार की वसतिगृह योजना

[70] बुरहानपुर में वसति गृह, साडा छतरपुर, गुना, दमोह

2017 के तहत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है। अतः वित्त पोषण के अनुरोध राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक थे। हालांकि कोविड-19 (2020-21) के प्रभाव को स्वीकार किया गया है, महामारी की सामान्य स्थिति के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई।

2.9.3.3 क्रियाशील वसतिगृह के रहवासियों में संतुष्टि स्तर

साक्षात्कार किए गए 181 रहवासियों[71] में से 178 ने वसतिगृह में उपलब्ध 11 सुविधाओं[72] के प्रति अपनी संतुष्टि स्तर[73] प्रतिक्रिया दी। 'हां' या 'नहीं' प्रतिक्रियाओं के आधार पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से 23 रहवासियों ने सुविधाओं को अच्छा, 45 ने बहुत अच्छा एवं 110 ने बहुत खराब से औसत बताया जैसा कि ***चार्ट 2.10*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.10: समग्र संतुष्टि पर रहवासियों की प्रतिक्रिया

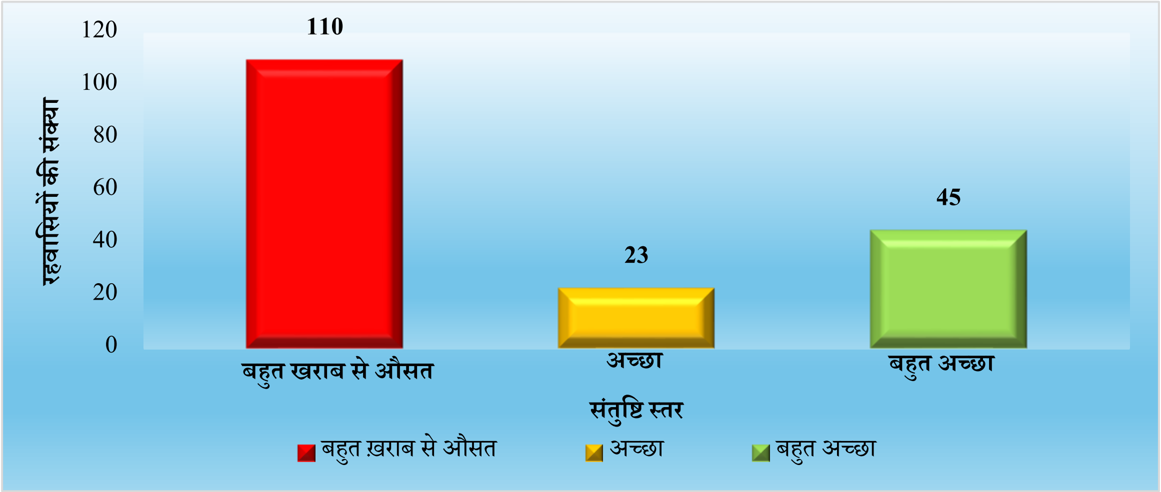

स्रोत: लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण

इसके अतिरिक्त, सभी साक्षात्कार किये गए रहवासियों से आवास की गुणवत्ता सुधारने के लिए सुझाव भी एकत्र किए गए। इनमें से 102 रहवासियों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें कई मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया। सुधार के लिए विशेष सुझाव में शामिल थे:

- **अधोसंरचना:** लॉन्ड्री क्षेत्र, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वाई-फाई, टेलीविजन एवं विद्युत बैकअप सुविधाओं की व्यवस्था।
- **उपयोगिताएँ:** वाटर कूलर, आर.ओ. सिस्टम की स्थापना।
- **स्वच्छता एवं रखरखाव:** वसतिगृहों, शौचालयों की नियमित सफाई एवं मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव।
- **खाद्य सेवाएँ:** भोजन की गुणवत्ता में सुधार, भोजन का समय पर प्रावधान एवं टिफिन सेवाओं की उपलब्धता।
- **सुरक्षा एवं संरक्षा:** सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना एवं कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान।

---

71 सर्वेक्षण के समय वसतिगृह में मौजूद रहवासियों की संख्या

72 बिस्तर, पंखा, भोजन, वाटर फ़िल्टर, मनोरंजन कक्ष, रोगी कक्ष, गीजर/सौर जल हीटर, वाशिंग मशीन, आगंतुक कक्ष, सतर्क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा।

73 लेखा-परीक्षण साक्षात्कार लाभार्थियों को प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट होने पर हां या ना देना होगा। "हां" प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत की गणना 11 सुविधाओं के लिए की गई थी, एवं समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन औसत स्कोर के आधार पर किया गया था, जिसे बहुत खराब (1-2), खराब (3-4), औसत (5-6), अच्छा (7-8) एवं बहुत अच्छा (9-10) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

यद्यपि दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त अधोसंरचना एवं उपयोगिता सुविधाओं की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त शुल्क लेने का प्रावधान है, तथापि किसी भी वसतिगृह में रहवासियों को ये सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था नहीं पाई गई। उपरोक्त कमियाँ, संतुष्टि स्तर एवं प्राप्त सुझाव इस बात को रेखांकित करते हैं कि योजना के उद्देश्यों के अनुरूप बुनियादी अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। यह भी देखा गया कि अपर्याप्त सुविधाओं ने राज्य भर के कई क्रियाशील वसतिगृहों में देखी गई कम अधिभाग दर में योगदान दिया है, जैसा कि पैराग्राफ 2.9.1.3 में चर्चा की गई है।

शासन ने प्राप्त सुझावों को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2025) आश्वासन दिया कि विभाग, गुणवत्ता सुधार के लिए इन सुझावों पर विचार करेगा।

अनुशंसाएं:

- ***शासन द्वारा वसतिगृहों में प्रवेश के लिए मांग के पंजीकरण हेतु एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाना चाहिए तथा आवंटन के लिए अधिभोग/रिक्ति की स्थिति के वास्तविक समय अद्यतन प्रदर्शित किये जाने चाहिए, प्रतीक्षा सूची तैयार की जानी चाहिए तथा इसके संबंध में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए;***
- ***शासन द्वारा अनुदान की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों पर निगरानी रखी जानी चाहिए एवं अप्राप्य वसतिगृहों, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अन्य प्रयोजनों के लिए वसतिगृह के भवनों का उपयोग एवं लाभ अर्जित करने के प्रकरणों में कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।***
- ***शासन द्वारा भारत सरकार की योजना (2017) के अंतर्गत पुराने हो चुके वसतिगृहों के अवसंरचना का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए, एवं रहने योग्य स्थिति में सुधार हेतु सुविधाओं का उन्नयन किया जाना चाहिए, साथ ही शासन के सहयोग से उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाना चाहिए।***

2.10 प्रशासन एवं निगरानी व्यवस्था

2.10.1 प्रबंधन एवं निगरानी की प्रणाली

योजना दिशा-निर्देशों की कंडिका 13 के अनुसार, वसतिगृहों में नियमित निगरानी एवं प्रबंधन की व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि संचालन सुचारु रूप से हो सके एवं लक्षित लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा वसतिगृहों के संचालन की निगरानी में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

2.10.1.1 वसतिगृह प्रबंधकीय समिति (एच.एम.सी) का गठन न होना

योजना दिशा-निर्देशों की कंडिका 13.1 के अनुसार वसतिगृह प्रबंधकीय समितियों (एच.एम.सी.)[74] द्वारा दैनिक आधार पर वसतिगृहों के प्रबंधन की निगरानी की जानी थी, जो जिला प्रशासन को अपनी सिफारिशें एवं त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगी। एच.एम.सी. की बैठक, पाक्षिक आधार पर अथवा तत्काल समाधान हेतु कोई समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 क्रियाशील वसतिगृहों में से, भोपाल एवं इंदौर के केवल तीन वसतिगृहों[75] (महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित) ने आवश्यकतानुसार एच.एम.सी. का गठन किया था। हालांकि इन तीन वसतिगृहों में

---

[74] रेजिडेंट अधीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, संरक्षण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता, दो वरिष्ठ रहवासी, उस क्षेत्र के प्रमुख संगठन के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता/प्रतिनिधि।

[75] 1.स्वयंसिद्धा वसतिगृह, भोपाल 2. वसतिगृह, के.ई.एच. कंपाउंड, इंदौर एवं 3. वसतिगृह, ओल्ड पलासिया, इंदौर

एच.एम.सी. का गठन किया गया था, लेखापरीक्षा में 120 बैठकों[76] के विरुद्ध अपर्याप्त संख्या में बैठकें देखी गईं, स्वयं सिद्धा वसतिगृह भोपाल की एच.एम.सी. द्वारा केवल एक बैठक (दिसंबर 2023) आयोजित की गई एवं अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दौरान सखी निवास वसतिगृह, के.ई.एच. परिसर, इंदौर में 23 बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि बैठकों एवं त्रैमासिक रिपोर्टों में बताए गए सुझाव जिला प्रशासन को नहीं भेजे गए थे एवं जिला प्रशासन/जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कार्मिकों को इन समितियों में शामिल नहीं किया गया था।

आयोजित बैठकों की संख्या में यह उल्लेखनीय कमी निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न होने को दर्शाती है, जिसके कारण समस्याओं की समय पर पहचान एवं उनके समाधान की प्रक्रिया प्रभावित हुई होगी।

यह दर्शाता है कि गैर-सरकारी संगठनों अथवा सोसाइटियों द्वारा संचालित वसतिगृहों पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियंत्रण अथवा निगरानी की कमी रही। एच.एम.सी. का अभाव शासन एवं पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण अंतराल की ओर इशारा करती है, जो संभावित रूप से इन वसतिगृहों के प्रभावी प्रबंधन को प्रभावित करती है।

शासन ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2025) कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एच.एम.सी. का गठन किया जाएगा, जिससे वसतिगृह के रहवासियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

2.10.1.2 जिला प्रशासन द्वारा वसतिगृहों का निरीक्षण न करना

योजना के दिशा-निर्देश के पैरा 8(xxviii) के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर वसतिगृह परिसर का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उक्त दिशा-निर्देश के पैरा 13.1 के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति राज्य शासन को दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण संचालनालय (अब महिला एवं बाल विकास संचालनालय) ने भी जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारियों (अब जिला कार्यक्रम अधिकारी) को मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए वसतिगृह नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं नियमित आधार पर विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश (फरवरी 2016) जारी किए थे।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिला प्रशासन ने 2019-20 से 2023-24 तक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी वसतिगृह की निगरानी नहीं की। इसके अतिरिक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी उन तीन वसतिगृहों का स्थान भी पहचानने में असमर्थ थे, जिन्हें क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जैसा कि ***कंडिका 2.9.2.2 (ख)*** में उल्लेखित है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि वसतिगृहों के संचालन पर कोई भी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजी गई थी, जिसका कारण कमजोर निगरानी, जिसमें वसतिगृहों के नियमित निरीक्षण न किया जाना शामिल है, बताया गया।

जिला प्रशासनों द्वारा की गई अपर्याप्त निगरानी, वसतिगृहों की जर्जर स्थिति तथा अनसुलझी समस्याओं जैसे कि अन्य प्रयोजनों हेतु वसतिगृहों का उपयोग, बिना अनुमति के इन्हें बंद करना एवं भारत सरकार की राशि का न लौटाया जाना, प्रमुख कारकों में से एक प्रतीत होती है जैसा कि इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि विभाग द्वारा संचालित वसतिगृहों में एच.एम.सी. मौजूद हैं, जो बैठकें आयोजित करते हैं एवं नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित वसतिगृह विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं।

[76] ओल्ड पलासिया वसतिगृह, इंदौर को छोड़कर, जो अक्टूबर 2024 से क्रियाशील था अर्थात लेखापरीक्षा अवधि के बाद।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग एवं उसके जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने समय पर निरीक्षण नहीं किया एवं न ही अर्धवार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत किये, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों (1989-2021, ***परिशिष्ट-2.1***) में अनिवार्य किया गया है।

2.10.1.3 अभिलेखों को प्रस्तुत/संधारण न करना

योजना के दिशा-निर्देश की कंडिका 8(xxiv) के अनुसार, वसतिगृह के खातों का संधारण उचित ढंग से तथा पृथक से किया जाएगा, एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। वे इस उद्देश्य के लिए नियुक्त केंद्र अथवा राज्य शासन के किसी अधिकारी द्वारा जांच हेतु सदैव खुले रहेंगे। इन खातों की जांच भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेक से नमूना जांच हेतु खुली रहेगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अभिलेख सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे वित्तीय एवं संचालन संबंधी नियंत्रणों के कुछ पहलुओं के अंतिम निष्कर्ष में बाधा उत्पन्न हुई:

1. वित्तीय रिकॉर्ड:

- तीन वसतिगृहों[77] द्वारा 2019-23 की अवधि के लिए बैंक स्टेटमेंट।
- चार वसतिगृहों[78] द्वारा 2019-21 के लिए किराया प्राप्ति रजिस्टर।
- तीन वसतिगृहों[79] द्वारा 2021-24 के लिए लेखापरीक्षित लेखे।
- वसतिगृह रीवा की क्रियान्वयन एजेंसी ने वसतिगृह के लिए पृथक लेखा संधारित नहीं किया।

2. संचालन संबंधी रिकॉर्ड:

- आठ वसतिगृहों[80] द्वारा 2019-24 के लिए शिकायत पंजी या तो संधारित नहीं की गई अथवा प्रस्तुत नहीं की गई।

3. ***निर्माण संबंधी रिकॉर्ड:***

- निर्माण से संबंधित अभिलेख जैसे भवन का प्लान, साइट प्लान, भवन अनुज्ञा, पूर्णता प्रमाण पत्र, एवं भूमि संबंधित अभिलेख संधारित[81] नहीं किए गए।

4. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर एवं रेड क्रॉस सोसायटी, भोपाल ने अपने वसतिगृह के वित्तीय, परिचालन एवं निर्माण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

इन अभिलेखों की अनुपलब्धता ने लेखापरीक्षा के दायरे को उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया, जिससे वित्तीय लेन-देन की यथार्थता एवं पूर्णता, आंतरिक नियंत्रणों एवं लागू नियमों के अनुपालन का सत्यापन करने की क्षमता प्रभावित हुई। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अभाव अभिलेख संधारण की पद्धतियों एवं वित्तीय पारदर्शिता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

---

[77] अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इंदौर, त्रिवेणी (बीएचईएल) वसतिगृह भोपाल एवं वसतिगृह सिवनी

[78] आल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस, इंदौर, प्रगति महिला केंद्र, इंदौर, वसतिगृह सिवनी, सुरभि वसतिगृह , रीवा

[79] आल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस, इंदौर, त्रिवेणी (बी.एच.ई.एल.) वसतिगृह भोपाल, वसतिगृह सिवनी

[80] अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इंदौर, प्रगति महिला केंद्र, इंदौर, कल्याणी वसतिगृह, केतकी वसतिगृह भोपाल, त्रिवेणी (बी.एच.ई.एल.) वसतिगृह भोपाल, वसतिगृह सिवनी, सुरभि वसतिगृह रीवा, कल्याणी वसतिगृह, सागर

[81] भूमि स्वामित्व से संबंधित अभिलेख केवल दो वसतिगृह में पाए गए, अर्थात् बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में स्थित वसतिगृह एवं खरगोन में स्थित वसतिगृह

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि उपर्युक्त उल्लिखित वसतिगृह विभाग द्वारा संचालित नहीं किए जाते, बल्कि अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा इनमें विभाग की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह चूक निगरानी के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है।

अनुशंसा:

जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी के साथ शासन को, वित्तीय, परिचालन एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

विभाग ने, निर्गम सम्मलेन (सितंबर 2025) के दौरान, सहमति व्यक्त की कि एक मजबूत तंत्र के माध्यम से निरीक्षण, प्रभावी निगरानी, अनधिकृत उपयोग की रोकथाम, तथा धन के उचित उपयोग हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार स्पष्ट दिशा-निर्देश जिला प्रशासन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। विभाग, भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप वसतिगृह परियोजना के प्रबंधन तथा निगरानी हेतु सख्त एवं अधिक व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने पर भी सहमत हुआ। इसके अतिरिक्त, यह आश्वासन दिया गया कि निगरानी तेज करने तथा सुरक्षा एवं संरक्षा, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, आराम एवं सुविधाएं, तथा प्रभावी फीडबैक प्रणाली के साथ पारदर्शी प्रशासन वाले प्रशासनिक एवं वैधानिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे।

2.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष

कामकाजी महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवास प्रदान करने के अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में इन संस्थानों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कामकाजी महिला वसतिगृहों की लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा 2019-2024 के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से संस्थागत क्षेत्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों में वसतिगृह की मांग का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। इन विस्तारशील क्षेत्रों में वसतिगृहों के विकास के लिए सार्वजनिक भूमि चिन्हित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। विभाग ने वसतिगृह के निर्माण के लिए आवंटित ₹47.94 लाख की अव्ययित राशि एस.एन.ए. खाते में जमा नहीं की।

कुल मिलाकर राज्य के 34 जिलों में 59 वसतिगृह स्थित हैं, जिनमें से को 31 मार्च 2024 तक छ: जिलों में केवल 13 क्रियाशील या आंशिक रूप से क्रियाशील पाये गए। परिणामस्वरुप, वसतिगृह वर्तमान में राज्य के केवल छ: जिलों में उपलब्ध हैं, जो पूरे राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए सहायता में एक महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता हैं। शेष वसतिगृह या तो अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए थे, अप्राप्य थे, अधूरे थे, जर्जर अवस्था में थे, ध्वस्त थे, अथवा पूरी तरह से खंडहर हो चुके थे। क्रियान्वयन एजेंसियों ने इन अनियमितताओं का कारण अपर्याप्त जागरूकता तथा स्पष्ट नियमों के अभाव को बताया।

संचालन की स्थिति के संदर्भ में, शासन द्वारा संचालित वसतिगृहों में से 60 प्रतिशत क्रियाशील पाए गए, इसके बाद गैर-सरकारी संगठनों अथवा सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा संचालित 43.48 प्रतिशत एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा संचालित 3.57 प्रतिशत वसतिगृह क्रियाशील पाए गए, जबकि मान्यता प्राप्त कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोई भी वसतिगृह क्रियाशील नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा में अनियमितताएं भी देखीं गई, जैसे कि में वसतिगृहों का अनधिकृत रूप से अस्पतालों में परिवर्तन, अनुमोदन के बिना संचालन को बंद करना, तथा भारत सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना किए गए संरचनात्मक संशोधन। बुनियादी सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे का प्रायः अभाव था, एवं कई वसतिगृह खराब रखरखाव एवं संधारण से ग्रस्त थे, जिसके परिणामस्वरूप अस्वच्छ एवं असुरक्षित रहन-सहन की स्थिति उत्पन्न हुई।

इसके अतिरिक्त, अपात्र रहवासियों द्वारा अधिभोग, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्धारित योजना दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन जैसे मुद्दे भी देखे गए। अपर्याप्त निरीक्षण किया जाना एवं शासन द्वारा संचालित केवल तीन वसतिगृहों में वसतिगृह प्रबंधकीय समितियों का गठन, जिला प्रशासन द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अशासकीय क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रबंधित वसतिगृहों के वित्तीय संचालन, निर्माण, एवं कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

शासन का यह उत्तर कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वसतिगृहों पर उसका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, एक सुदृढ़ निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र के अभाव को उजागर करता है। नियंत्रण की इस कमी ने वसतिगृहों के कमजोर सञ्चालन में योगदान दिया, जिसके कारण लेखापरीक्षा अवधि (2019-24) के दौरान नौ क्रियाशील वसतिगृहों में अधिभोग दर 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच रही।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण है कि जबकि यह योजना कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवास प्रदान करने में उपयोगी है, इसका क्रियान्वयन कई क्षेत्रों में कमतर रहा है। शासन द्वारा संचालित वसतिगृहों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्य किया, परन्तु गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वसतिगृहों की अक्षमताओं एवं चुनौतियों ने राज्य शासन द्वारा दक्षता, सेवा उपयोग तथा निगरानी में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त, वसतिगृहों की अधिभोग दर को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान शुरू करना भी आवश्यक है।

अनुशंसाएं

शासन को चाहिए कि

- *वसतिगृहों में प्रवेश के लिए मांग के पंजीकरण हेतु एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए तथा आवंटन के लिए अधिभोग/रिक्ति की स्थिति के वास्तविक समय अद्यतन प्रदर्शित किये जायें, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए तथा इसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए; (संदर्भ: कंडिका 2.7.1 एवं 2.9.1.3)*
- *सुधारात्मक कार्रवाई हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि के उपयोग की स्थिति की जांच के लिए एक एम.आई.एस. स्थापित किया जाए; (संदर्भ: कंडिका 2.8.1 एवं 2.8.2)*
- *अनुदान की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों पर निगरानी रखी जाए हो एवं अप्राप्य वसतिगृहों, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अन्य प्रयोजनों के लिए वसतिगृह के भवनों का उपयोग एवं लाभ अर्जित करने के प्रकरणों में कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाए (कंडिका 2.9.2.1 एवं 2.9.2.2 के संदर्भ में)।*
- *भारत सरकार की योजना (2017) के अंतर्गत पुराने हो चुके वसतिगृहों के अवसंरचना का नवीनीकरण किया जाए, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए, एवं रहने योग्य स्थिति में सुधार हेतु सुविधाओं का उन्नयन किया जाए, साथ ही शासन के सहयोग से उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाए। (कंडिका 2.9.3.2 के संदर्भ में)।*
- *जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी के साथ, वित्तीय, परिचालन एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएँ। (कंडिका 2.10.1.1 से 2.10.1.3 के संदर्भ में)।*

अध्याय-III

बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा

अध्याय- III

महिला एवं बाल विकास विभाग

बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शुरू की गई एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) का उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (सी.एन.सी.पी.) के साथ-साथ विधि का उल्लघन करने वाले बालकों के लिए एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण बनाना है। इस पहल के अंतर्गत इन संवेदनशील बालकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, सेवाएं एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में बाल देखरेख संस्थान (सी.सी.आई.) स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग, आई.सी.पी.एस. ढांचे के तहत इन सी.सी.आई. के कामकाज एवं गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मार्च 2024 तक, राज्य के 41 जिलों में 126 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह स्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह संचालित किए जा रहे थे एवं 100 सी.सी.आई. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसमें मार्च 2024 तक, 2,819 बालकों को आश्रय प्रदान किया गया है।

राज्य में बाल अधिकार एवं कल्याण की सुरक्षा में परिकल्पित सी.सी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या सी.सी.आई. की स्थापना की योजना कुशल एवं प्रभावी थी; क्या सरकार ने पर्याप्त निधि प्रदान किया एवं निधि का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया; क्या देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्रभावी सांविधिक सहायता सेवाएं उपलब्ध थीं, एवं क्या संस्थान के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली मौजूद थी।

हमने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित किया एवं राज्य में इन संस्थानों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए नौ चयनित जिलों में 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों का मूल्यांकन किया।

राज्य में कार्यरत सी.सी.आई. केवल एक सीमित सीमा तक ही अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इन संस्थानों के कामकाज में कार्यान्वयन से संबंधित कई कमियां एवं गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बालकों को प्रदान की जाने वाली देखरेख एवं सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए इन मुद्दों के तत्काल निवारण की आवश्यकता है।

हमने क्या पाया?

हमने पाया कि राज्य ने आई.सी.पी.एस. गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किसी भी जिले में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2021-22 में नौ जिलों में सड़क पर रहने वाले बालकों का सर्वेक्षण किया गया था, किन्तु इसमें संवेदनशील बालकों की व्यापक आबादी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि झुग्गी बस्तियों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों तथा बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था।

आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव तथा सी.एन.सी.पी. के राज्य-व्यापी आंकड़ों को संकलित करने हेतु प्रणालियों में कमी के कारण राज्य के साथ-साथ जिलों में सी.सी.आई. की मांग का निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। छब्बीस जिलों में विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) का अभाव है, जो दत्तक ग्रहण सेवाओं एवं किशोर न्याय कवरेज में कमियों को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान दत्तक ग्रहण की संख्या 180 से घटकर 144 हो गई, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 207 हो गयी।

नौ जिलों की नमूना जांच में यह पाया गया कि केवल चार जिलों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं सागर) में खुला आश्रय गृह थे। इसके अतिरिक्त खुला आश्रय गृह अपर्याप्त संख्या में संपर्क स्थलों के साथ संचालित हो रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने में विलंब हो रहा है । 17 से 61 प्रतिशत तक धनराशि अव्ययित रही, जबकि सी.सी.आई. में अधोसंरचना एवं सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियाँ बनी रहीं। निगरानी अथवा आवधिक प्रतिवेदन की व्यवस्था, जिसमे निधियों की उपयोगिता भी सम्मिलित है, में भी कमी पाई गई, जैसा कि वर्ष 2019-22 के दौरान भोपाल में एक खुला आश्रय गृह को अनुदान (₹ 1.11 करोड़) की अधिक राशि जारी किए जाने तथा बालकों की वास्तविक ठहरने की अवधि पर विचार किए बिना रखरखाव व्यय के रूप में (₹ 1.29 करोड़) अधिक भुगतान किया गया ।

सी.सी.आई. में मांग की पूर्ति का स्तर अपर्याप्त है, जिसका प्रमाण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, भीड़भाड़, तथा बालकों को बिस्तर एवं कपड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता से मिलता है । नमूना जांच किये गए संस्थानों में सामूहिक शयनकक्षों, कक्षाओं, शौचालयों तथा आयु अथवा लिंग आधारित पृथक्करण के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। कपड़ों/बिस्तरों एवं चिकित्सा देखभाल की सुविधाएँ भी अपर्याप्त थीं, तथा भीड़भाड़ के प्रकरण भी पाए गए। । आयु एवं लिंग के आधार पर बालक/बालिकाओं को अलग न करना, तथा जघन्य अपराधों के आरोपी बालकों के साथ पलंग साझा करने की प्रथा भी देखी गई । सम्प्रेषण गृह, एस.ए.ए. तथा पश्चातवर्ती देखरेख का लाभ बालकों को उनकी आयु पात्रता पर विचार किए बिना प्रदान किया गया था।

चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में वर्ष 2019 से 2024 की अवधि के दौरान 14 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में 47 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक कर्मचारियों की उल्लेखनीय कमी का संकेत मिला । इसके अतिरिक्त, इस अवधि में जनशक्ति की कमी राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एस.सी.पी.एस.) स्तर पर 53 प्रतिशत से 69 प्रतिशत, जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) स्तर पर 29 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एस.ए.आर.ए.) स्तर पर 75 प्रतिशत थी । 17 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में मेस समितियों के अभाव के कारण बालकों को परोसे जाने वाले आहार की निगरानी नहीं हो सकी । व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं का अनुवर्ती कार्रवाई पूरी तरह से अपर्याप्त था। सी.सी.आई. में महत्वपूर्ण सुरक्षा खामियां देखी गईं, जिनमें सी.सी.टी.वी. कैमरों का कार्यरत न होना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में अनियमितताएं तथा कम ऊँचाई वाली चारदीवारी शामिल हैं, जिससे पर्यवेक्षण एवं बाल सुरक्षा प्रभावित हुई, एवं बालकों के भाग जाने की घटनाएं सामने आईं।

राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन न होने तथा जिला बाल संरक्षण समिति एवं सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति की बैठक की अपर्याप्त संख्या के कारण संस्थानों की समग्र निगरानी प्रभावित हई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की जांच के निष्कर्षों का अनुपालन न करने के भी प्रकरण देखे गए, जिसमें चार अपंजीकृत सी.सी.आई. का संचालन शामिल था, जो एक गंभीर नियामक चूक को दर्शाता है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन

- *संवेदनशील बालकों को पर्याप्त रूप से कवरेज प्रदान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.आई. संस्थानों की संख्या की योजना बनाए,*
- *अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा बालकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी एवं उपयोग की गयी निधियों की निगरानी तथा अभिलेखीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर, उन्हें लागू करे,*
- *बालक/बालिकाओं के आयु, लिंग एवं श्रेणी के अनुसार कड़ाई से पृथक्करण लागू करे, ताकि दुर्व्यवहार अथवा शोषण के जोखिम से बचा जा सके,*
- *राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन करे, जिला एवं सी.सी.आई. दोनों स्तरों पर नियमित आवधिक बैठकें आयोजित करे, तथा सी.सी.आई. का निरीक्षण सुनिश्चित करे।*

3.1 परिचय

एकीकृत बाल संरक्षण योजना[82] (आई.सी.पी.एस.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (सी.एन.सी.पी.) तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। यह योजना, सरकार-सिविल सोसाइटी भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के साथ-साथ अन्य संवेदनशील बालकों[83] के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण निर्मित करने का प्रावधान करती है। इस योजना में आवश्यक सेवाओं का संस्थानीकरण एवं संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, सभी स्तरों पर क्षमताओं में वृद्धि, बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डाटाबेस एवं आधार ज्ञान का सृजन आदि शामिल हैं। इस योजना में ऐसे बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर विभिन्न समितियों एवं संस्थानों के गठन की भी परिकल्पना की गई है।

मार्च 2024 तक, राज्य के 41 जिलों में 126 बाल देखरेख संस्थान (सी.सी.आई.) तथा दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह[84] स्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह संचालित किए जा रहे थे तथा 100 सी.सी.आई. गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसमें मार्च 2024 तक 2,819 बालकों को आवास

---

82 अप्रैल 2022 में इसका नाम बदलकर "मिशन वात्सल्य" कर दिया गया।

83 वह व्यक्ति जिसकी पहचान ऐसे रूप में की गई हो कि उसे शारीरिक या भावनात्मक हानि का अधिक जोखिम हो, अथवा जो अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के जोखिम में हो।

84 पश्चातवर्ती देखरेख से आशय उन सभी बच्चों, जिनमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल हैं, को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा बाल गृह/विशेष गृह से बाहर होने के बाद प्रदान की जाने वाली देखभाल से है।

प्रदान किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है, जबकि जिला-वार वितरण एवं सी.सी.आई. की सबसे अधिक संख्या वाले जिलों को नीचे ***मानचित्र-3.1*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र-3.1: राज्य में उपलब्ध सी.सी.आई. की जिलेवार संख्या

(संक्षिप्त नाम: ए.एच.- पश्चातवर्ती देखरेख गृह, सी.एच.-बाल गृह, ओ.एच.-सम्प्रेषण गृह, ओ.एस.-खुला आश्रय गृह, एस.ए.ए.-विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, एस.एच.-विशेष गृह)
स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

कठिन परिस्थितियों में रहने वाले 18 वर्ष तक की आयु के बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु, एकीकृत बाल संरक्षण योजना/किशोर न्याय (जे.जे.) अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बालकों के पालन पोषण के लिए बाल देखरेख संस्थानों (सी.सी.आई.) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। सी.सी.आई. की श्रेणी एवं उद्देश्य ***परिशिष्ट-3.2*** में दर्शाए गए हैं। निधि का उचित उपयोग, विधिक मानकों का अनुपालन एवं जरूरतमंद बालकों को सेवाओं के प्रभावी वितरण साथ-साथ उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं समग्र कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सी.सी.आई. की लेखापरीक्षा आवश्यक है।

3.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) योजनाओं के अंतर्गत स्थापित सी.सी.आई. की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे **चार्ट-3.1** में दी गई है:

चार्ट-3.1: संगठनात्मक संरचना

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

ए.सी.एस./पी.एस. की अध्यक्षता में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एस.सी.पी.एस.), निधियों का प्राप्तकर्ता एवं संवितरण प्राधिकरण हैं तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डी.सी.पी.यू.) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों (सी.एन.सी.पी.) तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के लिए स्थापित सी.सी.आई. की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। इस योजना (आई.सी.पी.एस.) में दत्तक ग्रहण कार्य का समन्वय, निगरानी एवं विकास करने के लिए ए.सी.एस./पी.एस. की अध्यक्षता में एक राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एस.ए.आर.ए.) की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या:

- सी.सी.आई. की स्थापना के लिए योजना कुशल एवं प्रभावी थी;
- शासन ने पर्याप्त निधि प्रदान की तथा निधि का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया;
- देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए वैधानिक सहायता सेवाएं उपलब्ध थीं;
- संस्थानों के प्रबंधन एवं निगरानी की प्रभावी प्रणाली मौजूद थी।

3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड यहां से प्राप्त किए गए थे:

- समय-समय पर संशोधित आई.सी.पी.एस. योजना के दिशा-निर्देश,
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे. अधिनियम 2015),
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जे.जे. नियम 2016)

- पश्चातवर्ती देखरेख दिशा-निर्देश, तथा
- योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेश अथवा निर्देश।

3.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई थी, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल किया गया था। इस लेखापरीक्षा कार्य में संचालनालय, महिला एवं बाल विकास एवं नौ जिलों[85] में जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.) के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। सात जिलों का चयन निर्णयात्मक आधार पर एवं दो जिलों का चयन प्रतिचयन[86] के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा, चयनित नौ जिलों में 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों की जियो-टैगिंग के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) भी आयोजित किया गया (विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है)। ***चार्ट-3.2*** राज्य में स्थापित एवं लेखापरीक्षा में शामिल सी.सी.आई. की संख्या को दर्शाता है।

चार्ट-3.2: राज्य में स्थापित तथा लेखापरीक्षा में शामिल सी.सी.आई. की संख्या

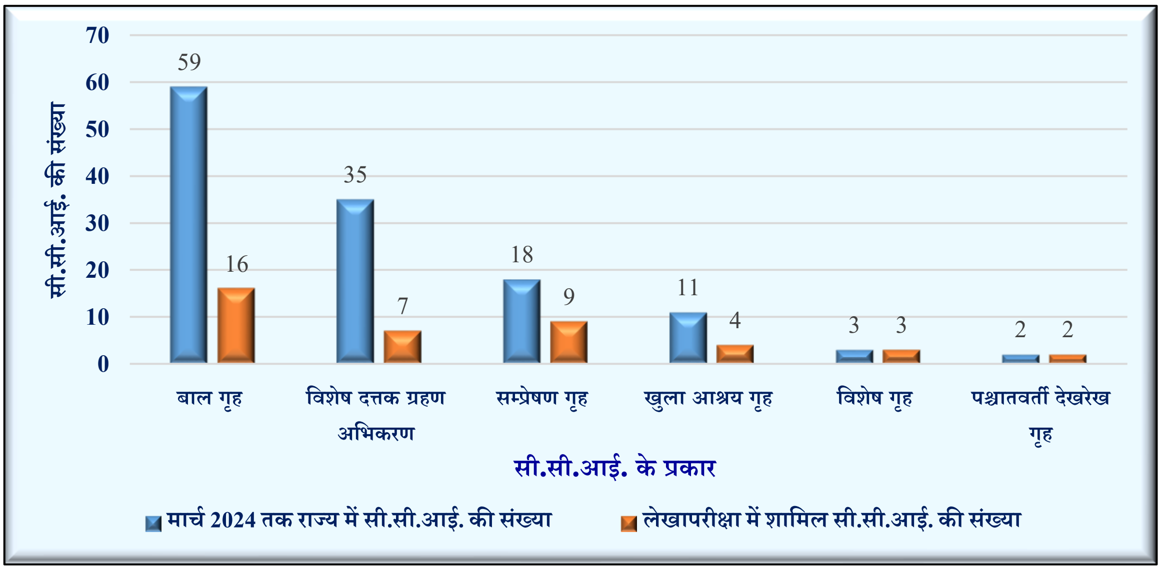

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

आयुक्त, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) के साथ 6 सितंबर 2024 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदंड, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। 23 सितंबर 2025 को ए.सी.एस., डब्ल्यू.सी.डी. के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया, तथा शासन से प्राप्त उत्तर (जुलाई 2025) को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

3.6 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर, लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के प्रति आभार व्यक्त करता है।

---

[85] भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर एवं सिवनी

[86] प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से खंडवा एवं छतरपुर का चयन किया गया।

3.7 आई.सी.पी.एस. के क्रियान्वयन के लिए योजना एवं प्रारंभिक गतिविधियां

बाल संरक्षण गतिविधियों की सफलता, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की उचित पहचान करने तथा स्थिति विश्लेषण, जिलों का मैपिंग, वार्षिक योजनाएं तैयार करने आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियों पर निर्भर करती है।

इन पहलुओं में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

3.7.1 देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों का आकलन न किया जाना

3.7.1.1 आधारभूत सर्वेक्षण का आयोजन

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के अध्याय-4 की कंडिका 4 के अनुसार, राज्य परियोजना सहायता इकाई (एस.पी.एस.यू.) चयनित जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण करेगी।

यह पाया गया कि राज्य के किसी भी जिले में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के दौरान चयनित नौ जिलों में सड़क पर रहने वाले बालकों तक सीमित एक सर्वेक्षण किया गया था, जो कि राज्य में संवेदनशील बालकों की व्यापक आबादी को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं कर सका, क्योंकि झुग्गी-झोपड़ियों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों एवं बाजारों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था।

आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं हो सका कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले पात्र बालकों की पहचान कैसे की गई। ऐसी पहचान के बिना, उचित संरक्षण उपायों एवं सेवाओं को प्रभावी ढंग से नियोजित या विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (सितंबर 2025) किया एवं कहा कि कोई आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आगे यह कहा गया कि विभाग ने वर्ष 2015 में "अनमोल" नामक एक पोर्टल विकसित किया था, जिसके माध्यम से संवेदनशील परिवारों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनमोल पोर्टल मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य-ट्रैकिंग उपकरण है तथा यह जरूरतमंद बालकों के लिए एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण का गठन नहीं करता है, जिससे उनकी पहचान एवं मूल्यांकन में अंतर रह जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने लेखापरीक्षा के लिए पोर्टल डेटा उपलब्ध नहीं कराया, जिससे जरूरतमंद बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सहायता के सत्यापन को सीमित कर दिया।

3.7.1.2 संवेदनशील परिवारों की पहचान एवं सहायता प्रदान करना

इस योजना के उद्देश्यों में एक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से संवेदनशील परिवारों की पहचान करना तथा उनका समर्थन करना भी शामिल है। ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) पदाधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों एवं स्थानीय निकायों के साथ प्रभावी नेटवर्किंग तथा संपर्कों के माध्यम से प्रशिक्षित जिला स्तरीय कार्मिकों को सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना होगा।

यह देखा गया कि चयनित जिलों[87] में ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया था, लेकिन संवेदनशील परिवारों की पहचान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

---

87 ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, रीवा, सागर, जबलपुर, खंडवा एवं सिवनी

इसके अलावा, विभाग ने सी.सी.आई. में संवेदनशील बालकों के लिए देखरेख एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए पांच साल की अवधि के लिए दो गैर-सरकारी संगठनों[88] के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर (अक्टूबर एवं नवंबर 2021) किए।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन एन.जी.ओ. के साथ समन्वय वर्ष 2021 में किया गया, अर्थात योजना के शुभारंभ (वर्ष 2009) के 12 साल के बाद, जो सी.सी.आई. की आवश्यकता की पहचान में विलंब को दर्शाता है, तथा इसके परिणामस्वरूप बालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखरेख एवं सेवाओं में पाई गई कमियाँ परिलक्षित हुईं, जैसा कि ***कंडिका 3.9.2*** में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि योजना के प्रारंभ से ही, सेवा भारती, बाल निकेतन ट्रस्ट, एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज तथा यूनिसेफ जैसे प्रतिष्ठित संगठन बाल संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्रों में विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए, विभाग ने बाद में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, कैटेलिस्ट फॉर सोशल एक्शन, उदयन केयर एवं मिरेकल फाउंडेशन सहित अतिरिक्त संगठनों को जोड़ा है।

आगे, निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2025) में शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं कहा कि विभाग ने वर्ष 2015 में "अनमोल" नामक एक पोर्टल विकसित किया था, जिसके माध्यम से संवेदनशील परिवारों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एवं कैटालिस्ट्स फॉर सोशल एक्शन के साथ समझौता ज्ञापन की एक प्रति के अलावा सहयोग अथवा सहभागिता का कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया, तथा लेखापरीक्षा के लिए कोई पोर्टल डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.7.1.3 राज्य विशिष्ट डेटाबेस का निर्माण

किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 84 के अनुसार, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को संस्थागत देखरेख तथा परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख में रह रहे सभी बालकों का राज्य स्तरीय डेटाबेस संधारित करना एवं उसे त्रैमासिक आधार पर अद्यतन करना आवश्यक है।

आगे, शासन ने एस.पी.एस.यू. के गठन के लिए आदेश दिया (जून 2011)। महिला सशक्तिकरण, संचालनालय ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर एस.पी.एस.यू. में तीन पदों[89] को भरा (अगस्त, 2013)। दिशा-निर्देशों के अध्याय-4 की कंडिका 1.1 (vii) के अनुसार, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एस.सी.पी.एस.) प्रवृत्तियों एवं पैटर्न की निगरानी के लिए कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की संख्या का आकलन करने के लिए राज्य-विशिष्ट डेटाबेस बनाएगी।

एस.सी.पी.एस. ने कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की संख्या का आकलन करने के लिए अपने पंजीकरण (सितंबर 2010) के बाद से कोई राज्य विशिष्ट डेटाबेस नहीं बनाया है। हालांकि, विभाग ने मई 2021 से कोविड-19 प्रभावित बालकों के लिए एवं वर्ष 2022-23 से सड़क पर रहने वाले बालकों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किए गए बाल स्वराज पोर्टल को अद्यतन किया था।

यह देखा गया कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (सी.एन.सी.पी.) की संख्या का आकलन करने के लिए कठिन परिस्थितियों में रहने वाले अन्य श्रेणियों के बालकों जैसे लापता, अनाथ, परित्यक्त, एवं अभ्यर्पित बालकों आदि का कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं था। इसलिए, राज्य में संवेदनशील बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाने वाले सी.सी.आई. की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी जैसा कि ***कंडिका 3.9.2.11*** में चर्चा की गई है।

---
88 कैटालिस्ट्स फॉर सोशल एक्शन एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन

89 कार्यक्रम प्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखा अधिकारी

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि वर्ष 2014-15 में, विभाग ने अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों से संबंधित डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से अनमोल पोर्टल विकसित किया। भारत सरकार ने केयरिंग पोर्टल प्रारंभ किया (वर्ष 2016) तथा लापता बालकों से संबंधित जानकारी संधारित करने हेतु ट्रैक द मिसिंग पोर्टल वर्ष 2012-13 से संचालित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के बारे में डेटा उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को प्रदत्त देखभाल एवं संरक्षण का सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका।

3.7.2 विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की अनुपलब्धता

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65(1) में कहा गया है कि राज्य शासन प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को दत्तक ग्रहण एवं गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) के रूप में मान्यता देगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में प्रदान किया जा सकता है।

यह देखा गया कि मध्य प्रदेश[90] में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान दत्तक ग्रहण की संख्या 180 से घटकर 144 हो गई, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 207 हो गयी। राज्य के 29 जिलों में 35 एस.ए.ए. स्थापित किए गए थे। राज्य के शेष 26 जिलों में एस.ए.ए. की अनुपलब्धता किशोर न्याय ढांचे के अंतर्गत एस.ए.ए. के अपर्याप्त राज्यव्यापी कवरेज को दर्शाती है। यह कमी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहुंच तथा समय पर पुनर्वास दोनों को प्रभावित करती है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि राज्य के शेष 26 जिलों में नए एस.ए.ए. स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

3.7.3 संपर्क स्थलों की स्थापना न किया जाना

आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अध्याय 10 (ब) (7) में यथा निर्धारित किया गया है, खुला आश्रय गृह स्थापित करने वाले संगठन संपर्क स्थलों[91] के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिन्हें रेलवे प्लेटफार्मों, भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों, पर्यटक गंतव्यों, बस स्टैंडों आदि पर स्थापित किया जा सकता है। आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-VIII के अनुसार, 25 बालकों को समायोजित करने वाले खुला आश्रय गृह के लिए तीन संपर्क स्थानों/स्थलों का प्रावधान था।

नमूना जांच किए गए नौ जिलों में, यह देखा गया कि केवल चार जिलों[92] में खुला आश्रय गृह थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान केवल भोपाल एवं इंदौर में स्थित खुला आश्रय गृहों के साथ संपर्क स्थल स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, इंदौर में स्थित खुला आश्रय गृह (लोक बिरादरी ट्रस्ट) के साथ, वर्ष 2023-24 में तीन संपर्क स्थलों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल दो संपर्क स्थल ही स्थापित किए गए थे।

संपर्क स्थलों की अपर्याप्त स्थापना के कारण जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान एवं सहायता प्रदान करने में विलंब हो सकता है, जिससे समयबद्ध हस्तक्षेप तथा संरक्षण सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि सागर में खुला आश्रय गृह के संचालन के लिए अब संपर्क स्थल स्थापित किए गए हैं। चूंकि ग्वालियर में खुला आश्रय गृह निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित नहीं होता था, इसलिए जिले ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए अनुदान जारी नहीं किया। वर्तमान में, संगठन ने दो संपर्क स्थल स्थापित किए हैं।

---

90 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट (2019-24) के अनुसार

91 एक निर्दिष्ट स्थल जहां बच्चे सहायता ले सकते हैं अथवा अपनी समस्याओं/चिंताओं की सूचना प्राधिकरणों को दे सकते हैं।

92 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं सागर

तथ्य यह है कि स्थापित संपर्क स्थल मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त हैं।

अनुशंसा:

शासन संवेदनशील बालकों को पर्याप्त रूप से कवरेज प्रदान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.आई. संस्थानों की संख्या की योजना बनाए।

3.8 वित्तीय प्रबंधन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.), भारत सरकार, राज्य को निधि प्रदान करता है तथा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त निधि के साथ अपने हिस्से को सीधे राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एस.सी.पी.एस.) के बैंक खाते में केंद्र से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्थानांतरित करेगा। इसके बाद एस.सी.पी.एस. राज्य शासन से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डी.सी.पी.यू.) एवं स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करेगा।

3.8.1 सी.सी.आई. का वित्तीय प्रबंधन

आई.सी.पी.एस. एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है तथा इसे राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख वित्तीय सहायता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना को केंद्र एवं राज्य/ एन.जी.ओ. के बीच लागत साझेदारी अनुपात[93] के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।

अवधि 2019-24 के दौरान आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत सी.सी.आई. के संचालन के लिए निधि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति नीचे **चार्ट-3.3** में दिखाई गई है:

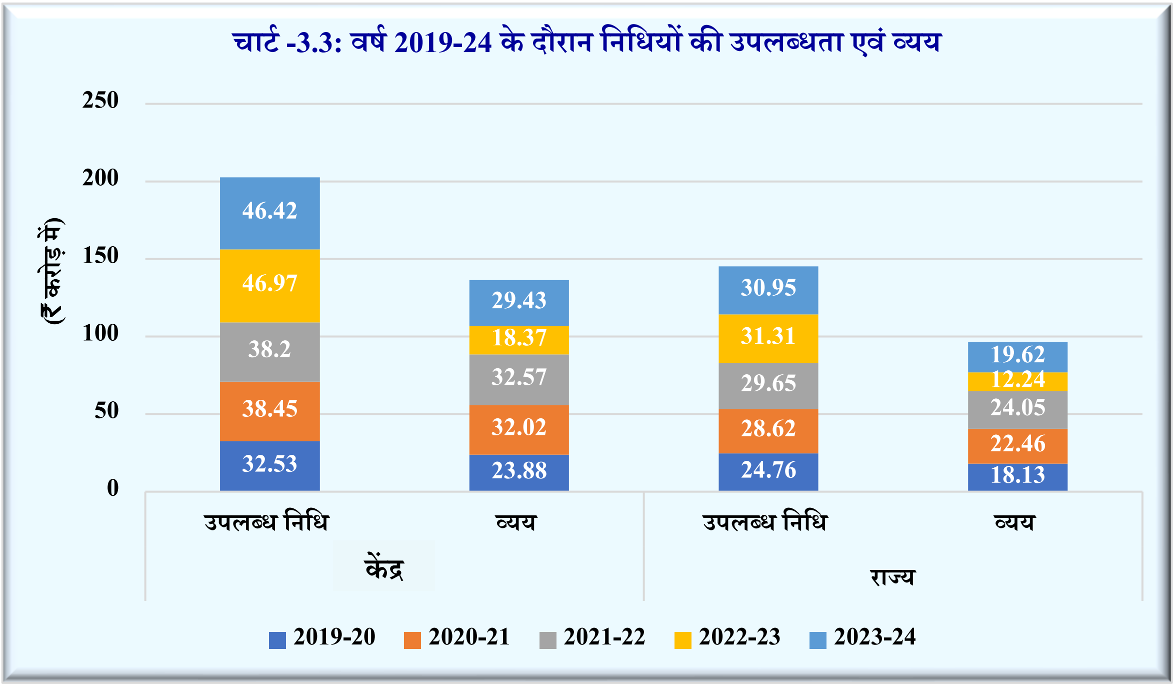

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

93 वर्ष 2022-23 से पहले स्थापित शासन द्वारा चलाए जा रहे एस.सी.पी.एस., एस.ए.आर.ए., डी.सी.पी.यू. एवं सभी गृहों /एस.ए.ए. के लिए 75:25; एन.जी.ओ. द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह के लिए 90:10; एन.जी.ओ. द्वारा संचालित सभी गृहों के लिए 75:15:10; बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) एवं जे.जे.बी. के लिए 35:65 तथा वर्ष 2022-23 से स्थापित राज्य शासन एवं एन.जी.ओ. द्वारा संचालित सी.सी.आई. के लिए 60:40 ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध निधि में से वर्ष 2021-22 में ₹ 11.23 करोड़ (16.55 प्रतिशत) से वर्ष 2022-23 में ₹ 47.67 करोड़ (60.90 प्रतिशत) वर्ष 2019-24 के दौरान वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित रहे। सेवा वितरण संरचना में कर्मचारियों की कमी, अव्ययित शेष राशि के कारणों में से एक थी, जिससे सी.सी.आई. में अवसंरचना एवं सुविधाओं में कमियां आई। कार्मिक व्यवस्था का मुद्दा एवं कर्मचारियों की कमी के प्रभाव को इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 3.9.1.1*** में विस्तार से बताया गया है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) एवं कहा कि सी.सी.आई. में बालकों की संख्या कम होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। भविष्य में योजना के अंतर्गत निधि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

3.8.1.1 खुला आश्रय गृह को प्रदान किया गया अनियमित अनुदान

आई.सी.पी.एस दिशा-निर्देशों के अध्याय 10 (ब) की कंडिका 8 (i) एवं अनुलग्नक VIII में यह निर्धारित किया गया है कि खुला आश्रय गृह की एक इकाई की क्षमता 25 बालकों की है। जे.जे. अधिनियम 2015 की धारा 41 (2) के अनुसार, राज्य शासन एक खुले आश्रय गृह के रूप में संस्था के रजिस्ट्रीकरण के समय उसकी क्षमता एवं प्रयोजन का निर्धारण तथा अभिलेखन करेगी। उसी की धारा 41 (3) के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र में क्षमता का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा, नियम 22(9), किशोर न्याय नियमावली, 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक खुला आश्रय गृह, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को खुला आश्रय गृह की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों के विवरण के बारे में मासिक सूचना प्रेषित करेगा।

आगे, आई.सी.पी.एस. के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रात्रि में भी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रति बालक ₹ 2,000 का मासिक भरण-पोषण अनुदान स्वीकार्य था। तथा भारत सरकार के आदेश (दिसंबर 2017) के अनुसार, दिन में देखरेख सेवाओं के लिए प्रति बालक ₹ 1,080 का मासिक भरण-पोषण अनुदान स्वीकार्य था।

ज्ञान पथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल को नवंबर 2015 में खुला आश्रय गृह के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसका पंजीकरण अप्रैल 2021 में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, दोनों आदेशों में खुला आश्रय गृह की क्षमता एवं इकाइयों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में, मध्य प्रदेश शासन ने प्रति इकाई निर्धारित क्षमता के अनुरूप खुला आश्रय गृह को चार इकाइयों (प्रत्येक इकाई 25 बालकों) के साथ संचालन के रूप में पंजीकृत किया (फरवरी 2024)।

अभिलेखों की जांच करने पर यह देखा गया कि बच्चे खुला आश्रय गृह में केवल दिन में देखरेख सेवाओं का लाभ उठा रहे थे। संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2019-22 के दौरान भरण पोषण[94] के लिए इस खुला आश्रय गृह को ₹1.28 करोड़ का आवर्ती अनुदान हस्तांतरित किया। अनुदान को उसके प्रस्तावों[95] के आधार पर स्वीकृति दी गई थी, जिसमें सी.सी.आई. की इकाई-1 में 104 से 138 बालकों एवं इकाई-2 में 60 से 63 बालकों की उपस्थिति दर्शाई गई थी।

इसी तरह, खुला आश्रय गृह ने वर्ष 2022-23 के लिए 269 बालकों (इकाई -1 एवं 2 के लिए क्रमशः 199 एवं 70 बालक) के लिए निधि की मांग की। इस मांग के विरुद्ध, शासन ने इस बार निर्धारित क्षमता के अनुरूप केवल 50 बालकों (25 प्रति इकाई) के लिए अनुदान स्वीकृत किया। चूँकि बालकों की क्षमता एवं संचालित इकाइयों की संख्या का उल्लेख इसके नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (फरवरी 2024) में किया गया था, खुला आश्रय गृह ने वर्ष 2023-24 से 100 बालकों (25 प्रति इकाई) की उपस्थिति

---

94 भोजन, वस्त्र, दवा, साबुन, तेल आदि।

95 अनुरक्षण, किराया, पानी एवं विद्युत प्रभार, आकस्मिकताओं, परिवहन प्रभार, वेतन आदि जैसे आवर्ती अनुदान प्राप्त करने के लिए खुला आश्रय गृह द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया गया।

की सूचना देना शुरू कर दिया। यह वर्ष 2022-23 में 269 बालकों के पहले के आंकड़े से वर्ष 2023-24 में 100 तक की तेज गिरावट को दर्शाता है, जिससे फर्जी लाभार्थियों की संभावना संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-22 के लिए 25 बालकों की क्षमता वाले खुला आश्रय गृह की दो इकाइयों के लिए स्वीकार्य आवर्ती अनुदान ₹17.50 लाख होगा, जो खुला आश्रय गृह के लिए ₹1.11 करोड़ के अनियमित अधिक आवंटन को दर्शाता है। वर्षवार विवरण नीचे ***तालिका-3.1*** में दिया गया है:

तालिका-3.1: खुला आश्रय गृह, भोपाल को प्रदान किए गए अधिक अनुदान का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	इकाइयाँ	अनुदान में प्रतिवेदित बालकों की संख्या	खुला आश्रय गृह को हस्तांतरित अनुदान	प्रावधान के अनुसार स्वीकार्य आवर्ती अनुदान (25 बालक x 1080 प्रति माह x 12 माह के लिए)	अनियमित अनुदान प्रदान किया गया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = (4-5)**
2019-20	इकाई-1	104	23.30	3.24	20.06
	इकाई -2	60	12.75	3.24	9.51
2020-21	इकाई -1	138	35.77	3.24	32.53
	इकाई -2	63	16.33	3.24	13.09
2021-22	इकाई -1	138	38.10	3.24	34.86
	इकाई -2	63	16.33	3.24	13.09
	योग		**142.58**	**19.44**	**123.14**
	केंद्रीय अंश 90 प्रतिशत		**128.32**	**17.50**	**110.82**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

आगे, खुला आश्रय गृह ने सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों के विवरण के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.), भोपाल को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जो डी.सी.पी.यू. द्वारा उचित निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि वर्ष 2019-24 के दौरान निवास/पंजीकृत बालकों के आधार पर कलेक्टर की अनुशंसा पर खुला आश्रय गृह, ज्ञान पथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल का वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। आई.सी.पी.एस. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खुला आश्रय गृह को प्रति बालक ₹2,160 का मासिक भरण-पोषण अनुदान प्रदान किया गया था। परामर्श के बाद 169 बालकों को उनके माता-पिता को सौंप दिया गया।

इसके अलावा, निर्गम सम्मेलन में, शासन ने स्वीकार किया (सितंबर 2025) कि खुला आश्रय गृह को अधिक अनुदान जारी किया गया था, किन्तु स्पष्ट किया कि भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार की स्वीकृति खुला आश्रय गृह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, डी.पी.ओ., भोपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि बालकों को केवल दिन में देखरेख सेवाएं प्रदान की गई थीं, जिनके लिए दिन में देखरेख सेवाओं के लिए प्रति बालक ₹1,080 का मासिक भरण-पोषण अनुदान स्वीकार्य था। इसके साथ ही, शासन के उत्तर के साथ प्रदान किए गए 169 लाभार्थियों की सूची से पता चला कि 31 मार्च 2022 से पहले 165 बालकों ने संस्थान छोड़ दिया, इसके बावजूद, खुला आश्रय गृह ने वर्ष 2022-23 के लिए इन बालकों के लिए भी निधि की मांग की, जो इसके द्वारा उठाई गयी निधि की अधिक मांग की निरंतरता को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि वर्ष 2019-22 के दौरान, सी.सी.आई. को अधिक अनुदान जारी किया गया था।

3.8.1.2 बालकों के लिए भरण-पोषण अनुदान पर अधिक व्यय

खुले आश्रय गृह, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) एवं बाल गृह की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को राज्य शासन/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ***तालिका-3.2*** में दिया गया है।

तालिका-3.2: वित्तीय सहायता के लिए दर एवं प्रावधान का विवरण

प्रयोज्यता की अवधि	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश	सी.सी.आई. का प्रकार	प्रति बालक मासिक दर *(राशि ₹ में)*
2019-23	परिशिष्ट-VIII	खुला आश्रय गृह	1,080 (केवल दिन के दौरान सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालक)
	परिशिष्ट IX एवं X	एस.ए.ए. एवं बाल गृह	2,000
2023-24	मिशन वात्सल्य (मई 2023)	एस.ए.ए. एवं खुला आश्रय गृह	2,500
		बाल गृह	3,000

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

41 सी.सी.आई. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, 10 सी.सी.आई. में विसंगतियां पाई गई, जिनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां निवासरत बालकों की संख्या प्रतिवेदित बालकों की संख्या से कम थी, अथवा जहां बालक पूरे वर्ष के लिए संस्थानों में नहीं रहे। हालांकि, भरण-पोषण के व्यय का भुगतान वार्षिक आधार पर किया गया था एवं उनके प्रवास की वास्तविक अवधि के अनुपात में भुगतान नहीं किया गया था। इससे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भरण-पोषण पर ₹1.29 करोड़[96] का अधिक व्यय हुआ। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-3.3*** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि भरण-पोषण अनुदान के तहत अधिक व्यय की समीक्षा की जाएगी।

अनुशंसा:

शासन, अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा बालकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी एवं उपयोग की गयी निधियों की निगरानी तथा अभिलेखीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर, उन्हें लागू कर सकता है।

3.9 सी.सी.आई. की कार्यप्रणाली

3.9.1 वैधानिक सहायता सेवाएं

3.9.1.1 सेवा वितरण संरचना में कर्मचारियों की कमी

राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एस.सी.पी.एस.) एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एस.ए.आर.ए.) तथा जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डी.सी.पी.यू.) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मौलिक सेवा वितरण इकाइयां हैं। इन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के लिए, भारत सरकार ने राज्य शासन को वित्तीय सहायता प्रदान की। महिला एवं बाल

96 ओ.एस. ग्वालियर (₹12.23 लाख), ओ.एस. इंदौर (₹7.55 लाख), ओ.एस. भोपाल (₹40.04 लाख), एस.ए.ए. पी.एम.एम. ग्वालियर (₹9.91 लाख), एस.ए.ए. छतरपुर (₹7.12 लाख), एस.ए.ए. जबलपुर (₹6.00 लाख), सी.एच. (बालक) रीवा (₹2.34 लाख), सी.एच. (बालिका) सागर (₹20.00 लाख), सी.एच. (बालक) छतरपुर (₹11.24 लाख), सी.एच. (बालक) ग्वालियर (₹12.19 लाख)

विकास, मध्य प्रदेश शासन ने एस.सी.पी.एस., राज्य स्तर पर एस.ए.आर.ए. एवं जिला स्तर पर डी.सी.पी.यू. के लिए पद स्वीकृत किए हैं (जून 2012)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य स्तर के साथ-साथ चयनित जिलों में भी अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों में निर्धारित कार्मिक व्ययस्था के अनुसार, सी.सी.आई. को प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों की एक विशिष्ट संख्या बनाए रखनी होती है। 39 चयनित सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि अवधि 2019-2024 के दौरान 14 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह (ए.एच.) में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण कमी रही। एस.सी.पी.एस., एस.ए.आर.ए., नौ डी.सी.पी.यू. एवं 15 सी.सी.आई./ पश्चातवर्ती देखरेख गृह में जनशक्ति की कमी का प्रतिशत नीचे ***चार्ट-3.4*** में दिखाया गया है:

चार्ट-3.4: एस.सी.पी.एस., एस.ए.आर.ए., डी.सी.पी.यू. एवं सी.सी.आई. स्तर पर जनशक्ति की कमी

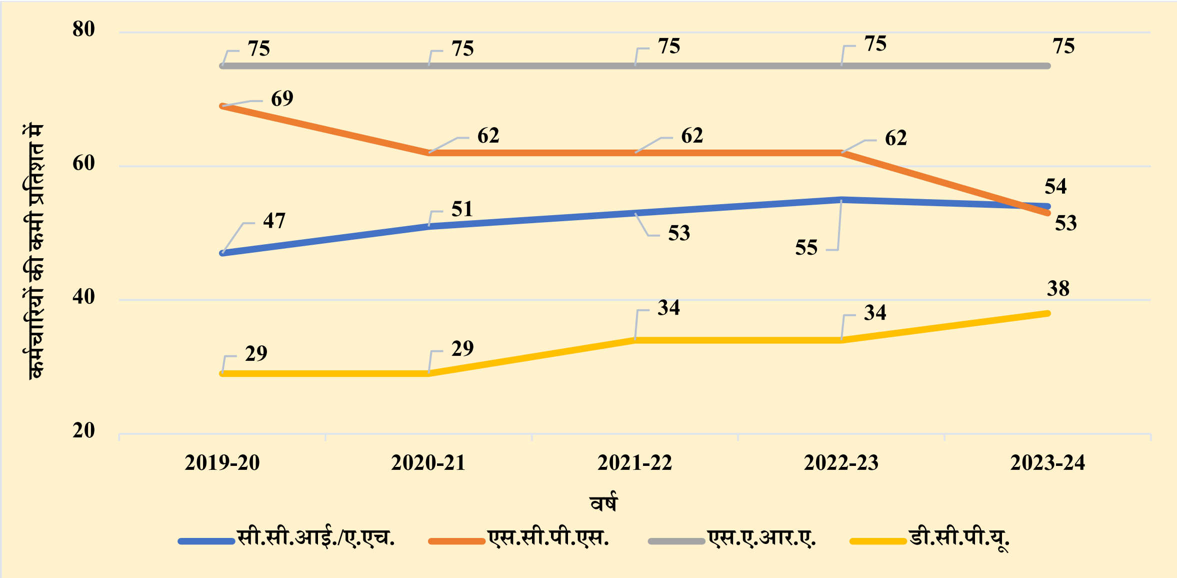

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं अभिलेख

एस.सी.पी.एस., एस.ए.आर.ए. एवं डी.सी.पी.यू. स्तर पर जनशक्ति की कमी

उपरोक्त चार्ट से यह देखा गया कि एस.सी.पी.एस. स्तर पर जनशक्ति की कमी 69 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हो गई। हालांकि, डी.सी.पी.यू. स्तर पर यह 29 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई, जबकि एस.ए.आर.ए. स्तर पर यह इस अवधि के दौरान 75 प्रतिशत पर स्थिर रही। एस.सी.पी.एस., एस.ए.आर.ए. एवं डी.सी.पी.यू. का वर्षवार एवं पदवार विवरण ***परिशिष्ट-3.4*** में दिया गया है।

चयनित नौ जिलों में से, खंडवा जिले में कर्मचारियों की अधिकतम कमी पाई गई, जहां वर्ष 2019-24 के दौरान 11 के विरुद्ध दो से तीन कर्मचारी पदस्थ थें। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बालकों के लिए जिला स्तर पर प्रभावी संस्थागत/आवासीय देखरेख सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) के महत्वपूर्ण पद को भी खंडवा जिले में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं भरा गया था।

कर्मचारियों की कमी ने प्रत्येक स्तर पर आई.सी.पी.एस. के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जैसा कि इस प्रतिवेदन में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है।

शासन द्वारा संचालित 15 सी.सी.आई. एवं पश्चातवर्ती देखरेख गृह (ए.एच.) में जनशक्ति की कमी

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 15 सी.सी.आई./ए.एच. में जनशक्ति की कमी 47 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई। इन संस्थानों में 236 की आवश्यक संख्या के विरुद्ध 112 (47 प्रतिशत) से 130 (55 प्रतिशत) कर्मचारियों की कमी थी, जो निर्धारित कार्मिक व्यवस्था मानदंडों का पालन न करने तथा संभावित रूप से योजना की गुणवत्ता एवं समग्र प्रशासन को प्रभावित करने को दर्शाती है। इन 14 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में कर्मचारियों की कमी का विवरण ***परिशिष्ट-3.5*** में दिया गया है।

इसके अलावा, हमने यह भी देखा कि अधीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी के महत्वपूर्ण पदों में निम्नानुसार कमी थी:

- संस्थान की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी अधीक्षक की होती है। यह देखा गया कि शासकीय बालिका गृह भोपाल में अधीक्षक का पद जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 के दौरान वन-स्टॉप सेंटर[97] के प्रभारी द्वारा अतिरिक्त रूप से तथा सम्प्रेषण गृह छतरपुर, खंडवा, सागर एवं सिवनी में अधीक्षक का पद लेखापरीक्षा अवधि के दौरान परियोजना अधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा अतिरिक्त रूप से धारण किया गया था। इस प्रकार, अधीक्षक के पद पर प्रभारी का होना, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सी.सी.आई. में सुविधाओं से समझौता किया गया था।

- किशोरों की गतिविधियों का आकलन करने के लिए आवश्यक परिवीक्षा अधिकारियों को वर्ष 2019-24 के दौरान आठ शासकीय गृहों में[98] एवं वर्ष 2019-23 के दौरान सम्प्रेषण गृह (बालक), इंदौर में तैनात नहीं किया गया था। इस प्रकार, कर्मचारियों की कमी ने संस्थागत, आई.सी.पी.एस. की निगरानी, वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन एवं सी.सी.आई. स्तर पर अवसंरचना सुविधाओं को प्रभावित किया, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

शासन ने (सितंबर 2025) इस तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि कर्मचारियों की उपलब्धता में सुधार के प्रयास किए जाएंगे।

3.9.1.2 व्यक्तिगत देखरेख योजना को तैयार न किया जाना

जे.जे. नियम 2016 के नियम 2 (ix) के अनुसार, व्यक्तिगत देखरेख योजना (आई.सी.पी.) किसी बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस बालक की आयु एवं लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा एवं स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो। आई.सी.पी.एस. के अध्याय 10 (द) की कंडिका 6 के अनुसार, आई.सी.पी. को बालकों के प्रवेश के एक माह के भीतर डी.सी.पी.यू. के परामर्श से विकसित किया जाएगा तथा बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)[99] द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हर छः माह में आई.सी.पी. की समीक्षा की जाएगी।

चयनित 39 सी.सी.आई. के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि व्यक्तिगत देखरेख योजना डी.सी.पी.यू. के परामर्श के बिना एवं सी.डब्ल्यू.सी. अथवा किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) से अनुमोदन प्राप्त किए बिना तैयार किए गए थे। इसके अलावा, आठ सी.सी.आई. में रहने वाले 92 बालकों के आई.सी.पी. तैयार करने एवं समीक्षा करने के संबंध में अनियमितताएं पाई गईं, जैसा कि नीचे ***तालिका-3.3*** में दिया गया है:

---

97 व्यथित महिलाओं एवं लड़कियों को तत्काल सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अस्थायी आश्रय

98 सम्प्रेषण गृह भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सिवनी, बाल गृह (बालिका) भोपाल

99 जे.जे. अधिनियम के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए।

तालिका-3.3: बालकों के आई.सी.पी. बनाने/समीक्षा करने में पाई गई अनियमितताएं

सी.सी.आई. का विवरण	आई.सी.पी. सत्यापन के लिए चयनित बालकों/बालिकाओं की संख्या	सी.सी.आई. में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के आई.सी.पी. तैयार करने एवं उनकी समीक्षा करने के संबंध में पाई गईं अनियमितताएं
खुला आश्रय गृह(बालक) भोपाल	7	आई.सी.पी. बनाने की तिथि को व्हाइटनर का उपयोग करके संशोधित पाया गया
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, सेवा भारती मातृ छाया, भोपाल	5	बालकों की फाइलों में आई.सी.पी. संलग्न नहीं थे।
बाल गृह(बालक) इंदौर	12	तीन बालकों की आई.सी.पी. नहीं बनाई गई। चार बालकों के आई.सी.पी. पांच से 35 माह के विलंब से बनाये गए थे। एक बालक के मामले में आई.सी.पी. की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। चार बालकों के आई.सी.पी. की समीक्षा नहीं की गई।
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, राजकीय बाल संरक्षण आश्रम (शासकीय) इंदौर	14	एक बालक की आई.सी.पी. तैयार नहीं की गई थी। 11 बालकों के आई.सी.पी. तीन से 37 माह के विलंब से तैयार किए गए थे तथा 4 दिसंबर 2024 तक इसकी समीक्षा नहीं की गई थी। दो बालकों के आई.सी.पी. की तैयारी के 41 एवं 59 माह के बाद समीक्षा की गई।
खुला आश्रय गृह (बालक) इंदौर	10	बालकों के आई.सी.पी. तैयार नहीं किए गए थे।
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल गृह बालक/बालिकाएं इंदौर	5	बालक/बालिकाओं के आई.सी.पी. तैयार नहीं किए गए थे।
बाल गृह (बालिका) जबलपुर	28	एक बालिका का आई.सी.पी. प्रवेश की तिथि (अगस्त 2023) से आठ माह के विलंब से तैयार किया गया (अप्रैल 2024) था तथा नवंबर 2024 में संयुक्त भौतिक सत्यापन तक समीक्षा नहीं की गई थी।
खुला आश्रय गृह (बालक) सागर	11	प्रवेश के माह (जुलाई 2022) से 29 माह के विलंब से सात बालकों की आई.सी.पी. (दिसंबर 2024) तैयार की गई थी।
योग	**92**	

इस प्रकार, आई.सी.पी. के उचित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आई.सी.पी.एस. योजना का निगरानी तंत्र पूरी तरह से अपर्याप्त था। आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत आई.सी.पी. तैयार न करने से बालक/बालिका के आत्मसम्मान, गरिमा एवं स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने तथा उसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि विभाग इन कमियों पर ध्यान देगा।

यह प्रतिक्रिया भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई को दर्शाती है।

3.9.2 बाल देखरेख संस्थानों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों के संबंधित जिला डी.सी.पी.यू. के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 39 सी.सी.आई. तथा दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह का निरीक्षण (जून 2024 एवं जनवरी 2025) किया गया। निरीक्षण के दौरान योजना के निर्धारित मानकों के अनुपालन में विभिन्न विचलन पाए गए, जिनका विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

3.9.2.1 सी.सी.आई. में अपर्याप्त अवसंरचना

योजना दिशा-निर्देशों के अध्याय 10 (ब) तथा अनुलग्नक-XIV में, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थानों में बालकों के लिए 'न्यूनतम देखरेख के मानक' के अंतर्गत अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 21(3) के अनुसार राज्य शासन संबंधित संस्था में अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप बालकों की देखरेख एवं संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं भोजन की सुविधा, व्यावसायिक सुविधा तथा पुनर्वास आदि के लिए मौजूद प्रावधानों का सत्यापन करने के उपरांत, उस संस्था को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

लेखापरीक्षा के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों का विवरण नीचे ***तालिका-3.4*** तथा ***चित्र-3.1*** एवं ***3.2*** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4 : नमूना जांच किए गए सी.सी.आई एवं पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अवसंरचना संबंधी कमियां

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकताएं	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
खुला आश्रय गृह	
25 बालकों के लिए खुला आश्रय गृह में (रसोईघर एवं स्नानघर सहित) न्यूनतम 2000 वर्ग फुट का कार्पेट एरिया होना चाहिए।	न्यूनतम कार्पेट एरिया की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध, ग्वालियर में स्थित खुला आश्रय गृह 25 बालकों की स्वीकृत क्षमता के साथ मात्र 1800 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले एक ही हॉल में संचालित पाया गया।
बाल देखरेख संस्थान	
25 बालकों/किशोरों के लिए सामूहिक शयनकक्ष का न्यूनतम कार्पेट एरिया 1000 वर्ग फुट निर्धारित है (अर्थात सामूहिक शयनकक्ष में प्रति बालक 40 वर्ग फुट)	कुल 20 सी.सी.आई. निर्धारित 40 वर्ग फुट प्रति बालक/बालिका के अपेक्षित कार्पेट एरिया के विरुद्ध, प्रति बालक 11.52 से 30.52 वर्ग फुट के कम एरिया में संचालित पाए गए। विवरण ***परिशिष्ट–3.6*** में दिया गया है।
25 बालकों /किशोरों के लिए कक्षा का न्यूनतम कार्पेट एरिया 300 वर्ग फुट निर्धारित है (अर्थात प्रति बालक 12 वर्ग फुट)।	एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह (ए.एच.) सहित आठ सी.सी.आई.[100] में बालकों /किशोरों के लिए पृथक कक्षाएं नहीं थी। वहीं 12 अन्य सी.सी.आई. में पृथक कक्षाएं तो थी, परंतु कक्षा का आकार प्रति बालक/बालिका मात्र 2.4 से 8.9 वर्ग फुट था। विवरण ***परिशिष्ट–3.7*** में दिया गया है।
रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष के लिए न्यूनतम कार्पेट एरिया 75 वर्ग फुट प्रति बालक निर्धारित है (अर्थात 10 बालकों के लिए 750 वर्ग फुट)।	15 सी.सी.आई.[101] में पृथक रोगी कक्ष /प्राथमिक उपचार कक्ष नहीं थी। वहीं, आठ सी.सी.आई. में रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष तो उपलब्ध थे, किंतु उनका क्षेत्रफल केवल 80 से 345 वर्ग फुट के बीच पाया गया। विवरण ***परिशिष्ट–3.8*** में दिया गया है।
परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष की उपलब्धता	15 सी.सी.आई.[102] (जिनमें एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह भी शामिल है) में पृथक परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष नहीं था।

[100] 1. ओ.एच. भोपाल 2. सी.एच. भोपाल 3. ए.एच. भोपाल 4. सी.एच. इंदौर 5. ओ.एच. इंदौर 6. ओ.एच. रीवा 7. ओ.एच. सागर 8. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर

[101] 1. ओ.एच. ग्वालियर, 2. ओ.एच. भोपाल, 3. एस.एच. बालक इंदौर, 4. ओ.एच. इंदौर, 5. सी.एच. (विशेष आवश्यकता) इंदौर, 6. एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए. इंदौर, 7. सी.एच. (बालक) छतरपुर, 8. ओ.एच. छतरपुर, 9. ओ.एच. रीवा, 10. ए.एच. जबलपुर, 11. ओ.एच. जबलपुर, 12. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर, 13. ओ.एच. खंडवा, 14. एस.ए.ए. खंडवा एवं 15. सी.एच. (बालक/बालिका), भोपाल बालिका इकाई

[102] 1. शा. सी.एच. (बालिका) भोपाल, 2. सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल, 3. ए.एच. भोपाल, 4. सी.एच. (बालक) इंदौर, 5. सी.एच. (बालिका) इंदौर, 6. एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए. इंदौर, 7. सी.एच. (बालक) छतरपुर, 8. ओ.एच. छतरपुर, 9. ओ.एच. जबलपुर, 10. ए.एच. जबलपुर, 11. सी.एच. (बालक) रीवा, 12. ओ.एच. रीवा, 13. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर, 14. ओ.एस. सागर एवं 15. ओ.एच. खंडवा

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकताएं	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) में प्रति शिशु पालना	एस.ए.ए. (प्रगति महिला मंडल), ग्वालियर में 10 के विरुद्ध केवल छः पालने है एवं शासकीय बाल संरक्षण आश्रम एस.ए.ए, इंदौर में एक भी पालना नहीं है।
प्रत्येक संस्था में पृथक भोजन कक्ष	15 सी.सी.आई. [103] में पृथक भोजन कक्ष नहीं पाया गया।
बालकों के लिए व्यक्तिगत लॉकर	13 सी.सी.आई.[104] में बालकों के लिए व्यक्तिगत लॉकर नहीं थे।
50 बालकों के लिए आठ शौचालय	16 सी.सी.आई. में एक से लेकर छः तक शौचालयों की कमी थी ***(परिशिष्ट–3.9)*** ।
कमरे उचित वायु आवागमन, प्रकाश तथा पॉवर बैकअप के साथ हो।	चार सी.सी.आई.[105] में सामूहिक शयनकक्ष में उचित वायु आवागमन नहीं था, जबकि बाल गृह, ग्वालियर के भूतल पर स्थित दो कमरों में वायु आवागमन नहीं था । इसके अतिरिक्त, चार सी.सी.आई.[106] में अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था पाई गई, जबकि आठ सी.सी.आई.[107] में पॉवर बैकअप उपलब्ध नहीं था ।
50 बालकों के लिए पांच बाथरूम	14 सी.सी.आई. में एक से लेकर चार के बीच बाथरूम की कमी थी (***परिशिष्ट-3.10***)।

चित्र 3.1: संप्रेषण गृह भोपाल का भीड़भाड़ वाला सामूहिक शयनकक्ष, जो न्यूनतम स्थान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है

चित्र 3.2: विशेष गृह (बालक), इंदौर की भीड़भाड़ वाली कक्षा, जो न्यूनतम स्थान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है

इस प्रकार, नमूना जांच किए गए सी.सी.आई में अवसंरचना एवं सुविधाएं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप निवासी बालकों के जीवन स्तर से समझौता किया गया था। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के समय अपेक्षित प्रारंभिक निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इन प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण निरीक्षण मानकों के अनुपालन को लेकर प्रश्न खड़े करता है।

[103] 1. ओ.एच. ग्वालियर, 2. शासकीय सी.एच. (बालिका) भोपाल, 3. एस.एच. (बालक) इंदौर, 4. एस.एच. (बालिका) इंदौर, 5. ओ.एच. इंदौर, 6. सी.एच. (बालिका) इंदौर, 7. ओ.एच. छतरपुर, 8. ओ.एच. रीवा, 9. ए.एच. जबलपुर, 10. ओ.एच. जबलपुर, 11. सी.एच (बालक/बालिका) सागर, 12. ओ.एच. सागर, 13. ओ.एच. खंडवा, 14. ओ.एच. सिवनी एवं 15. एस.एच. (बालक) सिवनी

[104] 1. सी.एच. ग्वालियर, 2. ओ.एच. ग्वालियर, 3. ओ.एस. ग्वालियर, 4. ओ.एस. भोपाल, 5. ओ.एच. भोपाल, 6. शा. सी.एच. (बालिका) भोपाल, 7. सी.एच. (बालक) इंदौर, 8. ओ.एच. इंदौर, 9. ए.एच. जबलपुर, 10. ओ.एस. सागर, 11. सी.एच. (बालिका) सागर, 12. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर एवं 13. ओ.एच. सागर

[105] 1. ओ.एच. भोपाल, 2. सी.एच. बालक/बालिका भोपाल, 3. एस.एच. (बालक) इंदौर एवं 4. ओ.एच. इंदौर

[106] 1. सी.एच. बालक/बालिका भोपाल, 2. एस.एच. इंदौर, 3. ओ.एच. इंदौर, 4. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर

[107] 1. ओ.एस. ग्वालियर, 2. ओ.एच. भोपाल, 3. ए.एच. भोपाल, 4. सी.एच. (बालक) इंदौर, 5. एस.एच. (बालक) इंदौर, 6. सी.एच. (बालक) रीवा, 7. ए.एच. जबलपुर एवं 8. ओ.एस. सागर

शासन ने (सितंबर 2025 में) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित शासकीय सी.सी.आई. वर्ष 2010 में सामाजिक न्याय विभाग से हस्तांतरित किए गए थे। इन भवनों का निर्माण वर्तमान जे.जे. अधिनियम के मानकों से काफी पूर्व किया गया था। भविष्य में प्रचलित मानकों के अनुरूप नए सी.सी.आई. भवनों के निर्माण हेतु प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर में भविष्य में सी.सी.आई, की स्थापना के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना का उल्लेख किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि ये सी.सी.आई. निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाओं से वंचित थे, जिसके संबंध में शासन द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

3.9.2.2 लिंग एवं आयु के आधार पर सी.सी.आई. का पृथक्करण न किया जाना

चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान, बालक/बालिकाओं को लिंग एवं आयु के आधार पर पृथक करने से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

(क) बाल गृह

जे.जे. नियम, 2016 के नियम 29 में प्रावधान है कि 7 से 11 वर्ष तथा 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक बाल गृह स्थापित किए जाएं। उक्त नियमों के नियम 26(4) के अनुसार, बालिकाओं को आश्रय प्रदान करने वाले बाल देखरेख संस्थानों में केवल महिला प्रभारी तथा कर्मचारी की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है।

बाल गृह, बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल में, बालक एवं बालिकाएं दोनों इकाइयाँ एक ही पंजीकरण (फरवरी 2015 एवं अगस्त 2019) के तहत संचालित होती थीं। हालांकि, प्रत्येक इकाई के लिए अलग पंजीकरण फरवरी 2024 में जारी किया गया, जो दर्शाता है कि दोनों इकाइयाँ उस समय तक एक ही पंजीकरण के तहत संचालित होती रहीं।

इस बाल गृह के जे.पी.वी. (सितंबर 2024) के दौरान यह देखा गया कि बालक एवं बालिकाओं की इकाइयाँ एक ही परिसर में संचालित हो रही थीं तथा उनमें विभाजन का अभाव था। भोजनालय/रसोई, रोगी कक्ष, कार्यशाला, पुस्तकालय, परामर्श (कार्यालय में), खुला क्षेत्र आदि जैसी विभिन्न अन्य सुविधाएँ दोनों इकाइयों द्वारा साझा रूप से उपयोग की जा रही थीं। उपस्थिति पंजी एवं चिकित्सकीय जाँच पंजी जैसे अभिलेख भी बालक एवं बालिकाओं के लिए एक साथ संधारित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-24 के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र की 24 बालिकाएं तथा छः बालक क्रमशः बालिकाओं एवं बालकों की इकाइयों में निवासरत थे। निरीक्षण पंजी की जाँच मे यह पाया गया कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बालक एवं बालिकाओं के छात्रावास के बीच विभाजन या दीवार के अभाव तथा दोनों इकाइयों के लिए केवल एक ही वार्डन तैनात होने पर टिप्पणियाँ दी गई थीं (अगस्त तथा दिसंबर 2019)। निरीक्षण अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों का अनुपालन नहीं किया गया।

एक अन्य घटना में, बाल गृह (बालिका) जबलपुर एवं बाल गृह (बालक), सागर के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि जून 2017 से अगस्त 2024 के दौरान तीन बालक एवं 23 बालिकाएँ 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भी संबंधित सी.सी.आई. में निवासरत थे। इनके ठहरने की अवधि 51 दिनों से लेकर 1,276 दिनों तक का रहा, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.11*** में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि उन प्रकरणों में जहाँ बालक/बालिकाएँ चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उन्हें सत्र की समाप्ति तक संस्था से मुक्त करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सी.सी.आई. को जे.जे. अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत एवं संचालित किया गया था। जे.जे. अधिनियम 2015 के लागू होने के बाद, भारत सरकार द्वारा बालक एवं बालिकाओं के लिए सी.सी.आई. के अलग-अलग पंजीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण

दिया गया। भारत सरकार द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग पंजीकरण कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निवास अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी थी तथा बालक एवं बालिकाओं की इकाइयाँ एक ही परिसर में बिना किसी विभाजन के संचालित हो रही थीं।

प्रकरण अध्ययन-3.1: बालक एवं बालिकाओं के लिए सी.सी.आई. का एक ही परिसर में संचालन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को सूचित किया (जनवरी 2023) कि बालक एवं बालिकाओं का बाल गृह (आधारशिला संस्थान, दमोह) एक ही परिसर में संचालित हो रहा था, जिसमें 16-17 वर्ष की उम्र के बालक एवं बालिकाओं के निवास के बीच कोई विभाजन नहीं था।

यह देखा गया कि दोनों इकाइयाँ एक ही पंजीकरण के तहत संचालित हो रही थीं तथा डी.सी.पी.यू. यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि पंजीकरण आधारशिला बालिका गृह के लिए था या आधारशिला बालक गृह के लिए था। एन.सी.पी.सी.आर. ने संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन को सूचित किया। हालांकि, एन.सी.पी.सी.आर. के निर्देशों के अनुसार कमियों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए

इसके पश्चात एक मामला सामने आया जिसमें एक बालिका का बाल गृह में एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न किया गया। इसके उपरांत, सी.सी.आई. का पंजीकरण अगस्त 2023 में निरस्त कर दिया गया।

चूंकि दोनों इकाइयाँ उचित विभाजन के बिना एक साथ संचालित हो रही थीं, जो कि निर्धारित जे.जे. नियमों का उल्लंघन था। यह न केवल बालक/बालिकाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से समझौता किए जाने को इंगित करता है, बल्कि ऐसे संस्थानों हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन में प्रणालीगत अनदेखी को भी परिलक्षित करता है।

शासन ने उक्त तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2025) किया।

(ख) विशेष गृह एवं संप्रेषण गृह

जे.जे. नियम, 2016 का नियम 29 निर्धारित करता है कि बालक एवं बालिकाओं के लिए उनके आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग विशेष गृह एवं संप्रेषण गृह होगा। जे.जे. अधिनियम की धारा 49 निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना की जायेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जो सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच का है एवं कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्धदोष ठहराया गया है, रखा जा सके।

विशेष गृह (बालक), इंदौर के अभिलेखों के जाँच की दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान 550 में से 363 बच्चें 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भी विशेष गृह में निवासरत थें, जबकि उन्हें सुरक्षित स्थान में रखा जाना चाहिए था।

नवम्बर 2024 के जे.पी.वी. के समय यह भी देखा गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 39 बच्चें ऐसे गृह में निवासरत थे, जहाँ केवल 26 पलंग उपयोग में थे। परिणामस्वरूप, बच्चें उन बच्चें के साथ पलंग को साझा करने हेतु मजबूर थे, जो जघन्य अपराध के आरोपी थे।

इसी प्रकार, संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह, सिवनी एक ही परिसर में संचालित हो रहे थे। यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान 1,358 में से 427 बच्चें 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद सुरक्षित स्थान में रहने के बजाय इन्हीं गृह में निवासरत थे। दिसम्बर 2024

के जे.पी.वी. के समय, गृह में 68 बच्चें[108] निवासरत थें। दोनों गृहों के बीच कोई विभाजन नहीं था। सभी बच्चें दो सामूहिक शयनकक्षों में रह रहे थे।

एक ही परिसर में संचालित संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह तथा दो सामूहिक शयनकक्षों में रहने की व्यवस्था को दर्शाने वाली चित्र:

चित्र-3.3: एक परिसर में चल रहा संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह

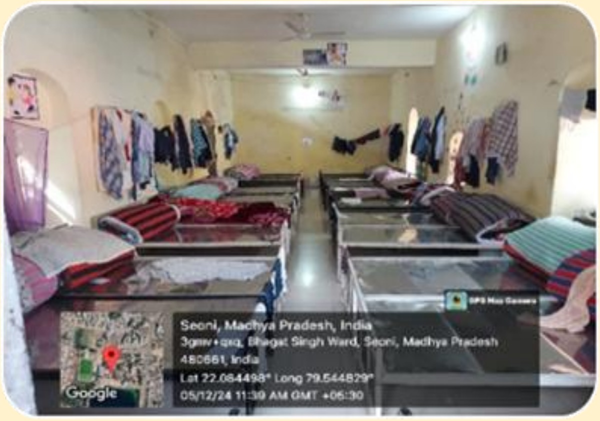

चित्र-3.4: सुरक्षित स्थान, विशेष गृह एवं संप्रेषण गृह के लिए पात्र बालकों को उपलब्ध कराया गया सामूहिक शयनकक्ष

उपरोक्त विशेष गृहों में वर्षवार प्रवेशित एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों की संख्या नीचे ***तालिका-3.5*** में दी गई है :

तालिका-3.5: 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों का वर्षवार विवरण

वर्ष	इंदौर			सिवनी		
	प्रवेशित बालकों की कुल संख्या	जघन्य अपराध करने के आरोप में आरोपित बालकों की संख्या	18 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों की संख्या (प्रतिशत)	प्रवेशित बालकों की कुल संख्या	जघन्य अपराध करने के आरोप में आरोपित बालकों की संख्या	18 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों की संख्या (प्रतिशत)
2019-20	108	55	64 (59)	319	64	56 (18)
2020-21	65	33	49 (82)	235	66	64 (27)
2021-22	70	35	50 (71)	193	61	51 (26)
2022-23	86	42	50 (58)	251	81	92 (37)
2023-24	221	90	150 (68)	360	127	174 (48)
योग	**550**	**255**	**363 (66)**	**1358**	**399**	**427 (31)**

स्रोत: सी.सी.आई. की प्रवेश पंजी

आपराधिक इरादे वाले वयस्कों की उपस्थिति अन्य निवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है तथा तोड़फोड़, चोरी एवं दुर्व्यवहार सहित अन्य अपराधों के जोखिम को बढ़ा सकती है।

जिला बाल संरक्षण समिति (डी.सी.पी.सी.) की बैठकों के दौरान, दिसंबर 2019 एवं जून 2020 में क्रमशः इंदौर एवं सिवनी में भी विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान के बीच विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि, विभाग द्वारा इनका विभाजन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

108 सुरक्षित स्थान में निवास के पात्र 60 बच्चे पाए गए, तीन विशेष गृह तथा पाँच संप्रेषण गृह से संबंधित थे।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि इंदौर के विशेष गृह (बालक) में तीन सामूहिक शयनकक्ष हैं, जो बालकों को उनकी उम्र एवं अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर अलग-अलग बनाये गये थे। इन कमरों में 50 बालकों तक को रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर एवं पलंग उपलब्ध हैं। लेखापरीक्षा दल के निरीक्षण के समय केवल दो कमरे निरीक्षण के लिए दिखाए गए थे। एक कमरे का निरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि वह निरीक्षण के समय बंद था। सिवनी के विशेष गृह के संबंध में, 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को माननीय किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों के अनुसार प्रवेश दिया गया। हालांकि, 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालक गृह में अलग-अलग कमरों में निवासरत हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बंद कमरे का भी निरीक्षण किया गया था, जो गंदी एवं जर्जर स्थिति में पाया गया था तथा उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं था।

संप्रेषण गृह, भोपाल, रीवा एवं सागर

संप्रेषण गृह के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के 108 बालकों को अन्य बालकों के साथ प्रवेश दिया गया था। इसका विवरण नीचे ***तालिका-3.6*** में दिया गया है:

तालिका-3.6: 18 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों का वर्षवार विवरण

वर्ष	प्रवेशित बालकों की कुल संख्या		
	भोपाल	रीवा	सागर
2019-20	14	11	1
2020-21	12	16	3
2021-22	4	4	0
2022-23	14	8	0
2023-24	14	2	5
योग	**58**	**41**	**9**

स्रोत: गृह द्वारा प्रस्तुत जानकारी

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार बालकों को संस्थान में भर्ती एवं मुक्त किया जाता है, जो माननीय किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों के अनुपालन में होता है। विभाग न्यायिक आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह जे.जे. अधिनियम का उल्लंघन है, चूँकि संप्रेषण गृह विधिक रूप से केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए ही बनाए गए है।

(ग) विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण

आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि छः वर्ष से कम उम्र के दत्तक ग्रहण योग्य बालकों को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण में आवासीय देखरेख प्रदान की जानी चाहिए।

एस.ए.ए. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इंदौर

यह देखा गया कि एस.ए.ए. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इंदौर में छः वर्ष से अधिक उम्र के बालक भी निवासरत थे। वर्ष 2019 से 2024 के बीच, इस संस्था में सात से तेरह वर्ष की उम्र की नौ से 45 बालिकाएँ एवं एक से 10 बालक निवासरत थे।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि संस्था में छः वर्ष से अधिक उम्र के निवासरत बालकों को पृथक करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

3.9.2.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रदान न किया जाना

जे.जे. अधिनियम का नियम 37 निर्धारित करता है कि प्रत्येक सी.सी.आई. बालकों को उनकी उम्र, योग्यता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार, सी.सी.आई. के भीतर तथा बाहर, उपयोगी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

सी.सी.आई. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों में से तीन सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी पाई गई। वर्ष 2019-24 के दौरान 580 बालक/बालिकाओं में से केवल 104 को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसका विवरण नीचे ***तालिका-3.7*** में दिया गया है:

तालिका-3.7 : प्रदान न किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का विवरण

सी.सी.आई. का नाम	वर्ष 2019-24 के दौरान 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निवासरत बालकों की संख्या	बालकों की संख्या जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया
बाल गृह (बालक), ग्वालियर	204	203
खुला आश्रय गृह (बालक), ग्वालियर	134	134
बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल	65	52
पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल	177	87
योग	**580**	**476**

स्रोत: उपस्थिति पंजी, प्रवेश पंजी एवं लेखापरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत जानकारी

अतः व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध न कराया जाना न केवल जे.जे. नियमों का उल्लंघन था, बल्कि इससे बालकों को लाभप्रद रोजगार की संभावनाओं को सुदृढ़ करने के अवसर से भी वंचित होना पड़ा।

शासन ने आश्वासन दिया (सितंबर 2025) कि व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.9.2.4 आहार मानक का पालन न किया जाना

जे.जे. नियम, 2016 के नियम 33 में सी.सी.आई. द्वारा अनुपालित किए जाने वाले पोषण एवं आहार मानकों का प्रावधान किया गया है। संतुलित आहार सुनिश्चित करने हेतु व्यंजन सूची पोषण विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक की सहायता से तैयार की जाएगी। दिन के लिए व्यंजन सूची (आहार तालिका) बाल समिति (मेस समिति) से परामर्श कर तैयार की जाएगी तथा भोजन कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक सी.सी.आई. के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विनिर्दिष्ट न्यूनतम पोषण मानक एवं आहार मापदंडों का कठोरता से अनुपालन करे।

अभिलेखों की जांच एवं जे.पी.वी. के दौरान पाया गया कि परीक्षण के लिए चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों में से 17 सी.सी.आई. तथा एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह[109] में मेस समिति का गठन नहीं किया गया था। मेस समिति के अभाव में बालकों को परोसे जा रहे भोजन की निगरानी नहीं की गयी | यह भी देखा गया कि तीन सी.सी.आई.[110] में न तो दिन के लिए व्यंजन सूची सूची/आहार चार्ट प्रदर्शित किया गया था न ही आहार पंजी (डाइट रजिस्टर) का संधारण किया गया था। इन

[109] 1. ए.एच. भोपाल, 2. ओ.एस. (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, 3. ओ.एस. ग्वालियर, 4. ओ.एच. ग्वालियर, 5. सी.एच. (बालक) ग्वालियर, 6. ओ.एस. (एल.बी.टी.) इंदौर, 7. ओ.एच. छतरपुर, 8. सी.एच. रीवा, 9. ओ.एच. रीवा, 10. सी.एच. (बालक) जबलपुर, 11. सी.एच. (बालिका) जबलपुर, 12. ओ.एच. जबलपुर, 13. ओ.एस. सागर, 14. सी.एच. (बालिका) सागर, 15. सी.एच. (बालक) सागर, 16. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर, 17. ओ.एच. सागर, 18. सी.एच. (बालक) खंडवा

[110] 1. सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल, 2. सी.एच. (बालिका) इंदौर, 3. एस.एच. (बालक) इंदौर

अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा बालकों को प्रदान किए गए आहार की गुणवत्ता एवं मात्रा के सम्बन्ध में आश्वासन प्रदान नहीं कर सका। यह स्थिति डी.सी.पी.यू. द्वारा निगरानी में हुई कमियों को भी दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर अथवा मूंगफली के साथ गुड़ तथा फल आदि संबंधित सी.सी.आई. के आहार चार्ट में शामिल नहीं पाए गए, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.12*** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2025) कि जहाँ भोजन सूची एवं आहार पंजी उपलब्ध नहीं है, वहाँ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2025) के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि मेस समिति से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

3.9.2.5 सी.सी.आई. में सुरक्षा संबंधी चूक

जे.जे. नियम, 2016 का नियम 67, सी.सी.आई. में निवासरत बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अपनाये जाने वाले पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। इसी नियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक सी.सी.आई. में आवश्यक संख्या में स्कैनर एवं मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाए। इसके अतिरिक्त, इसी नियमावली का नियम 85(vi) यह निर्धारित करता है कि सी.सी.आई. से भाग जाने वाले बालकों का अभिलेख रखने की जिम्मेदारी डी.सी.पी.यू. की है।

39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा सुरक्षा संबंधी गंभीर चूक पाई गईं। इनमें सुरक्षा गार्ड की अनुपलब्धता, नीची चारदीवारी जिन पर कांटेदार तार नहीं लगा था, चारदीवारी के समीप वस्तुओं अथवा वृक्षों की उपस्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरों का ठीक से काम न करना, परिसर के भीतर कार्यालयों अथवा विद्यालयों का संचालन तथा बालक/बालिकाओं को संस्था से बाहर ले जाते समय साथ जाने वाले कर्मियों की व्यवस्था का अभाव शामिल था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-3.13*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि उपरोक्त सुरक्षा संबंधी चूकों के गंभीर परिणाम सामने आए, जिसका प्रमाण बालकों के बार-बार भाग जान की घटनाओं से मिलता है। वर्ष 2019-24 के दौरान 23 सी.सी.आई. एवं एक पश्चातवर्ती देखरेख गृह से कुल 218 बालक/किशोर भाग गए, जिनमें से किसी में भी इन संस्थाओं में नियम 67 के तहत आवश्यक मेटल डिटेक्टर अथवा स्कैनर उपलब्ध नहीं थे। इन घटनाओं में बाल गृह (बाल निकेतन ट्रस्ट), भोपाल तथा संप्रेषण गृह, छतरपुर से 25 बालकों[111] का भाग जाना तथा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच बाल गृह, रीवा से चार बालकों का छत के रास्ते से भाग जाना शामिल है। विशेष रूप से, बाल गृह (बाल निकेतन ट्रस्ट), भोपाल में मई 2022 में प्रवेशित एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक प्रवेश के मात्र दो घंटे 30 मिनट के भीतर ही भाग गया।

संप्रेषण गृह, भोपाल में अगस्त 2020 से जनवरी 2024 के बीच सात सुरक्षा कर्मियों के हस्ताक्षरों में पाई गई विसंगतियों से उनकी संभावित अनुपस्थिति अथवा अनियमित उपस्थिति का संकेत मिलता है, जो पूर्णकालिक तैनाती में कमी को दर्शाता है। उक्त घटनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि पर्याप्त भौतिक सुरक्षा, समुचित निगरानी तथा पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता के अभाव में संस्थागत देखरेख में रह रहे बालकों की सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि शासकीय सी.सी.आई. से बालकों के भाग जाने की घटनाएँ होमगार्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात न किए जाने के कारण हुईं। संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। मेटल डिटेक्टर अथवा स्कैनर की खरीद हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निधि की मांग भेजी जाएगी। साथ ही, निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितंबर 2025) तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

---

[111] सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल -19 तथा ओ.एच. छतरपुर - 6

3.9.2.6 सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किया जाना

जे.जे. नियमों के नियम 29(10)(i) के अनुसार, सी.सी.आई. को रसोईघर में अग्निशामक यंत्र का प्रावधान करना होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियम 67(11) में अधिकारियों, बालकों एवं सुरक्षा कर्मियों को आपदा प्रबंधन की स्थिति में बालकों की सुरक्षित निकासी एवं सुरक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाने के संबंध में तत्परता बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, सी.सी.आई. में प्रति माह एक बार मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने का प्रावधान है।

39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि:

- पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल सहित 11 सी.सी.आई.[112] के रसोईघर में अग्निशामक यंत्र स्थापित नहीं पाए गए जबकि सात सी.सी.आई.[113] में अवधि समाप्त अग्निशामक यंत्र पाए गए। इसके अतिरिक्त, विशेष गृह (बालक), इंदौर में अग्निशामक यंत्र स्टोर रूम में पैक किये हुए पाए गए।
- बाल गृह (बालक), ग्वालियर, जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 बालकों की है, वहाँ केवल दो पोर्टेबल अग्निशामक स्प्रे उपलब्ध थे। इनमें से एक स्टोर रूम में तथा दूसरा कार्यालय कक्ष में रखा गया था, जबकि नियमानुसार इन्हें रसोईघर में स्थापित किया जाना था।
- 29 सी.सी.आई.[114], जिनमें पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल भी शामिल है, में स्टाफ को आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में मॉक ड्रिल नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, अप्रशिक्षित स्टाफ के लिए आपात स्थिति में उचित कार्रवाई करना कठिन हो सकता है।
- विभिन्न विभागों के अधिकारियों से गठित निरीक्षण समिति द्वारा (अक्टूबर 2023 से जून 2024 के बीच) पाँच सी.सी.आई.[115] में की गई सुरक्षा लेखापरीक्षा में इंगित की गई कमियों का निराकरण भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024 से जनवरी 2025) के दौरान भी नहीं पाया गया। इससे डी.सी.पी.यू. द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही एवं निगरानी में कमी तथा विभागीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग के अभाव की स्थिति भी परिलक्षित हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

---

[112] 1. सी.एच. (बालक) ग्वालियर, 2. ओ.एच. भोपाल, 3. सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल, 4. ए.एच. भोपाल, 5. एस.एच. (बालक) इंदौर, 6. ओ.एच. इंदौर, 7. सी.एच. (बालिका) इंदौर, 8. सी.एच. (बालक) रीवा, 9. ओ.एच. रीवा, 10. ओ.एस. (बालक) सागर एवं 11. सी.एच. (बालक/बालिका) सागर

[113] 1. ओ.एस. ग्वालियर 2. ओ.एस. (एल.बी.टी.) इंदौर 3. सी.एच. (बालक) छतरपुर 4. ओ.एच. छतरपुर 5. एस.ए.ए. छतरपुर 6. सी.एच. (बालक) रीवा एवं 7. ओ.एच. सागर

[114] 1. सी.एच. (बालक) ग्वालियर 2. ओ.एच. ग्वालियर 3. ओ.एस. ग्वालियर 4. एस.ए.ए. (पी.एम.एम.) ग्वालियर 5. सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल 6. ओ.एच. भोपाल 7. ओ.एस. (जी.पी.एस.एस.) भोपाल 8. एस.ए.ए. (मातृ छाया) भोपाल 9. ए.एच. (बालिका) भोपाल 10. एस.एच. (बालक) इंदौर, 11. सी.एच. (बालक) इंदौर, 12. एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए. इंदौर, 13. ओ.एच. इंदौर, 14. सी.एच. (बालिका) इंदौर, 15. ओ.एस. (एल.बी.टी.) इंदौर, 16. सी.एच. (विशेष आवश्यकता) इंदौर, 17. ओ.एच. छतरपुर, 18. सी.एच. (बालक) छतरपुर, 19. ओ.एच. रीवा, 20. सी.एच. रीवा, 21. सी.एच. (बालिका) जबलपुर, 22. ओ.एच. सागर, 23. सी.एच. (बालक /बालिका) सागर, 24. ओ.एस. सागर, 25. ओ.एच. खंडवा, 26. सी.एच. (बालक) खंडवा, 27. एस.ए.ए. खंडवा, 28. ओ.एच. सिवनी एवं 29. एस.एच. (बालक) सिवनी

[115] 1. भोपाल, 2. छतरपुर, 3. जबलपुर, 4. रीवा एवं 5. सागर

3.9.2.7 चिकित्सा देखभाल सुविधाओं में कमियां

बालकों/किशोरों को चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने संबंधी नियम/प्रावधान जे.जे. नियमों के नियम 34 तथा आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक -XIV की कंडिका 4.1 में निर्धारित हैं।

चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों के अभिलेखों की जांच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं में विभिन्न कमियाँ पाई गईं, जिनका विवरण नीचे ***तालिका-3.8*** में दिया गया है।

तालिका-3.8: सुविधाओं एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण

प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय सुविधा	लेखापरीक्षा के निष्कर्ष
पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता, जिसमें आपातकालीन औषधियों एवं आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों से युक्त प्राथमिक उपचार किट सम्मिलित हो।	संप्रेषण गृह (बालक) , भोपाल में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं पाए गए, जबकि बाल गृह(बालिका/बालक) , सागर की प्राथमिक उपचार किट में समाप्ति तिथि समाप्त कर चुकी दवाएँ पाई गईं।
नियमित स्वास्थ्य जांच एवं डॉक्टर का वैकल्पिक दिन पर दौरा	• पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल सहित 36 सी.सी.आई. में प्रत्येक वैकल्पिक दिन स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित नहीं की गई थी। • एस.ए.ए. (शासकीय), इंदौर, विशेष गृह (बालिका), इंदौर एवं सम्प्रेषण गृह, इंदौर में एक माह से अधिक के अंतराल के साथ स्वास्थ्य जांच की गई। • बाल गृह (बालिका), इंदौर में वर्ष 2022-23 के दौरान केवल एक बार[116] तथा वर्ष 2023-24 के दौरान दो बार[117] स्वास्थ्य जांच की गई।
नर्स या पैरामेडिक स्टाफ की चौबीसों घंटे उपलब्धता	एस.ए.ए., इंदौर एवं पश्चातवर्ती देखरेख गृह, भोपाल सहित 18 सी.सी.आई. में लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान नर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं थे।
बालकों को नियमित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) के साथ गठजोड़ करना	15 सी.सी.आई. में, चिकित्सा सुविधाओं के लिए पी.एच.सी. के साथ कोई गठजोड़ नहीं किया गया था। बाल गृह (प्रगति महिला मंडल), ग्वालियर में इसे वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया था।
प्रत्येक बालक के चिकित्सा अभिलेख का रखरखाव एवं टीकाकरण कवरेज की व्यवस्था।	सात सी.सी.आई. में यह देखा गया कि बालकों के टीकाकरण कवरेज की व्यवस्था नहीं की गई थी। पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल सहित 12 सी.सी.आई. में यह देखा गया कि प्रत्येक बालक/बालिका का चिकित्सा अभिलेख नहीं रखा गया था।
प्राथमिक चिकित्सा उपचार के लिए प्रशिक्षित संस्थागत कर्मचारी।	31 सी.सी.आई. में, यह देखा गया कि कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

स्रोत: जे.पी.वी. एवं अभिलेखों की जांच

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सी.सी.आई. में चिकित्सा देखभाल सुविधाएँ न्यूनतम मानकों के अनुसार प्रदान नहीं की गई थीं, विभाग ने ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की। बालकों के स्वास्थ्य अभिलेखों के संधारण के लिए आवश्यक नर्स अथवा पैरामेडिकल कर्मियों के पद शासकीय गृहों में स्वीकृत नहीं थे।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितंबर 2025) तथा आश्वासन दिया कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

---

[116] मार्च 2023

[117] अगस्त एवं सितंबर 2023

3.9.2.8 नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सी.सी.आई. में रखे गए बालक

जेजे अधिनियम की धारा 31(1) के अनुसार, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी भी बालक को बिना किसी विलंब के, परंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को सी.सी.आई. की अभिरक्षा में रखने हेतु सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट आदेश आवश्यक थे। आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अध्याय 10 (ब) के अनुसार, खुला आश्रय गृह, बालकों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए हैं; तथा दीर्घकालिक देखरेख की आवश्यकता वाले बालकों को निकटतम आश्रय/बाल गृह में भेजा जाना चाहिए।

चयनित नौ जिलों[118] में 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों के अभिलेख की जांच के दौरान, यह देखा गया (जनवरी 2025) कि तीन बालक बाल गृह (संजीवनी बाल आश्रम) सागर में (14.07.2019 से) सी.डब्ल्यू.सी. के आदेश के बिना रह रहे थे। सी.डब्ल्यू.सी. के आदेशों के बिना बालकों को प्रवेश देने से उचित मूल्यांकन की कमी के कारण असंगत आवास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं पुनर्वास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 615 बालक दो खुला आश्रय गृहों[119] में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे।

इस ओर इंगित किए जाने पर, डी.पी.ओ., सागर ने जवाब दिया (जनवरी 2025) कि इन बालकों को विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के आदेश से प्रवेश दिया गया था तथा कुछ अपरिहार्य कारणों से सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जा सका था। यह भी कहा गया कि सी.डब्ल्यू.सी. का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि खुला आश्रय गृह के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। सभी कार्रवाई एस.ओ.पी. के अनुसार की जाएगी।

तथ्य यह है कि बालकों को उनके आवास का आकलन किए बिना ही बाल गृह, सागर में प्रवेश दिया गया था, जिसके लिए अनुमोदन प्रतीक्षित था। इसके अलावा, उपर्युक्त खुला आश्रय गृहों में 615 बालकों का लंबे समय तक रहना उनकी वैकल्पिक देखरेख एवं पुनर्वास विकल्पों में अंतराल को दर्शाता है।

3.9.2.9 मानदंडों के अनुसार कपड़ों एवं बिस्तरों की उपलब्धता

जे.जे. नियमों के नियम 30 के अनुसार कपड़े एवं बिस्तर, पैमाने एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुसार होंगे।

चयनित 39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृहों में यह देखा गया कि कपड़े एवं बिस्तर लागू मानदंडों के अनुसार प्रदान नहीं किए गए थे, जैसा कि नीचे ***तालिका-3.9*** में विवरण दिया गया है:

तालिका-3.9: कपड़ों एवं बिस्तर की उपलब्धता तथा वितरण

जे.जे. नियमों में कपड़ों एवं बिस्तर के न्यूनतम मानकों के प्रावधान	लेखापरीक्षा के निष्कर्ष
कमीज, निकर या पैंट - प्रवेश के समय दो तथा हर छः माह के बाद एक।	• विशेष गृह (बालक), इंदौर में फरवरी 2021 से मार्च 2024 के दौरान 170 निवासरत किशोरों के विरूद्ध 92 पोशाकें (पैंट कमीज) वितरित की गईं। • एस.ए.ए. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम (एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए.), इंदौर में, यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान 20 से 60 बालक रहते थे, तथापि, कपड़ों के नए सेट नहीं खरीदे गए थे।

[118] 1. भोपाल 2. छतरपुर 3. ग्वालियर 4. इंदौर 5. जबलपुर 6. खंडवा 7. रीवा 8. सागर एवं 9. सिवनी

[119] भोपाल- 577 बच्चे एवं सागर- 38 बच्चे

जे.जे. नियमों में कपड़ों एवं बिस्तर के न्यूनतम मानकों के प्रावधान	लेखापरीक्षा के निष्कर्ष
	● बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल में वर्ष 2023-24 के दौरान 42 बच्चों (31 बालिकाओं एवं 11 बालकों) को एक सेट कपड़े तथा अन्य 18 बालकों (नौ बालिका एवं नौ बालक) को निर्धारित तीन सेट के मुकाबले दो सेट कपड़े प्रदान किए गए।
हर तिमाही में आयु-अनुकूल अंडरगार्मेंट के तीन सेट प्रदान किए जाएँ।	● सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2019-24 के दौरान 1,992 निवासरत किशोरों के विरूद्ध 74 बनियान एवं 276 अंतर्वस्त्र किशोरों को वितरित किए गए। ● के एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में वर्ष 2019-24 के दौरान 20 से 60 बालक निवासरत थे, हालांकि, 2019-24 के दौरान केवल 20 से 80 अंतर्वस्त्र (मार्च 2024) खरीदे गए, जो बालकों को अभाव या कम वितरण का संकेत देता है। ● बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल में वर्ष 2021-24 के दौरान 54 से 67 निवासरत बालकों के विरुद्ध, 52 बालकों (वर्ष 2021-22 में एक बार) तथा 32 बालकों (वर्ष 2022-24 में एक बार) को आवश्यक संख्या में सेट के विरुद्ध पारंपरिक अंतर्वस्त्र के दो सेट प्रदान किए गए। ● बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2022-24 के दौरान निवासरत 52 बालकों को 60 बनियान एवं 149 अंडरवियर वितरित किए गए।
प्रवेश के समय दो तौलिये तथा बाद में हर तीन माह के बाद एक	● विशेष गृह (बालक), इंदौर में दिसंबर 2020 से मार्च 2024 के दौरान 259 किशोरों को रखा गया था, लेकिन केवल 67 तौलिए वितरित किए गए। ● सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2019-24 के दौरान निवासरत 1,992 किशोरों में केवल 126 तौलिए, वितरित किए गए थे। ● एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में वर्ष 2019-24 के दौरान 20 से 60 बालक निवासरत थे। यह देखा गया कि वर्ष 2019-2024 के दौरान पहली बार (मार्च 2024) में 60 तौलिए खरीदे गए थे। तदनुसार यह आकलन किया गया कि मार्च 2024 से पहले बालकों को तौलिये वितरित नहीं किए गए थे क्योंकि उनके वितरण के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं पाये गये थे।
सर्दियों के लिए हर वर्ष एक जर्सी एवं एक पुलओवर प्रदान किया जाएगा।	● सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2019-24 के दौरान 782 किशोरों को सर्दियों के मौसम (नवंबर से फरवरी) में रखा गया था, लेकिन केवल 50 जर्सी का वितरण देखा गया। ● वर्ष 2019-2024 के दौरान एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में जर्सी एवं पुलओवर प्रदान नहीं किए गए थे। ● बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2022-24 के दौरान केवल एक बार (दिसंबर 2023) 25 बालकों को केवल 25 स्वेटर (प्रति बालक एक स्वेटर) प्रदान किए गए। हालांकि वर्ष 2022-24 के दौरान 20 से 35 बालक इस गृह में रहते थे। यह दर्शाता है कि वार्षिक प्रावधान के निर्धारित मानक के स्थान पर शीतकालीन वस्त्रों का एक बार ही वितरण किया गया है।
स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर छः माह में स्कूल यूनिफार्म के दो सेट।	● खुला आश्रय गृह, ग्वालियर में स्कूल यूनिफार्म नहीं दी गई। ● बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल में यह देखा गया कि वर्ष 2022-24 के दौरान प्रति बालक स्कूल यूनिफॉर्म का केवल एक सेट प्रदान किया गया था। ● बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2022-24 के दौरान बालकों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान नहीं की गई। हालांकि, वर्ष 2022-24 के दौरान 20 से 35 बालक इस गृह में रहते थे।
स्कूल में प्रवेश के समय जूते की एक जोड़ी एवं बाद में हर छः माह के बाद एक जोड़ी	● सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2021 में 40 कैनवास के जूते खरीदे गए। इससे पहले किशोरों को जूते वितरित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, वर्ष 2019-24 के दौरान गृह में रहने वाले 1,992 किशोरों में से 40 को जूते मिले। ● एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में पहली बार (मार्च 2024) 60 जूते के फीते खरीदे गए। हालांकि, जूतों की कोई खरीद या वितरण अभिलेखों में नहीं पाया गया।

जे.जे. नियमों में कपड़ों एवं बिस्तर के न्यूनतम मानकों के प्रावधान	लेखापरीक्षा के निष्कर्ष
	• बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2023-24 के दौरान बालकों को जूते उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान 20 से 35 बालक इस गृह में रहते थे।
हर छः माह में तीन जोड़ी मोज़े	• विशेष गृह (बालक), इंदौर में दिसंबर 2023 के दौरान केवल 24 जोड़ी मोज़े उपलब्ध कराए गए, हालाँकि, उस अवधि के दौरान 71 किशोरों को रखा गया था। • वर्ष 2019-24 के दौरान सम्प्रेषण गृह, भोपाल में 1,992 किशोरों को केवल 90 जोड़ी मोजे प्रदान किए गए थे। • एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में वर्ष 2019-24 के दौरान पहली बार 60 जोड़ी मोज़े खरीदे गए (मार्च 2024)। • बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2022-24 के दौरान बालकों को केवल एक जोड़ी मोजे उपलब्ध कराए गए। (दिसंबर 2023 में)।
प्रवेश के समय एवं बाद में हर छः माह में एक जोड़ी चप्पल	• विशेष गृह (बालक), इंदौर में जनवरी 2020 से मार्च 2024 के बीच रखे गए 460 किशोरों के लिए केवल 50 जोड़ी चप्पल दी गई थीं। • सम्प्रेषण गृह, भोपाल में अवधि 2019-24 के दौरान 1,992 किशोरों के लिए केवल 50 जोड़ी चप्पल खरीदी गई थी। • एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में, में अवधि 2019-24 के दौरान चप्पल प्रदान नहीं की गई थी।
प्रवेश के समय दो सूती चादरें तथा बाद में हर वर्ष के बाद एक	• विशेष गृह (बालक), इंदौर में सितंबर 2020 से मार्च 2024 के बीच 269 किशोरों को रखा गया था, लेकिन उस अवधि में केवल 172 चादरें ही वितरित की गईं थी। • सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2019-24 के दौरान 1,992 किशोरों को रखा गया था, लेकिन केवल 160 चादरें वितरित की गईं थी। • एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर में, 2019-24 के दौरान भर्ती 229 बालकों के मुकाबले केवल 100 चादरें (मार्च 2024) खरीदी गईं। यह वर्ष 2019-24 के दौरान बालकों द्वारा पुरानी चादरों के उपयोग को इंगित करता है। • बाल गृह (बालक), इंदौर में वर्ष 2022-24 के दौरान रहने वाले 52 बालकों को 40 चादरें जारी की गईं थी।
प्रवेश के समय दो कंबल तथा बाद में हर दो वर्ष के बाद एक	• सम्प्रेषण गृह भोपाल में वर्ष 2019-24 के दौरान शीत ऋतु में निवासरत 82 किशोरों के विरुद्ध 50 कंबल खरीदी (फरवरी 2022) की गई। • इंदौर के एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए. में वर्ष 2019-24 के दौरान नए कंबलों का वितरण नहीं किया गया। इस प्रकार, पुराने कंबल उपयोग किये गए।
प्रवेश के समय एक तकिया तथा बाद में हर एक साल के बाद एक	• सम्प्रेषण गृह, भोपाल में वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान किशोरों के बीच तकिए वितरित नहीं किए गए थे, जबकि सम्प्रेषण गृह, इंदौर में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सामूहिक शयनकक्ष में तकिए उपलब्ध नहीं पाए गए थे।

स्रोत: नमूना जाँच किए गए सी.सी.आई. का भंडार पंजी

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सी.सी.आई., शासन द्वारा संचालित सी.सी.आई. सहित, ने वर्ष 2019-24 के दौरान रहने वाले बालकों/किशोरों को पर्याप्त बिस्तर एवं कपड़े प्रदान नहीं किए। इसके अलावा, चार सी.सी.आई.[120] में कपड़ों

[120] सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह (बालिका), बाल गृह (बालिका) एवं बाल गृह विशेष आवश्यकता (बालक/बालिका) इंदौर।

एवं बिस्तर से संबंधित भंडार पंजी संधारित नहीं थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खरीदे गए कपड़ों के अभाव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कमी अथवा बालकों को कम वितरण का संकेत देता है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया जा रहा है एवं भविष्य में पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.9.2.10 पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में कमियाँ

जे.जे. अधिनियम, 2015 की धरा 46 के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बाल देखरेख संस्थान छोड़ने वाले बालकों को समाज की मुख्यधारा में पुनः समावेशन को सुगम बनाने के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पश्चातवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाए। जे.जे. नियम, 2016 के नियम 25(2) के अनुसार, कोई भी बालक जो सी.सी.आई. छोड़ता है, उसे सी.डब्लू.सी., जे.जे. बोर्ड या बाल/किशोर न्यायालय के आदेश पर 21 वर्ष की आयु तक पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान की जा सकती है तथा विशेष परिस्थितियों में 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एवं दो वर्षो तक देखरेख प्रदान की जा सकती है। आगे, महिला सशक्तिकरण संचालनालय (अब महिला एवं बाल विकास) ने जिलों को पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे (मई 2015)। बालकों को प्रारंभ में प्रति माह ₹2,000 वित्तीय सहायता दी जानी थी, जो बढकर (अप्रैल 2023) ₹4,000 प्रति माह हो गया।

चयनित नौ जिलों में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि तीन जिलों में कार्यक्रम के तहत लाभ, बालकों को उनकी जन्मतिथि की पुष्टि के बिना, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रदान किए गए। इसके अलावा, 254 प्रकरणों में भुगतान में विलम्ब तथा 103 प्रकरणों में सी.डब्लू.सी. के आदेश के बावजूद भुगतान न होने के उदाहरण भी पाए गए। विवरण नीचे ***तालिका-3.10*** में दिए गए है:

तालिका-3.10: पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में कमियों का विवरण

जिला (प्रकरणों की संख्या)	**प्रकरणों की कुल संख्या**	**भुगतान की गई /की जाने वाली राशि** (₹ लाख में)	**अवधि**	**लेखापरीक्षा अवलोकन**
भोपाल (48), इंदौर (04)	52	9.62	07/2020 से 08/2023	जन्मतिथि की पुष्टि के बिना भुगतान किया गया
भोपाल	23	3.90	08/2021 से 01/2024	18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले भुगतान किया गया
भोपाल	25	4.04	05/2018 से 02/2024	सी.डब्लू.सी. के आदेश में विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात भुगतान किया गया।
भोपाल (93), जबलपुर (9), इंदौर (1)	103	28.24	04/2019 से 03/2024	सी.डब्लू.सी. के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
जबलपुर (42), भोपाल (157), इंदौर (55)	254	86.90	2019-24	एक से 23 माह तक भुगतान में विलम्ब।

स्रोत: नमूना जाँच किए गए डी.पी.ओ. के अभिलेख

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि भोपाल जिले से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर, मामले की समीक्षा की जाएगी तथा मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जबलपुर तथा इंदौर के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा को इस मुद्दे के समाधान हेतु विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2025)।

3.9.2.11 सी.सी.आई. में अत्यधिक भीड़भाड़

जे.जे.अधिनियम, 2015 की धारा 41 यह निर्धारित करती है कि इस धारा के तहत पंजीकरण के समय, राज्य शासन को संस्थान की क्षमता एवं उद्देश्य निर्धारित करना तथा अभिलेख में दर्ज करना चाहिए। हालांकि, विभाग ने वर्ष 2015 से 2021 के बीच पंजीकरण आदेश जारी करते समय स्वीकृत क्षमता का उल्लेख नहीं किया।

जे.जे. नियमों का नियम 22 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक खुला आश्रय गृह में सेवाएँ प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में मासिक जानकारी डी.सी.पी.यू. एवं समिति को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश, खुला आश्रय गृह की क्षमता 25 बालक, एस.ए.ए. की 10 बालक एवं संस्थागत देखरेख गृह की 50 बालक निर्धारित करती है।

विभागीय अधिकारियों के साथ जे.पी.वी. (जून 2024 से जनवरी 2025) के दौरान, तीन सी.सी.आई. में अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि में अनुमोदित क्षमता के विरुद्ध बालकों की अधिक संख्या पायी गई, जैसा कि नीचे ***तालिका-3.11*** में विवरणित है:

तालिका-3.11: स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध रहने वाले बालकों की संख्या

वर्ष	श्री युग पुरुष धाम विशेष आवश्यकता हेतु बाल गृह, इंदौर			ज्ञान पथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति खुला आश्रय गृह भोपाल (दो इकाई 25-25)			बाल निकेतन ट्रस्ट बाल गृह (बालिका), भोपाल		
	स्वीकृत	निवासरत	अधिक (प्रतिशत में)	स्वीकृत (बालक+ बालिका)	निवासरत	अधिक (प्रतिशत में)	स्वीकृत	निवासरत	अधिक (प्रतिशत में)
2019-20	100	118	18	25+25	120+69 = 189	278	25	43	36
2020-21	100	137	37	25+25	138+63 = 201	302	25	33	16
2021-22	100	157	57	25+25	138+63= 201	302	25	47	44
2022-23	100	197	97	25+25	199+70= 269	438	25	32	14
2023-24	100	210	110	100	100	0	25	38	26

स्रोत: जे.पी.वी. एवं सी.सी.आई. के अभिलेख

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि उपरोक्त सी.सी.आई. में स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध बालक/बालिकाओं की अधिकता का प्रतिशत 14 से 438 प्रतिशत के बीच था।

यह भी पाया गया कि:

- ज्ञान पथ शिक्षा समिति, भोपाल द्वारा डी.सी.पी.यू. एवं सी.डब्लू.सी., भोपाल को बालकों की सूची मासिक रूप से नहीं प्रस्तुत की गई, जो कि डी.सी.पी.यू. द्वारा खुला आश्रय गृह की निगरानी में हुई कमी को दर्शाता है। जैसा कि ***कंडिका 3.8.1.1*** में चर्चा की गई, ज्ञान पथ शिक्षा समिति, भोपाल के खुला आश्रय गृह को अनियमित अनुदान प्रदान किया गया। इस प्रकार, यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि सी.सी.आई. में भीड़भाड़ फर्जी बालकों के कारण है।
- बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल के बाल गृह में बालकों की उपस्थिति एवं मूलभूत सुविधाओं में कमियों के संबंध में सी.डब्लू.सी., एवं डी.सी.पी.यू., भोपाल के अधिकारियों द्वारा टिप्पणियाँ दी गई थी। हालांकि, डी.सी.पी.यू. द्वारा बालकों

को जिले में उचित रूप से रखने के लिए शौचालय, सामूहिक शयनकक्ष, रोगी कक्ष, स्नानगृह, बचाव एवं सुरक्षा उपाय आदि अवसंरचना, पूर्व में ***कंडिका 3.9.2.1, 3.9.2.5*** एवं ***3.9.2.6*** में चर्चा किए अनुसार, के सुधार पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई दिखाई नहीं दी। बाल गृह में 25 बालकों के लिए पर्याप्त अवसंरचना न होने के बावजूद, यह देखा गया कि विभाग ने फरवरी 2024 में 25 बालकों के बजाय 50 बालकों की अधिकृत क्षमता के लिए पंजीकरण जारी किया।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सीमित संख्या में संस्थान होने के कारण, राज्य के अन्य जिलों की सी.डब्लू.सी. द्वारा भी श्री युग पुरुष धाम बाल गृह में प्रवेश दिए गए। डी.सी.पी.यू., भोपाल को ज्ञान पथ शिक्षा समिति, भोपाल के खुला आश्रय गृह की नियमित निगरानी के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल इस योजना के प्रारंभ से काफी पहले से ही बाल गृह का संचालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, सुविधा योजना के निर्देशों के अनुसार पूरी तरह अनुरूप नहीं है। नए भवन के निर्माण होने पर, सभी मौजूदा कमियों का समाधान करते हुए योजना क्रियाशील होगी।

- एस.ए.ए. वह संस्थान है जहाँ छः वर्ष तक के दत्तक योग्य बालक निवास कर सकते हैं। राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इंदौर को 10 बालकों की क्षमता वाले एस.ए.ए. के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि में मासिक औसत बालकों की संख्या 21 से 60 के बीच रही।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2025) कि सी.डब्लू.सी. के आदेश के पालन में, संस्थान ने छः वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को संरक्षण प्रदान किया। छः वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के संरक्षण से संबंधित जानकारी जिलों से प्राप्त की जा रही है।

अधिभोग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, डी.सी.पी.यू. का सी.सी.आई. में अवसंरचना बढ़ाने का अप्रभावी दृष्टिकोण दिखाया। यह भी प्रदर्शित करता है कि विभाग ने संस्थागत देखरेख में बालकों की अति-अधिभोग के मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

अनुशंसाएं:

शासन को बालक/बालिकाओं के आयु, लिंग एवं श्रेणी के अनुसार कड़ाई से पृथक्करण लागू करना चाहिए, ताकि दुर्व्यवहार अथवा शोषण के जोखिम से बचा जा सके (संदर्भ: कंडिका 3.9.2.2)।

3.10 प्रबंधन एवं निगरानी की प्रणाली

3.10.1 निगरानी

3.10.1.1 राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन न होना

जे.जे. नियमों का नियम 41 निर्धारित करता है कि सी.सी.आई. के यादृच्छिक निरीक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति होगी जो अपना प्रतिवेदन विभाग के सचिव को प्रस्तुत करेगी। राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति को सी.सी.आई. के सुधार एवं विकास के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

यह देखा गया (मार्च 2025) कि राज्य में सी.सी.आई. के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया है। राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति न होने के कारण अपर्याप्त निगरानी, विलम्ब एवं बाल देखरेख संस्थानों (सी.सी.आई.) का खराब संचालन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2025) कहा कि राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।

3.10.1.2 जिला एवं सी.सी.आई. स्तर पर बैठकों में कमी

जिला बाल संरक्षण समिति

महिला एवं बाल विकास, भोपाल के निर्देशों (नवंबर 2019) के अनुसार, जिला बाल संरक्षण समिति (डी.सी.पी.सी.) को योजना की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करनी होगी।

प्रत्येक ब्लॉक (शहर में वार्ड) में एक ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति होनी आवश्यक है, जो ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की अनुशंसा एवं निगरानी करे। इसी प्रकार, प्रत्येक गाँव में एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति होनी आवश्यक है, जो ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की अनुशंसा एवं निगरानी करे, जिसे बाल संरक्षण समितियों (सी.पी.सी.) के माध्यम से किया जाना है।

नौ चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच करने पर, यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान आठ [121] चयनित जिलों में डी.सी.पी.सी. द्वारा आवश्यक 160 बैठकों के विरुद्ध 69 बैठकें आयोजित की गईं।

जैसा कि इस प्रतिवेदन में चर्चा की गई है, नियमित बैठकों की कमी ने सी.सी.आई. में सेवाओं एवं अवसंरचना की गुणवत्ता की निगरानी तथा सुधार करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

नौ चयनित जिलों के डी.पी.ओ. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया था। हालांकि, उनके कामकाज से संबंधित जानकारी एवं अभिलेख प्रदान नहीं किए गए।

शासन ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया (सितंबर 2025)।

सी.सी.आई. में प्रबंधन समितियां एवं बाल समिति तथा उनके कार्य

जे.जे. नियम 2016 का नियम 39 यह निर्धारित करता है कि सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा बालकों की देखरेख एवं सभी आवश्यक सुविधाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए इसकी माह में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। नियम में यह भी कहा गया है कि सी.सी.आई. में शिकायत/सुझाव पेटी होना चाहिए तथा समिति को पेटी में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जे.जे. नियम, 2016 के नियम 40 में यह प्रावधान है कि विभिन्न आयु समूहों[122] के लिए बालकों की समितियाँ बनाई जाएँ, ताकि वे सी.सी.आई. की स्थिति सुधारने, दैनिक दिनचर्या/आहार मापदंड तैयार करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकें। बाल समितियों के गठन एवं संचालन में स्वैच्छिक संगठनों या बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियाँ प्रत्येक माह बैठक करें तथा उनकी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को अभिलेखबद्ध करने के लिए एक पंजी बनाएँ।

39 सी.सी.आई. एवं दो पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि:

- 16 सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति की बैठकों का संचालन नियमित रूप से मासिक आधार पर नहीं किया गया। 623 आवश्यक बैठकों के विरुद्ध केवल 212 बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2019-24 के दौरान आवश्यक मासिक बैठकों के विरुद्ध बैठक की कमी छः से 58 तक रही।

---

[121] भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सागर तथा सिवनी। डी.पी.ओ., खंडवा ने डी.सी.पी.सी. की बैठकों के संबंध में जानकारी नहीं दी।

[122] (6 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष एवं 16 से 18 वर्ष)

- 10 सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया। अन्य 10 सी.सी.आई. में समिति के गठन में विलम्ब पाया गया, जो अप्रैल 2019[123] से 12 माह (बाल गृह बालक, इंदौर) से लेकर 51 माह (विशेष आवश्यकता वाले बाल गृह बालिका, भोपाल) तक थी। विवरण ***परिशिष्ट-3.14*** में दिया गया है।
- संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाँच सी.सी.आई. में बालकों के सुझाव/शिकायत पेटी नहीं पाए गए। विवरण ***परिशिष्ट-3.14*** में दिया गया है।
- 23 सी.सी.आई. में बाल समिति तो गठित की गई थी, लेकिन इन्हें विभिन्न आयु समूहों के अनुसार अलग-अलग नहीं बनाया गया। विवरण ***परिशिष्ट-3.14*** में दिया गया है।
- 29 सी.सी.आई. में बाल समितियों के गठन एवं उनके संचालन में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई, जो समिति की सामुदायिक पहुँच, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायक हो सकती थी। विवरण ***परिशिष्ट-3.14*** में दिया गया है।
- भोपाल के खुला आश्रय गृह की चार इकाइयों में प्रबंधन एवं बाल समितियों की बैठक के कार्यवृत्त अभिलेख में नहीं पाए गए।
- सात सी.सी.आई. में बाल समितियाँ गठित की गई थीं, लेकिन जे.जे. नियमों के अनुसार नियमित मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गई। वर्ष 2019-24 के दौरान आवश्यक मासिक बैठकों के विरुद्ध बैठक की कमी 10 से 59 तक रही। विवरण ***परिशिष्ट-3.15*** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, इन समितियों का गठन न होने या अपेक्षित बैठकों का संचालन न होने के कारण प्रभावी निगरानी सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिससे लाभार्थी निर्धारित सुविधाओं एवं सी.सी.आई. के आहार मापदण्ड के अनुसार भोजन से वंचित रहे, जैसा कि इस प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि संस्थाओं के संचालन के लिए समय-समय पर निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है तथा भविष्य में पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.10.1.3 अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों का संचालन

जे.जे.अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, सभी ऐसे संस्थानों, चाहे वे राज्य शासन द्वारा चलाये जा रहे हों या स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हों, जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आशयित हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के समय, राज्य शासन को संस्थान की क्षमता एवं प्रयोजन निर्धारित करना तथा अभिलिखित करना होगा। इसके अतिरिक्त, जे.जे. नियम, 2016 का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक संस्थान में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग आवास होगा।

संचालनालय, डब्लू.सी.डी., भोपाल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने अपने निरीक्षण के दौरान चार अपंजीकृत बाल गृहों के संचालन के बारे में मध्य प्रदेश शासन को सूचित किया था (जनवरी 2024)। इसके अलावा, जे.पी.वी. (जनवरी 2025) में यह देखा गया कि बाल गृह, सेंट फ्रांसिस सोसाइटी, सागर पंजीकरण नवीनीकरण कराए बिना संचालित हो रहा था। एन.सी.पी.सी.आर. के अवलोकनों के अनुसार बाल गृह एवं उनकी गतिविधियों का विवरण ***तालिका-3.12*** में दिया गया है।

[123] 01.04.2019 से मापन किया गया

तालिका-3.12: अपंजीकृत बाल गृह एवं उनकी गतिविधियों का विवरण, जैसा कि एन.सी.पी.सी.आर. ने इंगित किया

क्रम संख्या	बाल गृह का नाम एवं पता	अनियमितताएं देखी गईं
1.	**आशालय बाल गृह, देवास, एन.सी.पी.सी.आर. निरीक्षण के अनुसार**	कुल 55 बालक एवं 13 बालिकाएँ सी.डब्लू.सी.के आदेश के बिना निवासरत पाए गए। बालक एवं बालिकाएँ एक ही सुविधा में निवास कर रही थीं तथा आयु के अनुसार पृथक्करण नहीं किया गया था। बालक घास काटने, झाड़ू लगाने, पोछा लगाना एवं शौचालय साफ करने का कार्य कर रहे थे। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एन.सी.पी.सी.आर. के अवलोकन के अनुपालन में, जिले के कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें कहा गया कि संस्थान में सुरक्षा एवं देखरेख के लिए जरूरतमंद कोई भी बालक निवासरत नहीं पाया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	**स्नेह सदन (बालिका गृह), देवास एन.सी.पी.सी.आर. निरीक्षण के अनुसार**	सभी 45 बालिकाएँ सी.डब्लू.सी. के आदेश के बिना निवास कर रही थीं। हालांकि, एन.सी.पी.सी.आर के निरीक्षण (दिसंबर 2023) के दौरान केवल एक ही बालिका पाई गई। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एन.सी.पी.सी.आर. के अवलोकन के अनुपालन में, जिले के कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें कहा गया कि संस्थान में सुरक्षा एवं देखरेख के लिए जरूरतमंद कोई भी बालक निवासरत नहीं पाया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	**दारूल-उल-शफकत यतीमखाना, भोपाल एन.सी.पी.सी.आर. के निरीक्षण के अनुसार**	सभी 57 बालक सी.डब्लू.सी. के आदेश के बिना निवास कर रहे थे। अवसंरचना में कमियाँ, जैसे असंगत कमरे एवं शौचालयों की खराब स्थिति पाई गई। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एन.सी.पी.सी.आर. की शिकायत पर कलेक्टर, भोपाल को पत्र लिखा गया है। कलेक्टर, भोपाल का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।
4.	**सेंट फ्रांसिस सोसाइटी, सागर जे.पी.वी. के अनुसार**	संस्थान का पंजीकरण 17 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया था तथा लेखापरीक्षा (जनवरी 2025) तक विभाग द्वारा नवीनीकरण नहीं किया गया। सी.डब्लू.सी. सागर ने 27 नवंबर 2021 तक 23 बालकों को संस्थान भेजा, जबकि पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जे.पी.वी. (जनवरी 2025) में, संस्थान में 12 बच्चे (छः बालिकाएँ एवं छः बालक) निवासरत पाए गए। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि संस्थान का पंजीकरण 2020 में समाप्त हुआ था; कोविड-19 महामारी के कारण उस समय नवीनीकरण प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ नियमित रूप से नहीं की जा सकीं। संस्थान के पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सी.डब्लू.सी द्वारा पंजीकरण समाप्त होने के बाद भी बालकों को संस्थान भेजा गया, जो जे.जे. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

स्रोत: महिला एवं बाल विकास संचालनालय द्वारा दी गई जानकारी

एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा इंगित की गई इन अनियमितताओं से यह स्पष्ट होता है कि वैध पंजीकरण के बिना सी.सी.आई. का संचालन जिला स्तर पर निगरानी में चूक को दर्शाता है। यह देखा गया कि डब्ल्यू.सी.डी. ने सभी कलेक्टरों को अपंजीकृत सी.सी.आई. के संबंध में जांच के लिए निर्देश जारी किए थे (जनवरी 2024), जिन पर अनुपालन प्रतीक्षित है।

अपंजीकृत सी.सी.आई. का संचालन यह दर्शाता है कि विभाग ने जे.जे. अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा उठाए गए मुद्दों के बावजूद विभाग की पूर्व-सक्रिय प्रतिक्रिया में कमी रही।

विभाग ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया (सितंबर 2025)।

अनुशंसा:

शासन, राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन कर सकता है, जिला एवं सी.सी.आई. दोनों स्तरों पर नियमित आवधिक बैठकें आयोजित कर सकता है एवं सी.सी.आई. का निरीक्षण सुनिश्चित करे।

3.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष:

बाल देखरेख संस्थानों (सी.सी.आई.) की लेखापरीक्षा उनकी स्थापना तथा योजना प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए की गयी। इसका उद्देश्य यह भी आकलन करना था कि क्या शासकीय निधि पर्याप्त रूप से उपलब्ध करायी गयी एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग हुआ, क्या देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए वैधानिक सहायता सेवाएँ कार्यशील थीं, तथा क्या इन संस्थानों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली मौजूद थी।

जांच में यह देखा गया कि राज्य में सी.सी.आई. की स्थापना निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त थी। विशेष रूप से, 26 जिलों में किसी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) की उपलब्धता नहीं थी एवं संपर्क स्थलों की संख्या भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। किसी भी जिले में आधारभूत सर्वेक्षण का अभाव, साथ ही लापता, अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के लिए राज्य-विशिष्ट डेटाबेस का न होना, राज्य में सी.सी.आई. की अपर्याप्तता का मुख्य कारण था।

इसके अतिरिक्त, कई मौजूदा सी.सी.आई. अवसंरचना मानकों को पूरा नहीं करती हैं, जिनमें पर्याप्त सामूहिक शयनकक्ष स्थान, शौचालय एवं स्नानघर निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। नमूना जाँच किए गए सी.सी.आई. में अत्यधिक भीड़भाड़, बालकों को बिस्तर एवं कपड़ों का अपर्याप्त वितरण, आयु एवं लिंग के अनुसार बच्चों का पृथक्करण न करना, तथा जघन्य अपराधों के आरोपी बालकों के साथ बालकों का एक ही पलंग साझा करना जैसी समस्याएँ देखी गईं। ये घटनाएँ देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को प्रदान की जाने वाली अनिवार्य वैधानिक सहायता सेवाओं में विभाग की कमियों को उजागर करती हैं। इसके अलावा, सी.सी.आई. में सुरक्षा में महत्वपूर्ण खामियाँ पाई गईं, जैसे सी.सी.टी.वी. कैमरों का काम न करना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में अनियमितताएँ, एवं कम ऊँचाई वाली चारदीवारी, जिन्होंने निगरानी तथा बालकों की सुरक्षा को प्रभावित किया, इसके परिणामस्वरूप बालकों के संस्थान से भाग जाने की घटनाएँ सामने आईं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य बाल संरक्षण समिति में (53 प्रतिशत), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण में (75 प्रतिशत), जिला बाल संरक्षण इकाइयों में (38 प्रतिशत), एवं सी.सी.आई. स्तर पर (54 प्रतिशत) स्टाफ की कमी थी जिससे प्रभावी वित्तीय, प्रशासनिक एवं संचालन संबंधी निगरानी प्रभावित हुई।

वित्तीय निगरानी की प्रभावशीलता में कमी वर्ष 2019-24 के दौरान एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) की अव्ययित शेष राशि से स्पष्ट होती है, जो 16.55 प्रतिशत (वर्ष 2021-22) से 60.90 प्रतिशत (वर्ष 2022-23) के बीच थी। इसके अतिरिक्त, बिना उचित निगरानी अथवा आवधिक रिपोर्टिंग के, भोपाल में एक खुला आश्रय गृह को वर्ष 2019-22 के दौरान ₹1.11 करोड़ का अधिक अनुदान जारी किया गया, जिससे फर्जी लाभार्थियों की संभावना पर चिंता उत्पन्न हुई। साथ ही, सी.सी.आई. में बालकों की वास्तविक निवास अवधि को ध्यान में रखे बिना भरण-पोषण खर्च के रूप में ₹1.29 करोड़ का अधिक भुगतान भी किया गया।

जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डी.सी.पी.यू.) से परामर्श किए बिना एवं बाल कल्याण समिति अथवा किशोर न्याय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किए बिना व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं को तैयार किया जाना, राज्य में सी.सी.आई. के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया जाना, एवं जिला बाल संरक्षण समिति तथा सी.सी.आई. स्तर पर प्रबंधन समितियों की बैठकों का अपर्याप्त आयोजन संबंधित निष्कर्षों से अप्रभावी प्रशासनिक एवं परिचालन निगरानी स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की जांच निष्कर्षों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें राज्य में चार अपंजीकृत सी.सी.आई. का संचालन शामिल था।

संक्षेप में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य में कार्यरत सी.सी.आई. अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में केवल सीमित सीमा तक ही सफल रहे हैं। इन संस्थानों के कार्य संचालन में कई कार्यन्वयन संबंधी कमियाँ एवं अनुपालन की दृष्टि से कुछ गंभीर क्षेत्र मौजूद हैं। इन मुद्दों का तत्काल समाधान आवश्यक है, ताकि बालकों को प्रदान की जाने वाली देखरेख एवं संरक्षण सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया जा सके।

अनुशंसाएं:

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन

- *संवेदनशील बालकों को पर्याप्त रूप से कवरेज प्रदान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.आई. संस्थानों की संख्या की योजना बनाए **(कंडिका 3.7.1.1 के संदर्भ में),***
- *अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा बालकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी एवं उपयोग की गयी निधियों की निगरानी तथा अभिलेखीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर, उन्हें लागू करे, **(कंडिका 3.8.1.1 से 3.8.1.2 के संदर्भ में),***
- *बालक/बालिकाओं के आयु, लिंग एवं श्रेणी के अनुसार कड़ाई से पृथक्करण लागू करे, ताकि दुर्व्यवहार अथवा शोषण के जोखिम से बचा जा सके **(कंडिका 3.9.2.2 के संदर्भ में)**, एवं*
- *राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन करे, जिला एवं सी.सी.आई. दोनों स्तरों पर नियमित आवधिक बैठकें आयोजित करे, तथा सी.सी.आई. का निरीक्षण सुनिश्चित करे **(कंडिका 3.10.1.1 एवं 3.10.1.2 के संदर्भ में)।***

(सिद्धार्थ बोन्दाडे)

ग्वालियर **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),**

दिनांक: 02 अप्रैल 2026 **मध्य प्रदेश**

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली

दिनांक: 09 अप्रैल 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.5, पृष्ठ संख्या 7)

चयनित जिलों, परियोजना कार्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्व-सहायता समूहों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना कार्यालय का नाम	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	चयनित स्व-सहायता समूह का नाम
1.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अनसिंह फलिया	सोलंकी स्व-सहायता समूह
2.			नदी धड़ फलिया	पूजा स्व-सहायता समूह
3.			कोटबू III	अन्नपूर्णा स्व-सहायता समूह
4.			राम की चौकी उनकर फलिया	लक्ष्मी स्व-सहायता समूह
5.			रिच्छवी भाटी फलिया	पटेल स्व-सहायता समूह
6.		कट्ठीवाड़ा	अंबी पुजारा फलिया	पलास कुवान स्व-सहायता समूह
7.			सादली पटेल फलिया	बाबादेव स्व-सहायता समूह
8.			गुडा भील फलिया	स्व-सहायता समूह आलोचना
9.			कलिबेल वेजलिया	प्रेम स्व-सहायता समूह
10.			नानीबार	शांति स्व-सहायता समूह
11.	अनूपपुर	अनूपपुर	बंधवाटोला	दुर्गा स्व-सहायता समूह
12.			वार्ड क्र. 09	दीपाली स्व-सहायता समूह
13.			फुलवारी टोला	राधा स्व-सहायता समूह
14.			सड़क टोला	श्री स्व-सहायता समूह
15.			देवी मोहल्ला	दुर्गा स्व-सहायता समूह
16.		जैथारी	धंगावां	लक्ष्मी स्व-सहायता समूह
17.			रोहिल्ला खाचर	सोनांचल स्व-सहायता समूह
18.			जैथारी के.आर. 5	बेबी स्व-सहायता समूह
19.			मीडिया रास 02	आकांक्षा स्व-सहायता समूह
20.			शिंगहौरा के आर 2	लाडली स्व-सहायता समूह
21.	बालाघाट	कटंगी	तिरोदी-09	उन्नति स्व-सहायता समूह ग्रुप
22.			कलगांव	सतनाम स्व-सहायता समूह ग्रुप
23.			कछार	जय बिरसा मुंडा स्व-सहायता समूह ग्रुप
24.			चिकमारा -01	स्मृति तेजस्विनी स्व-सहायता समूह ग्रुप
25.			रामजीटोला	आरती स्व-सहायता समूह ग्रुप
26.		बालाघाट शहरी	आरा मिल ए.डब्ल्यू.सी.सं. 08	सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह ग्रुप
27.			49 त्रिवेदी वार्ड	शांति अनुपमा स्व-सहायता समूह ग्रुप
28.			बैहर रोड 1, एडब्ल्यूसी सं.11	ओम अनुपमा स्व-सहायता समूह ग्रुप
29.			72, गेखुरी-02	प्रवर्तन स्व-सहायता समूह ग्रुप
30.			71, गेखुरी	प्रवर्तन स्व-सहायता समूह ग्रुप
31.	बुरहानपुर	बुरहानपुर शहरी	राजेंद्र प्रसाद सं. 03	खुशबू स्व-सहायता समूह
32.			राजेंद्र प्रसाद सं 04	खुशबू स्व-सहायता समूह
33.			दाउदपुर -01	खुशबू स्व-सहायता समूह
34.			नागझिरी-04	कंगना स्व-सहायता समूह
35.			गांधी चौक-03	पराट स्व-सहायता समूह
36.		शाहपुर	डोंगरगांव छोटा	गुरु कृपा स्व-सहायता समूह
37.			जैनाबाद-05 (गिट्टी खदान)	जागृति स्व-सहायता समूह
38.			शाहपुर-14-02	जय योगेश्वर बचत एवं साख समुह
39.			शाहपुर-03	अंबका देवी स्व-सहायता समूह ग्रुप
40.			खारी	जय बवानी स्व-सहायता समूह ग्रुप

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना कार्यालय का नाम	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	चयनित स्व-सहायता समूह का नाम
41.	दतिया	दतिया शहरी	वार्ड-34-1	खाती बाबा स्व-सहायता समूह
42.			वार्ड-34-2	खाती बाबा स्व-सहायता समूह
43.			वार्ड-34	महेश्वर स्व-सहायता समूह
44.			वार्ड-32-1	जय गुरुदेव स्व-सहायता समूह
45.			वार्ड-31-2	श्री गुरुदेव स्व-सहायता समूह
46.		इंद्रगढ़ ग्रामीण	पचोखरा -1	जय महात्मा फुले स्व-सहायता समूह
47.			भदौना-2	जय प्रतिमा स्व-सहायता समूह
48.			दौहर	जय शिव शंकर स्व-सहायता समूह
49.			लहरकला	रक्षा स्व-सहायता समूह
50.			पदरी-1	प्रगति स्व-सहायता समूह
51.	मंडला	बिछिया	कंसखेड़ा	जय मां स्व-सहायता समूह
52.			मेधाताल	ॐ साई राम समूह
53.			अटरिया	कुमकुम स्व-सहायता समूह
54.			मनोहरपुर	गोडाला स्व-सहायता समूह
55.			बोटल बहेरा	पुंगर स्व-सहायता समूह
56.		बीजादंडी	पिंडराईमल	सरस्वती आजीविका समूह
57.			साल्हेपानी	गंगा स्व-सहायता समूह
58.			पौडीमल -1	अमन स्व-सहायता समूह
59.			महुआ टोला	सरस्वती आजीविका समूह
60.			बिएदांडी	आकृति स्व-सहायता समूह
61.	नर्मदापुरम	बनखेड़ी ग्रामीण	पालिया पिप्रिया-2	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह
62.			बनखेड़ी वार्ड-7	नई किरण
63.			डूमर	पुष्प स्व-सहायता समूह
64.			खामखेड़ी	राधा आजीविका स्व-सहायता समूह
65.			जैतवाड़ा	शिव आजीविका स्व-सहायता समूह
66.		इटारसी शहरी	117 आर्य नगर वार्ड-14	प्रेरणा स्व-सहायता समूह
67.			58 नरेंद्र नगर वार्ड-33	शारदा स्व-सहायता समूह
68.			67 अम्बेडकर नगर वार्ड-7	अमीना स्व-सहायता समूह
69.			45 भगत सिंह नगर वार्ड-22	मात्रा छाया स्व-सहायता समूह
70.			36 आशफाबाद वार्ड-17	बुद्धिमाता स्व-सहायता समूह
71.	रतलाम	रतलाम सिटी 1	शक्ति नगर	वैभव लक्ष्मी स्व-सहायता समूह
72.			राजपूत बोर्डिंग	ओम शांति स्व-सहायता समूह
73.			आमलिया भेरू	शिव स्व-सहायता समूह
74.			सुभाष नगर 2	शिव स्व-सहायता समूह
75.			विनोबा नगर2	महक स्व-सहायता समूह
76.		बाजना	बीड	दुर्गा स्व-सहायता समूह
77.			पड़ाव	चंचल स्व-सहायता समूह
78.			मैदाफालिया	महालक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह
79.			मालवासी क्र. 1	अंबिका स्व-सहायता समूह
80.			खुमरिया	श्री साई स्व-सहायता समूह
81.	सीहोर	सीहोर शहरी	जमनपुरा	प्रेरणा स्व-सहायता समूह
82.			जमशेदनगर -1	नवरंग स्व-सहायता समूह (भवानी, राम, सीमा स्व-सहायता समूह 39 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ)

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना कार्यालय का नाम	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	चयनित स्व-सहायता समूह का नाम
83.			जमशेदनगर-2	नवरंग स्व-सहायता समूह
84.			सुदामानगर	उड़ान स्व-सहायता समूह
85.			देवनगर	शीतला स्व-सहायता समूह
86.		आष्टा-2	गडरखेड़ी	आयुष्मान स्व-सहायता समूह
87.			मैनाखेड़ी	लकी स्व-सहायता समूह
88.			मोलुखेड़ी	किरण स्व-सहायता समूह
89.			वार्ड 6 लंगपुरा	अन्नपूर्णा स्व-सहायता समूह
90.			वार्ड 15 इंद्रा कॉलोनी	ममता स्व-सहायता समूह
91.	शाजापुर	बेरछा	जोंकर-2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्व-सहायता समूह
92.			डुंगरा	नूतन स्व-सहायता समूह
93.			तिलवाड़ गोविंद 3	मा जगदम्बा स्व-सहायता समूह
94.			मक्षी 6	मा लक्ष्मी स्व-सहायता समूह
95.			घुंसी क्र 2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्व-सहायता समूह
96.		मोमेन बडोदिया	मिर्जापुर खेड़ा	जय मां दुर्गा स्व-सहायता समूह
97.			जावडी	मा भवानी स्व-सहायता समूह
98.			चौमा	गायत्री स्व-सहायता समूह
99.			केवड़ाखेड़ी	शिवम स्व-सहायता समूह
100.			खामखेड़ा	खेड़ापति स्व-सहायता समूह
101.	श्योपुर	श्योपुर-1	चक का सहराना	राधा रानी स्व-सहायता समूह
102.			जेनी बी	जय माता दी स्व-सहायता समूह
103.			खिरकिरी	जय दुर्गा माता स्व-सहायता समूह
104.			सुरजन की तोड़ी	जय दुर्गा स्व-सहायता समूह
105.			ददर्दा खुर्द	मक्का मदीना स्व-सहायता समूह
106.		श्योपुर शहरी	ज्वालापुर मिनी	साबिर पिया स्व-सहायता समूह
107.			दालना बागिची	माता पार्वती स्व-सहायता समूह
108.			वार्ड नंबर 6ए	महिला जागृति स्व-सहायता समूह
109.			वार्ड नंबर 14-ए	मां भवानी स्व-सहायता समूह
110.			सोई खुर्द	विष्णु स्व-सहायता समूह
111.	सीधी	सीधी-1	पिपरोहर-5	मा गायत्री स्व-सहायता समूह
112.			नौगांव -3	ज्योति महिला स्व-सहायता समूह
113.			कुबरी-6	झींगा की भूमि
114.			टिकथकला-5	जागृति महिला स्व-सहायता समूह
115.			मवाई-4	आरती महिला स्व-सहायता समूह
116.		कुश्मी	पौडी-2	ईशान सुहाना स्व-सहायता समूह
117.			उमरिया-6	लक्ष्मी स्व-सहायता समूह
118.			दुआरी-1	सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह
119.			गोत्र-3	कौशल्या स्व-सहायता समूह
120.			गुड्डू आधार-3	शिव महिला स्व-सहायता समूह
121.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ शहरी	वार्ड 22 ए	किशोरी जी स्व-सहायता समूह
122.			वार्ड 23 ए	शार्ड्स स्व-सहायता समूह की भूमि
123.			वार्ड 24 सी	शार्ड्स स्व-सहायता समूह की भूमि

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना कार्यालय का नाम	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	चयनित स्व-सहायता समूह का नाम
124.			वार्ड 27 सी	श्री जी स्व-सहायता समूह
125.			वार्ड 27 डी	वैष्णवी स्व-सहायता समूह
126.		बलदेवगढ़	मिदावली	मां काली स्व-सहायता समूह
127.			मनपसार	नीलेश्वरी स्व-सहायता समूह
128.			लखैरी	रानी शकुंतला स्व-सहायता समूह
129.			सुहागी भेलसी	बैगेज स्व-सहायता समूह
130.			धिमरौला नारायणपुर	पद्मिनी स्व-सहायता समूह

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.7.2, पृष्ठ संख्या 10)

चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार नामांकित एवं लाभान्वित लाभार्थियों की जिला-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम संख्या	जिले का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाए गए लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	अलीराजपुर	471	85
2	अनूपपुर	391	112
3	बालाघाट	335	104
4	बुरहानपुर	689	223
5	दतिया	809	270
6	मंडला	252	132
7	नर्मदापुरम	476	185
8	रतलाम	466	215
9	सीहोर	601	173
10	शाजापुर	376	185
11	श्योपुर	588	117
12	सीधी	350	248
13	टीकमगढ़	846	131
	कुल	**6,179**	**2,095**

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.8.4, पृष्ठ संख्या 16)

आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण में विचलन

क्रम संख्या	सुविधा का विवरण नहीं मिला	आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम जहां सुविधा नहीं मिली
1.	गतिविधि कक्ष में एक गुफा का निर्माण किया जाना था (आदिवासी-उप योजना के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में बनाया जाना चाहिए)	(1) अनसिंह फलिया, अलीराजपुर (2) अम्बी पुजारा फलिया (पतिया कुनवा), कठठीवाड़ा, अलीराजपुर (3) सदली पटेल फलिया, कठठीवाड़ा, अलीराजपुर
2.	आंगनवाड़ी केंद्र के गतिविधि कक्ष की छत में साल्टर स्केल या वजन यंत्र को लटकाने के लिए एक हुक प्रदान किया जाना था	(1) अनसिंह फलिया (2) कोटाबू-III, (3) अलीराजपुर जिले का नदी धाड़ फलिया खरकुंवा एवं (4) अंबी पुजारा फलिया (पाटिया कुनवा), कठठीवाड़ा, अलीराजपुर
3.	परिसर के अंदर एक हैंडपंप स्थापित किया जाना था	(1) अनसिंह फलिया (2) कोटबु- III , (3) नदी धाड़ फलिया खरकुनवा (4) अलीराजपुर जिले की रामसिंह की चौकी ओंकार फलिया
4.	आसान पहुंच के लिए एक रैंप का निर्माण किया जाना था	(1) अनसिंह फलिया एवं (2) अंबी पुजारा फलिया (पाटिया कुनवा), कठठीवाड़ा, अलीराजपुर
5.	सीढ़ी के निर्माण के लिए भवन के बाईं ओर खुली जगह रखी जानी थी	(1) अनसिंह फलिया (2) कोटबु- III (पतिया कुनवा) (3) नदी धाड़ फलिया (खरकुनवा) (4) रामसिंह की चौकी (5) अलीराजपुर जिले में कलिवेल बेजलिया (6) महुआ टोला (बीजादंडी) मंडला

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.8.6 एवं 1.8.8, पृष्ठ संख्या 17 एवं 19)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए गर्म पके हुए भोजन की अधिक/कम आपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा ग्राम में)

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15
1.	सीहोर	बुधवार	31-07-2024	जमनपुरा	87	16	4000	1600	2400	10000	2240	7760
2.	सीहोर	गुरुवार	01-08-2024	जमशेदनगर -1	74	16	4000	1600	2400	7600	2240	5360
3.	सीहोर	गुरुवार	01-08-2024	जमशेदनगर-2	80	20	4000	2000	2000	9200	2800	6400
4.	सीहोर	बुधवार	07-08-2024	सुदामानगर	59	20	4000	2000	2000	4300	2800	1500
5.	सीहोर	मंगलवार	06-08-2024	देवनगर	53	7	7000	700	6300	5500	980	4520
6.	सीहोर	सोमवार	28-04-2025	गद्रखेड़ी	21	18	2000	1800	200	3000	2520	480
7.	सीहोर	बुधवार	30-04-2025	मैनाखेड़ी	31	16	2000	1600	400	4000	2240	1760
8.	सीहोर	बुधवार	30-04-2025	मोलुखेड़ी	20	5	3500	500	3000	प्रदान नहीं किया गया	700	-
9.	सीहोर	मंगलवार	29-04-2025	इंद्रा कॉलोनी	134	23	2000	2300	-300	6500	3220	3280
10.	सीहोर	मंगलवार	29-04-2025	लंगपुरा	42	32	4000	3200	800	1500	4480	-2980
11.	टीकमगढ़	गुरुवार	02-01-2025	वार्ड 22 ए	95	8	3800	800	3000	7400	1120	6280
12.	टीकमगढ़	शुक्रवार	27-12-2024	वार्ड 23 ए	93	3	4000	300	3700	5200	420	4780
13.	टीकमगढ़	मंगलवार	31-12-2024	वार्ड 24 सी	85	10	6500	1000	5500	6000	1400	4600
14.	टीकमगढ़	सोमवार	30-12-2024	वार्ड 27 सी	71	8	2500	800	1700	3800	1120	2680
15.	टीकमगढ़	मंगलवार	31-12-2024	वार्ड 27 डी	78	18	4300	1800	2500	2500	2520	-20

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
16.	टीकमगढ़	गुरुवार	02-01-2025	मिदावली	101	17	प्रदान नहीं किया गया	1700	-	मापा नहीं गया	2380	-
17.	टीकमगढ़	मंगलवार	31-12-2024	मनपसार	74	11	1000	1100	-100	1000	1540	-540
18.	टीकमगढ़	गुरुवार	02-01-2025	लखेरी	76	21	प्रदान नहीं किया गया	2100	-	8000	2940	5060
19.	टीकमगढ़	मंगलवार	31-12-2024	सुहागी भेलसी	85	9	3000	900	2100	प्रदान नहीं किया गया	1260	-
20.	टीकमगढ़	गुरुवार	02-01-2025	धिमरौला नारायणपुर	88	26	3500	2600	900	प्रदान नहीं किया गया	3640	-
21.	मंडला	शानिवार	18-01-2025	कांसखेड़ा	21	22	3000	2200	800	3500	3080	420
22.	मंडला	शानिवार	18-01-2025	मेधाताल	40	23	1000	2300	-1300	4000	3220	780
23.	मंडला	सोमवार	20-01-2025	अटरिया	10	7	2000	700	1300	1800	980	820
24.	मंडला	सोमवार	20-01-2025	मनोहरपुर	81	17	500	1700	-1200	4000	2380	1620
25.	मंडला	मंगलवार	'21-01-25	बोटल बहेरा	1	1	मापा नहीं गया	100	-	मापा नहीं गया	140	-
26.	मंडला	शुक्रवार	24-01-2024	पिंडरीमल	22	12	1000	1200	-200	5650	1680	3970
27.	मंडला	गुरुवार	23-01-2025	साल्हेपानी	24	15	प्रदान नहीं किया गया	1500	-	2650	2100	550
28.	मंडला	शुक्रवार	31-01-2025	पौड़ी माल-1	20	8	प्रदान नहीं किया गया	800	-	4500	1120	3380
29.	मंडला	शुक्रवार	24-01-2025	महुआटोला	20	16	900	1600	-700	3500	2240	1260
30.	मंडला	मंगलवार	28-01-2025	बीजादांडी	13	11	1000	1100	-100	प्रदान नहीं किया गया	1540	-
31.	अलीराजपुर	शानिवार	22-02-2025	अनसिंह फलिया	44	15	प्रदान नहीं किया गया	1500	-	मापा नहीं गया	2100	-

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
32.	अलीराजपुर	शानिवार	22-02-2025	खर कुनवा नदी धाड़ फलिया	55	10	प्रदान नहीं किया गया	1000	-	2200	1400	800
33.	अलीराजपुर	मंगलवार	25-02-2025	कोटाबू III पटियाकुनवा	95	4	प्रदान नहीं किया गया	400	-	1000	560	440
34.	अलीराजपुर	मंगलवार	25-02-2025	रामसिंह की चौकी उनकर फलिया	24	12	प्रदान नहीं किया गया	1200	-	2000	1680	320
35.	अलीराजपुर	मंगलवार	25-02-2025	रिछवी-04 बहती फलिया	62	0	प्रदान नहीं किया गया	0	-	3000	0	3000
36.	अलीराजपुर	गुरुवार	27-02-2025	अंबी पुजारा फलिया	17	10	प्रदान नहीं किया गया	1000	-	2500	1400	1100
37.	अलीराजपुर	गुरुवार	27-02-2025	सदली पटेल फलिया	41	12	2000	1200	800	प्रदान नहीं किया गया	1680	-
38.	अलीराजपुर	गुरुवार	27-02-2025	गुडा भील फलिया	87	10	1000	1000	0	3000	1400	1600
39.	अलीराजपुर	शुक्रवार	28-02-2025	कलिबेल वेजलिया	32	4	प्रदान नहीं किया गया	400	-	1000	560	440
40.	अलीराजपुर	शुक्रवार	28-02-2025	नानीबार	14	8	प्रदान नहीं किया गया	800	-	1000	1120	-120
41.	दतिया	सोमवार	16-12-2024	वार्ड 34-1, दतिया	85	18	2500	1800	700	4000	2520	1480
42.	दतिया	सोमवार	16-12-2024	वार्ड 34-2, दतिया	134	20	3000	2000	1000	4000	2800	1200
43.	दतिया	मंगलवार	17-12-2024	लहराकलां, इंद्रगढ़	49	35	4000	3500	500	4500	4900	-400
44.	दतिया	मंगलवार	17-12-2024	फादर्स-1, इंद्रगढ़	36	25	2500	2500	0	3000	3500	-500
45.	दतिया	बुधवार	18-12-2024	वार्ड 31-2, दतिया	115	24	2000	2400	-400	3000	3360	-360
46.	दतिया	बुधवार	18-12-2024	वार्ड 32-1, दतिया	105	28	3000	2800	200	3000	3920	-920
47.	दतिया	बुधवार	18-12-2024	वार्ड 34, दतिया	74	40	4000	4000	0	5000	5600	-600

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
48.	दतिया	गुरुवार	19-12-2024	दोहर, इंद्रगढ़	83	30	3500	3000	500	4000	4200	-200
49.	दतिया	मंगलवार	17-12-2024	पचोखरा-1, इंद्रगढ़	84	30	4000	3000	1000	5000	4200	800
50.	दतिया	गुरुवार	19.12.24	भदौना-2, इंद्रगढ़	44	20	3000	2000	1000	4000	2800	1200
51.	नर्मदापुरम	मंगलवार	28.01.25	पलिया पिपारिया-02	99	35	4000	3500	500	5000	4900	100
52.	नर्मदापुरम	मंगलवार	28.01.25	बनखेड़ी वार्ड-07	93	15	2000	1500	500	2500	2100	400
53.	नर्मदापुरम	मंगलवार	28.01.25	डुमर	76	25	3000	2500	500	3500	3500	0
54.	नर्मदापुरम	मंगलवार	28.01.25	खाम खेड़ी	20	19	2500	1900	600	4750	2660	2090
55.	नर्मदापुरम	मंगलवार	28.01.25	जैतवाड़ा	17	8	1000	800	200	1500	1120	380
56.	नर्मदापुरम	सोमवार	20.01.25	117-आर्य नगर वार्ड क्र.14	87	12	2000	1200	800	2500	1680	820
57.	नर्मदापुरम	सोमवार	20.01.25	58-नरेंद्र नगर वार्ड क्र.33	18	16	1800	1600	200	2500	2240	260
58.	नर्मदापुरम	सोमवार	20.01.25	67-अम्बेडकर नगर वार्ड kr.07	24	24	2500	2400	100	3500	3360	140
59.	नर्मदापुरम	सोमवार	20.01.25	45-भगत सिंह नगर वार्ड क्र.22	20	15	1500	1500	0	2000	2100	-100
60.	नर्मदापुरम	सोमवार	20.01.25	36-असफाबाद वार्ड क्र.17	22	16	1800	1600	200	3000	2240	760
61.	सीधी	शानिवार	15-02-2025	पिपरोहर-05	74	30	3500	3000	500	4500	4200	300
62.	सीधी	शानिवार	15-02-2025	नौगावा -03	65	40	4000	4000	0	5000	5600	-600
63.	सीधी	शानिवार	15-02-2025	कुबरी-06	40	33	4000	3300	700	5000	4620	380
64.	सीधी	शानिवार	15-02-2025	टिकटकला -05	24	24	3000	2400	600	4000	3360	640
65.	सीधी	शानिवार	15-02-2025	मवाई-04	26	23	2500	2300	200	4000	3220	780

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
66.	सीधी	मंगलवार	18-02-2025	दुआरी-01	17	15	1800	1500	300	2000	2100	-100
67.	सीधी	मंगलवार	18-02-2025	गोत्र-03	17	16	1800	1600	200	2000	2240	-240
68.	सीधी	मंगलवार	18-02-2025	गुड्डू आधार	48	22	4000	2200	1800	4000	3080	920
69.	सीधी	बुधवार	19-02-2025	पौडी-02	39	25	3000	2500	500	6000	3500	2500
70.	सीधी	बुधवार	19-02-2025	उमरिया-06	एनए	20	2000	2000	0	2500	2800	-300
71.	बुरहानपुर	शुक्रवार	03.01.25	राजेंद्र प्रसाद नंबर 03	90	27	3800	2700	1100	6650	3780	2870
72.	बुरहानपुर	गुरुवार	19-12-2024	राजेंद्र प्रसाद नंबर 04	93	23	3800	2300	1500	6650	3220	3430
73.	बुरहानपुर	गुरुवार	02-01-2025	गांधी चौक-03	37	26	3000	2600	400	5000	3640	1360
74.	बुरहानपुर	शुक्रवार	03-01-2025	नागझिरी-04	45	29	3900	2900	1000	4950	4060	890
75.	बुरहानपुर	गुरुवार	19-12-2024	दाउदपुर -01	47	31	3500	3100	400	6500	4340	2160
76.	बुरहानपुर	शानिवार	14-12-2024	डोंगरगांव छोटा	77	16	3100	1600	1500	3000	2240	760
77.	बुरहानपुर	सोमवार	16-12-2024	जैनाबाद-05 (गिट्टी खदान)	93	27	3500	2700	800	3600	3780	-180
78.	बुरहानपुर	ट्यूसडे	17-12-2022	शाहपुर-14-02	53	26	3000	2600	400	7400	3640	3760
79.	बुरहानपुर	ट्यूसडे	17-12-2022	शाहपुर -03	43	18	3100	1800	1300	3000	2520	480
80.	बुरहानपुर	बुधवार	18-12-2024	खारी	111	25	3000	2500	500	3600	3500	100
81.	बालाघाट	शुक्रवार	07-02-2025	बैहर रोड 1, ए.डब्ल्यू.सी. सं 11	20	7	1000	700	300	2500	980	1520
82.	बालाघाट	शुक्रवार	31-01-2025	49 त्रिवेदी वार्ड	20	3	1000	300	700	6500	420	6080
83.	बालाघाट	ट्यूसडे	04-02-2025	आरा मिल ए.डब्ल्यू.सी. सं 08	46	14	1500	1400	100	4800	1960	2840
84.	बालाघाट	बुधवार	29-01-2025	72, गेखुरी-02	65	16	मापा नहीं गया	1600	-	6300	2240	4060
85.	बालाघाट	सोमवार	03-02-2025	71, गेखुरी	72	11	2000	1100	900	4400	1540	2860
86.	बालाघाट	गुरुवार	06-02-2025	कछार	3	3	500	300	200	500	420	-

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
87.	बालाघाट	बुधवार	05-02-2025	रामजीटोला	9	9	1000	900	100	2076	1260	816
88.	बालाघाट	गुरुवार	06-02-2025	कलगांव	48	23	1625	2300	-675	1750	3220	-1470
89.	बालाघाट	बुधवार	05-02-2025	चिकमारा -01	32	18	1400	1800	-400	2700	2520	180
90.	बालाघाट	शानिवार	01-02-2025	तिरोदी-09	20	11	800	1100	-300	1980	1540	440
91.	श्योपुर	ट्यूसडे	25-02-2025	सोई खुर्द	17	15	2000	1500	500	3750	2100	1650
92.	श्योपुर	शुक्रवार	28-02-2025	चक का सहराना	10	7	1000	700	300	1500	980	520
93.	श्योपुर	शानिवार	01-03-2025	ज्वालापुर	18	11	1500	1100	400	1000	1540	-540
94.	श्योपुर	ट्यूसडे	25-02-2025	दालना बागिची	15	15	4500	1500	3000	5750	2100	3650
95.	श्योपुर	शुक्रवार	28-02-2025	जेनी बी	61	25	5000	2500	2500	8000	3500	4500
96.	श्योपुर	गुरुवार	27-02-2025	खिरकिरी	85	36	7000	3600	3400	9100	5040	4060
97.	श्योपुर	गुरुवार	27-02-2025	सुरजन की तोड़ी	29	8	850	800	50	2500	1120	1380
98.	श्योपुर	शुक्रवार	21-02-2025	वार्ड सं 6 ए	152	28	5500	2800	2700	9050	3920	5130
99.	श्योपुर	शुक्रवार	21-02-2025	वार्ड सं 14-ए	93	30	5000	3000	2000	1000	4200	-3200
100.	श्योपुर	शानिवार	01-03-2025	दर्र्दा खुर्द	108	25	2000	2500	-500	7000	3500	3500
101.	शाजापुर	शानिवार	04.01.25	घुंसी केआर 2	28	15	1500	1500	0	2500	2100	400
102.	शाजापुर	शुक्रवार	03.01.25	डुंगरा केआर 1	19	10	1000	1000	0	1500	1400	100
103.	शाजापुर	शुक्रवार	03.01.25	तिलवाड़ गोविंद 3	43	20	1500	2000	-500	2000	2800	-800
104.	शाजापुर	गुरुवार	02.01.25	झोंकर 02	33	30	3000	3000	0	5000	4200	800
105.	शाजापुर	बुधवार	08.01.25	केवलखेड़ी	32	13	1500	1300	200	2000	1820	180
106.	शाजापुर	शानिवार	04.01.25	मक्सी वार्ड 6	54	22	3000	2200	800	3000	3080	-80
107.	शाजापुर	सोमवार	06.01.25	मिर्जापुर खेड़ा	12	10	1200	1000	200	1500	1400	100
108.	शाजापुर	मंगलवार	07.01.25	जावड़ी	31	20	2000	2000	0	2500	2800	-300
109.	शाजापुर	मंगलवार	07.01.25	चौमा	87	30	3000	3000	0	4000	4200	-200
110.	शाजापुर	बुधवार	08.01.25	खामखेड़ा	37	15	1500	1500	0	2000	2100	-100

क्रम संख्या	जिला	दिन	तिथि	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या (आर-3 के अनुसार)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध बच्चों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्र के अभिलेखों के अनुसार नाश्ते की आपूर्ति की गई मात्रा	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	नाश्ते की अतिरिक्त (+)/ कम (-) मात्रा	आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई मात्रा	दोपहर के भोजन के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक मात्रा	दोपहर के भोजन की अतिरिक्त (+)/कम (-) मात्रा
111.	रतलाम	सोमवार	03.02.25	शक्ति नगर	108	35	3500	3500	0	5000	4900	100
112.	रतलाम	सोमवार	03.02.25	राजपूत बोर्डिंग	21	12	1000	1200	-200	1500	1680	-180
113.	रतलाम	सोमवार	03.02.25	आमलिया भेरू	52	25	2500	2500	0	3500	3500	0
114.	रतलाम	मंगलवार	04.02.25	सुभाष नगर 2	35	20	2000	2000	0	2500	2800	-300
115.	रतलाम	मंगलवार	04.02.25	विनोबा नगर2	57	28	3000	2800	200	4000	3920	80
116.	रतलाम	गुरुवार	06.02.25	बीड	59	28	3000	2800	200	5000	3920	1080
117.	रतलाम	गुरुवार	06.02.25	पड़ाव	11	7	1000	700	300	1500	980	520
118.	रतलाम	शुक्रवार	07.02.25	मैदाफालिया	37	20	1500	2000	-500	2500	2800	-300
119.	रतलाम	शुक्रवार	07.02.25	मालवासी क्र.1	48	21	1500	2100	-600	2500	2940	-440
120.	रतलाम	सोमवार	10.02.25	खुमरिया	38	19	2000	1900	100	2500	2660	-160
121.	अनूपपुर	गुरुवार	06.03.25	बधवा टोला	46	8	1000	800	200	1500	1120	380
122.	अनूपपुर	गुरुवार	06.03.25	वार्ड 09	85	14	1500	1400	100	2500	1960	540
123.	अनूपपुर	शुक्रवार	07.03.25	फुलवारी टोला	22	11	1000	1100	-100	1500	1540	-40
124.	अनूपपुर	शुक्रवार	07.03.25	सड़क टोला	17	12	1000	1200	-200	1500	1680	-180
125.	अनूपपुर	सोमवार	10.03.25	देवी मोहल्ला	10	10	1000	1000	0	1500	1400	100
126.	अनूपपुर	मंगलवार	11.03.25	धंगवां 2	42	13	1500	1300	200	2000	1820	180
127.	अनूपपुर	मंगलवार	11.03.25	रोहिल्ला कछार	5	4	500	400	100	1000	560	440
128.	अनूपपुर	बुधवार	12.03.25	जैथारी क्र. 05	104	14	1500	1400	100	2000	1960	40
129.	अनूपपुर	बुधवार	12.03.25	मेडियारास	43	10	1500	1000	500	2000	1400	600
130.	अनूपपुर	बुधवार	05.03.25	शिघौरा 2	17	16	1500	1600	-100	2000	2240	-240

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.8.8, पृष्ठ संख्या 19)

आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जिसमें स्व-सहायता समूह ने एक ही समय में नाश्ता एवं दोपहर का भोजन प्रदान किया

क्रम संख्या	जिले का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां नाश्ता एवं दोपहर का भोजन एक ही समय में प्रदान किया गया था
1.	अनूपपुर	बधवा टोला, फुलवारी टोला, सड़क टोला, देवी मोहल्ला, रोहिल्ला कछार, जयथारी के आर 5, मेदियारास एवं शिघौरा 2
2.	दतिया	वार्ड 32 I, वार्ड 31 II
3.	मंडला	मेधाताल, अतारिया, बोटल बहेरा, महुआ तोला,
4.	रतलाम	शक्ति नगर, राजपूत बोर्डिंग, आमलिया भेरू, सुभाष नगर, विनोबा नगर 2, पड़ाव, मैदाफलिया, मलवासी क्र 1, खुमारिया
5.	सीहोर	जमनपुरा, सुदामानगर, जमशेदनगर-2, जमशेदनगर-1, देवनगर
6.	शाजापुर	घुंसी, तिलकवाड़ गोविंद, मक्सी वार्ड 6, चौमा, डूंगरा, झोंकर, मिर्जापुर खेड़ा, जावड़ी

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.1, पृष्ठ संख्या 24)

आई.सी.डी.एस. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	आंगनवाड़ी सेवाएं		राष्ट्रीय पोषण मिशन		आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण		अतिरिक्त मानदेय		पूरक पोषण कार्यक्रम		कुल	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2019-20	54,651.72	1,11,674.91	12,472.28	10,951.45	3,689.48	3,392.68	28,208.19	86,081.49	1,48,913.74	1,44,090.91	2,47,935.41	3,56,191.44
2020-21	1,08,729.91	1,07,104.73	6,407.11	4,773.79	3,453.09	3,053.49	87,542.56	87,139.96	1,17,741.84	1,10,961.20	3,23,874.51	3,13,033.17
2021-22	1,13,554.01	1,02,390.36	16,749.19	16,600.03	9,012.70	8,960.20	94,115.78	84,764.44	1,33,704.68	1,29,714.47	3,67,136.36	3,42,429.50
2022-23	2,92,185.42	1,96,779.68	26,853.91	25,951.71	10,427.02	8,696.22	70,034.93	59,103.54	2,41,879.68	2,28,470.94	6,41,380.96	5,19,002.09
2023-24	3,27,519.15	3,10,117.25	20,049.21	19,812.10	8,994.33	5,791.40	0	0	2,04,540.63	1,98,297.61	5,61,103.32	5,34,018.36
कुल	**8,96,640.21**	**8,28,066.93**	**82,531.70**	**78,089.08**	**35,576.62**	**29,893.99**	**2,79,901.46**	**3,17,089.43**	**8,46,780.57**	**8,11,535.13**	**21,41,430.56**	**20,64,674.56**

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.2, पृष्ठ संख्या 25)

अवधि 1995-96 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत/अपूर्ण/अप्रारंभिक आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण

आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण जिनका निर्माण कार्य अपूर्ण रहा					
योजना का नाम जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया	वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत	अप्रारम्भित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या	कुल अपूर्ण रहने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र	जिला परियोजना अधिकारियों/निर्माण एजेंसियों को कुल जारी निधि (₹ करोड़ में)
राज्य योजना	2006-07 से 2011-12 एवं 2017-18 से 2018-19	442	510	952	48..80
13वां वित्त आयोग	2011-12 से 2015-16	165	799	964	73.85
आई.सी.डी.एस. मिशन	2013-14	79	899	978	32.27
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	2015-16 से 2017-18	2,085	4,581	6,666	132.94
बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.)	2010-11	4	15	19	0.57
विश्व बैंक	1994-95, 1996-97 एवं 1998-99	2	7	9	0.08
	कुल	**2,777**	**6,811**	**9,588**	**288.51**

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.2.1, पृष्ठ संख्या 26)

अपूर्ण एवं अप्रारंभित आंगनवाड़ी केन्द्रों का जिला-वार विवरण

स.क्र.	जिले का नाम	अपूर्ण भवनों की संख्या	अप्राम्भित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	निर्माण एजेंसी को अपूर्ण एवं अप्राम्भित भवनों के लिए स्वीकृत राशि (₹ लाख में)
1	अलीरापुर	39	50	385.10
2	अनूपपुर	15	2	287.72
3	बालाघाट	39	0	812.86
4	बुरहानपुर	18	0	186.00
5	मंडला	28	03	178.00
6	रतलाम	17	01	88.66
7	सीहोर	57	14	321.22
8	शाजापुर	18	04	70.00
9	श्योपुर	96	28	1,372.84
10	टीकमगढ़	72	10	380.98
11	दतिया	33	0	157.10
12	नर्मदापुरम	10	0	46.72
13	सीधी	28	0	137.48
	कुल	**470**	**112**	**4,424.68**

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.3.1, पृष्ठ संख्या 30)

मंडला जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	भवन स्वीकृति का वर्ष	किस योजना के तहत स्वीकृत हुई	प्रारंभ में भुगतान की गई राशि	भवन की वर्तमान स्थिति	बाद में भुगतान की गई राशि	प्रचलित दर के अनुसार निर्माण की लागत	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)= (5+7-8)**
1	डुंगरिया	2016	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
2	खेरूवाला	2017	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
3	धेंको 2	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
4	बस्ती मोहल्लो	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
5	मोहनियाटोला	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
6	हीरापुर नंबर 2	2017	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	9.50	11.22	0.28
7	भिखमपुर नंबर 2	2015	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	9.50	11.22	0.28
8	कथलाटोला	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
9	सदक्टोला	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
10	बिंझिया	2016-17	मनरेगा	2.00	प्रारंभ नहीं	11.22	11.22	2.00
	कुल			**20.00**		**108.76**	**112.20**	**16.56**

परिशिष्ट-1.10

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.3.2, पृष्ठ संख्या 30)

आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण जिनके विरुद्ध एक से अधिक स्वीकृतियाँ जारी की गईं एवं तदनुसार निधि जारी की गई

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	ग्राम	प्रथम स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	द्वितीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	तृतीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	प्रथम स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	द्वितीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	तृतीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	कुल अतिरिक्त भुगतान
1.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	पुजारा फलिया	खंडाला	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1373)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2584)	--	200000	200000	--	200000
2.	अलीराजपुर	सोंडवा	पिपल्यावत पटेल फलिया	पिपल्यावत	547/16.01.2017 (स.क्र. 3971)	3527/16.03.2018 (स.क्र. 8655)	--	200000	200000	--	200000
3.	अलीराजपुर	सोंडवा	दाबादी वलवाई वास्कल फलिया	दबादी	547/16.01.2017 (स.क्र. 29)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2593)	--	200000	200000	--	200000
4.	अलीराजपुर	सोंडवा	छोटीगेंद्र मत्तरबरा फलिया	छोटीगेंद्र	547/16.01.2017 (स.क्र. 28)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2592)	--	200000	200000	--	200000
5.	अलीराजपुर	सोंडवा	छोटी फड़तला केलवानी फलिया	छोटी हथवी	3527/16.03.2018 (स.क्र. 395)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1377)	--	400000	200000	--	200000
6.	अलीराजपुर	सोंडवा	धमन फलिया	पिपल्यावत	3527/16.03.2018 (स.क्र. 396)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1378)	--	400000	200000	--	200000
7.	अलीराजपुर	सोंडवा	पटेल फलिया	सगाबारा	3527/16.03.2018 (स.क्र. 399)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1379)	--	400000	200000	--	200000
8.	अलीराजपुर	सोंडवा	बदाम्बा पटेल फलिया	सकर्जा	3527/16.03.2018 (स.क्र. 405)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1380)	--	400000	200000	--	200000
9.	अलीराजपुर	सोंडवा	उफराला फलिया	सेमलानी	3527/16.03.2018 (स.क्र. 406)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1381)	--	400000	200000	--	200000
10.	अलीराजपुर	सोंडवा	बाजार फलिया	उमराली	3527/16.03.2018 (स.क्र. 398)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1382)	--	400000	200000	--	200000
11.	अलीराजपुर	सोंडवा	टंकी फलिया	उमराली	3527/16.03.2018 (स.क्र. 404)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 1383)	--	400000	200000	--	200000

स. क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	ग्राम	प्रथम स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	द्वितीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	तृतीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	प्रथम स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	द्वितीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	तृतीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	कुल अतिरिक्त भुगतान
12.	अलीराजपुर	सोंडवा	चोकीदार फलिया	सगाबारा	3527/16.03.2018 (स.क्र. 400)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2595)	--	400000	200000	--	200000
13.	अलीराजपुर	सोंडवा	वारती फलिया	सेमलानी	3527/16.03.2018 (स.क्र. 407)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2596)	--	400000	200000	--	200000
14.	अलीराजपुर	सोंडवा	सेमलपानी फलिया	पिपल्यावत	547/16.01.2017 (स.क्र. 36)	3527/16.03.2018 (स.क्र. 397)	--	200000	400000	--	400000
15.	अलीराजपुर	जोबात	कांडा काकड़माल फलिया (मसानिया फलिया)	कांडा	547/16.01.2017 (स.क्र. 22)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2587)	--	200000	200000	--	200000
16.	अलीराजपुर	जोबात	सालखेड़ा गुरद फलिया	सालखेड़ा	547/16.01.2017 (स.क्र. 23)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2589)	--	200000	200000	--	200000
17.	अलीराजपुर	जोबात	कांवडा पटेल फलिया	कंवड़ा	3527/16.03.2018 (स.क्र. 394)	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2588)	--	400000	200000	--	200000
18.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	पलसादा (घाटवानी जमरा फैया)	पलसाडा	547/16.01.2017	4340/28.03.2018 (स.क्र. 2586)	2141/15.02.2018	200000	200000	400000	600000
19.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	छोटा उंडवा बड़ा फलिया	बड़ा अंडवा	11477/29.09.2016	12469/26.10.2016	--	200000	400000	--	400000
20.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अंबारी कवछा फलिया	अंबारी	547/16.01.2017	2141/15.02.2018	--	200000	400000	--	400000
21.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	साकडी फलिया	नानपुर	547/16.01.2017	2141/15.02.2018	--	200000	400000	--	400000
22.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	खार्कुवा रेटकुवा फलिया	कहारकुवा	547/16.01.2017	2141/15.02.2018	--	200000	400000	--	400000
23.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	कंजर फलिया	फाटा	547/16.01.2017	2141/15.02.2018	--	200000	400000	--	400000
24.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	चंद्रपुरा-डी	चंद्रपुरा	3527/16.03.2018	4420/25.03.2021	--	200000	200000	--	200000
25.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	कोट्रा-सी	कोटरा	3527/16.03.2018	4420/25.03.2021	--	400000	200000	--	200000

स. क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	ग्राम	प्रथम स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	द्वितीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	तृतीय स्वीकृति आदेश का विवरण (संख्या/तारीख)	प्रथम स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	द्वितीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	तृतीय स्वीकृति के अंतर्गत जारी राशि	कुल अतिरिक्त भुगतान
26.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	पिपरा-बी	पिपरा	3527/16.03.2018	4420/28.03.2021	--	400000	200000	--	200000
27.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	सिझोरा-ए	सिजोरा	3527/16.03.2018	4420/28.03.2021	--	400000	200000	--	200000
28.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	हीरापुर के पास	हीरापुर नजदिक सरकनपुर	3527/16.03.2018	4420/28.03.2021	--	400000	200000	--	200000
29.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	दुर्गाखेड़ा	लामेरा	3527/16.03.2018	4420/28.03.2021	--	400000	200000	--	200000
				कुल				**88,00,000**	**70,00,000**	**4,00,000**	**74,00,000**

परिशिष्ट-1.11

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.10.4.1, पृष्ठ संख्या 31)

आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूर्ण होने के बाद निर्माण एजेंसी के पास शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	शेष राशि
1.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	लुहर्रा	12.08.2015	583000	503000	80000
2.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	टीला	24.05.2017	583000	501231	81769
3.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	पचर	02.05.2016	583000	502252	80748
4.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	छिदारी	01.03.2016	583000	502198	80802
5.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	मऊ	01.03.2016	583000	551762	31238
6.	टीकमगढ़	डिगौडा	प्रेमनगर	15.03.2018	583000	580000	3000
7.	टीकमगढ़	जतारा	लिथोरा ताल.एस	01.06.2015	583000	520000	63000
8.	टीकमगढ़	जतारा	बगौरा.बी	01.06.2015	583000	550000	33000
9.	टीकमगढ़	जतारा	बाजितपुरा	25.07.2013	583000	524000	59000
10.	टीकमगढ़	पलेरा	पैरा नंबर 2	01.06.2015	583000	454863	128137
11.	टीकमगढ़	पलेरा	तौरिया.4	01.06.2017	583000	340000	243000
12.	टीकमगढ़	पलेरा	भागबन्तनगर	01.06.2017	583000	464967	118033
13.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ ग्रामीण	घाट खिरिया	03.09.2016	780000	506654	273346
14.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ ग्रामीण	मोखरा	06.04.2016	780000	743555	36445
15.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ ग्रामीण	उमरी	24.05.2017	780000	747806	32194
16.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ ग्रामीण	संतखेड़ा (सुंदरपुर)	31.08.2018	780000	522854	257146
17.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ ग्रामीण	अजनोर	13.03.2018	780000	579565	200435
18.	टीकमगढ़	डिगौडा	सेमरखेड़ा	18.12.2018	780000	713240	66760
19.	टीकमगढ़	डिगौडा	दिगौडा ए (शिवलेश)	23.10.2015	780000	767593	12407
20.	टीकमगढ़	डिगौडा	बरेठी बी	12.07.2017	780000	550000	230000
21.	टीकमगढ़	डिगौडा	देवराहा बी	23.01.2016	780000	732182	47818
22.	टीकमगढ़	जतारा	लार खुर्द	14.05.2019	780000	573937	206063
23.	टीकमगढ़	जतारा	मार्गुनवा	24.08.2019	780000	670485	109515
24.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	भीतरवार	03.09.2016	780000	709348	70652

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	शेष राशि
25.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	मालगुवन	27.04.2016	780000	468256	311744
26.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	सुजानपुरा	03.09.2016	780000	732988	47012
27.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	फ़ार्का	14.05.2019	780000	517935	262065
28.	टीकमगढ़	पलेरा	बराना ए	12.07.2017	780000	680000	100000
29.	टीकमगढ़	पलेरा	इटैलियन	12.07.2017	780000	603483	176517
30.	टीकमगढ़	पलेरा	कछौड़ा बी	22.06.2016	780000	645768	134232
31.	टीकमगढ़	पलेरा	दीनू	30.05.2017	780000	541000	239000
32.	टीकमगढ़	पलेरा	कोटरा खेड़ा	30.05.2017	780000	403588	376412
33.	टीकमगढ़	पलेरा	सिमरा खुर्द एस	25.06.2017	780000	379235	400765
34.	टीकमगढ़	पुथवीपुर	बितार	05.08.2019	583000	544963	38037
35.	टीकमगढ़	पुथवीपुर	काकावानी	27.09.2016	780000	758894	21106
36.	टीकमगढ़	निवाड़ी	पथराम	24.05.2017	583000	364341	218659
37.	टीकमगढ़	निवाड़ी	खिरिया	24.05.2017	583000	401070	181930
38.	टीकमगढ़	निवाड़ी	पिपरा	24.05.2017	583000	427551	155449
39.	टीकमगढ़	निवाड़ी	कटाऊ पहाड़ी	07.08.2018	583000	380920	202080
40.	टीकमगढ़	निवाड़ी	कुधर	07.08.2018	583000	376912	206088
41.	टीकमगढ़	निवाड़ी	सकुली	07.08.2018	583000	421574	161426
42.	टीकमगढ़	निवाड़ी	शक्तिभैरा	02.02.2018	583000	551868	31132
43.	टीकमगढ़	निवाड़ी	दमानिया	01.03.2016	780000	596166	183834
44.	टीकमगढ़	निवाड़ी	शिवरामपुर सेंदरी	17.08.2016	780000	723879	56121
45.	टीकमगढ़	निवाड़ी	असती खास	29.05.2017	780000	721394	58606
46.	टीकमगढ़	निवाड़ी	धीमरपुरा	27.02.2015	780000	566000	214000
47.	टीकमगढ़	निवाड़ी	देवरी बामनौ	28.02.2016	780000	724859	55141
48.	टीकमगढ़	निवाड़ी	धर्मपुरा	03.04.2016	780000	698200	81800
49.	टीकमगढ़	निवाड़ी	लाडपुरा	03.01.2020	780000	606461	173539
50.	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	भेलसा खुर्द	01.05.2019	780000	441179	338821
51.	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	कनौरा	01.05.2019	780000	444731	335269
52.	शाजापुर	शाजापुर	आला उमरोद	20.07.2014	780000	610000	170000
53.	शाजापुर	शाजापुर	बरवाला	04.01.2017	780000	596306	183694

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	शेष राशि
54.	शाजापुर	शाजापुर	कंजा	06.01.2017	780000	715699	64301
55.	शाजापुर	शाजापुर	लंदिया	10.02.2015	780000	662124	117876
56.	शाजापुर	शाजापुर	पिंडोनिया	03.04.2015	780000	695000	85000
57.	शाजापुर	शाजापुर	पालडी	11.12.2014	780000	623000	157000
58.	शाजापुर	बेरछा	सुंदरसी	20.11.2014	780000	725000	55000
59.	शाजापुर	बेरछा	कासमखेड़ी	28.02.2015	780000	757000	23000
60.	शाजापुर	बेरछा	जारखी	14.11.2014	780000	717952	62048
61.	शाजापुर	बेरछा	सिरोलिया	10.10.2015	780000	666800	113200
62.	शाजापुर	बेरछा	झोंकर	24.04.2015	780000	759000	21000
63.	शाजापुर	पोलायकला	देवली	26.11.2014	780000	678785	101215
64.	शाजापुर	पोलायकला	खादी	05.08.2015	780000	681419	98581
65.	शाजापुर	पोलायकला	मोर्टा केवाड़ी	01.10.2014	780000	692644	87356
66.	शाजापुर	पोलायकला	हदले कलां	05.01.2015	780000	744874	35126
67.	शाजापुर	पोलायकला	अवंतिपुर बहोडिया	11.05.2015	780000	759000	21000
68.	शाजापुर	बेरछा	किसोनी	05.12.2015	780000	768778	11222
69.	शाजापुर	शुजालपुर	श्यामपुर	20.03.2016	780000	728000	52000
70.	शाजापुर	शुजालपुर	जैमनेर	22.06.2015	780000	757115	22885
71.	शाजापुर	शुजालपुर	रसालपुर	04.06.2016	780000	770704	9296
72.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	ढेंका	15.07.2015	780000	588352	191648
73.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	करजू	24.01.2015	780000	694000	86000
74.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	पोले खुर्द	20.02.2015	780000	754000	26000
75.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	बोलाई	15.10.2014	780000	625614	154386
76.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	उमरिया दया	16.12.2014	780000	648437	131563
77.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	छिलौचा	28.12.2014	780000	738544	41456
78.	शाजापुर	कलापीपल	रौसाला	26.06.2015	780000	698349	81651
79.	शाजापुर	कलापीपल	सेमलिया	14.10.2015	780000	754000	26000
80.	शाजापुर	कलापीपल	बेगमखेड़ी	04.02.2015	780000	693624	86376
81.	शाजापुर	कलापीपल	बगोडा	26.08.2015	780000	769211	10789
82.	शाजापुर	कलापीपल	तिलवाड़ मैना	01.12.2014	780000	758466	21534

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	शेष राशि
83.	शाजापुर	कलापीपल	डांडिया खेड़ी	17.01.2015	780000	705000	75000
84.	शाजापुर	शाजापुर	वार्ड 18	27.07.2015	780000	741693	38307
85.	शाजापुर	शाजापुर	वार्ड 27	18.02.2015	780000	685750	94250
86.	शाजापुर	बेरछा	बेराचा	05.05.2017	780000	468864	311136
87.	शाजापुर	बेरछा	झोक्कर	24.04.2015	780000	755000	25000
88.	शाजापुर	बेरछा	मक्सी वार्ड नंबर 1	24.11.2014	780000	625000	155000
89.	शाजापुर	बेरछा	मक्सी वार्ड नंबर 14	24.11.2014	780000	653000	127000
90.	शाजापुर	पोलायकला	वार्ड 11 पोलायकला	20.02.2015	780000	777000	3000
91.	शाजापुर	पोलायकला	वार्ड 15 पोलायकला	05.06.2015	780000	702294	77706
92.	शाजापुर	पोलायकला	वार्ड 1 अकोडिया	22.06.2015	780000	694696	85304
93.	शाजापुर	पोलायकला	वार्ड 2 अकोडिया	22.06.2015	780000	675910	104090
94.	शाजापुर	शुजालपुर	नंदासुर	13.01.2016	780000	771000	9000
95.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	भावरस	31.08.2016	780000	527000	253000
96.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	गोविंदा	04.05.2017	780000	422000	358000
97.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	मोचीखेड़ी	07.05.2015	780000	668000	112000
98.	शाजापुर	मोमन बडोदिया	घाना	30.11.2015	780000	602191	177809
99.	शाजापुर	कलापीपल	खजूरी अलाहदाद	28.05.2015	780000	711619	68381
100.	शाजापुर	कलापीपल	कोहदी	16.01.2016	780000	773395	6605
101.	शाजापुर	कलापीपल	रिहरी मुरादाबाद	15.01.2016	780000	761951	18049
102.	शाजापुर	कलापीपल	खाता खेड़ी	10.11.2020	780000	740000	40000
103.	शाजापुर	कलापीपल	बापचा	23.01.2021	780000	760000	20000
104.	शाजापुर	कलापीपल	अरनियाकला	30.12.2020	780000	727000	53000
105.	शाजापुर	कलापीपल	बोल्डा 2	02.05.2017	780000	655000	125000
106.	शाजापुर	शुजालपुर	कडवाला	28.11.2016	780000	636000	144000
107.	शाजापुर	शुजालपुर	किसोनी 2	03.12.2016	780000	758000	22000
108.	शाजापुर	शुजालपुर	खेड़ा बोल्डा	18.03.2017	780000	593000	187000
109.	शाजापुर	शुजालपुर	मायापुर	18.12.2016	780000	584000	196000
110.	शाजापुर	शुजालपुर	सम्री	20.12.2016	780000	573000	207000
111.	शाजापुर	शुजालपुर	गिरवार	20.12.2016	780000	622000	158000

क्रम संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	शेष राशि
112.	शाजापुर	शुजालपुर	निछमा	23.03.2017	780000	659000	121000
113.	शाजापुर	शुजालपुर	रिंगनिखेड़ा	21.02.2017	780000	551000	229000
114.	शाजापुर	शुजालपुर	अक्या	10.02.2017	780000	564000	216000
115.	शाजापुर	शुजालपुर	लाहौरी	10.02.2017	780000	539000	241000
116.	शाजापुर	शाजापुर	पंवारी	01.06.2017	780000	530000	250000
117.	शाजापुर	शाजापुर	निपन्या ढक्कड़	28.03.2019	780000	563000	217000
118.	शाजापुर	शाजापुर	झोकर छोटा टाकिया	28.03.2019	780000	558000	222000
119.	शाजापुर	बेरछा	झोकर बड़ा गोया	28.03.2019	780000	533000	247000
120.	शाजापुर	बेरछा	झोक्कर कचेरी	23.12.2016	780000	669000	111000
		कुल			**8,96,60,000**	**7,49,01,867**	**1,47,58,133**

परिशिष्ट-1.12

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.11.1, पृष्ठ संख्या 34)

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन एवं इसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(मीट्रिक टन में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आवंटन		राज्य ने जिलों को खाद्यान्न आवंटित किया		राज्य ने टी.एच.आर. संयंत्रों को खाद्यान्न आवंटित किया		राज्य द्वारा प्रमाणित खाद्यान्नों का उपयोग		राज्य द्वारा आवंटन के संबंध में अप्रयुक्त खाद्यान्न	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2019-20	148000	54000	71413.197	19179.073	52421.588	22338.586	119718.166	38967.787	4116.619	2549.872
2020-21	119039	44100.8	82286.220	13147.802	29148.000	13203.000	108405.344	25302.648	3028.876	1048.154
2021-22	117506	42757	66062.916	17250.630	35026.000	15579.000	96234.813	31060.034	4854.103	1769.596
2022-23	130564	45415	69787.156	20925.062	21976.000	9233.000	72546.350	22148.520	19216.806	8009.542
2023-24	116159	48162	66505.784	20179.982	39107.336	13816.221	100594.713	32061.352	5018.407	1934.851
कुल	**631268**	**234434.8**	**356055.273**	**90682.549**	**177678.924**	**74169.807**	**497499.386**	**149540.341**	**36234.811**	**15312.015**

परिशिष्ट-1.13

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.11.1.1, पृष्ठ संख्या 34)

चयनित छ: जिलों में खाद्यान्नों के उपयोग के आंकड़ों में विसंगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले का नाम	जिले को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)		जिले द्वारा प्रमाणित खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में) का उपयोग		डी.सी.एस.सी. द्वारा सूचित खाद्यान्नों के उठाव की मात्रा (मीट्रिक टन में)		जिला परियोजना अधिकारिओं ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खाद्यान्न का भुगतान किया		डी.सी.एस.सी. से खाद्यान्न उठाव की पुष्टि किए बिना जिला परियोजना अधिकारिओं द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए किया गया भुगतान	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
अलीराजपुर	7032.108	1849.502	7032.108	1849.502	6576.324	1680.535	6959.65	1815.625	383.326	135.09
बुरहानपुर	3795.244	975.384	3795.244	3576.33	3576.33	882.26	3850.855	990.713	274.525	108.453
दतिया	4515.34	1166.556	5015.129	1429.598	4505.487	1158.981	5015.129	1429.598	509.642	270.617
श्योपुर	4845.783	1258.216	4845.783	1258.216	4736.082	1200.483	4845.786	1279.173	109.704	78.69
सीधी	7681.045	1980.729	7723.34	1932.72	6923.619	1756.336	7723.34	1932.72	799.721	176.384
टीकमगढ़ (निवाड़ी सहित)	8564.014	2204.729	8564.014	2204.729	8466.928	2144.72	8547.01	2179.986	80.082	35.266
कुल	**36,433.534**	**9,435.116**	**36,975.62**	**12,251.1**	**34,784.77**	**8,823.315**	**36,941.77**	**9,627.815**	**2157.000**	**804.500**

परिशिष्ट-1.14

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.11.4, पृष्ठ संख्या 39)

चयनित जिलों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की संख्या	भरे हुए पद	निरक्षर	5 वीं कक्षा से नीचे	8 वीं कक्षा तक	10वीं/ मैट्रिक	उच्च माध्यमिक / इंटरमीडिएट	स्नातक एवं उससे ऊपर
अलीराजपुर	2228	2191	84	353	510	426	460	358
अनूपपुर	1156	1143	7	64	257	276	293	246
बालाघाट	2560	2514	1	38	328	422	744	981
बुरहानपुर	815	785	4	35	109	132	290	215
दतिया	994	979	0	59	216	145	224	335
मंडला	2310	2258	5	93	549	589	560	467
नर्मदापुरम	1771	1746	3	86	259	257	370	771
रतलाम	2124	2082	52	259	497	327	485	462
सीहोर	1415	1387	0	62	250	298	353	424
शाजापुर	1054	1022	0	70	116	168	335	333
श्योपुर	1259	1188	21	79	361	229	250	248
सीधी	1907	1866	4	36	56	139	689	942
टीकमगढ़	1293	1272	1	36	203	220	451	356
कुल	**20,886**	**20,433**	**182**	**1,270**	**3,711**	**3,628**	**5,504**	**6,138**

परिशिष्ट-1.15

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.11.5.3, पृष्ठ संख्या 42)

स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु देयकों की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिले का नाम	परियोजना	आंगनवाडी केंद्र की संख्या	माह के लिए स्व-सहायता समूहों के देयक उपलब्ध नहीं पाए गए (माहों की संख्या)
1	**मंडला**	बिछिया	328	4
		बीजादांडी	212	2
		घुघुरी	259	3
		नैनपुर	282	3
		मोहगांव	210	3
		मवाई	332	4
		नारायणगंज	207	6
		मंडला	316	1
		निवास	164	3
2	**टीकमगढ़**	टीकमगढ़ ग्रामीण	14	1
		डिगोडा	1	1
		निवाड़ी	4	1
		पलेरा	1	1
		बलदेवगढ़	3	1
3	**सीहोर**	बुदनी	3	2
		बुदनी	2	1
		नसरुल्लागंज	1	5
		सीहोर ग्रामीण	1	1
4	**अलीराजपुर**	अलीराजपुर	3	2
		सी.एस.ए. नगर	35	2
		जोबात	22	2
		कट्ठीवाड़ा	63	2
		सोंडवा	117	2
		उदयगढ़	21	2
5	**श्योपुर**	श्योपुर शहरी	6	1
		श्योपुर-1	3	1

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.2, 2.8.2, 2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.1.3, 2.9.2.1 (घ), 2.9.2.3 (क) एवं 2.10.1.2 पृष्ठ संख्या 51, 55, 59, 61, 65, 68 एवं 78)

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का विवरण

क्रम संख्या	पत्र/आदेश/ परिपत्र सं.	दिनांक/वर्ष	विषय	जारीकर्ता प्राधिकारी	आदेश/पत्र जारी किसे किया गया	उत्तरदायित्व
1	अर्ध-शासकीय पत्र क्र./ महावी/8/1554	15.12.1989	कामकाजी महिला वसतिगृह का उचित प्रबंधन।	आयुक्त (महिला एवं बाल विकास), मध्य प्रदेश	समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश *पृष्ठांकित* – समस्त जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	यह सुनिश्चित करना कि कामकाजी महिला वसतिगृह का उपयोग कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु न किया जाए। उन्हें पात्र कामकाजी महिलाओं को प्रवेश देने के लिए सक्रिय प्रयास करने होगें तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दुरुपयोग वाले वसतिगृह को तत्काल रिक्त किया जाए। वे वसतिगृहों के कुशल संचालन के लिए एक समिति का गठन करने, निर्माणाधीन वसतिगृहों एवं आवश्यक किश्तों के बारे में पूरी जानकारी भेजने तथा डे-केयर सेंटर में बच्चों की जानकारी के साथ त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। **जिला कार्यक्रम अधिकारी:** अपने संबंधित जिलों में सभी क्रियाशील वसतिगृहों का निरीक्षण करना एवं उनकी स्थिति तथा संचालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
2	1871	23.10.1990	कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृहों के उचित प्रबंधन के संबंध में।	आयुक्त (महिला एवं बाल विकास), मध्य प्रदेश	समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश	वसतिगृहों में कामकाजी महिलाओं से प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना, इन आवेदन पत्रों को एकत्र करना एवं कामकाजी महिलाओं के वसतिगृहों में उनके रहने की व्यवस्था करना।
3	10-49/2000/50-2	01.07.2000	बड़े शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास व्यवस्था के प्रावधान के संबंध में।	मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास, वल्लभ भवन	1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र. 2. समस्त जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, *पृष्ठांकित*- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	वसतिगृहों के उचित संचालन के लिए, प्रबंधकीय समिति की बैठक नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। कलेक्टर या उनके नामित प्रतिनिधि के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी को अनिवार्य रूप से इस समिति में भाग लेना चाहिए।

क्रम संख्या	पत्र/आदेश/ परिपत्र सं.	दिनांक/वर्ष	विषय	जारीकर्ता प्राधिकारी	आदेश/पत्र जारी किसे किया गया	उत्तरदायित्व
4	क्रमांक/मबावि/सावि /02/9405	25.09.2002	महिला वसतिगृहों के उचित उपयोग के संबंध में।	आयुक्त (महिला एवं बाल विकास), मध्य प्रदेश	समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश *पृष्ठांकित-* जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी – सभी जिले मध्य प्रदेश	अपने जिलों में एन.जी.ओ./स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कामकाजी महिला वसतिगृहों का सही एवं निर्दिष्ट उपयोग सुनिश्चित करना। इसमें इन वसतिगृहों की देखभाल एवं प्रबंधन के लिए प्रबंधकीय समितियों का गठन करना, निवासरत महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित करना शामिल है।
5	अर्ध-शासकीय पत्र क्र. 8166/सा.वि./06	11.01.2006		आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास, म.प्र.	कलेक्टर, धार, म.प्र.	जिला अधिकारी द्वारा जिले में सभी स्वीकृत कामकाजी महिला वसतिगृहों का तत्काल एवं गहन निरीक्षण करना।
6	क्र./म.स./14-15/4031	09.11.2014	कामकाजी महिला वसतिगृहों का उनके निर्धारित प्रयोजनों के अनुरूप संचालन किए जाने के संबंध में।	संचालक, महिला सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश	1. जिला कलेक्टरों को *पृष्ठांकित-* 2. जिलों के संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण 3. जिलों के जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	यह सुनिश्चित करना कि उनके जिले में स्वीकृत एन.जी.ओ./स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों द्वारा प्रबंधित सभी कामकाजी महिला वसतिगृह कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए पूरी तरह से क्रियाशील हैं एवं उनके भवनों का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें कि ऐसे सभी वसतिगृहों का संचालन उनके निर्धारित प्रयोजनों के अनुरूप सख्ती से किया जाए।
7	क्र./व.गृह/सं.ग.स./2016 9274	26.02.2016	शासकीय एवं अशासकीय कामकाजी महिला वसतिगृहों के नियमों एवं विनियमों के संबंध में।	महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल	1. महिला सशक्तिकरण अधिकारी, सभी जिले - मध्य प्रदेश *पृष्ठांकित-* 1. उप संचालक, महिला सशक्तिकरण, सभी संभाग, मध्य प्रदेश 2. अधीक्षक/वार्डन, शासकीय एवं अशासकीय कामकाजी महिला वसतिगृह, सभी जिले, मध्य प्रदेश	अपने-अपने जिलों में शासकीय एवं अशासकीय कामकाजी महिला वसतिगृहों को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। इसमें समय-समय पर इन वसतिगृहों की निरीक्षण रिपोर्ट संचालनालय को प्रस्तुत करना शामिल है।
8	अ.शा. क्र. 45/26/2017-डब्ल्यू.डब्ल्यू. एच.	15.12.2017	कामकाजी महिलाओं को वसतिगृह की सुविधा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण के संबंध में।	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सभी राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग (सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश)	अपने संबंधित राज्यों में कामकाजी महिला वसतिगृहों के निर्माण/किराए के लिए अपेक्षित व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या का आकलन करना। इस पत्र के साथ संशोधित दिशा-निर्देश (नवीनतम) संलग्न किए गए थे। दिशा-निर्देशों में जिला प्रशासन को (राज्य सरकार के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को)

क्रम संख्या	पत्र/आदेश/ परिपत्र सं.	दिनांक/वर्ष	विषय	जारीकर्ता प्राधिकारी	आदेश/पत्र जारी किसे किया गया	उत्तरदायित्व
						अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के लिए विभिन्न दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।
9	अ.शा. क्र. 45/15/2020-डब्ल्यू.डब्ल्यू. एच.	20.07.2020	कामकाजी महिला वसतिगृहों का निरीक्षण।	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन	राज्य सरकार के भीतर संबंधित विभाग को कामकाजी महिला वसतिगृहों का निरीक्षण करने का निर्देश देना। निरीक्षण के उपरांत इन वसतिगृहों की क्रियाशील/अक्रियाशील स्थिति का प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित करना होगा।
10	क्र.सं. 1917/2020/ 50-2	25.07.2020	कामकाजी महिला वसतिगृहों का निरीक्षण।	उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास	संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	मध्य प्रदेश में सभी स्वीकृत कामकाजी महिला वसतिगृहों का निरीक्षण करवाना।
11	एफ. नं. डब्ल्यू.डब्ल्यू. एच.-45/16/ 2021-डब्ल्यू.डब्ल्यू. एच.	25.08.2021	क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि पर ब्याज/अन्य आय की वसूली।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	1. प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन 2. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन	योजना दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए चूक करने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करना। इसके अलावा, अव्ययित शेष राशि पर ब्याज/अन्य आय की वसूली के लिए योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित उपयुक्त कार्रवाई शुरू करना। इसमें क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि पर ब्याज या किसी अन्य आय की गणना करना एवं पत्र के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित करना शामिल है।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ कंडिका 2.9.1.1, पृष्ठ संख्या 55)

मध्य प्रदेश में कामकाजी महिला वसतिगृहों का विवरण

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
1	बालाघाट	1989-90	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, बालाघाट	शहरी नगर निकाय	सिविल लाइंस, दीन दयालपुरम, बालाघाट	57	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	वर्तमान में इस भवन का उपयोग आदिम जाति कल्याण कार्यालय के लिए एवं आदिवासी विकास विभाग के लिए बालिकाओं के छात्रावास के रूप में किया जा रहा है।
2	बालाघाट	1990-91	कामकाजी महिला वसतिगृह	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बालाघाट	शहरी नगर निकाय	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	अप्राप्य (अनत्रेस्ड)	निरंक
3	बैतूल	1988-89	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, बैतूल	शहरी नगर निकाय	स्टेट बैंक के पास, सिविल लाइंस, बैतूल	63	0	ध्वस्त	भवन का निर्माण दोषपूर्ण था, कामकाजी महिलाएं कभी निवासरत नहीं रही।
4	भिंड	1982-83	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, भिंड	शहरी नगर निकाय	जिला अस्पताल परिसर, भिंड	42	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	भवन का उपयोग जिला अस्पताल के पुरुष सर्जिकल वार्ड के रूप में किया गया था।
5	भोपाल	1988-89	केतकी कामकाजी महिला वसति गृह	महिला चेतना मंच, भोपाल	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	कॉम्प्लेक्स नगर, भोपाल	125	25 सीटें, लेकिन अक्रियाशील	क्रियाशील	निरंक
6	भोपाल	2004-05	कामकाजी महिला वसतिगृह, जी.एम.सी.	गांधी मेडिकल कॉलेज ऑटोनॉमस सोसायटी, भोपाल	मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय	जी.एम.सी., भोपाल कैंपस	300	नहीं	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	मेडिकल कॉलेज के छात्राओं हेतु बालिका छात्रावास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
7	भोपाल	1978-79	कामकाजी महिला वसतिगृह, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय	बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश शासकीय महिला कर्मचारी कल्याण केंद्र, भोपाल द्वारा निर्मित)	मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर	75	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
8	भोपाल	1988-89	रेड क्रॉस सोसाइटी, भोपाल वसतिगृह.	रेड क्रॉस सोसायटी, भोपाल	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	शिवाजी नगर, भोपाल	67	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	वसतिगृह की जगह पर एक अस्पताल क्रियाशील है।
9	भोपाल	1974-75 1979-80	कल्याणी कामकाजी महिला वसतिगृह	मध्य प्रदेश शासकीय महिला कर्मचारी कल्याण केंद्र, भोपाल	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	शिवाजी नगर, भोपाल	(48+36)= 84 (दो इकाइयाँ)	30 सीटें लेकिन अक्रियाशील	क्रियाशील	निरंक
10	भोपाल	1983-84	त्रिवेणी वसतिगृह	बी.एच.ई.एल. ग्राम विकास सेवा समिति	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	गोविंदपुरा, बी.एच.ई.एल., भोपाल	108	50 सीटें लेकिन अक्रियाशील	क्रियाशील	निरंक
11	भोपाल	1974-75 1983-84 1993-94	गीतांजलि वसतिगृह	भोपाल महिला संघ	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	भोपाल महिला संघ, 32, श्यामला रोड	32+34+32= 98 (तीन इकाइयाँ)	0	क्रियाशील	निरंक
12	भोपाल	2017-18	स्वयं सिद्ध कामकाजी महिला वसतिगृह	मध्य प्रदेश शासन	राज्य शासन	तुलसी नगर, भोपाल	100	0	क्रियाशील	निरंक
13	बुरहानपुर	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर निगम, बुरहानपुर	शहरी नगर निकाय	संजय नगर, बुरहानपुर	89	30	जीर्ण-शीर्ण	निरंक
14	बुरहानपुर	1986-87	कामकाजी महिला वसतिगृह	नेपा लिमिटेड, नेपानगर एजुकेशन सोसाइटी	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	नेपानगर, बुरहानपुर	100	30	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	सी.डी.पी.ओ. नेपानगर
15	छतरपुर	1986-87	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, बिजावर, छतरपुर	शहरी नगर निकाय	सहकारी बैंक के पास, नगर परिषद बिजावर	26	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	भूतल का उपयोग एक निजी स्कूल के लिए किया

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
										गया था, प्रथम तल माँ मंशापुरम शिक्षा निकेतन के लिए थी, एवं वसतिगृह परिसर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसका किराया नगर परिषद द्वारा वसूल किया जाता था।
16	छतरपुर	1982-83	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका, छतरपुर	शहरी नगर निकाय	पुलिस लाइन रोड, छतरपुर	30	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के तीन परियोजना कार्यालय एवं उनका गोदाम संचालित होता था।
17	छतरपुर	1987-88	कामकाजी महिला वसतिगृह	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खजुराहो	शहरी नगर निकाय	सेवाग्राम खजुराहो, बस स्टैंड के पास	50	0	जीर्ण-शीर्ण	निरंक
18	छिंदवाड़ा	1978-79	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, छिंदवाड़ा	शहरी नगर निकाय	नगर परिषद, छिंदवाड़ा	30	0	ध्वस्त किया जाकर उस स्थान पर एक नये भवन का निर्माण किया गया है	जमीन पर नगर पालिक निगम के लिए एक नया भवन बनाया गया था।
19	दमोह	1981-82	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, दमोह	शहरी नगर निकाय	सरस्वती शिशु मंदिर के सामने, किल्लई रोड	59	30	जीर्ण-शीर्ण	निरंक
20	देवास	1981-82	कामकाजी महिला वसतिगृह	त्रिस्तरीय जिला महिला मंडल, देवास	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	16 लाला लाजपत राय रोड, देवास	20	25	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	मुख्य रूप से, क्रियान्वयन एजेंसी ने तीन मेडिकल दुकानों को चलाने के लिए संरचना का उपयोग किया, एवं उन्होंने परिसर में एक मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद, महिला एवं

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
										बाल विकास विभाग ने इसे एक परियोजना कार्यालय एवं एक भंडारगृह के रूप में उपयोग किया।
21	धार	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, धार	शहरी नगर निकाय	धार	21	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	यह भवन नगर परिषद, धार के लिए अपना कार्यालय संचालित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
22	गुना	1981-82	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, गुना	शहरी नगर निकाय	इनकम टैक्स कॉलोनी, गुना	44	0	जीर्ण-शीर्ण	वसतिगृह अगस्त 2019 तक संचालित हुआ लेकिन बाद में इसकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण इसे खाली कर दिया गया।
23	ग्वालियर	1985-86 1996-97	इंदिरा गांधी कामकाजी महिला वसतिगृह	ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, म.प्र. शाखा	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	एस.ए.एफ. रोड, कम्पू, ग्वालियर	100+54 =154 (दो इकाइयाँ)	30 सीटें लेकिन अक्रियाशील	क्रियाशील	भारत सरकार के अनुसार इस क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत तीन इकाइयां हैं, परन्तु दो ही मिले।
24	ग्वालियर	1994-95	कामकाजी महिला वसतिगृह	ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, म.प्र. शाखा	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	ज्ञात नहीं	20	0	अप्राप्य (अनट्रेस्ड)	
25	ग्वालियर	1977-78	हॉस्टल संख्या 1	जन विकास न्यास, कैंसर अस्पताल अनुसंधान संस्थान	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	कैंसर अस्पताल परिसर, मांडरे की लेट	50	0	अक्रियाशील	निरंक

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
26	ग्वालियर	1978-79	हॉस्टल नंबर 2	जन विकास न्यास, कैंसर अस्पताल अनुसंधान संस्थान	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	कैंसर अस्पताल परिसर, मांडरे की माता	50	0	क्रियाशील	निरंक
27	ग्वालियर	1974-75	कामकाजी महिला वसतिगृह	महिला एवं बाल विकास विभाग (मध्य प्रदेश राज्य क्षय रोग संघ टीबी अस्पताल द्वारा निर्मित)	राज्य शासन	जयारोग्य अस्पताल परिसर, ग्वालियर	24	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	वन स्टॉप सेंटर चल रहा था उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्वालियर द्वारा बाल गृह (बालिका) संचालित किया जा रहा है।
28	हरदा	1988-89	कामकाजी महिला वसतिगृह	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरदा	शहरी नगर निकाय	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरदा	48	0	निर्माण कार्य अप्रारम्भ	निरंक
29	होशंगाबाद	1983-84	कामकाजी महिला वसतिगृह	इटारसी सुधार न्यास	शहरी नगर निकाय	होशंगाबाद	69	0	ध्वस्त किया जाकर उस स्थान पर एक नए भवन का निर्माण किया गया है	कलेक्टर के आदेश से वसतिगृह भवन के स्थान पर एम.जी.एम. पी.जी. कॉलेज, इटारसी द्वारा नए बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया।
30	इंदौर	1974-75	सखी निवास	महिला एवं बाल विकास विभाग (मध्य प्रदेश राज्य क्षय रोग संघ टीबी अस्पताल द्वारा निर्मित)	राज्य शासन	किंग एडवर्ट मेमोरियल अस्पताल, मधुमिलन स्क्वायर के पास, इंदौर	40	0	क्रियाशील	निरंक
31	इंदौर	1981-82	रुक्शमनीदेवी दीपचंद गार्दी महिला वसती गृह	अखिल भारतीय महिला सभा, इंदौर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	सेवा कुंज, 48/1 स्नेहलतागंज, इंदौर	30	30 सीटें लेकिन अक्रियाशील	क्रियाशील	निरंक
32	इंदौर	1988-89	इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, इंदौर	इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, इंदौर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	एम.ओ.जी. लाइन, रेडक्रॉस सोसाइटी	51	0	ध्वस्त किया जाकर उस स्थान पर एक	वसतिगृह की जगह पर एक अस्पताल का निर्माण किया गया है।

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
						परिसर, परदेसीपुरा, इंदौर			नए भवन का निर्माण किया गया है	
33	इंदौर	1983-84	विद्याबेन दीपचंद गार्दी कामकाजी महिला आवास गृह	महिला प्रगति केंद्र, इंदौर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	1/5 नॉर्थकुंज मोहल्ला, इंदौर	92	0	क्रियाशील	निरंक
34	इंदौर	1986-87	कामकाजी महिला वसति गृह	भारतीय ग्रामीण महिला संघ	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	श्रमिक कॉलोनी, राऊ, इंदौर	28	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	आशा ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है
35	इंदौर	1995-96	पंडिता रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी कैंपस, मेन एंट्रेंस, खंडवा रोड के सामने, इंदौर	120	36 सीटें, लेकिन अक्रियाशील	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है
36	इंदौर	2002-03	तारिणी कामकाजी महिला वसतिगृह	बाल निकेतन संघ	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	पगनिस पागा, इंदौर	53	0	अक्रियाशील	2020 से अक्रियाशील
37	इंदौर	2018-19	कामकाजी महिला वसतिगृह	मध्य प्रदेश शासन	राज्य शासन	ओल्ड पलासिया, इंदौर	100	25 सीटें, क्रियाशील	क्रियाशील	अक्टूबर 2024 से क्रियाशील
38	जबलपुर	1979-80	कामकाजी महिला वसतिगृह	यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन बारात रोड, जबलपुर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर	40	0	अक्रियाशील	निरंक
39	जबलपुर	1974-75	कामकाजी महिला वसतिगृह	मध्य प्रदेश शासन (मध्य प्रदेश राज्य क्षय रोग संघ टीबी अस्पताल द्वारा निर्मित)	राज्य शासन	मेडिकल कॉलेज के पीछे, जबलपुर	48	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र क्रियाशील था।
40	जबलपुर	1990-91	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, भेड़ाघाट, जबलपुर	शहरी नगर निकाय	भेड़ाघाट	30	0	भवन निर्माण अपूर्ण	निरंक
41	खंडवा	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर निगम, खंडवा	शहरी नगर निकाय	जिला अस्पताल के बगल में, खंडवा	41	0	ध्वस्त किया जाकर उस स्थान पर एक नए भवन का निर्माण किया गया है	नए मेडिकल कॉलेज, खंडवा के निर्माण के दौरान तोड़ा गया

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
42	खंडवा	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर निगम खंडवा	शहरी नगर निकाय	सिविल लाइंस, खंडवा	41	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	नगर निगम कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है
43	खरगोन	1993-94	चंद्रिका कामकाजी महिला वसतिगृह	महिला सभा, खरगोन	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	उमरखली रोड, होमगार्ड कार्यालय के पास, खरगोन, म.प्र.	50	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	इस भवन का उपयोग एन.एच.ए.आई. कार्यालय एवं पी.आई.यू. कार्यालय के लिए किया जा रहा है। प्रथम तल पर आंगनवाड़ी प्रशिक्षण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का अधिपत्य है।
44	मंडला	1986-87	कामकाजी महिला वसतिगृह	जनपद पंचायत, मंडला	शहरी नगर निकाय	सी.ई.ओ. कार्यालय के पास, मंडला	33	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	अप्रैल 2020 से, इस भवन का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्राइसाइकिल, बैटरी से चलने वाली साइकिल एवं व्हीलचेयर के भंडारण की सुविधा के रूप में किया जा रहा है। भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में था।
45	मंदसौर	1978-79	महिला मंडल कामकाजी महिला वसतिगृह	महिला मंडल, मंदसौर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	अफीम गोदाम रोड, मंदसौर	30	0	अक्रियाशील	संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय भवन में ताला लगा हुआ था एवं उसकी हालत खराब दिख रही थी।
46	मुरैना	1984-85	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, मुरैना	शहरी नगर निकाय	मुरैना	52	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	इस भवन का इस्तेमाल एक एन.जी.ओ. अभ्युदय आश्रम द्वारा प्राथमिक विद्यालय के रूप में किया गया था।

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
47	नीमच	1978-80	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, नीमच	शहरी नगर निकाय	नीमच	30	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	इस भवन का उपयोग डॉ. राधाकृष्णन सामुदायिक भवन के रूप में किया जा रहा था।
48	निवाड़ी (टीकमगढ़)	1988-89	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़	शहरी नगर निकाय	निवाड़ी	22	0	भवन निर्माण अपूर्ण	निरंक
49	राजगढ़	1990-91	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, राजगढ़	शहरी नगर निकाय	पी.टी. कंपनी, पुरानी नगर परिषद, राजगढ़	48	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	सी.डी.पी.ओ. कार्यालय
50	रतलाम	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर सुधार न्यास, रतलाम, अब नगर निगम, रतलाम	शहरी नगर निकाय	काटजू नगर, जैन मंदिर के पीछे, रतलाम	46	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	भवन का उपयोग कभी भी कामकाजी महिलाओं के सुविधा के रूप में नहीं किया गया था। इसके बजाय, इसका उपयोग केन्द्रीय विद्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय के संचालन के लिए किया गया था। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए भंडारण सुविधा के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
51	रीवा	1988-89	सुरभि महिला वर्किंग हॉस्टल	महिला समिति कला मंदिर, रेवा	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	स्वागत चौराहा, रीवा के पास	30	0	क्रियाशील	निरंक
52	सागर	1983-84	कल्याणी कामकाजी महिला वसतिगृह	सागर महिला कल्याण समिति, सागर	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	मधुकर शाह वार्ड, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, सागर	21	0	क्रियाशील	निरंक

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृति का वर्ष	वसतिगृह का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी की स्थिति	पता	शैय्या क्षमता	डे केयर सेंटर की स्वीकृत क्षमता	वसतिगृह की स्थिति	टिप्पणियां
53	सीहोर	1988-89	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर सुधार न्यास (अब नगर निगम, सीहोर)	शहरी नगर निकाय	लूनिया चौराहा, सीहोर	118	0	भवन निर्माण अपूर्ण	अधूरा भवन, जिसे बाद में कलेक्टर के आदेश के तहत एन.आर.एल.एम. द्वारा उपयोग किया गया।
54	सिवनी	1986-87	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, सिवनी	शहरी नगर निकाय	दल सागर तालाब के सामने, बी.एस.एन.एल. के बाजू में, सिवनी	58	0	आंशिक रूप से क्रियाशील एवं आंशिक रूप से अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	चार महिलाएं कई वर्षों से रह रही हैं। पहली मंजिल एवं भूतल का कुछ कमरा अन्य प्रयोजनों के लिए दिया गया था।
55	शाजापुर	1980-81	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर परिषद, शाजापुर	शहरी नगर निकाय	स्टेशन रोड, महूपुरा, शाजापुर	48	0	जीर्ण-शीर्ण	निरंक
56	शिवपुरी	1981-82	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका परिषद, शिवपुरी	शहरी नगर निकाय	शिवपुरी	52	0	अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग	भवन का उपयोग आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र एवं आई.सी.पी.एस. के लिए किया गया था।
57	सीधी	1983-84	कामकाजी महिला वसतिगृह	शिवा शिक्षा समिति, चुरहट	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	चुरहट, सीधी, नगर पंचायत कार्यालय के पास	32	0	अप्राप्य (अनट्रेस्ड)	भवन में ताला लगा हुआ था, जिससे लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन संभव नहीं हो सका।
58	उज्जैन	1976-77	कामकाजी महिला वसतिगृह	मालव महिला कल्याण परिषद, उज्जैन	एन.जी.ओ./सिविल सोंसाईटी	बड़ा तेलीवाड़ा, बंबलचौआ, उज्जैन	100	0	खंडहर	वसति गृह का भवन पूरी तरह से ढह गया था, केवल वहां का परिसर था, जो बंद था।
59	विदिशा	1979-80	कामकाजी महिला वसतिगृह	नगर पालिका, विदिशा	शहरी नगर निकाय	नीमताल, गांधी चौक, रेलवे ओवरब्रिज के पास, विदिशा	32	0	ध्वस्त किया जाकर उस स्थान पर एक नए भवन का निर्माण किया गया है	सामुदायिक भवन का निर्माण

स्रोत: महिला एवं बाल विकास द्वारा दी गई जानकारी एवं वसतिगृह के जे.पी.वी. में की गई टिप्पणियां

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ कंडिका:. 2.9.2.1, पृष्ठ संख्या 62)

निर्धारित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किए गए वसतिगृहों का विवरण

क्रम संख्या	वसतिगृह का नाम	जिला	मंजूरी/निर्माण वर्ष	के रूप में उपयोग किया गया (कब से)	भारत सरकार द्वारा जारी निधि *(राशि ₹ में)*
1	भारतीय ग्रामीण महिला संघ *द्वारा प्रबंधित* महिला वसतिगृह	इंदौर	1986-87/ 1990	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा ट्रेनिंग सेंटर (ज्ञात नहीं)।	4,77,664
2	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर *द्वारा प्रबंधित* पंडिता रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल		1995-96/ उपलब्ध नहीं	विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास (ज्ञात नहीं)	प्रदान नहीं किया गया
3	नगर पालिका परिषद, बालाघाट *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसति गृह	बालाघाट	1989-90/ 1993	कलेक्टर बालाघाट के आदेश पर अगस्त 2015 से जनजातीय कार्य विभाग के बालक एवं बालिका हेतु छात्रावास	10,54,212
4	नगर परिषद, भिंड *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	भिंड	1982-83/ 1995	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जिला अस्पताल, भिंड के लिए पुरुष सर्जिकल वार्ड	3,87,852
5	बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश शासकीय महिला कर्मचारी कल्याण केंद्र, भोपाल द्वारा निर्मित) *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	भोपाल	1978-79/ 1990	बालिका छात्रावास (ज्ञात नहीं)	6,06,748
6	गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समित *द्वारा प्रबंधित*, भोपाल द्वारा प्रबंधित कामकाजी महिला वसतिगृह		2004-05/ 2010	ब्लॉक एच पूरी तरह से स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा अधिवासित था, जबकि ब्लॉक जी में कुछ स्नातकोत्तर छात्रों के साथ स्नातक छात्रों को आवासित किया गया था (ज्ञात नहीं)।	1,97,53,418
7	नगर परिषद, छतरपुर *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	छतरपुर	1982-83/ उपलब्ध नहीं	वसतिगृह भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग, छतरपुर के तीन परियोजना कार्यालय क्रियाशील थे।	प्रदान नहीं किया गया
8	नगर परिषद, बिजावर, छतरपुर *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह		1986-87/ 1997-98	भूतल का उपयोग एक निजी स्कूल के लिए किया गया था, पहली मंजिल का उपयोग मां मंशापुरम शिक्षा निकेतन के लिए किया गया था तथा वसतिगृह परिसर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था।	प्रदान नहीं किया गया

क्रम संख्या	वसतिगृह का नाम	जिला	मंजूरी/निर्माण वर्ष	के रूप में उपयोग किया गया (कब से)	भारत सरकार द्वारा जारी निधि *(राशि ₹ में)*
9	नगर परिषद, धार *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	धार	1980-81/ 1989	1. खेल परियोजना विकास क्षेत्र का छात्रावास (1991 में शुरू होने से) 2. नगर परिषद, धार का कार्यालय (2011-12 से)	5,43,566
10	महिला एवं बाल विकास विभाग (मध्य प्रदेश राज्य क्षय रोग संघ टी.बी. अस्पताल द्वारा निर्मित) *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	ग्वालियर	1974-75/ उपलब्ध नहीं	1. महिला एवं बाल विकास, ग्वालियर द्वारा चलाया जा रहा वन स्टॉप सेंटर (ज्ञात नहीं) 2. माँ कैला देवी बालिका गृह (फरवरी 2024)	3,95,000
11	मध्य प्रदेश शासन (मध्य प्रदेश राज्य क्षय रोग संघ टी.बी. अस्पताल द्वारा निर्मित) *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	जबलपुर	1974-75/ उपलब्ध नहीं	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र	7,02,500
12	महिला सभा, खरगोन *द्वारा प्रबंधित* चंद्रिका कामकाजी महिला वसतिगृह खरगोन	खरगोन	1993-94/ 2003	1. भूतल: (ए) प्रभागीय परियोजना अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) का कार्यालय, एवं (ख) उप-खंड अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग), उप-खंड, खरगोन का कार्यालय। (अक्टूबर 2018) 2. पहली मंजिल: आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र (सितंबर 2019), जिसे इंदौर में प्रभाग स्तर पर फिर से आवंटित (जून 2021) किया गया था, के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के अधिकार में। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2025) के दौरान यह रिक्त पाया गया।	12,57,859
13	जनपद पंचायत, मंडला *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	मंडला	1986-87/ 1990	अप्रैल 2020 से, इस भवन का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्राइसाइकिल, बैटरी से चलने वाली साइकिल एवं व्हीलचेयर के भंडारण की सुविधा के रूप में किया जा रहा है।	प्रदान नहीं किया गया
14	नगर परिषद, मुरैना *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	मुरैना	1984-85/ 1990	अभ्युदय आश्रम, एक एन.जी.ओ. की गतिविधियाँ।	8,52,357
15	नगर परिषद, नीमच *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	नीमच	1979-80/ उपलब्ध नहीं	डॉ. राधाकृष्णन सामुदायिक भवन	प्रदान नहीं किया गया
16	नगर सुधार न्यास, रतलाम *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	रतलाम	1980-81/ 1983	1. केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए उपयोग किया गया (1986-87 से ज्ञात नहीं) महिला एवं बाल विकास विभाग, रतलाम के परियोजना कार्यालय (1996-97 से 2017)	5,55,750

क्रम संख्या	वसतिगृह का नाम	जिला	मंजूरी/निर्माण वर्ष	के रूप में उपयोग किया गया (कब से)	भारत सरकार द्वारा जारी निधि *(राशि ₹ में)*
				महिला एवं बाल विकास विभाग, रतलाम के लिए भंडारण सुविधा (2017 से)	
17	नगर पालिका परिषद, शिवपुरी *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	शिवपुरी	1981-82/ 1986	1. आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र (फरवरी 1986 से 2022)। 2. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) की गतिविधियों के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी तथा बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) का कार्यालय।	4,50,000
18	नगर परिषद, सिवनी *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	सिवनी	1986-87/ उपलब्ध नहीं	वसतिगृह का आंशिक रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए उपयोग किया गया था। भूतल पर सात कमरों का उपयोग कामकाजी महिलाओं के लिए किया गया था, शेष ; 1. नगर परिषद सिवनी एवं जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डी.यू.डी.ए.) कार्यालय के भंडार के लिए भूतल के तीन डबल रूम एवं 14 सिंगल रूम का उपयोग किया गया। 2. पहली मंजिल का उपयोग आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र के लिए किया गया था।	प्रदान नहीं किया गया
19	नेपा लिमिटेड, नेपानगर एजुकेशन सोसाइटी *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	बुरहानपुर	1986-87/ 1989	1. नगर परिषद नेपानगर का कार्यालय (1993-2021) 2. तहसील कार्यालय, नेपानगर (1996 से 2004), 3. आई.टी.आई. नेपानगर (फरवरी 2001 से दिसंबर 2011), सी.डी.पी.ओ., महिला एवं बाल विकास विभाग का नेपानगर कार्यालय (जून 2011 से जनवरी 2025)	12,49,500
20	त्रिस्तरीय जिला महिला मंडल, देवास *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	देवास	1981-82/ 1983	2006 से सी.डी.पी.ओ. (शहरी), महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कार्यालय एवं भंडार कक्ष	3,07,072
21	नगर निगम, खंडवा *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	खंडवा	1980-81/ उपलब्ध नहीं	नगर निगम खंडवा का जोन कार्यालय शुरू होने के बाद से	14,15,175
22	नगर परिषद, राजगढ़ *द्वारा प्रबंधित* कामकाजी महिला वसतिगृह	राजगढ़	1990-91/ 1995	महिला एवं बाल विकास विभाग का सी.डी.पी.ओ. कार्यालय	3,69,495
		कुल			**3,03,78,168**

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.9.3.1, पृष्ठ संख्या 71)

क्रियाशील वसतिगृहों में अधोसंरचना की उपलब्धता का विवरण

क्रम संख्या	वसतिगृह का नाम	"महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,. भारत सरकार के सहयोग से" प्रदर्शित	वार्डन के क्वार्टर	मनोरंजन कक्ष	चिकित्सा/ रोगी कक्ष	गीजर/ सोलर वॉटर हीटर	वॉशिंग मशीन	आगंतुक कक्ष	प्राथमिक चिकित्सा	दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा	चारदीवारी	वर्षा जल संचयन	भोजन कक्ष	भंडार
1	गीतांजलि कामकाजी महिला वसतिगृह, भोपाल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	कल्याणी कामकाजी महिला वसतिगृह, भोपाल	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	केतकी कामकाजी महिला वसतिगृह, भोपाल	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	स्वयंसिद्ध कामकाजी महिला वसतिगृह, भोपाल	लागू नही*	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	त्रिवेणी कामकाजी महिला वसतिगृह, भोपाल	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
6	जन विकास न्यास, वसतिगृह नंबर-2, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
7	अखिल भारतीय महिला सभा, इंदौर	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	सखी निवास, के.ई.एच. कंपाउंड, इंदौर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9	विद्याबेन दीपचंद भाई गार्डी, इंदौर	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	सखी निवास, इंदिरा गांधी वसतिगृह, ग्वालियर	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
11	कल्याणी कामकाजी महिला वसतिगृह, सागर	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
12	सुरभि कामकाजी महिला वसतिगृह, रीवा	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
13	महिला वसति गृह, सिवनी	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कुल	**11**	**5**	**6**	**7**	**7**	**9**	**8**	**7**	**10**	**1**	**10**	**5**	**4**

** लागू नहीं, क्योंकि राज्य शासन द्वारा पूरी तरह से वित्त-पोषित*

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1 एवं 3.5, पृष्ठ संख्या 84 एवं 86)

मार्च 2024 तक बाल देखरेख संस्थानों की सूची

क्रमांक	जिला	बालक/बालिका	प्रकार	नाम	द्वारा संचालित	कुल निवासरत बच्चे	जे.पी.वी. के लिए चयनित
1	भोपाल	बालिका	सी.एच.	शासकीय बालिका गृह	शासन	24	**चयनित**
2		बालक		मिशनरी ऑफ चैरिटी	एन.जी.ओ.	35	**चयनित**
3		बालक/बालिका		एस.ओ.एस. बालग्राम		125	
4		बालक/बालिका		बाल निकेतन ट्रस्ट		62	**चयनित**
5		बालक/बालिका		नित्य सेवा सोसायटी		155	
6		बालक/बालिका (एस.एन.)		एस.ओ.एस. बालग्राम		45	**चयनित**
7	उज्जैन	बालक		शासकीय बाल गृह (बालक)	शासन	24	
8		बालिका		शासकीय बाल गृह (बालिका)		55	
9		बालक/बालिका (एस.एन.)		सेवाधाम आश्रम	एन.जी.ओ.	117	
10	सागर	बालाक/बालिका		सागर महिला एवं बाल विकास समिति		47	**चयनित**
11		बालक		सेंट फ्रांसिस सेवाधाम		0	**चयनित**
12		बालिका		कबीर मानव सेवाधाम		33	**चयनित**
13		बालक		लाइफलाइन सर्विस सोसाइटी		23	
14	जबलपुर	बालक		शासकीय बाल गृह (बालक)	शासन	12	
15		बालिका		राजकुमारी बाई बाल निकेतन	एन.जी.ओ.	35	**चयनित**
16		बालिका		लाडली बसेरा		50	
17		बालक		मिशनरी ऑफ चैरिटी		34	
18		बालक		पश्चिम मध्य रेलवे		18	**चयनित**
19	नरसिंहपुर	बालक		प्राणी मित्र समिति		0	
20		बालिका		समृद्ध विकास समिति मुशरन पिपरिया		9	
21		बालक		राजराधा बहुउद्देशीय महिला मंडल		17	
22	बालाघाट	बालक		प्रकृति महिला विकास केंद्र		16	
23		बालिका		प्रबुद्ध विनयती कल्याण समिति		30	
24	कटनी	बालक		आशाकिरण नवोदय सोसाइटी		32	
25		बालिका		लिटिल स्टार फाउंडेशन		34	
26		बालक		श्री शंकर सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति		35	

क्रमांक	जिला	बालक/बालिका	प्रकार	नाम	द्वारा संचालित	कुल निवासरत बच्चे	जे.पी.वी. के लिए चयनित
27	मुरैना	बालिका		महात्मा शिक्षा प्रसार समिति		19	
28		बालक		क्रांति कला संगम		8	
29	छतरपुर	बालक		ममता महिला मंडल		15	
30		बालक		चित्रगुप्त महिला कल्याण समिति		16	**चयनित**
31	होशंगाबाद	बालिका		महादेव सुन्दरम जनकल्याण समिति		31	
32		बालक/बालिका		जीवोदय सोसायटी		50	
33	इंदौर	बालक		श्रद्धानंद बाल आश्रम		35	
34	इंदौर	बालिका		जीवन ज्योति राउ (भारतीय ग्रामीण संघ)		74	
35		बालिका		आनंद सर्विस सोसायटी		0	**चयनित**
36		बालक/बालिका (दिव्यांग)		युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास संस्था		212	**चयनित**
37	इंदौर	बालक		सागर सामाजिक विकास संस्था		26	**चयनित**
38	रतलाम	बालक		देवप्रकाश सेवा संस्थान		16	
39		बालिका		युवा ब्रिगेड युवा उत्थान समिति		22	
40	धार	बालक		छीतू किराडे स्मृति बहुउद्देशीय विकास संस्था		17	
41		बालक		माँ अन्नता अभ्युदय सामाजिक सेवा समिति श्री राम मंदिर ट्रस्ट संस्थान		3	
42	खंडवा	बालक		नवजीवन बाल गृह		10	**चयनित**
43	ग्वालियर	बालक		प्रगति महिला मंडल		16	**चयनित**
44	दतिया	बालक		बांके बिहारी कुंज महिला कल्याण समिति दतिया		1	
45	छिंदवाड़ा	बालक		जनमंगल संस्थान		20	
46	मंडला	बालिका		क्षेत्रीय युवा बाल कल्याण समिति		7	
47		बालक		सीमा सोशल वेलफेयर सोसायटी		25	
48	भिंड	बालक		गहोई शिक्षा प्रसार समिति		10	
49	टीकमगढ़	बालक		श्रेय मानव कल्याण समिति		5	
50	नीमच	बालक		भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी		12	
51	पन्ना	बालक		चित्रगुप्त महिला कल्याण समिति		8	
52	मंदसौर	बालिका		स्वाध्याय मंच		35	

क्रमांक	जिला	बालक/बालिका	प्रकार	नाम	द्वारा संचालित	कुल निवासरत बच्चे	जे.पी.वी. के लिए चयनित
53	रीवा	बालक		रामशिव बहुउद्देशीय समिति		10	**चयनित**
54	शिवपुरी	बालक		मंगलम शिवपुरी		20	
55	सीधी	बालक		अरुणोदय सेवा संस्थान लकोडा		9	
56	बुरहानपुर	बालक		नेपानगर जागृति कला केंद्र		25	
57	अनूपपुर	बालक		ममता महिला एवं पुरुष विकास कौशल प्रशिक्षण समिति		19	
58	बैतूल	बालिका		ग्राम भारती महिला मंडल शोभापुर		9	
59	सिंगरौली	बालिका		अमरता सेवा संस्थान समिति		3	
60	इंदौर	बालक	एस.एच.	विशेष गृह	शासन	30	**चयनित**
61		बालिका		विशेष गृह		5	**चयनित**
62	सिवनी	बालक		विशेष गृह		74	**चयनित**
63	इंदौर	बालक/बालिका	एस.ए.ए.	राजकीय बाल संरक्षण आश्रम		51	**चयनित**
64	विदिशा	बालक/बालिका		विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन	एन.जी.ओ.	2	
65	गुना	बालक/बालिका		माँ स्वरूप आश्रम गुना		2	
66	इंदौर	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया इंदौर		17	
67	उज्जैन	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया उज्जैन		2	
68	ग्वालियर	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया ग्वालियर		6	
69	बैतूल	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया बैतूल		5	
70	सागर	बालक/बालिका		सेंट फ्रांसिस सेवाधाम सागर		0	
71	ग्वालियर	बालक/बालिका		प्रगति महिला मंडल		4	**चयनित**
72	जबलपुर	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया जबलपुर		10	**चयनित**
73	इंदौर	बालक/बालिका		संजीवनी सेवा संगम इंदौर		9	
74	सतना	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया सतना		10	
75	रायसेन	बालक/बालिका		नव प्रभात समाज कल्याण समिति रायसेन	एन.जी.ओ.	0	
76	दतिया	बालक/बालिका		बांके बिहारी कुंज महिला कल्याण समिति दतिया		4	
77	नीमच	बालक/बालिका		नीमच कांत, नीमच		6	
78	छिंदवाड़ा	बालक/बालिका		सोशल केयर नवजागृति महिला मंडल		11	

क्रमांक	जिला	बालक/बालिका	प्रकार	नाम	द्वारा संचालित	कुल निवासरत बच्चे	जे.पी.वी. के लिए चयनित
79	अशोक नगर	बालक/बालिका		ओम मार्गदर्शी समिति		2	
80	छतरपुर	बालक/बालिका		राज्यश्री समाज उत्थान समिति		7	**चयनित**
81	मुरैना	बालक/बालिका		मि. गोहाई शिक्षा प्रसार समिति		5	
82	भोपाल	बालक/बालिका		उड़ान सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन		10	
83	नरसिंहपुर	बालक/बालिका		सृजन महिला मंडल		5	
84	शाजापुर	बालक/बालिका		अभिमत जन विचार मंच		1	
85	शहडोल	बालक/बालिका		सतगुरु मिशन		6	
86	राजगढ़	बालक/बालिका		गोपाल महिला मंडल		5	
87	होशंगाबाद	बालक/बालिका		इंदिरा महिला शिक्षा प्रसार समिति		10	
88	टीकमगढ़	बालक/बालिका		शिवकली रूसिया श्रमिक न्यास		0	
89	भिंड	बालक/बालिका		बांके बिहारी कुंज बहुउदेशीय महिला कल्याण समिति भिंड		7	
90	सागर	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया सागर		4	**चयनित**
91	भोपाल	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया भोपाल		11	**चयनित**
92	कटनी	बालक/बालिका		शंकर सरस्वती शिक्षा समिति		7	
93	रतलाम	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया रतलाम		2	
94	खंडवा	बालक/बालिका		सहज समागम फाउंडेशन		2	**चयनित**
95	पन्ना	बालक/बालिका		ग्रीन नोबल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी		1	
96	देवास	बालक/बालिका		सूर्य सखी सामाजिक विकास समिति		1	
97	भिंड	बालक/बालिका		सेवा भारती मातृ छाया		2	
98	रायसेन	बालक	ओ.एस.	सियावास स्वावलंबी		25	
99	भोपाल	बालक		लोक उत्थान वेलफेयर सोसाइटी		39	
100		बालक		ज्ञानपथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति		100	**चयनित**
101	इंदौर	बालक		लोक बिरादरी ट्रस्ट		25	**चयनित**
102	नरसिंहपुर	बालक		चिरगानिया शिक्षा समिति		25	
103	बालाघाट	बालक		प्रबुद्ध विनयती कल्याण समिति		25	
104	सिंगरौली	बालिका		रेडक्रॉस सोसायटी		25	
105	ग्वालियर	बालक		ग्वालियर जन सेवा समिति		28	**चयनित**

क्रमांक	जिला	बालक/बालिका	प्रकार	नाम	द्वारा संचालित	कुल निवासरत बच्चे	जे.पी.वी. के लिए चयनित
106	सागर	बालक		अशोका फाउंडेशन		25	**चयनित**
107	होशंगाबाद	बालक		इंदिरा महिला शिक्षा प्रसार समिति		0	
108		बालक		चिरगानिया शिक्षा समिति		20	
109	भोपाल	बालक	ओ.एच.	संप्रेषण गृह	शासन	38	**चयनित**
110	विदिशा	बालिका		संप्रेषण गृह		4	
111	बैतूल	बालक		संप्रेषण गृह		9	
112	मुरैना	बालक		संप्रेषण गृह		15	
113	ग्वालियर	बालक		संप्रेषण गृह		12	**चयनित**
114	गुना	बालक		संप्रेषण गृह		12	
115	इंदौर	बालक		संप्रेषण गृह		27	**चयनित**
116	झाबुआ	बालक		संप्रेषण गृह		15	
117	खंडवा	बालक		संप्रेषण गृह		13	**चयनित**
118	जबलपुर	बालक		संप्रेषण गृह		28	**चयनित**
119	नरसिंहपुर	बालक		संप्रेषण गृह		4	
120	सिवनी	बालक		संप्रेषण गृह		7	**चयनित**
121	रीवा	बालक		संप्रेषण गृह		23	**चयनित**
122	सागर	बालक		संप्रेषण गृह		21	**चयनित**
123	छतरपुर	बालक		संप्रेषण गृह		10	**चयनित**
124	शहडोल	बालिका		संप्रेषण गृह		2	
125	उज्जैन	बालक		संप्रेषण गृह		20	
126	रतलाम	बालक		संप्रेषण गृह		13	
127	भोपाल	बालिका	ए.एच.	पश्चातवर्ती देखरेख गृह		6	**चयनित**
128	जबलपुर	बालक		पश्चातवर्ती देखरेख गृह		12	**चयनित**

स्रोत: डब्ल्यू.सी.डी., भोपाल द्वारा दी गई जानकारी

संक्षिप्ताक्षर: सी.एच..- बाल गृह, एस.एच.- विशेष गृह, एस.ए.ए.- विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, ओ.एस.- खुला आश्रय गृह, ओ.एच.- संप्रेषण गृह, ए.एच.- पश्चातवर्ती देखरेख गृह, एस.एन.-विशेष आवश्यकता

परिशिष्ट-3.2
(संदर्भ: कंडिका 3.1, पृष्ठ संख्या 84)
सी.सी.आई. की श्रेणी एवं उद्देश्य

सी.सी.आई. की श्रेणी	निर्धारित मानदंड	आयु वर्ग	मार्च 2024 तक सी.सी.आई. की संख्या	लेखापरीक्षा में शामिल सी.सी.आई. की संख्या	उद्देश्य
बाल गृह	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश	आयु 18 वर्ष तक	59	16	देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के ग्रहण एवं आवासीय देखभाल के लिए जो किसी जांच के लंबित रहने के दौरान बाल कल्याण समिति के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में प्रवेश करते हैं तथा बाद में उनकी दीर्घकालिक देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास के लिए।
खुला आश्रय गृह	जे.जे. अधिनियम 2015	आयु 18 वर्ष तक	11	4	खुला आश्रय गृह अल्पकालिक आधार पर आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बालकों के लिए एक समुदाय आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना अथवा उससे दूर रखना अथवा उन्हें सड़कों पर जीवन व्यतीत करने से दूर रखना है।
विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी	जे.जे. अधिनियम 2015	छः साल से कम	35	7	अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित किए गए बालकों को गोद लेने और गैर-संस्थागत देखभाल[124] के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए।
सम्प्रेषण गृह	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश	सात से 18 वर्ष	18	9	विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे, जो किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में प्रवेश करते हैं, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम (जे.जे. अधिनियम) के अंतर्गत उनके संबंध में लंबित किसी भी जाँच की अवधि के दौरान समुचित आवासीय देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है।
विशेष गृह	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देश	सात से 18 वर्ष	3	3	किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) द्वारा सुपुर्द किए गए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों एवं किशोरों के पुनर्वास हेतु।
सुरक्षित स्थान[125]	जे.जे. नियम 2016	16 वर्ष से अधिक आयु	विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया	0	(अ) जघन्य अपराध किए जाने के आरोपित ऐसे बालकों के लिए, जिनके संबंध में जाँच लंबित है। (ब) जाँच पूर्ण होने पर जघन्य अपराध में संलिप्त पाए गए बालकों के लिए। (स) 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन पर 18 वर्ष से कम आयु में अपराध किए जाने का आरोप है तथा जिनके संबंध में जाँच लंबित है। (द) जाँच पूर्ण होने पर अपराध में संलिप्त पाए गए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए। (ई) जे.जे.बी. के आदेश के अनुसार बालकों के लिए।

124 गैर-संस्थागत देखभाल – अभिभावकीय देखरेख से वंचित बच्चों हेतु परिवार-आधारित देखभाल, जिसमें प्राथमिकता क्रम में संवेदनशील परिवारों को प्रायोजन, रिश्तेदारी-देखभाल, देश में दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखभाल तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण शामिल है।

125 सुरक्षित स्थान दायरे में नहीं लिया गया है। हालांकि, यह विशेष गृह के जे.पी.वी. के दौरान पाया गया है।

सी.सी.आई. की श्रेणी	निर्धारित मानदंड	आयु वर्ग	मार्च 2024 तक सी.सी.आई. की संख्या	लेखापरीक्षा में शामिल सी.सी.आई. की संख्या	उद्देश्य
पश्चातवर्ती देखरेख गृह	महिला एवं बाल विकास के दिशा-निर्देश (दिसंबर 2014)	18 से 21 वर्ष	2	2	अठारह वर्ष की आयु पूरी होने पर सी.सी.आई. छोड़ने वाले बच्चे के लिए अस्थायी आवास सुविधा ताकि बच्चे को समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल किया जा सके।
योग			**128**	**41**	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका. 3.8.1.2, पृष्ठ संख्या 93)

बालकों के भरण-पोषण पर होने वाले अधिक व्यय का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

वर्ष	गृह में रहने के दिन	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम व्यय (गृह में रहने के दिनों की संख्या x मासिक भरण-पोषण अनुदान प्रति बच्चा /30)	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम व्यय	शासकीय अनुदान से किया गया व्यय	भरण-पोषण पर अधिक व्यय
खुला आश्रय, ग्वालियर					
2021-22	380	380*1080/30	13,680	6,00,000	5,86,320
2022-23	360	360*1080/30	12,960	6,49,500	6,36,540
योग			**26,640**	**12,49,500**	**12,22,860**
खुला आश्रय गृह, इंदौर					
2021-22	1,435	1435*1080/30	51,660	1,33,943	82,283
2022-23	2,324	2324*1080/30	83,664	4,18,117	3,34,453
2023-24	3,398	3398*2500/30	2,83,167	6,21,469	3,38,302
योग			**4,18,491**	**11,73,529**	**7,55,038**
खुला आश्रय गृह, भोपाल					
2019-20	59,346	59346*1080/30	21,36,456	25,06,802	3,70,346
2020-21	62,913	62913*1080/30	22,64,868	32,64,344	9,99,476
2021-22	62,913	62913*1080/30	22,64,868	48,98,880	26,34,012
योग			**66,66,192**	**1,06,70,026**	**40,03,834**
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, ग्वालियर					
2019-20	1,554	1554*2000/30	1,03,600	2,54,610	1,51,010
2020-21	492	492*2000/30	32,800	2,46,450	2,13,650
2021-22	562	562*2000/30	37,467	2,49,912	2,12,445
2022-23	509	509*2000/30	33,933	2,58,505	2,24,572
2023-24	1,003	1,003*2500/30	83,583	2,72,450	1,88,867
योग			**2,91,383**	**12,81,927**	**9,90,544**
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, छतरपुर					
2019-20	1,175	1175*2000/30	78,333	1,39,777	61,444
2020-21	1,938	1938*2000/30	1,29,200	2,64,828	1,35,628
2021-22	2,400	2400*2000/30	1,60,000	3,18,520	1,58,520
2022-23	2,532	2532*2000/30	1,68,800	3,47,462	1,78,662
2023-24	2,746	2746*2500/30	2,28,833	4,07,038	1,78,205
योग			**7,65,166**	**14,77,625**	**7,12,459**
विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, जबलपुर					
2019-20	5,427	5427*2000/30	3,61,800	4,72,815	1,11,015
2020-21	6,471	6471*2000/30	4,31,400	4,83,626	52,226
2021-22	3,495	3495*2000/30	2,33,000	4,66,797	2,33,797
2022-23	2,591	2591*2000/30	1,72,733	2,77,082	1,04,349
2023-24	2,594	2594*2500/30	2,16,167	3,14,564	98,397
योग			**14,15,100**	**20,14,884**	**5,99,784**
बाल गृह (बालक), रीवा					
2020-21	3,439	3439*2000/30	2,29,267	3,01,443	72,176
2021-22	2,161	2161*2000/30	1,44,067	2,67,041	1,22,974
2022-23	3,956	3956*2000/30	2,63,747	3,02,628	38,881

वर्ष	गृह में रहने के दिन	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम व्यय (गृह में रहने के दिनों की संख्या x मासिक भरण-पोषण अनुदान प्रति बच्चा /30)	आई.सी.पी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम व्यय	शासकीय अनुदान से किया गया व्यय	भरण-पोषण पर अधिक व्यय
योग			**6,37,081**	**8,71,112**	**2,34,031**
		बाल गृह (बालिका), सागर			
2019-20	3,686	3686*2000/30	2,45,733	9,83,997	7,38,264
2020-21	6,302	6302*2000/30	4,20,133	6,09,426	1,89,293
2021-22	11,921	11921*2000/30	7,94,733	11,74,567	3,79,834
2022-23	13,784	13784*2000/30	9,18,933	16,10,975	6,92,042
योग			**23,79,532**	**43,78,965**	**19,99,433**
		बाल गृह (बालक), छतरपुर			
2019-20	6,848	6848*2000/30	4,56,533	8,29,636	3,73,103
2020-21	6,241	6241*2000/30	4,16,067	6,72,468	2,56,401
2021-22	6,390	6390*2000/30	4,26,000	5,69,550	1,43,550
2022-23	5,275	5275*2000/30	3,51,667	6,18,883	2,67,216
2023-24	5,397	5397*3000/30	5,39,700	6,23,396	83,696
योग			**21,89,967**	**33,13,933**	**11,23,966**
		बाल गृह (बालक), ग्वालियर			
2021-22	5,089	5089*2000/30	3,39,267	5,46,600	2,07,333
2022-23	2,716	2716*2000/30	1,81,067	7,78,409	5,97,342
2023-24	2,374	2374*3000/30	2,37,400	6,51,256	4,13,856
योग			**7,57,734**	**19,76,265**	**12,18,531**

स्रोत: सी.सी.आई. द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण एवं उत्तर

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.9.1.1, पृष्ठ संख्या 94)

आई.सी.पी.एस. के तहत सेवा वितरण संरचनाओं में जनशक्ति की स्थिति

अ - राज्य बाल संरक्षण सोसायटी में

वर्ष	जनशक्ति की आवश्यकता							पदस्थ							कमी (प्रतिशत में)
	कार्यक्रम प्रबंधक	कार्यक्रम अधिकारी	लेखा अधिकारी	लेखापाल	सहायक/डी.ई.ओ.	लेखा सहायक	योग	कार्यक्रम प्रबंधक	कार्यक्रम अधिकारी	लेखा अधिकारी	लेखापाल	सहायक/ डी.ई.ओ.	लेखा सहायक	योग	
2019-20	2	4	1	1	4	1	13	0	1	1	1	1	0	4	9(69)
2020-21	2	4	1	1	4	1	13	0	1	1	1	2	0	5	8(62)
2021-22	2	4	1	1	4	1	13	0	1	1	1	2	0	5	8(62)
2022-23	2	4	1	1	4	1	13	0	1	1	1	2	0	5	8(62)
2023-24	2	4	1	1	4	1	13	0	2	1	1	2	0	6	7(53)

ब – राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

वर्ष	जनशक्ति की आवश्यकता					पदस्थ					कमी (प्रतिशत)
	कार्यक्रम प्रबंधक	कार्यक्रम अधिकारी	कार्यक्रम सहायक	लेखापाल	योग	कार्यक्रम प्रबंधक	कार्यक्रम अधिकारी	कार्यक्रम सहायक	लेखापाल	योग	
2019-20	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	1(75)
2020-21	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	1(75)
2021-22	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	1(75)
2022-23	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	1(75)
2023-24	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	1(75)

स – चयनित नौ जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ

वर्ष	जनशक्ति की आवश्यकता						पदस्थ						कमी (प्रतिशत)
	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख)	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख)	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय संपर्क कार्यकर्ता,	लेखापाल, सहायक सह डी.ई.ओ. एवं आँकड़ा विश्लेषक	योग	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख)	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख)	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय संपर्क कार्यकर्ता,	लेखापाल, सहायक सह डी.ई.ओ. और आँकड़ा विश्लेषक	योग	
2019-20	9	9	9	45	27	99	8	8	6	29	19	70	29(29)
2020-21	9	9	9	45	27	99	8	5	6	27	24	70	29(29)
2021-22	9	9	9	45	27	99	8	4	6	24	23	65	34(34)
2022-23	9	9	9	45	27	99	8	4	7	24	22	65	34(34)
2023-24	9	9	9	45	27	99	8	5	7	24	17	61	38(38)

स्रोत: डब्लू.सी.डी. एवं डी.पी.ओ. द्वारा दी गई जानकारी

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.9.1.1, पृष्ठ संख्या 95)

शासन द्वारा संचालित सी.सी.आई. एवं पश्चातवर्ती देखरेख गृह में कर्मचारियों की कमी का विवरण

क्रमांक	सी.सी.आई. का प्रकार	स्वीकृत	पदस्थ				
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सम्प्रेषण गृह, इंदौर	15	7	5	4	4	7
2	सम्प्रेषण गृह, भोपाल	15	10	7	6	5	5
3	सम्प्रेषण गृह, ग्वालियर	18	9	8	8	8	8
4	विशेष गृह (बालक), इंदौर	16	7	8	6	6	6
5	विशेष गृह (बालिका), इंदौर	9	3	3	3	3	3
6	एस.ए.ए. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इंदौर	13	8	8	8	7	6
7	बाल गृह (बालिका), भोपाल	20	10	8	8	8	8
8	पश्चातवर्ती देखरेख गृह (बालिका), भोपाल	7	5	5	5	5	5
9	सम्प्रेषण गृह, छतरपुर	11	7	7	7	7	7
10	सम्प्रेषण गृह, रीवा	14	7	6	6	6	6
11	सम्प्रेषण गृह, जबलपुर	16	13	12	12	11	10
12	सम्प्रेषण गृह, सागर	11	6	6	6	6	6
13	पश्चातवर्ती देखरेख गृह, जबलपुर	7	5	5	5	5	5
14	सम्प्रेषण गृह, खंडवा	9	2	3	3	3	4
15	सम्प्रेषण /विशेष गृह, सिवनी	55	25	24	23	22	23
	योग	**236**	**124**	**115**	**110**	**106**	**109**
	स्वीकृत के विरुद्ध कर्मचारियों की कमी (प्रतिशतता)		**112 (47)**	**121 (51)**	**126 (53)**	**130 (55)**	**127 (54)**

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.1, पृष्ठ संख्या 97)
निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध शयनगृह क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	सी.सी.आई. का विवरण	सी.सी.आई. की स्वीकृत क्षमता	मानदंडों में निर्धारित शयनगृहों का न्यूनतम कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	शयनगृहों का कुल कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	प्रति बच्चा शयनगृह का कारपेट एरिया (वर्ग फुट)
1	शासकीय बाल गृह (बालिका) भोपाल	50	2000	1236	24.72
2	सम्प्रेषण गृह भोपाल	50	2000	1000	20
3	बाल गृह (बालक/बालिका) बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल - बालक इकाई	50	2000	770	15.4
4	विशेष गृह (बालक) इंदौर	50	2000	1258	25.16
5	बाल गृह (बालक) सागर सामाजिक विकास संस्था, इंदौर	50	2000	600	12
6	विशेष गृह (बालिका) इंदौर	50	2000	840	16.8
7	सम्प्रेषण गृह इंदौर	50	2000	576	11.52
8	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल गृह, श्री युग पुरुष धाम, इंदौर	50	2000	1480	29.6
9	बाल गृह (बालक), प्रगति महिला मंडल, ग्वालियर	50	2000	1440	28.8
10	सम्प्रेषण गृह , ग्वालियर	50	2000	652	13.04
11	बाल गृह (बालक), छतरपुर	25	1000	720	28.8
12	सम्प्रेषण गृह , छतरपुर	50	2000	644	12.88
13	बाल गृह (बालक), रीवा	50	2000	720	14.4
14	सम्प्रेषण गृह (बालक) रीवा	50	2000	1526	30.52
15	बाल गृह (बालक), जबलपुर	50	2000	990	19.8
16	सम्प्रेषण गृह, जबलपुर	50	2000	1050	21
17	बाल गृह (बालिका), सागर	50	2000	1168	23.36
18	बाल गृह (बालक), सागर	25	1000	375	15

क्र. सं.	सी.सी.आई. का विवरण	सी.सी.आई. की स्वीकृत क्षमता	मानदंडों में निर्धारित शयनगृहों का न्यूनतम कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	शयनगृहों का कुल कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	प्रति बच्चा शयनगृह का कारपेट एरिया (वर्ग फुट)
19	बाल गृह (बालक/बालिका) बालक इकाई, सागर	50	2000	960	19.2
	बाल गृह (बालक/बालिका) बाल आश्रम बालिका इकाई, सागर	50	2000	1100	22
20	सम्प्रेषण गृह (बालक) सागर	50	2000	1130	22.6

स्रोत: सी.सी.आई. का संयुक्त भौतिक सत्यापन

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.1, पृष्ठ संख्या 97)

निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध कक्षा के आकार का विवरण

क्रमांक	सी.सी.आई. का विवरण	क्षमता	मानदंडों में कक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	कक्षा का कुल कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	प्रति बच्चा उपलब्ध एरिया वर्ग फुट में
1	विशेष गृह (बालक), इंदौर	50	600	300	6
2	विशेष गृह (बालिका), इंदौर	50	600	420	8.4
3	बाल गृह (बालक), ग्वालियर	50	600	150	3
4	सम्प्रेषण गृह , ग्वालियर	50	600	150	3
5	बाल गृह (बालक), छतरपुर	25	300	100	4
6	सम्प्रेषण गृह , छतरपुर	50	600	192	3.84
7	बाल गृह (बालक), रीवा	50	600	120	2.4
8	सम्प्रेषण गृह, जबलपुर	50	600	300	6
9	बाल गृह (बालिका), सागर	50	600	286	5.72
10	बाल गृह (बालक), सागर	25	300	180	7.2
11	सम्प्रेषण गृह , खंडवा	50	600	448	8.96
12	बाल गृह, खंडवा	50	600	350	7

स्रोत: सी.सी.आई. का संयुक्त भौतिक सत्यापन

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.1, पृष्ठ संख्या 97)

निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध रोगी कक्ष के आकार का विवरण

क्रमांक	सी.सी.आई. का विवरण	क्षमता	रोगी कक्ष का न्यूनतम कारपेट एरिया (वर्ग फुट)	रोगी कक्ष का कुल कारपेट एरिया (वर्ग फुट)
1	बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल - बालक इकाई	50	750	270 (बालक एवं बालिकाओं की इकाइयों के लिए समान)
	बाल गृह (बालक/बालिका), भोपाल - बालिका इकाई	50	750	
2	बाल गृह (बालक), इंदौर	50	750	80
3	बाल गृह (बालिका), इंदौर	50	750	345
4	बाल गृह (बालक), रीवा	50	750	150
5	बाल गृह (बालिका), सागर	50	750	100
6	बाल गृह (बालक), सागर	25	375	120
7	सम्प्रेषण गृह, सागर	50	750	320
8	बाल गृह (बालक), खंडवा	50	750	80

स्रोत: सी.सी.आई. का संयुक्त भौतिक सत्यापन

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.1, पृष्ठ संख्या 98)

निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध शौचालयों का विवरण

क्रमांक	सी.सी.आई. का विवरण	क्षमता	शौचालयों की आवश्यक संख्या	उपलब्ध शौचालयों की संख्या	कमी
1	बाल गृह (बालिका) शासकीय भोपाल	50	8	5	3
2	सम्प्रेषण गृह (बालक) भोपाल	50	8	5	3
3	बाल गृह (बालक/बालिका) बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल - बालक इकाई	50	8	3	5
	बाल गृह (बालक/बालिका) बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल – बालिका इकाई	50	8	4	4
4	बाल गृह (बालक) सागर सामाजिक विकास संस्था, इंदौर	50	8	5	3
5	विशेष गृह (बालिका) इंदौर	50	8	5	3
6	सम्प्रेषण गृह (बालक) इंदौर	50	8	4	4
7	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल गृह, श्री युग पुरुष धाम, इंदौर बालक इकाई	50	8	4	4
8	बाल गृह (बालक), प्रगति महिला मंडल, ग्वालियर	50	8	5	3
9	सम्प्रेषण गृह (बालक) ग्वालियर	50	8	3	5
10	सम्प्रेषण गृह (बालक) छतरपुर	50	8	2	6
11	बाल गृह (बालक), रामशिव बहुउद्देशीय समिति (हरि बाल गृह), रीवा	50	8	7	1
12	बाल गृह (बालक) पश्चिम मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (जागृति केंद्र), जबलपुर	50	8	4	4
13	सम्प्रेषण गृह (बालक), जबलपुर	50	8	4	4
14	बाल गृह (बालिका), कबीर मानव सेवाधाम, सागर	50	8	6	2
15	बाल गृह (बालक/बालिका) संजीवनी बाल आश्रम - बालक इकाई	50	8	2	6
	बाल गृह (बालक/बालिका) संजीवनी बाल आश्रम - बालिका इकाई	50	8	4	4
16	सम्प्रेषण गृह (बालक) सागर	50	8	4	4

स्रोत: सी.सी.आई. का संयुक्त भौतिक सत्यापन

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.1, पृष्ठ संख्या 98)

निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध सी.सी.आई. में उपलब्ध स्नानगृहों का विवरण

क्रमांक	बाल देखरेख संस्थानों का विवरण	क्षमता	आवश्यक संख्या	उपलब्ध स्नानगृहों की संख्या	कमी
1	बाल गृह (बालक/बालिका) बाल निकेतन ट्रस्ट, भोपाल - बालिका इकाई	50	5	4	1
2	विशेष गृह (बालक), इंदौर	50	5	3	2
3	बाल गृह (बालक) सागर सामाजिक विकास संस्था, इंदौर	50	5	3	2
4	सम्प्रेषण गृह (बालक) इंदौर	50	5	3	2
5	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल गृह, श्री युग पुरुष धाम, इंदौर	50	5	1	4
6	सम्प्रेषण गृह (बालक), ग्वालियर	50	5	3	2
7	सम्प्रेषण गृह (बालक), छतरपुर	50	5	2	3
8	बाल गृह (बालक), रामशिव बहुउद्देशीय समिति (हरि बाल गृह), रीवा	50	5	1	4
9	बाल गृह (बालक) पश्चिम मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (जागृति केंद्र), जबलपुर	50	5	3	2
10	सम्प्रेषण गृह (बालक) जबलपुर	50	5	3	2
11	बाल गृह (बालक/बालिका) संजीवनी बाल आश्रम - बालक इकाई	50	5	2	3
12	सम्प्रेषण गृह (बालक), सागर	50	5	4	1
13	सम्प्रेषण गृह (बालक), खंडवा	50	5	3	2
14	विशेष गृह (बालक), सिवनी	50	5	2	3

स्रोत: सी.सी.आई. का संयुक्त भौतिक सत्यापन

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.2 (क), पृष्ठ संख्या 99)

सी.सी.आई. में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का विवरण

क्रम. सं.	बालकों के नाम	सी.सी.आई. का विवरण	जन्म तिथि	18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि	सी.सी.आई. छोड़ने की तिथि	18 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद ठहरने की अवधि (दिनों में)
1	आशिमा	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	15-08-2002	14-08-2020	13-07-2023	1063
2	पलक	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	26-01-2004	25-01-2022	17-03-2022	51
3	सिया	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	13-03-2004	12-03-2022	02-08-2022	143
4	चंचल	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	15-11-2000	14-11-2018	17-03-2022	1219
5	नेहा	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	25-11-2000	24-11-2018	25-11-2020	732
6	निकिता	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	16-04-2000	15-04-2018	19-11-2019	583
7	रजनी	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	27-06-1999	26-06-2017	19-11-2019	876
8	श्रेया खरे	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	06-11-2004	05-11-2022	14-06-2023	221
9	प्रीति	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	29-10-2004	28-10-2022	13-07-2023	258
10	प्रियंका	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	28-02-2004	27-02-2022	13-07-2023	501
11	मनीषा	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	14-06-2004	13-06-2022	13-07-2023	395
12	मीता	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	15-12-2003	14-12-2021	13-07-2023	576
13	शबाना खान	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	27-07-2003	26-07-2021	17-03-2022	234
14	सपना	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	31-12-2003	30-12-2021	17-03-2022	77
15	दिव्या शर्मा	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	28-07-2001	27-07-2019	17-03-2022	964
16	आशियानी शर्मा	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	28-07-2003	27-07-2021	17-03-2022	233
17	भाग्यलक्ष्मी	सी.एच. (बालिका) जबलपुर	28-08-2006	27-08-2024	11-12-2024	106
18	रिंकी अहिरवार	सी.एच. (बालक) सागर	04-10-2004	03-10-2022	17-05-2023	226
19	विशाल अहिरवार	सी.एच. (बालक) सागर	26-08-2004	25-08-2022	08-05-2023	256
20	रिया गोंड	सी.एच. (बालक) सागर	03-09-2004	02-09-2022	17-05-2023	257
21	अभय साहू	सी.एच. (बालक) सागर	19-03-2003	18-03-2021	16-06-2022	455
22	रवि चधर	सी.एच. (बालक) सागर	02-03-2002	01-03-2020	16-06-2022	837
23	जानकी अथिया	सी.एच. (बालक) सागर	03-04-2000	02-04-2018	29-09-2021	1276
24	लकी यादव	सी.एच. (बालक) सागर	18-08-2003	17-08-2021	17-05-2023	638
25	सेजल यादव	सी.एच. (बालक) सागर	27-09-2005	26-09-2023	16-02-2024	143
26	मैरी लिनेट	सी.एच. (बालक) सागर	13-09-2003	12-09-2021	17-05-2023	612

स्रोत: सी.सी.आई. के अभिलेख

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.4, पृष्ठ संख्या 104)

सी.सी.आई. का नाम जहां निर्धारित आहार तालिका के अनुसार आहार प्रदान नहीं किया जाता है

क्रम संख्या	अप्रदत्त सामग्री	सी.सी.आई. का नाम
1	डाइट चार्ट में दूध शामिल नहीं	बाल गृह (बालक) एवं खुला आश्रय (जे.एस.एस.) ग्वालियर, खुला आश्रय गृह (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., बाल गृह (बालक) एवं खुला आश्रय (एल.बी.टी.) इंदौर, विशेष गृह (बालक) इंदौर, सम्प्रेषण गृह रीवा, सम्प्रेषण गृह सागर, बाल गृह, (बालिका) सागर एवं बाल गृह, (बालक) सागर
2	दही/छाछ	बाल गृह (बालक) एवं खुला आश्रय गृह (जे.एस.एस.) ग्वालियर, शासकीय बाल गृह (बालिका) एवं खुला आश्रय गृह (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., विशेष गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह, खुला आश्रय गृह (एल.बी.टी.) इंदौर, बाल गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह छतरपुर, बाल गृह, सम्प्रेषण गृह रीवा, खुला आश्रय गृह, बाल गृह (बालिका), बाल गृह (बालक/बालिका), बाल गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह, सागर, सम्प्रेषण गृह सिवनी, सम्प्रेषण गृह खंडवा एवं बाल गृह , खंडवा
3	पनीर या मूंगफली के साथ गुड़	खुला आश्रय गृह (जे.एस.एस.) ग्वालियर, शासकीय बाल गृह (बालिका) एवं खुला आश्रय गृह (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., विशेष गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह, बाल गृह (एस.एस.एस.) एवं खुला आश्रय गृह (एल.बी.टी.) इंदौर, खुला आश्रय गृह सागर, बाल गृह (बालक) सागर तथा एस.ए.ए. खंडवा
4	फल	बाल गृह (बालक) एवं खुला आश्रय (जे.एस.एस.) ग्वालियर, शासकीय बाल गृह (बालिका) एवं खुला आश्रय (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., विशेष गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह (बालिका), खुला आश्रय गृह (एल.बी.टी.) इंदौर, बाल गृह (बालक) छतरपुर, बाल गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह रीवा, सम्प्रेषण गृह, खुला आश्रय गृह सागर, सम्प्रेषण गृह, बाल गृह (बालक), एस.ए.ए. खंडवा, सम्प्रेषण गृह तथा विशेष गृह सिवनी

स्रोत: जे.पी.वी. एवं सी.सी.आई. के अभिलेख

परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ: कंडिका 3.9.2.5, पृष्ठ 104)

बाल देखरेख संस्थानों की सुरक्षा में चूक

क्रमांक	सुरक्षा में चूक	सी.सी.आई. की संख्या	सी.सी.आई. का नाम
1	सुरक्षा गार्ड की अनुपलब्धता	10	खुला आश्रय गृह ग्वालियर , खुला आश्रय गृह (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, बाल गृह (बालक/बालिका) भोपाल, खुला आश्रय गृह (एल.बी.टी.), बाल गृह (बालक), बाल गृह (बालिका), बाल गृह (विशेष जरूरत), विशेष गृह (बालिका) इंदौर, पश्चातवर्ती देखरेख गृह जबलपुर एवं एस.ए.ए. खंडवा
2	चारदीवारी की कम ऊंचाई	6	सम्प्रेषण गृह, बाल गृह (बालक), एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए. इंदौर, सम्प्रेषण गृह, रीवा, खुला आश्रय गृह सागर तथा सम्प्रेषण गृह खंडवा
3	दीवार पर कांटेदार तार नहीं लगाई गई	21	बाल गृह (बालक) ग्वालियर, बाल गृह (बालक/बालिका), शासकीय बालिका गृह भोपाल, बाल गृह (बालक), बाल गृह (बालिका), एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., विशेष गृह (बालिका), विशेष गृह (बालक), सम्प्रेषण गृह, खुला आश्रय गृह (एल.बी.टी.) इंदौर, बाल गृह (बालक), एस.ए.ए., सम्प्रेषण गृह छतरपुर, सम्प्रेषण गृह रीवा, बाल गृह (बालिका) (आर.बी.बी.एन.), पश्चातवर्ती देखरेख गृह जबलपुर, खुला आश्रय गृह, एस.ए.ए, बाल गृह (बालक) सागर, सम्प्रेषण गृह खंडवा तथा विशेष गृह, सिवनी
4	सीमा से सटी पाई जाने वाली वस्तुएं/पेड़	5	बाल गृह (बालक/बालिका) भोपाल, बाल गृह (बालक) इंदौर, एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर, विशेष गृह (बालिका) इंदौर एवं सम्प्रेषण गृह , छतरपुर
5	सी.सी.टी.वी. कैमरा ठीक से काम नहीं करना	8	बाल गृह (बालक) ग्वालियर, खुला आश्रय गृह ग्वालियर, एस.ए.ए. (पी.एम.एम.) ग्वालियर, सम्प्रेषण गृह भोपाल, खुला आश्रय (जी.पी.एस.एस.) भोपाल, विशेष गृह (बालक) इंदौर, बाल गृह (बालक) इंदौर, सम्प्रेषण गृह इंदौर
6	परिसर में चल रहे कार्यालय/स्कूल/संस्थान	4	खुला आश्रय गृह ग्वालियर, बाल गृह (बालक/बालिका) भोपाल, बाल गृह (बालक) इंदौर और एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए., इंदौर
7	बालकों के सी.सी.आई. से बाहर जाते समय साथ जाने वाले कर्मी प्रदान न किया जाना	2	बाल गृह (बालक/बालिका) भोपाल, एवं बाल गृह (बालक) इंदौर

परिशिष्ट-3.14

(संदर्भ: कंडिका 3.10.1.2, पृष्ठ संख्या 114)

सी.सी.आई. में प्रबंधन समिति एवं बाल समितियों के कार्यप्रणाली में अनियमितताएं

विवरण	सी.सी.आई. की संख्या	सी.सी.आई. जिसमें पायी गयी
प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया	10	ओ.एस. ग्वालियर, ओ.एच. ग्वालियर, सी.एच. (एस./एन.) (बालक/बालिका) भोपाल, एस.ए.ए. भोपाल, ओ.एच. भोपाल, सी.एच. (बालिका) इंदौर, सी.एच. (बालक) छतरपुर, सी.एच. (बालिका) जबलपुर, ओ.एस. सागर, सी.एच. (बालक/बालिका) सागर
प्रबंधन समिति के गठन में देरी	10	सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल (08/02/2021), सी.एच. (बालिका) भोपाल (03/11/2020), सी.एच. (बालक) इंदौर (02/04/2020), एस.ए.ए. आर.बी.एस.ए. इंदौर (जनवरी 2023), सी.एच. इंदौर (23/01/2023), सी.एच. (एस./एन.) (बालिका) भोपाल (जुलाई 2023), सी.एच. (बालक) रीवा (जनवरी 2022), एस.एच. (बालक) इंदौर (दिसंबर 2022), ओ.एच. (बालक) रीवा (जून 2023), एस.एच. (बालिका) इंदौर (जून 2023)
बालकों के सुझाव/शिकायत पेटी नहीं रखी गई	5	एस.एच. (बालक) इंदौर, एस.ए.ए. आर.बी.एस.ए. इंदौर, सी.एच. (बालिका) इंदौर, सी.एच. (एस./एन.) (बालक/बालिका) इंदौर, ओ.एस.(बालक) सागर
तीन आयु वर्ग के लिए अलग से नहीं गठित बाल समितियां	23	ओ.एच. ग्वालियर, ओ.एस. ग्वालियर, सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल, सी.एच. (बालिका) भोपाल, ओ.एच. भोपाल, ओ.एस. (बालक) भोपाल, एस.एच. (बालक) इंदौर, एस.ए.ए., आर.बी.एस.ए. इंदौर, ओ.एच. इंदौर, सी.एच. (बालिका) इंदौर, ओ.एस. इंदौर, सी.एच. (बालक) छतरपुर, ओ.एच. छतरपुर, सी.एच. (बालक) रीवा, सी.एच. (बालक) जबलपुर, सी.एच. (बालिका) जबलपुर, ओ.एस. (बालक) सागर, सी.एच. (बालक/बालिका) एस.एफ.एस.ए. सागर, सी.एच. (बालक/बालिका) एस.बी.ए. सागर, सी.एच. (बालिका) सागर, ओ.एच. सागर, ओ.एच. खंडवा, सी.एच. (बालक) खंडवा
स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई	29	सी.एच. ग्वालियर, ओ.एच. ग्वालियर, ओ.एस. ग्वालियर, सी.एच. (बालक/बालिका) भोपाल, सी.एच. (बालिका) भोपाल, ओ.एच. भोपाल, ओ.एस. भोपाल, एस.एच. (बालक) इंदौर, सी.एच. (बालक) इंदौर, एस.ए.ए., आर.बी.एस.ए. इंदौर, एस.एच. (बालिका) इंदौर, ओ.एच. इंदौर, ओ.एस. इंदौर, सी.एच. (बालिका) इंदौर, सी.एच. (बालक) छतरपुर, ओ.एच. छतरपुर, सी.एच. (बालक) रीवा, ओ.एच. रीवा, सी.एच. (बालक) जबलपुर, सी.एच. (बालिका) जबलपुर, ओ.एच. जबलपुर, ओ.एस. (बालक) सागर, सी.एच. (बालक/बालिका) एस.एफ.एस.ए. सागर, सी.एच. (बालक/बालिका) एस.बी.ए. सागर, सी.एच. (बालिका) सागर, ओ.एच. सागर, सी.एच. खंडवा, ओ.एच. खंडवा, सी.एच. सिवनी

परिशिष्ट-3.15

(संदर्भ: कंडिका 3.10.1.2, पृष्ठ संख्या 114)

सी.सी.आई. में बाल समिति की बैठकों में कमी

क्रमांक	सी.सी.आई. का विवरण	बाल समिति के गठन की तिथि	2019-24 के दौरान आयोजित की जाने वाली बाल समिति की बैठकें	2019-24 के दौरान आयोजित बाल समिति की बैठकें	2019-24 के दौरान बाल समिति की बैठकों में कमी
1	सी.एच. (बालिका) भोपाल	फरवरी 2021	38	24	14
2	ओ.एच. भोपाल	2019 से पहले	60	48	12
3	एस.एच. (बालक) इंदौर	जनवरी 2023	15	5	**10**
4	सी.एच. (बालक) इंदौर	2019 से पहले	60	45	15
5	एस.ए.ए. आर.बी.एस.ए. इंदौर	जनवरी 2022	27	17	**10**
6	ओ.एच. इंदौर	2019 से पहले	60	23	37
7	ओ.एस. (बालक) इंदौर	2019 से पहले	60	1	**59**

स्रोत: सी.सी.आई. के अभिलेख

संक्षिप्त शब्दावली

सरल क्रमांक	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
आंगनवाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा		
1.	ए.ए.एस.आर.	आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन
2.	ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
3.	ए.एल.एम.सी.	आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी समिति
4.	ए.एन.सी.	प्रसवपूर्व देखभाल
5.	ए.एन.एम.	औक्सिलिअरी नर्स मिडवाइव्स
6.	ए. डब्ल्यू.सी.	आंगनवाड़ी केंद्र
7.	ए. डब्ल्यू.एच.	आंगनवाड़ी सहायिका
8.	ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
9.	सी.डी.पी.ओ.	बाल विकास परियोजना अधिकारी
10.	सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
11.	डी.ई.सी.एड.	प्रारंभिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा में डिप्लोमा
12.	डी.सी.एस.सी.	जिला नागरिक आपूर्ति निगम
13.	डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
14.	ई.सी.सी.ई.	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
15.	एफ.पी.एस.	उचित मूल्य दुकान
16.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
17.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
18.	जी.पी.	ग्राम पंचायत
19.	एच.सी.एम.	गर्म पका हुआ भोजन
20.	आई.सी.डी.एस.	एकीकृत बाल विकास सेवा
21.	आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
22.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
23.	एम.ए.एम.	मध्यम तीव्र कुपोषण
24.	एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
25.	एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु दर
26.	एम.ओ.	चिकित्सा अधिकारी

सरल क्रमांक	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
27.	एम.ओ. डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
28.	एम.पी.एफ.सी.	मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
29.	एम.पी.आर.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
30.	एन.एफ.एच.एस.	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
31.	एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
32.	पी.एफ.एम.एस.	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
33.	पी.एम.जनमन	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान
34.	पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	आकार के अनुपात में संभावना के आधार पर बिना प्रतिस्थापन चयन
35.	एस.ए.एम.	गंभीर तीव्र कुपोषण
36.	एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
37.	एस.एच.जी.	स्व-सहायता समूह
38.	एस.एम.सी.	स्कूल प्रबंधन समिति
39.	एस.एन.पी.	पूरक पोषण कार्यक्रम
40.	एस.ओ.आर.	दरों की अनुसूची
41.	एस.यू.	गंभीर रूप से कम वजन
42.	टी.एच.आर.	टेक होम राशन
43.	डब्ल्यू.बी.एन.पी.	गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम
44.	डब्ल्यू.सी.डी.डी.	महिला एवं बाल विकास विभाग
45.	जेड.पी.	जिला पंचायत
कामकाजी महिला वसतिगृहों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा		
1.	ए.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय महिला सभा
2.	ए.आई. डब्ल्यू. सी.	आल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस
3.	डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
5.	एच.एम.सी.	वसति गृह प्रबंधकीय समिति
6.	आई.ए.	क्रियान्वयन एजेंसी
7.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
8.	एल.एफ.पी.आर.	श्रम बल सहभागिता दर
9.	एम.पी.एच.आई.डी.बी.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
10.	एम.पी.एस.आई.डी.सी.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
11.	एम.एस.एस.पी.के.	मातृशक्ति संवर्धन शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र
12.	एम. डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सरल क्रमांक	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
13.	पी.एस.सी.	परियोजना स्वीकृति समिति
14.	एस.ई.जेड.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
15.	एस.एन.ए.	राज्य नोडल एजेंसी
16.	एस.पी.डी.ए.	खेल परियोजना विकास क्षेत्र
17.	यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
18.	डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास
19.	डब्ल्यू. डब्ल्यू.	कामकाजी महिला
20.	डब्ल्यू.डब्ल्यू.एच.	वसति गृह
21.	जिला पंचायत	जिला पंचायत
बाल देख रेख संस्थानों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा		
1.	ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
2.	ए.एच.	पश्चातवर्ती देखरेख गृह
3.	सी.सी.आई.	बाल देखरेख संस्थान
4.	सी.एन.सी.पी.	देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों
5.	सी.पी.सी.	बाल संरक्षण समिति
6.	सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
7.	डी.सी.पी.सी.	जिला बाल संरक्षण समिति
8.	डी.सी.पी.यू.	जिला बाल संरक्षण इकाई
9.	डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
10.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
11.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
12.	आई.सी.डी.एस.	एकीकृत बाल विकास सेवायें
13.	आई.सी.पी.	व्यक्तिगत देखरेख योजना
14.	आई.सी.पी.एस.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
15.	जे.जे.	किशोर न्याय
16.	जे.जे. एक्ट 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
17.	जे.जे. रूल्स 2016	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
18.	जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
19.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
20.	एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
21.	एम.डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सरल क्रमांक	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
22.	एन.सी.पी.सी.आर.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
23.	एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संगठन
24.	ओ.एच.	सम्प्रेषण गृह
25.	ओ.एस.	खुला आश्रय गृह
26.	पी.एस.	प्रमुख सचिव
27.	एस.ए.ए.	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी
28.	एस.ए.ए.आर.बी.एस.ए.	एस.ए.ए. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम
29.	एस.ए.आर.ए.	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी
30.	एस.सी.पी.एस.	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
31.	एस.एच.	विशेष गृह
32.	एस.ओ.पी.	मानक संचालन प्रक्रिया
33.	एस.पी.एस.यू.	राज्य परियोजना सहायता इकाई
34.	एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण
35.	डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi